खण्ड-371, अंक-7
मंगलवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1907
(6 अगस्त, 1985 ई0)

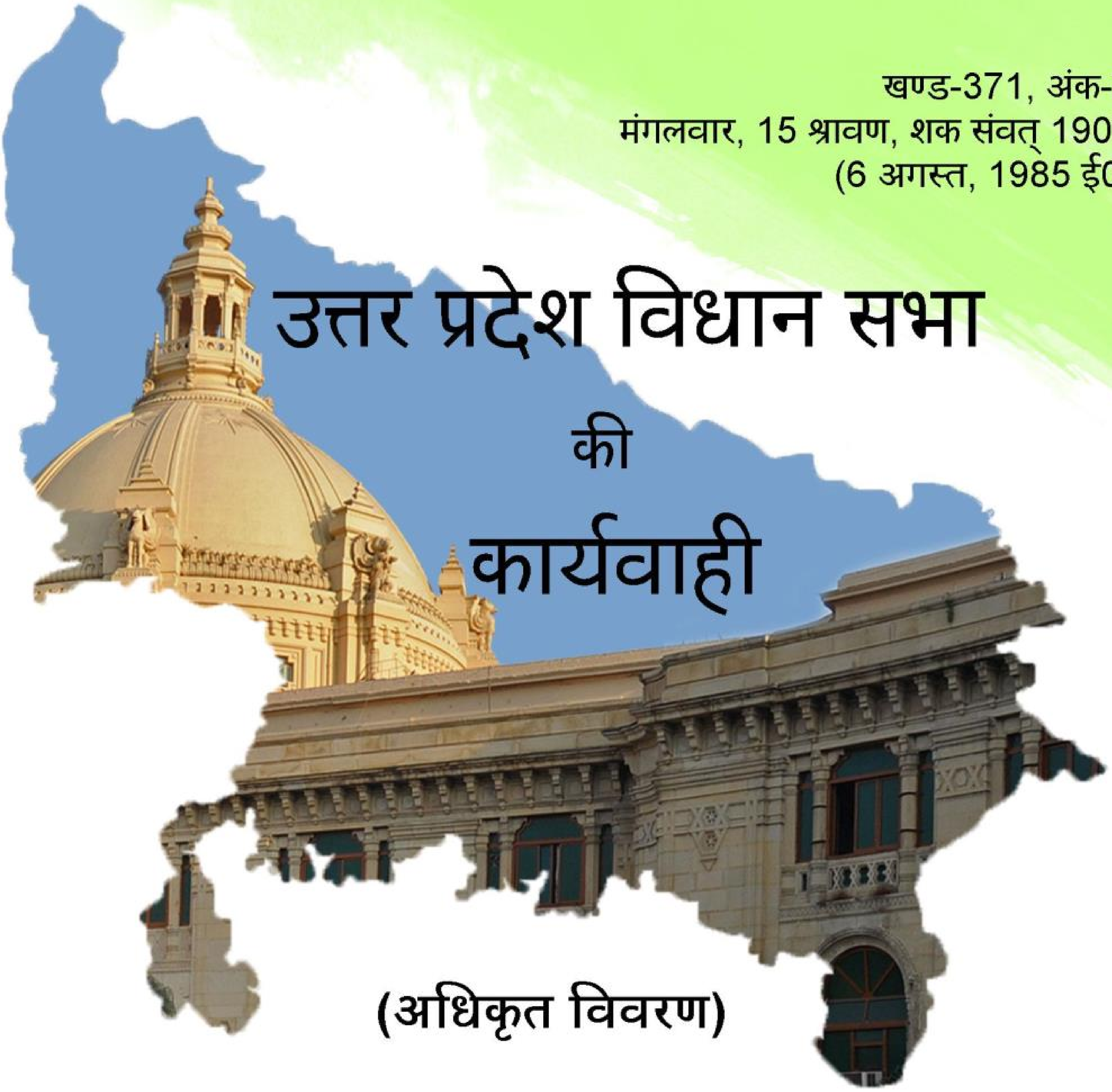

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 371 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1
प्रश्नोत्तर	..	3–70
तारांकित प्रश्न 2 (नत्थी घ) के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	70–72
सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत छिताही तथा विजवार माइनरों को समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	72
नेपाल तथा प्रदेश की उत्तरी सीमा पर विदेशी गतिविधियों की सक्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	73
प्रदेश के जनपद देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा तथा बहराइच में मलेरिया के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	73
प्रदेश में जीवन रक्षक दवाओं के अभाव से जनमानस में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	74
आगरा में ताजपुर मार्ग की दयनीय स्थिति एवं उसके सुधार की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	74
प्रदेश के हजारों मान्टेसरी टाइप कोचिंग स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के शोषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	74–75
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में असामाजिक तत्वों का बोलबाला होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	75
शिवपति इण्टर कालेज शोहरत गढ़, बस्ती के 1984-85 के परीक्षाफल की घोषणा न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	75–76
अध्यापक सदस्यों के निर्धारित अवकाश से सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	76–79
अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के एक भाग का उत्तर न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	79–80
अध्यापक व सदस्यों के निर्धारित अवकाश से सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)	..	80
दिनांक 22 जुलाई, 1985 को सदन में उठाए गए औचित्य के प्रश्न पर श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां का स्पष्टीकरण	..	80–81
औचित्य के प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	81–82
बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में अव्यवस्था के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	82
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया)	..	82

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985 (सदन के पटल पर रखा गया) (प्रस्तुत की गयी) ..	82
जनपद फैजाबाद में तिवारीपुर नन्सा बाजार रोड पर मडहा तमसा नदी पर पक्का पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गयी) ..	83
जनपद बांदा में अतर्रा कस्बा को तहसील बनाए जाने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गई) ..	83
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	83-85
11 सितम्बर, 1984 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य ..	86
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985 (पुरः स्थापित किया गया) ..	86-87
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाए ..	87-103
1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मत-दान-अनुदान संख्या 78-सूचना विभाग (स्वीकृत) ..	104-130
विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम को निरस्त करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	130-133
अनुदान संख्या 1 आबकारी विभाग (स्वीकृत) ..	133-156
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	156
जनपद उन्नाव के ग्राम सरवारा में हरिजन उत्पीड़न की घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	156-158
कानपुर में गन्दे पेय जलापूर्ति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	158-169
कानपुर में गन्दे पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा ..	169-174
फैजाबाद के मल प्रदूषित पेय जल पूर्ति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	174-176
जनपद फैजाबाद में टाण्डा तापीय विद्युत् परियोजना के निर्माण के विषय पर दिनांक 26-7-85 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं0 109 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ..	176-178
प्रदेश के जिलों को आंशिक व पूर्ण रूप से सूखाग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा ..	178-183
नत्थियां ..	186-195

लखनऊ सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 6 अगस्त, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त सभी सदस्य उपस्थित थे :

अमरनाथ सिंह, श्री (फतेहपुर)
अमीर आलम खां, श्री (मुजफ्फरनगर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अशरफ इमाम, श्रीमती (मिर्जापुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (बहराइच)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशी सिंह ऐरी, श्री (पिथौरागढ़)
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री (गाजियाबाद)
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री (सीतापुर)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
चन्द्र भान मौर्य, श्री (आगरा)
जगमोहन सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जय नरायण शर्मा, श्री (मेरठ)
तिलक सिंह, श्री (अलीगढ़)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दिनेश जौहरी, डा० (बरेली)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री (आजमगढ़)
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री (कानपुर)
पशुपतिनाथ, श्री (कानपुर)
फजले मसूद, श्री (देवरिया)
बुधपाल सिंह खुर्जावाले, श्री (बुलन्दशहर)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
भगवती प्रसाद, चौधरी (मिर्जापुर)
भोला शंकर मौर्य, श्री (बदायूं)
भोला सिंह, श्री (इलाहाबाद)
मंगलदेव, श्री (गोण्डा)
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री (एटा)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
मोहम्मद हयात, हाजी (मुरादाबाद)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रजनीकान्त, श्री (वाराणसी)
राजेश कुमार खैरा, श्री (ललितपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम सकल तिवारी, श्री (देवरिया)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विमला सिंह, श्रीमती (गाजियाबाद)
विलायती राम कत्यल, श्री (कानपुर)
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शिवनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री (गोरखपुर)
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री (टेहरी गढ़वाल)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सखावत हुसैन, श्री (गाजियबाद)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
समरपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सैयद सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
हरशरन सिंह, श्री (मेरठ)
हरिशंकर तिवारी, श्री (गोरखपुर)

नोट--1 श्री अरुण कुमार सिंह--सहकारिता मंत्री
2 श्री सिब्ते रजी--शिक्षा मंत्री

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, दिनांक 6 अगस्त, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य कर्मचारियों को एल0 टी0 सी0 सुविधा प्रदान करने पर विचार

*1—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार की भांति राज्य कर्मचारियों एवं प्रदेश सचिवालय के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रति तीसरे वर्ष एल0 टी0 सी0 सुविधा प्रदान करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

जी नहीं ।

राज्य सरकार द्वारा एल0 टी0 सी0 की सुविधा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी सेवकों को 15 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने के पश्चात सम्पूर्ण सेवाकाल में केवल एक बार उपलब्ध कराई गई है । यह सुविधा चूंकि पहली बार और अभी शीघ्र ही वर्ष 1982 से दी गई हैं अतएव केन्द्र सरकार की भांति सुविधा दिये जाने में निहित वित्तीय उपायों को दृष्टि में रखते हुये राज्य सरकार अपने सेवकों को उपलब्ध करायी गयी उक्त सुविधा में फिलहाल कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु विचार नहीं कर रही हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में एल0 टी0 सी0 की सुविधा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को प्रति 3 वर्ष के बाद मिलती है । उत्तर प्रदेश में भी उसी भावना को ध्यान में रखते हुए 1982 से प्रदेश सरकार ने 15 साल के बाद एल0 टी0 सी0 की सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी है । माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि "फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है ।" यह एल0 टी0 सी0 की सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवा काल में सिर्फ एक बार दी जाती है । क्या माननीय मन्त्री जी दो महीने में, चार महीने में या छः महीने में इस विषय पर कोई निर्णय लेंगे कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी एल0 टी0 सी0 की सुविधा दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, हम अपने यहां के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सुविधा से एक अलग सुविधा देते हैं, वह है अवकाश नगदीकरण की सुविधा । यह सुविधा हम उन्हें प्रतिवर्ष देते हैं । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, अभी तक उस पर निश्चित रूप से कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री रामआसरे वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार करते हैं कि केन्द्र सरकार की भांति एल0 टी0 सी0 की सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों और सचिवालय के कर्मचारियों को दी जानी चाहिए ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया—

15 वर्ष में और पूरे सेवा काल में एल0 टी0 सी0 की सुविधा एक बार दिये जाने का प्राविधान है । सचिवालय के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को एल0 टी0 सी0 की सुविधा हर 3 साल बाद दी जाती है और प्रदेश में अनवरत 15 साल काम

करने के बाद पूरे सेवाकाल में एक बार एल0 टी0 सी0 की सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय भार को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इस बात का निर्णय लेगी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में 3 बार एल0 टी0 सी0 की सुविधा दी जाय ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, जैसा कि मैंने माननीय सदस्यों को बताया कि हम प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को एक ऐसी सुविधा देते हैं, जो केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को नहीं देती है। यहां तक कि यह नकदीकरण की सुविधा अन्य प्रदेशों में नहीं है। 1982 से पूरे सेवाकाल में एल0 टी0 सी0 की सुविधा एक बार दिये जाने का भी प्राविधान किया गया है।

देहरादून में स्वीकृत स्टेडियम का निर्माण

**2--श्री हीरा सिंह बिष्ट--

क्या खेल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून में स्वीकृत स्टेडियम जिसके लिये चयन की समस्त औपचारिकतायें भी पूरी हो चुकी थीं तथा तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा इसका उद्घाटन भी हो चुका था, इस पर अभी तक कार्य शुरू न होने का कारण क्या है ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि स्टडियम के लिए निर्मित भवन का उपयोग दूसरे प्रयोजनों में शासन की स्वीकृति से किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सिंह)--

शिलान्यास के उपरान्त स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया परन्तु जन-आक्रोश के कारण कार्य रोकना पड़ा तथा निर्मित भवन को नगरपालिका देहरादून को ऋण के आधार पर इस शर्त के साथ दे दिया गया कि कुल लागत नगरपालिका दो किस्तों में विभाग को अदा कर दें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी को सत्य मानते हुये उस चयनित स्थान पर न तो जन आक्रोश हुआ, न धरना, न घेराव हुआ। इसलिए स्टेडियम बनाने में इतना विलम्ब क्यों हुआ और जो पुराना स्थान जहां बनाना चाहते उसको बनाने का कष्ट करेंगे और कितना धन आवंटित किया गया है इसके लिये ?

श्री गुलाब सिंह--

14-11-1981 को स्टेडियम का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मन्त्री, श्री बिश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था उसके बाद कार्य शुरू हुआ कुछ पैसा खर्च हुआ। कुछ लोगों के जन आक्रोश की बात थी लेकिन अब मान्यवर, 27 जुलाई, को जो मीटिंग हुई है उसमें यह निश्चय किया गया है कि यहीं पर, इसी स्थान पर स्टेडियम का निर्माण किया जाय।

श्री हीरा सिंह बिष्ट--

अभी तक कितना धन आवंटित किया गया है और जो चयनित स्थान है, बड़ा वाला पैवेलियन अथवा अन्य स्थान पर बनाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी आप बता दें कि पुराने स्टेडियम की जगह बनाना चाहते हैं या नई जगह पर ?

श्री गुलाब सिंह--

स्टेडियम के लिए कम से कम 20 एकड़ जमीन की आवश्यकता रहती है। जहां निर्माण किया गया है वहां पर केवल 5 एकड़ है, इसलिए वहां पर सम्भव नहीं है, लेकिन जहां 20 एकड़ अधिग्रहीत की गई है वहां पर बनाने की बात विभाग द्वारा सोची जा रही है।

श्री पूरन सिंह—

मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने रानीखेत की जनसभा में भी 5 लाख आवंटित किये जाने की बात की थी, क्या वह पैवेलियन भी बनेगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

20 एकड़ की आवश्यकता है और जहां पर पूर्व मुख्य मन्त्री ने उद्घाटन किया था वहां 5 एकड़ जमीन है, तो जब शासन को जानकारी थी कि 20 एकड़ की आवश्यकता है तो 5 एकड़ की जमीन पर क्यों उद्घाटन करा दिया ?

एक सदस्य—

कहीं एलेक्शन के समय तो नहीं था ।

श्री अध्यक्ष—

बन तो रहा है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जवाब दिलवा दें, मान्यवर ।

श्री गुलाब सिंह—

छोटा एक आफिस, बहुद्देशीय हाल लगाने की बात थी, हालांकि जो हो रहा है वह विचार स्थगित कर दिया गया है । अब बड़े रूप में बनाया जायगा ।

श्री हीरा सिंह विष्ट—

मुझे निश्चित जानकारी है कि जो बड़ा पैवेलियन ग्राउन्ड है, उसके खाली स्थान पर तत्कालीन खेल मन्त्री, पर्वतीय विकास मन्त्री, सचिव गये थे, 20 एकड़ के स्थान पर केवल 5 एकड़ जमीन थी, यह आम सहमति हो गई थी और जो यह जन आक्रोश की बात की गई है वह कोई बात नहीं है, केवल खेल विरोधी बातों के आधार पर टाला जा रहा है, मैं स्पष्ट रूप में जानना चाहता हूं कि पुराने स्थान पर ही बना रहे हैं या नये स्थान पर. . .।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न क्या है ? आप प्रश्न करिये ।

श्री हीरा सिंह विष्ट—

किस स्थान पर, कब तक स्टेडियम बनाना शुरू करेंगे और कब तक बन जायगा और कितना धन शासन की ओर से आवंटित किया गया है ?

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, बहुत जल्दी बना दिया जायगा ।

श्री हीरा सिंह विष्ट—

इसी से सम्बन्धित प्रश्न है कि जो भवन बनाया था खेल विभाग ने उसे जिला प्रशासन ने पुस्तकालय भवन बना दिया और फिर मसूरी-देहरा विकास प्राधिकरण का कार्यालय खोल दिया गया । मैं जवाब चाहता हूं कि नगर-पालिका और विकास प्राधिकरण दो अलग-अलग चीजें हैं, क्या मसूरी-देहरा विकास प्राधिकरण को शासन की सहमति से बिल्डिंग दी गई है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न का ताल्लुक इससे नहीं है ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मैं जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने जितनी घोषणायें की थीं, अधिकांश स्थगित कर दी गयी हैं, क्या ये कार्यान्वित की जायेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई सवाल नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के प्रतिनिधि मण्डल की मांगे तथा कृत कार्यवाही

*1--श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री शारदा प्रताप तथा श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ का प्रतिनिधि मण्डल उनसे दिनांक 14/17 अप्रैल, 1985 को मिला था तथा अपनी मांगें उनके सम्मुख प्रस्तुत की थी ? यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

जी हां ।

प्रतिनिधि मण्डल दिनांक 17 अप्रैल, 1985 को मिला था ।

मांगें निम्नवत् हैं :--

1--दिल्ली न्यायिक सेवाओं के समकक्ष वेतनमान एवं सुविधाओं की स्वीकृति ।

2--उच्च न्यायालय में न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्तियों में वृद्धि ।

3--जिला न्यायाधीशों को मोटर कार का प्राविधान ।

4--न्यायिक अधिकारियों को वाहन भत्ते की स्वीकृति ।

5--न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दो सेवकों का प्राविधान ।

6--न्यायिक अधिकारियों को टेलीफोन की सुविधा ।

7--न्यायिक सुरक्षा दल का गठन ।

8--न्यायिक सुधार आयोग का गठन ।

9--मुंसिफ न्यायालय में आशुलिपिक के पद का सृजन ।

10--न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु में वृद्धि ।

11--न्यायालयों में यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण ।

12--उच्चतर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती में नियमों का पालन ।

13--उच्चतर न्यायिक सेवा में स्थायीकरण ।

मांग संख्या-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व 11 का सम्बन्ध शासन से है और इनमें से मांग संख्या 5, 7 व 10 को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया । मांग संख्या-1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 विचाराधीन हैं । मांग संख्या-2 भारत सरकार से सम्बन्धित है ।

मांग संख्या-12 व 13 से मा0 उच्च न्यायालय सम्बन्धित हैं और उन पर कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय स्तर पर ही की जायगी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि आपने मांग संख्या-5, जिसमें न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दो सेवकों का प्राविधान है और मांग संख्या-7, जिसमें सुरक्षा बल के गठन का प्रश्न है, के सम्बन्ध में साफ मना कर दिया है । जो न्यायिक सेवा के लोग हैं वे भी ऐसा काम करते हैं, जिसके कारण उनके अन्दर भी असुरक्षा की भावना रहती है । चूंकि उसी आधार पर राज्य सरकार पी0 सी0 एस0 और आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को सेवक भी देती है और सुरक्षा की व्यवस्था भी करती है, फिर इस आधार पर इन्हें अस्वीकार करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह--

जिन तीन मांगों 5, 7 व 10 के बारे में कहा गया है, इनको स्वीकार

करना सम्भव नहीं है। इसका परीक्षण कराया गया और उसमें यह पाया गया कि एक सेवक तो इनको मिला हुआ है, अगर दो मिल जायेंगे तो बाकी अधिकारियों की तरफ से भी माँग आयेगी। जो संसाधन हैं, उसके अनुसार दो सेवकों का प्राविधान सम्भव नहीं है।

जहां तक सुरक्षा बल के गठन का प्रश्न है, जो सामान्य सुरक्षा है उसमें व्यवस्था तो सबको दी है। अलग से सुरक्षा बल का गठन हो, यह व्यावहारिक नहीं पाया गया। इसका भी परीक्षण कराया गया था।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

जो उत्तर माननीय मंत्री जी की तरफ से दिया गया है, उसमें कुल 13 मांगें हमारे न्यायिक अधिकारियों ने प्रस्तुत की थीं और यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि जनता को न्याय देने वाले अधिकारी स्वयं 26 तारीख को विधान सभा के सामने प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इन 13 मांगों में से 3 को आपने बिल्कुल अस्वीकार कर दिया है कि ये सम्भव नहीं हैं। मैं विशेष तौर से मांग संख्या-10, जो सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ाने के संबंध में है, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मार्च, 1983 में देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की कांफ्रेंस दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय चन्द्रचूड़ जी ने की थ, और उसमें उन्होंने संस्तुति की और ला-डिपार्टमेन्ट ने भी संस्तुति की है कि उच्चतम न्यायालय की रिटायरमेन्ट की आयु 65 वर्ष की हो और उच्च न्यायालय के रिटायरमेन्ट की आयु 62 वर्ष की हो। इसी प्रकार से उनके अनुभवों को देखते हुए न्यायिक प्रक्रिया जो कि बहुत जटिल होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

वही मैं कह रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय की सेवा-निवृत्ति की आयु 65 वर्ष और उच्च न्यायालय की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष उनके अनुभव को देखते हुये होनी चाहिये। इसमें समय की भी बचत होती है और इस तरह से परिपक्व निर्णय सुलभ हो सकेगा। तो क्या मंत्री जी उनकी आयु सीमा को 60 वर्ष की निर्धारित करने में आपको क्या आपत्ति है?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, सेवा-निवृत्ति की जो आयु रखी गयी है वह 58 वर्ष की आयु रखी गयी है। यह आयु की सीमा न्यायिक सेवा के अधिकारियों की तथा केन्द्रीय सरकार के भी अधिकारियों की, सबकी 58 वर्ष की ही आयु सीमा है। यह हमारे लिये उचित नहीं प्रतीत होता है कि एक श्रेणी की सेवा निवृत्ति की आयु को हम 58 वर्ष की रखें और दूसरे श्रेणी की आयु को 60 वर्ष की रखें। न्यायालय के अधिकारियों को विशेष स्थिति में और विशेष परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, यह एक अलग बात है। लेकिन यहां 58 वर्ष की आयु तक काम करने के बाद उनकी पदोन्नति भी उच्च न्यायालय में हो जाती है और यहां की परिपक्वता वहां काम आती है। प्रदेश सरकार की सामान्य नीति जो है उसके आधार पर आयु की सीमा में बढ़ोत्तरी करना उचित नहीं है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने और ला-डिपार्टमेन्ट ने जो रिकमन्डेशन की है उनके रिटायरमेन्ट एज के बारे में कि उसे 60 वर्ष की कर दिया जाय, तो उस रिकमन्डेशन को लागू करने में आपको क्या कठिनाई महसूस होती है?

श्री हुकुम सिंह--

मैंने कहा कि इस सम्बन्ध में परीक्षण कराया है और परीक्षण कराने के बाद रिटायरमेन्ट की एज बढ़ाना इन परिस्थितियों में, जिन चन्द मांगों का उल्लेख पहले किया गया है उचित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

ये न्यायिक अधिकारी अपना वार्षिक अधिवेशन करते हैं । इस वर्ष के वार्षिक अधिवेशन में न्यायिक सेवा के लोगों ने अपना जो ज्ञापन दिया है इसके पहले भी ज्ञापन दिया था, तभी मैंने इस प्रश्न को उठाया था तो उनकी जो मांगें शासन के विचाराधीन हैं, शायद उससे पहले की भी मांगें विचाराधीन होंगी, तो यह जो 10 मांगें विचाराधीन हैं इनमें से कौन-कौन सी मांगें कब तक स्वीकार की जायेंगी, किस मांग को स्वतः आप स्वीकार करते हैं और उनके क्रियान्वयन के बारे में आपके क्या विचार हैं ? इन सबका मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री हुकुम सिंह--

उनका मांग-पत्र 17-4-85 को दिया गया है । उसके बाद उस पर परीक्षण आरम्भ हुआ । परीक्षण के बाद जहां तक मांग नं0 (1) की बात है, वह विचाराधीन है, आशा की जाती है कि शीघ्र ही इसमें निर्णय हो जायेगा । मांग नं0 (3)--यह भी विचाराधीन है । इसके बारे में मुझे यह कहना है कि इसमें मांग नं0 3 और मांग नं0 4 साथ ही साथ जुड़ी हुई हैं । जहां तक पर्वतीय जिलों की बात है जैसे नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा चमोली आदि जगहों में यह प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि वहां एक-एक स्टाफ कार या एक-एक जीप की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है । 1-1-84 से तमाम जिलों में वाहन भत्ता भी स्वीकृत किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त सभी जिलों के उच्च न्यायालयों से इस सम्बन्ध में परामर्श चल रहा है । मांग नं0 (5)--इसके बारे में पहले ही कहा जा चुका है । मांग नं0 (6)--यह टेलीफोन की सुविधा के बारे में है, इसमें मेरा अनुरोध है कि स्वतंत्र टेलीफोन लगभग हर जनपद में जिला जज के स्तर के अधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गये हैं । जहां तक वहां पर सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके लिए टेलीफोन का प्राविधान कर दिया गया है जो मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट हैं उनके लिए परीक्षण कराया जा रहा है । आगे मान्यवर, मांग नं0 8 है । इस गठन के बारे में मान्यवर, विचार चल रहा है और दूसरे भी न्यायिक सुधार आयोग के बारे में विचार हो रहा है । जैसे ही कुछ होगा कार्यवाही की जायेगी । इसके आगे मान्यवर, मांग नं0 9 है, नये आशुलिपिकों के पद के सृजन के बारे में है । आपको जानकारी होगी और माननीय गुप्ता जी को भी जानकारी होगी कि अभी तक जो प्राविधान है कि 3 साल की सेवा के बाद उनको आशुलिपिक देंगे । 3 साल तक के लिए जो बात है, माननीय उच्च न्यायालय से विचार चल रहा है । अभी तक शुरू-शुरू की सर्विसेज में कुछ लिखने की बात है और यह व्यवहारिक बात भी है लेकिन इस बात का परीक्षण मैं करा रहा हूं और जब माननीय उच्च न्यायालय का परामर्श मिल जायेगा इस पर निर्णय ले लिया जायेगा । इस बजट में 200 आशुलिपिकों का प्राविधान है और 242 पद सृजित किये जा चुके हैं । मान्यवर, मांग संख्या 11 है । कोई यंत्रीकरण की आवश्यकता है, माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से कोई जानकारी इस सम्बन्ध में नहीं दी गई है । 12, 13 के बारे में कहा जा चुका है जो उच्चतर न्यायिक की भर्ती का मामला है, यह पूरा ही मामला उच्च न्यायालय से सम्बन्धित है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना

चाहता हूं कि हरियाना और पंजाब के अन्य राज्यों में जिस तरह से फ्री मकान की सुविधा न्याय अधिकारियों को दी जाती है, उत्तर प्रदेश में भी उसको लागू करेंगे। श्रीमन्, बड़े दुख की बात है कि प्वाइंट 7 परसेन्ट न्यायपालिका का बजट है। एक परसेन्ट भी नहीं है। टोटल बजट का प्वाइंट सेविन परसेन्ट ही इनका बजट रखा गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि और जगह फ्री मकान की सुविधा है उसी तरह से यहां भी देंगे और जो मांगें विचाराधीन आपके शासन में हैं उसकी कोई निश्चित डेट देंगे कि उसको कब तक पूरा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, प्रश्न जो है, वह 17 अप्रैल, 1985 के ज्ञापन के बारे में मांग के विषय से, उनका अलग सम्बन्ध है। माननीय चौधरी जी ने जो जानकारी दी है, मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि उत्तर प्रदेश में जहां तक न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, उनके मकान की व्यवस्था सर्वथा है।

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 94 सिविल जज न्यायालय स्थापित करने को कहा था, मान्यवर, 50 तो खुल गये हैं और 44 बाकी हैं। मुकदमें काफी लम्बित हैं और उनका फैसला नहीं हो पा रहा है और वादकारी काफी परेशान हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह 44 जो सिविल जज न्यायालय हैं उनकी स्थापना कब तक करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो प्रश्न उठता ही नहीं है।

*2--श्री सरदार सिंह तथा श्री जयदीप सिंह बरार--

[दिनांक 30-7-85 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

न्यायिक सेवा में विकलांग व्यक्तियों का आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट के प्राविधान पर विचार

*3--श्रीमती सरोज वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979 तक उ0 प्र0 न्यायिक सेवा में विकलांग व्यक्तियों के लिए 20 प्रतिशत का आरक्षण एवं 5 वर्ष की आयु में छूट का प्राविधान था तथा 1982 में यह छूट समाप्त कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी विकलांगों को पुनः आरक्षण देने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--

राज्य शासन द्वारा वर्ष 1972 में आदेश जारी किये गये थे कि राज्याधीन समस्त सेवाओं में अक्षम व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा परन्तु अक्षम व्यक्तियों की परिभाषा शासन द्वारा मई, 1978 में निर्धारित की गई थी। ऐसी दशा में वर्ष 1979 तक उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में अक्षम व्यक्तियों को कोई आरक्षण नहीं दिया गया। परिभाषा निर्धारित हो जाने के पश्चात् इस प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से विचार-विमर्श किया गया और उनकी संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षण न करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार 24 जुलाई, 1982 को आदेश जारी कर दिये गये थे। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में अक्षम व्यक्तियों को आरक्षण देने पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि उपरोक्त निर्णय माननीय उच्च न्यायालय से विचार-विमर्श के पश्चात् लिया गया था।

श्रीमती सरोज वर्मा—

मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मुख्य मंत्री जी से, कि 1979 में किस आधार पर यह आरक्षण किया गया और 1982 में किस आधार पर काट दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, सामान्य नीतिगत मामला था कि तमाम सेवाओं में अक्षम व्यक्तियों का आरक्षण किया जाये ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

'अक्षम' शब्द के माने दूसरा है ।

श्री हुकुम सिंह—

जो शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है, उसी का मैं भी कर रहा हूं । मैं कौशिक जी के संशोधन को स्वीकार करता हूं और विकलांग शब्द का प्रयोग करता हूं । मान्यवर, यह निश्चय हुआ कि 2 प्रतिशत का आरक्षण विकलांग व्यक्तियों को दिया जाये और इसी नीति के अनुपालन में हमने लोक सेवा आयोग को अनुरोध किया था कि आप न्यायिक सेवा में जो भरती करें, उसमें 2 प्रतिशत का विकलांग व्यक्तियों के लिए भी प्रावधान करें । माननीय सदस्य ने पूछा है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय से इस सम्बन्ध में परामर्श की गई, लेकिन उन्होंने अपनी असहमति प्रकट कर दी । इस बारे में एक उच्च स्तरीय मीटिंग का भी आयोजन किया गया था, जिसमें रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय आदि अधिकारी आये थे और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने तमाम उच्च न्यायालयों से परामर्श करके और परीक्षण करके इसको अस्वीकार कर दिया है और अपनी सहमति नहीं दी है कि न्यायिक सेवाओं में विकलांगों को आरक्षण दिया जाये । आधार से तो हम सहमत थे और इसी कारण हमने आरक्षण किया था ।

श्रीमती सरोज वर्मा—

मैं आपसे जानना चाहती हूं कि न्यायिक सेवा में विकलांगों को नहीं रखा जायेगा, लेकिन और भी बहुत सी सेवायें हैं जैसे चपरासी, क्लर्क और पानी पिलाने वाले, क्या हमारी सरकार विकलांगों को जो अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हैं, उनके लिए आरक्षण देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो अलग प्रश्न हो गया ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक नियुक्तियों का प्रश्न है, उसका तो राज्य सरकार का दायित्व है और जितने भी विभाग हैं उनमें विकलांगों की नियुक्तियां आप करते हैं । आपने उत्तर में लिखा है अक्षम व्यक्ति तो आप अक्षम व्यक्ति न लें । यह कोई मिलिटरी जैसी सेवा नहीं है, जहां पर कुश्ती और युद्ध लड़ने की आवश्यकता हो । तो न्यायिक सेवा में विकलांगों को जो आरक्षण प्रदान किया है, उसको लागू न करने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह—

मैंने तो बता दिया कि सरकार इस सिद्धान्त से सहमत है और इसीलिये सरकार ने लोक सेवा आयोग को लिखा था कि 1978 में जो भरती न्यायिक सेवा में की जाये उसमें विकलांगों को आरक्षण दिया जाये । इस पर लोक सेवा आयोग ने पत्र लिखकर पूछा है कि आप इस शब्द को परिभाषित करें कि किस श्रेणी के आदमी विकलांग माने जायेंगे, किस श्रेणी के नहीं, इसके लिए उच्च न्यायालय को 3-3 बार पत्र लिख कर हमने परामर्श किया है और अंतिम रूप से 1982 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो उत्तर आया वह यह है कि विकलांग व्यक्तियों को न्यायिक सेवा में आरक्षण देने के पक्ष में

वे नहीं हैं। हम उच्च न्यायालय की अवहेलना नहीं कर सकते।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, नीति सम्बन्धी मामलों में जहां तक न्यायिक सर्विस में नियुक्ति का प्रश्न है, नियुक्ति और सेवा शर्तें बंटी हुई हैं। नियुक्ति का अधिकार राज्य सरकार को है। नियुक्ति के मानक और शर्तें भी राज्य सरकार द्वारा तय की जाती हैं। समस्त राजकीय कर्मचारियों के लिए एक आधार बनाया जाता है। मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से इस प्रश्न के बारे में यह जानना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श लेने की आवश्यकता क्या पड़ गयी? यदि माननीय उच्च न्यायालय कह दें कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का आरक्षण समाप्त कर दें तो क्या आप समाप्त कर देंगे। मैं यह साफ-साफ जानना चाहता हूं कि जब नियुक्ति का पूरा अधिकार राज्य सरकार को है तब नियुक्ति के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप को शासन ने क्यों स्वीकार किया? कल माननीय उच्च न्यायालय अनुसूचित वर्ग के बारे में आरक्षण समाप्त करने को कहेंगे तो क्या आप कर देंगे?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, केवल यही प्रश्न नहीं था और भी कई प्रश्न थे, जिसके सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है और उस कमेटी में रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय भी आये थे। उसमें एक प्रश्न यह भी रखा गया और जब इस प्रश्न पर विचार हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमको सूचित किया कि न्यायिक सेवा में विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण न दिया जाय।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

मैंने अपेक्षा की थी कि माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, जहां तक नीति सम्बन्धी बात थी और प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात थी, इस सम्बन्ध में मैं यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां तक न्यायिक सेवा का प्रश्न है उनमें चयन प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है और चयन के पहले न्यायिक सेवा के अधिकारियों की परीक्षा के लिए क्या अर्हतायें होंगी, यह चयन प्रक्रिया के पहले इस पर विचार करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया था। उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जब यह परामर्श दिया गया कि न्यायिक सेवा में विकलांग व्यक्तियों को रिजर्वेशन देना ठीक नहीं है तो हमने उसको स्वीकार कर लिया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

इन्द्रानगर कालोनी, फैजाबाद रोड, लखनऊ की कदीमी मस्जिद के सम्बन्ध में विवाद

*1--श्री मोहम्मद आजम खां--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शेखपुर कसेला निकट इन्द्रानगर कालोनी, फैजाबाद रोड, लखनऊ की एक कदीमी मस्जिद जिसमें प्रशासन ने पिछले वर्ष केवल 40 व्यक्तियों को ईदुल-अजहा की नमाज दिनांक 29-9-82 को पढ़ने की इजाजत दी थी, से सरकारी नियन्त्रण न हटाने का क्या कारण है?

धन राज्य मन्त्री (श्री जफर अली नकवी)—

प्रश्न में संदर्भित कदीमी मस्जिद जिसमें दिनांक 29-9-82 को 40 व्यक्तियों को नमाज पढ़ने की इजाजत प्रशासन ने दी थी, एक विवादित स्थल है। इस सम्बन्ध में परगनाधिकारी, सदर, लखनऊ के न्यायालय में धारा 145 जा0 फौ0 की कार्यवाही विचाराधीन है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही पुलिस नियंत्रण हटाना सम्भव होगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, यह 23 तारीख को प्रश्न आया था, स्थगित हुआ था और आज फिर आया। यही जवाब जो 23 तारीख को दिया गया था बिल्कुल हू बहू वही जवाब आज आया है। आप कार्यवाही का 22वां पेज देखें उसमें अधिष्ठाता महोदय ने कहा था कि प्रश्न स्थगित किया जाय।

मान्यवर, उस दिन अधिष्ठाता महोदय के आदेश के बावजूद कि सवाल का जवाब ठीक से नहीं आ रहा है। स्थगित हुआ था, यही जवाब उस दिन आया था जिससे सदन मुतमईन नहीं हुआ था। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं क्या हमें आपकी पीठ से इनसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा क्योंकि वही सवाल और उसका वही जवाब जो 23 तारीख को था उसमें एक लफ्ज भी नहीं बदला हुआ है। क्या हम कोई सवाल पूछ सकते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप फिर से प्रश्न कर लीजिये।

श्री मुहम्मद आजम खां—

प्रश्न तो मान्यवर, किया है 3 महीने पहले से और 23 तारीख को उसका जवाब आया जो इतमिनानबक्स नहीं था लिहाजा अधिष्ठाता महोदय ने कहा था कि दूसरा जवाब दें। लेकिन जवाब वही है जो 23 तारीख आया था जिससे हम मुतमइन नहीं हुए थे तो आज क्या हम उससे मुतमइन हो सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो प्रश्न कर सकते हैं इसमें व्यवस्था क्या है ?

श्री मुहम्मद आजम खां—

आपकी पीठ से आदेश हुआ था इस विषय पर कि फिर से जवाब आना चाहिये लेकिन सही जवाब नहीं आया वही जवाब आया जो 23 ता0 का आया था, हू-बहू वही जवाब है अगर यही जवाब था तो उस दिन प्रश्न स्थगित क्यों हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आपको इस पर क्या कहना है ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, जो पिछली बार सवाल पूछा था उसका मैंने जवाब दिया था और चूंकि सवाल स्थगित हुआ था उसका जवाब मैं इस वक्त फिर दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

उस वक्त बताया गया था कि यह 145 का विवाद है जिसमें दो पक्ष थे जिनका नाम पूछा गया था कि वह कौन दो पक्ष हैं जिसका उत्तर नहीं दिया और प्रश्न स्थगित हुआ था उसका उत्तर आना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मैनेजर सिंह जी इस वक्त आप सम्बन्धित प्रश्न कर सकते हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

उनका कहना यह है कि हू-बहू वही जवाब है जो पहले दिया था।

श्री मुहम्मद आजम खां--

इनके पास कोई जवाब है ही नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)--

श्रीमन्, मैं आपसे आग्रह करूंगा और आपके द्वारा सदस्य, रामपुर से आग्रह करूंगा कि नियमों के अन्तर्गत जो प्रथा है उसके अनुसार ही जवाब दिया गया है। मूल प्रश्न जैसा है वैसा ही रहेगा और वहीं उत्तर दिया जायेगा। अनुपूरक प्रश्न जिसका उत्तर माननीय सदस्य चाहते हैं वैसा दिया जायेगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा अनुपूरक प्रश्न को मूल प्रश्न का सबस्टिट्यूट नहीं रखा जा सकता है। एजेंडा में वही रखा जायेगा जो मूल प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

मैं भी वही कह रहा था, मैं आपसे सहमत हूं। माननीय आजम खां साहब आप प्रश्न कर लीजिये।

श्री मुहम्मद आजम खां--

यह प्रश्न क्योंकि स्थगित हुआ था और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो जवाब दिया वह नियमानुसार नहीं है जो आप कह रहे हैं वह सही नहीं है इस पर अधिष्ठाता महोदय की पीठ से आदेश हुए थे और प्रश्न को स्थगित किया गया था। चूंकि आप कह रहे हैं लिहाजा सही है। मैं जानना चाहता हूं जिस मस्जिद में 40 लोगों को नमाज की इतने दिनों तक इजाजत दी गयी। इसका मतलब यह हुआ कि उस जगह पर मस्जिद है मान लिया जैसा कि हम कहते हैं कि यह जगह मस्जिद की है इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिये कि यहां मस्जिद नहीं है। विवाद इस बात का हो सकता है कि जिस प्रदेश और देश को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं वहां इतने ही नमाजियों को इजाजत दी गयी यानी सिर्फ 40 लोगों को इजाजत दी गयी क्यों दी गयी ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कर लें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मैं जानना चाहता हूं जैसा मैंने निवेदन किया कि गैर-मुसलमानों ने हलफनामा अदालत में दिया है कि यहां मस्जिद थी। तो आखिर वह कौन से हालात थे कि जो मस्जिद पर पी0ए0सी0 लगानी पड़ी जहां पर आवास विकास परिषद् मकान बनाना चाहता है। किस कारण नमाज पर पाबंदी लगी थी ब्रिटिश पीरियड में फसली, 1332 में इस सम्बन्ध में एक एहकाम जारी हुआ था जब रिकार्ड में है कि यहां पर मस्जिद है, इसके अलावा आवास विकास परिषद् के इंजीनियर ने उसको अवार्ड किया था, क्या उसका रेकार्ड सरकार के पास है। क्या इससे पहले कब्जा करने से पहले सरकार की तरफ से, मस्जिद घोषित किया गया था कि नहीं। यदि किया गया तो इस पर कब्जा क्यों है, यदि नहीं किया गया तो 40 नमाजियों को नमाज अदा करने की इजाजत क्यों दी गयी ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, यह मामला थाना गाजीपुर, ग्राम शेखपुर कसैला, लखनऊ का है, इसके अन्तर्गत दो पार्टियां हैं--एक श्री राम त्रिपाठी और दूसरे हबीब मास्टर व अन्य, इनमें विवाद है। एक पार्टी, श्री त्रिपाठी का कहना है कि मंदिर है और दूसरी पार्टी का कहना है मस्जिद है। यह मामला न्यायालय के अधीन विचाराधीन है धारा 145-146 में और इसका न्यायालय ही निर्णय करेगा कि क्या होना चाहिए।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आपके शासनकाल में क्या धार्मिक स्थानों को इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता है कि नहीं। यदि है तो 40 आदमियों को ही

नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों दी गयी अधिक को क्यों नहीं ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, जैसा बताया गया कि इसके ऊपर दो पक्षों में विवाद जारी है, इसके कारण वहां पर कानून व्यवस्था कायम रखने के लिये धारा 145-146 की कार्यवाही करनी पड़ी और वहां नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी गयी तो 40 को इजाजत दी गयी ताकि वहां शांति कायम रह सके। अभी यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास 1332 फसली का रेकार्ड है और उसमें क्या दर्ज है। दूसरे मैं यह भी जानना चाहता हूं कि खसरा नं0 4 में क्या दर्ज किया गया है, उसको बतायें ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, इसमें 1980 में श्री हबीब अहमद से सुन्नी वक्फ बोर्ड में मस्जिद रजिस्टर्ड कराया और राजस्व अभिलेखों में एक स्थान पर कोहना मस्जिद का इन्दराज होना बताया गया है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवा दें कि 1332 फसली में क्या दर्ज है और खसरा नं0 4 में क्या दर्ज है ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, मैंने जैसा कि अभी पहले बताया कि खसरा नं0 4 में एक स्थान पर 1332 फसली में राजस्व अभिलेखों में कोहना मस्जिद का इन्द्राज होना बताया गया है, जबकि श्री ओमकरन मौर्या अधिग्रहण से पूर्व खातेदार द्वारा दायर किये गये वाद के विरुद्ध श्रीराम त्रिपाठी आदि ने मजार पीर बाबा को अपने पूर्वजों की समाधि बताया और विवादित स्थल जिसमें मस्जिद मजार, कुआं तथा चबूतरा है, को अपना बतलाया। इस 3 बिस्वा भूमि में अभी तक आवास विकास परिषद का डी नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए कानूनन इसका स्वामी आवास परिषद ही है।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें। इसके पहले 13 तारीख को कोई उत्तर सही नहीं मिला न आज ही।

श्री अध्यक्ष--

आपके दृष्टिकोण से सही उत्तर नहीं हुआ लेकिन मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आप सही मान लें तो ठीक है, मैं सवाल नहीं पूंछूंगा वरना मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दिलवायें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मस्जिद या मंदिर या किसी भी अन्य ऐसी चीज का ताल्लुक है उस पर कोई पाबन्दी लगाना शासन के ऊपर एक बहुत बदनुमा दाग है और सेक्युलर स्टेट के ऊपर भी एक बहुत बुरा दाग है, शासन पर इस बात की जिम्मेदारी है कि कहीं पर यदि मस्जिद या मंदिर में नमाज पढ़ी या प्रार्थना की जाती है तो...

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिए ?

श्री शफीकुर्रहमान बर्क--

इन हालात में जबकि ईदुज्जुहा के मौके पर पाबन्दी लगाई गई थी, अब फिर ईद की नमाज आ रही है, तो इस बार अब सरकार की पालिसी क्या होगी ? क्या सरकार फिर नमाज पर

पाबन्दी लगायेगी या उसे हटाकर एक मस्जिद समझकर आजादी से नमाज पढ़ने की आज्ञा देगी ?

श्री अध्यक्ष--

भविष्य के लिए वह क्या बतायेंगे । अब प्रश्न नं0 2, श्री अवधेश प्रसाद ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी--

आपने मुझे इशारा भी किया था और कहा था कि इसके बाद मौका मिलेगा, लेकिन आपने तो अगला प्रश्न ले लिया ।

अभ्युदय पेपर मिल, जनपद फैजाबाद को प्रदूषित जल को शुद्ध करने हेतु दिये गये निर्देश

*2--श्री अवधेश प्रसाद--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अभ्युदय पेपर मिल, जनपद फैजाबाद में शासन द्वारा चालू करने के लिए जब लाइसेन्स दिया गया तो जल प्रदूषण के लिए आवश्यक मशीन लगाये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए थे ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मशीन लगाई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उपरोक्त मिल के मालिक को तुरन्त निर्देश देंगे जिससे कि जल प्रदूषण रोका जा सके ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

इस उद्योग का गन्दा पानी नाली से निकलता है परन्तु इसके साफ करने की मशीन नहीं लगी है । यह सही है कि दूषित पानी तालाब में भरता है, परन्तु यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि इसका कुप्रभाव हजारों व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर किस हद तक पड़ा है । उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 32 (1) (सी) के अन्तर्गत प्रदूषण एक सप्ताह में समाप्त करने की नोटिस 12 जुलाई, 1985 को जारी की जा चुकी है । जिलाधिकारी कार्यालय से भी धारा 33, दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अवधेश प्रसाद--

मान्यवर, मेरा सवाल था कि फैजाबाद में जब अभ्युदय पेपर मिल लगाई गई थी, तो उसको चालू करने के लिए, चालू करने के पूर्व प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए आवश्यक प्लान्ट लगाने के निर्देश दिये गये थे या नहीं ? किन्तु इसका कोई उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उक्त पेपर मिल लगाए जाने के आदेश दिए गये थे, तो लाइसेन्स देने के समय यह निर्देश दिए गये थे कि नहीं कि गन्दे पानी के लिए आवश्यक प्लान्ट लगाये जायं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जब कोई प्लान्ट लगाता है तो वह पर्यावरण बोर्ड से एक नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट लेता है और उस सर्टीफिकेट को देते समय वह अपने उत्प्रवाह को शुद्धीकरण करने का आश्वासन देता है, तभी उसको नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट दिया जाता है । चूंकि उन्होंने आश्वस्त किया था शुद्धीकरण करने के लिए तो उनको वह सर्टीफिकेट दिया गया था । उन्होंने इसके लिए अपने यहां कच्चे लैगून बना रखे हैं, इसलिए उनको दिया गया था ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

नो आब्जेक्शन की जो बात कही है, वह जिस आधार पर मिल गया है, उन्होंने अपने यहां कच्चे गड्ढे बना रखे थे, किन्तु उससे जल प्रदूषण नहीं रोका जा सकता है । इसके लिए अलग प्लान्ट लगता है वह भी एक छोटी सी फैक्टरी होती है । बगैर उसके प्यूरीफिकेशन नहीं हो सकता । तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे, क्योंकि वह प्लांट फर्म ने अभी तक नहीं लगाया है और बड़ा प्लांट लग गया है, तो क्या उस वक्त तक जब तक कि प्यूरीफिकेशन का प्लांट नहीं लग जाता, तब तक दूसरे प्लांट का काम रोकने का आश्वासन देंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि नो-आब्जेक्शन सर्टीफिकेट जब फैक्टरी लगाने का प्रस्ताव किया जाता है तब ईशू होता है उसमें शुद्धीकरण किया जायेगा इसका एक आश्वासन होता है और उस आधार पर नो-आब्जेक्शन सर्टीफिकेट दिया जाता है। फैक्टरी वालों ने 2 कच्चे लैगून बनाये हैं लेकिन वह सफीशियेन्ट नहीं हैं। इसकी कुछ कम्प्लेंट बाद में प्राप्त हुयी और इसको दिखवाया गया। जब पहली बार चेकिंग करवायी गयी तो उस वक्त एक लैगून काम कर रहा था। इसके सैंपिल्स लिये गये और इंसपेक्शन करवाया गया, लेबोरेटरी के द्वारा। दोबारा जब इंसपेक्शन किया गया तो दोनों लैगून चालू थे। उसके सैंपिल्स लिए गए। फिर नोटिस दी गयी कि एक सप्ताह के अन्दर अपनी व्यवस्था ठीक करें वरना आपकी फैक्टरी बन्द करने के लिए कह दिया जायगा। दोबारा भी उनको नोटिस दी गयी। लेकिन हमारे पास जो अधिकार हैं, नियंत्रण बोर्ड में, उसमें काफी कमियां हैं। एकदम से बन्द करने की स्थिति में नहीं है।

[मंगलवार दिनांक 6 अगस्त, 1985 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री सरदार सिंह--

(राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडलों में मोटर मार्गों का निर्माण

*2--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडलों में वन अधिनियम कानून लागू होने के कारण प्रायः सभी निर्माणाधीन मोटर मार्गों का निर्माण कार्य बन्द हो जाने से मोटर मार्गों का बनना समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो वन विभाग से ऐसे मार्गों के निर्माण करने के आदेश कब तक मिल जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जफर अली नकवी--

जी नहीं।

भारत सरकार का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 केवल गढ़वाल एवं कुमायूं मंडलों में ही नहीं अपितु पूरे देश में वर्ष 1980 से लागू है। इस अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि का गैर-वानिकी उपयोग बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किये नहीं किया जा सकता। भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर वन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये जाते हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि इस अधिनियम के कारण प्रायः सभी निर्माणाधीन मोटर मार्गों का बनना समाप्त हो गया है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया उसके सम्बन्ध में मेरा कहना है कि जंगल न कटें परन्तु प्रश्न यह है कि जितनी भी सड़कें हैं या पुल बनाये गये हैं कुमायूं और गढ़वाल मंडल में तो इस अधिनियम के कारण बहुत से अधूरे पड़े हैं उनका निर्माण कार्य बन्द हो गया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि कुमायूं, गढ़वाल मंडल में ऐसी सड़कों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके भारत सरकार से उनका अनुमोदन करान के सम्बन्ध में इन सड़कों की सूची मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने ठीक बात कही है। हमारे इस अधिनियम, जो 1980 का है, उसके अन्तर्गत जो मामले आते हैं उनको भारत सरकार को भेजा जाता है। गढ़वाल डिवीजन के लिये हम भारत सरकार को लिख रहे हैं और वन सचिव बराबर जाकर सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत शीघ्र इन मामलों का निस्तारण किया जाय।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि चमोली जिले में हरमनी के पास एक पुल आज से 6 साल पहले से बन रहा है उसका एक एबेटमेंट बन चुका है। दूसरी तरफ का 3 मीटर का स्थान वन विभाग के अन्तर्गत आता है। वहां पर न तो पेड़ हैं और न ऐसी भूमि है जिससे कोई क्षति वन विभाग की होती हो। तो इस प्रकार के बहुत से पुल और सड़कें गढ़वाल और कुमायूं मंडल में हैं। तो मेरा आग्रह है कि आप अपने स्तर पर इनको देख लें और ऐसे पुल और मोटर मार्गों का निर्माण करने के लिये आप तत्काल कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी---

जो मामला अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत नहीं आता, उनका निस्तारण तुरन्त कर दिया जायगा।

फिरोजाबाद नगर में पेयजल आपूर्ति

*3--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद को 2 लाख से अधिक आबादी को 80 लाख गैलन पानी प्रतिदिन पीने को चाहिए जबकि नगर को वर्तमान में प्रतिदिन 20 हजार गैलन पानी पीने का जल संस्थान से मिल पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस पेयजल संकट को तत्काल दूर करेगी ?

नगर विकास राज्य मन्त्री (श्रीमती पद्मा सेठ)---

जी नहीं। फिरोजाबाद नगर को 30 लाख गैलन पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी।

जलापूर्ति में विद्यमान कमी दूर करने हेतु एक 75 के0 वी0 ए0 जेनरेटर स्थापित किया गया है तथा दो अतिरिक्त नलकूप क्रमशः दिनांक 9-4-85 तथा 14-5-85 से चालू किये गये हैं। जिससे पेयजल पूर्ति की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में। क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगी कि एक व्यक्ति एक दिन में 144 गैलन पानी प्रति दिन पीने को चाहिए, उस हिसाब से दो लाख की आबादी को प्रति दिन 58 लाख गैलन पानी की जो कमी पड़ रही है, क्या इस कमी को कितने दिनों में पूरा कर देंगी कि वहां के लोगों को पानी पीने की समस्या की पूर्ति हो जाय। (2) मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस कमी को पूरा करने के लिए कितने नलकूपों की आवश्यकता पड़ेगी।

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, एक तो जो माननीय सदस्य ने कहा कि 144 गैलन पानी प्रति दिन प्रति व्यक्ति जरूरत है, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 44 गैलन प्रति दिन प्रति व्यक्ति आवश्यकता है, जिसके अनुसार फिरोजाबाद में 1984 की गणना के हिसाब से दो लाख की आबादी पर 88 लाख गैलन पानी की आवश्यकता है। इसमें दो नलकूप तो जैसा बताया गया है अभी बनाये गये हैं, 17 नलकूप पहले से बने हुए हैं और दो नलकूप और 40 हैंड पम्प प्रस्तावित हैं, जो कि जल्द से जल्द बन जायेंगे। मान्यवर, ये दो नलकूप मार्च, 1986 तक चल जायेंगे और 40 हैंड पम्प जल्द से जल्द लग जायेंगे।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि नगरपालिका और जल संस्थान ने माननीय मुख्य मन्त्री जी जब 27 मई को फिरोजाबाद गये थे, तो उन्होंने अपनी एक मांग उनके पास भेजी थी और वहां पर 19 लाख रु0

रु0 5 नलकूपों के लिए सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी और आप 20 नलकूप बताती हैं, तो वह घोषणा कहां गयी ? नगरपालिका कहती है कि हमें 15 नलकूप चाहिए, तब हम जल-आपूर्ति कर पायेंगे और आपने 5 देने की घोषणा वहां पर की थी। माननीय मन्त्री जी बताती हैं कि केवल दो नलकूप ही देंगी और जो दो नलकूप अभी बनकर तयार हुए हैं, उन पर न बिजली है और न पानी है, तो क्या 15 नलकूप और 5 जो आप कहीं हैं, इसको जल्द से जल्द देकर पानी की पूर्ति पूरा करायेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, फिरोजाबाद की जलापूर्ति के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही की जायगी।

जिला चिकित्सालय, हरदोई में जनरेटर लगाये जाने हेतु दी गयी धनराशि

*4--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, हरदोई में जनरेटर लगाये जाने हेतु पी0 डब्लू0 डी0 विभाग, हरदोई को धनराशि हस्तान्तरित कर दी गयी थी और गत वर्ष में ही इसका निर्माण करा दिया जाना चाहिए था ? यदि हां, तो निर्माण अब तक न कराये जाने के क्या कारण हैं और इस विलम्ब से होने वाली कार्यवाही से रोगियों को हुई असुविधाओं के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)--

जी हां, 14 मार्च, 1984 को 1,33,800 रु0 की धनराशि सा0 नि0 वि0 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई से प्राप्त हुई थी और 31 मार्च, 1984 के पूर्व जनरेटर लगा दिये जाने के आदेश थे। जनरेटर लगाने हेतु सा0 नि0 वि0 को 14,800 रु0 की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी जिसे निरन्तर मांग किये जाने के बावजूद अभी तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है। सा0 नि0 वि0 का कोई अधिकारी इस मामले में दोषी तो नहीं प्रतीत होता है फिर भी गहराई से छानबीन करा ली जायगी।

श्री राम आसरे वर्मा--

एक लाख 33 हजार 8 सौ की धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ले लिया। 31 मार्च, 1984 तक जनरेटर लगना था लेकिन आज तक नहीं लगा। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 14 हजार 8 सौ रुपये अतिरिक्त धनराशि का एहसास माननीय मंत्री जी को कब हुआ ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि 23-7-1983 को 11 जिलों में जनरेटर लगाने की शासन ने स्वीकृति दी थी। 24-10-1983 को चिकित्सा विभाग ने पूर्व आदेश में परिवर्तन करके हरदोई कर दिया। 27-12-1983 को 11 जिलों में निक्षेप कार्य की स्वीकृति दी, उसमें एक शर्त यह थी कि जो पैसा कम होगा उसको सम्बन्धित चिकित्सा विभाग देगा। 9-2-1984 को स्वास्थ्य निदेशक ने सी0 एम0 ओ0 तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिकारी को एक लाख 33 हजार 8 सौ की स्वीकृति दी। 31-3-1984 तक यह कार्य पूर्ण कराने के आदेश दिए गए थे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के उक्त अधिकारी ने 14-3-1984 को चालान द्वारा उक्त धन प्राप्त किया। उसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 16-10-1984 को इस्टीमेट बनाकर सी0 एम0 ओ0 का काउन्टर साइन कराकर दिया, जो एक लाख 48 हजार 6 सौ का था। एक लाख 33 हजार 8 सौ रुपये

उनके पास थे शेष जो 14 हजार 8 सौ की धनराशि थी अब तक उनको न मिले, वह काम कैसे कर सकते थे क्योंकि शासन के स्पष्ट आदेश थे कि पुरा धन न होने पर कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। उस अतिरिक्त धन की मांग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी करते रहे। 16-10-1984 को मौखिक और उसके बाद 13-12-1984 को लिखित, 21-2-1985 और 21-6-1985 को पत्र द्वारा मांग की। लेकिन 14 हजार 8 सौ की धनराशि अभी तक नहीं मिल पायी।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि पी0 डब्लू0 डी0 के अधिकारी दोषी तो नहीं प्रतीत होते, मैं जानना चाहूंगा कि दोषी कौन प्रतीत होता है और कब तक माननीय मंत्री जी उम्मीद करते हैं कि यह धनराशि उपलब्ध हो जायेगी और कब तक जनरेटर लगा दिया जायेगा।

श्री नारायन दत्त—

इस बात के महत्व को ध्यान में रखते हुये कि जनरेटर यथाशीघ्र लगने चाहिए। मैं माननीय सदस्य से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि चिकित्सा विभाग से सारी धनराशि पी0 डब्लू0 डी0 विभाग को देने तथा पी0 डब्लू0 डी0 विभाग को 15 दिन के अन्दर कार्य शुरू करने का आदेश दिया जायगा।

*5—श्री मुहम्मद आजम खां—

[9वें सोमवार में तारां0 प्र0 सं0 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रादेशिक सेवाओं के अभ्यर्थियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में एक ही परीक्षा आयोजित कराने पर विचार

*6—श्री काशी सिंह ऐरी (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार सभी प्रादेशिक सेवाओं के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार प्रदेश सरकार की तरह परीक्षा शुल्क मुक्त करते हुए एवं मध्य प्रदेश सरकार की तरह सभी प्रादेशिक सेवाओं के लिए केवल एक सम्मिलित परीक्षा का आयोजन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

इस राज्य सरकार में बिहार तथा मध्य प्रदेश सरकार की उक्त नीति विषयक सूचना उपलब्ध नहीं है किन्तु अधिकाधिक विकास कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से आयोजनेतर कार्यक्रमों में मितव्ययिता अपनाने की सरकार की वर्तमान नीति, परीक्षाओं में होने वाले व्यय तथा आयोग/सरकार की आय के संसाधनों को देखते हुए निःशुल्क परीक्षा सम्भव नहीं है व विभिन्न पदों के कार्य एवं दायित्वों तथा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में भिन्नता के कारण सभी पदों के लिए परीक्षा के विषय तथा स्तर एक समान रखना उपयुक्त नहीं है। अतः सभी प्रादेशिक सेवाओं के लिए एक ही परीक्षा आयोजित कराने का औचित्य नहीं है।

कुमायूं मन्डल हेतु मुख्य अभियन्ता के पद का सृजन

*7—श्री पूरन सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुमायूं मन्डल के लिए एक अलग मुख्य अभियन्ता के पद का सृजन किया गया है ? क्या नए मुख्य अभियन्ता अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यों के लिए स्वतन्त्र निर्णय लेने में सक्षम हैं अथवा किसी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के अन्तर्गत कार्य करेंगे ? नए मुख्य अभियन्ता का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थापित होगा ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

जी हां।

जी हां ।

किसी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता के अन्तर्गत कार्य नहीं करेंगे ।

नये मुख्य अभियन्ता का कार्यालय अल्मोड़ा में स्थापित किया गया है ।

श्री पूरन सिंह--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, मेरी जानकारी को सत्य मानते हुए क्या जो क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, नैनीताल और दूसरे क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, देहरादून में बैठते हैं, वह तीसरे क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता धर्मवीर के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं । मंत्री जी ने कहा कि मुख्य अभियन्ता अल्मोड़ा में बैठते हैं । मुख्य अभियन्ता अल्मोड़ा में नहीं बैठते हैं क्या भविष्य में वह वहां बैठेंगे ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की है मैं उसे भलीभांति समझ रहा हूं लेकिन मैं पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं कि क्षेत्रीय अभियन्ता नैनीताल में बैठते हैं और दूसरे क्षेत्रीय अभियन्ता देहरादून में बैठते हैं । मान्यवर, ऐसे कोई क्षेत्रीय अभियन्ता वहां नहीं बैठते हैं । एक पहाड़ी क्षेत्र के क्षेत्रीय अभियन्ता गढ़वाल मन्डल में पौड़ी में बैठते हैं और दूसरे कुमायूं मन्डल में अल्मोड़ा में बैठते हैं और दूसरी बात जो यह कही कि ये अल्मोड़ा में कब से बैठने लगेंगे, तो मान्यवर, यह 29 मार्च, 1985 से बैठ रहे हैं । नैनीताल में नहीं बैठ रहे हैं ।

श्री राम खेलावन उर्फ नन्हें यादव, निवासी परसाद का पुरवा, फैजाबाद के घर पड़ी डकैती तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*8--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 5, 6 फरवरी, 1985, राम प्यारे, निवासी परसाद का पुरवा, मौजा बक्चूना, थाना खंडासा, फैजाबाद के घर पड़ी डकैती में राम सरन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या पुलिस कर्मियों की उदासीनता के कारण घटना के अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं तथा अब तक की जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री जफर अली नकवी--

जी हां । परन्तु डकैती राम प्यारे के यहां नहीं बल्कि श्री राम खेलावन उर्फ नन्हें यादव के यहां पड़ी थी ।

जी नहीं । विवेचना के दौरान छः व्यक्ति प्रकाश में आये, जिनमें से एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ तथा उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 19-5-85 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है । शेष के विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही सम्पन्न की गयी जिनमें से एक अभियुक्त ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया । विवेचना जारी है ।

श्री मित्रसेन--

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह प्रश्न 14-5-85 को किया था और जब मैंने प्रश्न किया तब दिनांक 19-5-85 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गयी । यह फरवरी का मामला है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रिपोर्ट और चार्जशीट के बीच में जो 6 व्यक्ति प्रकाश में आये उनमें से केवल एक को गिरफ्तार किया गया और बाकी को न करने के कारण उनके खिलाफ 82-83 की कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, 6 में से एक मुजरिम गिरफ्तार किया गया बाकी जो नहीं मिले, उनके खिलाफ 82-83 की कार्यवाही हो गयी है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न किया कि जो चार्जशीट पुलिस ने न्यायालय में भेजी, उसमें एक आदमी की हत्या हो गयी थी। यह फरवरी का मामला है। जो इसमें जो दोनों के बीच का टाइम है, इस बीच में 6 व्यक्ति प्रकाश में आये। उनमें से एक को गिरफ्तार किया गया और बाकी को नहीं और न 82-83 की कार्यवाही की। तो इस देरी के लिए इस बीच में पुलिस के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

चलिए, अब हो गयी।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, यह 396 का केस है। एक व्यक्ति की हत्या हो गयी है।

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, इसी बीच में अभियुक्तों की तलाश जारी रही। जब वह नहीं मिल सके तो 82-83 की कार्यवाही की गयी।

नगरपालिका गुलावटी, जनपद बुलन्दशहर में तत्कालीन प्रभारी अधिकारी द्वारा की गयी अनियमित नियुक्तियां

*9--श्री किरन पाल सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष नगरपालिका गुलावटी, जनपद बुलन्दशहर में तत्कालीन प्रभारी अधिकारी श्री गौड़ ने नौ कर्मचारियों की अनियमित ढंग से नियुक्ति की थी ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी अभी सेवारत हैं ? अनियमित करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

गत वर्ष नगरपालिका, गुलावटी, जनपद बुलन्दशहर में तत्कालीन प्रभारी अधिकारी श्री गौड़ ने केवल तीन कर्मचारियों की अनियमित ढंग से नियुक्तियां की थीं। उक्त तीन कर्मचारी अभी भी सेवारत हैं। मामले की विस्तृत जांच एवं परीक्षण के उपरान्त ही किसी के विरुद्ध कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, मैं समझता हूं कि उन्होंने जांच कराने के बाद ही जवाब दिया होगा। इसमें लिखा गया है कि 3 कर्मचारियों की अनियमित ढंग से नियुक्ति की गयी। तो अनियमित नियुक्ति को भी मान लिया। वैसे तो 9 व्यक्तियों की अनियमित नियुक्ति की गयी है, लेकिन तीन मान रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जिस भी अधिकारी ने ये तीन अनियमित नियुक्तियां की, उनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से कहा गया था कि अनियमित नियुक्तियां जो हुई हैं, उसका स्पष्टीकरण दें, लेकिन जो अधिकारी, जिनके विरुद्ध यह शिकायत है, उनका स्थानान्तरण हो जाने के कारण, स्पष्टीकरण नहीं आ पाया है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, जब यह बात सिद्ध हो गयी कि अनियमित नियुक्तियां हुई हैं, उसके बाद भी उस नियुक्त करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी और उन कर्मचारियों को अभी तक हटाया क्यों नहीं गया ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, नगरपालिका गुलावटी, जनपद बुलन्दशहर के जलकल प्रतिष्ठान

के अन्तर्गत जब यह ट्यूबवेल बना था, तो वहां तुरन्त ही कुछ टेक्निकल स्टाफ की जरूरत थी, जैसे कि एक मीटर रीडर, एक पम्प अटेंडेंट एक जल-कल लिपिक ।

श्री विजय सिंह राणा--

मैं औचित्य नहीं पूछ रहा हूं । मैं जानना चाहता हूं कि उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

एक मीटर रीडर, एक जलकल लिपिक, पम्प अटेंडेंट उनकी अत्यन्त जरूरत थी । इसलिए उस वक्त उनको रख लिया गया था ।

श्री विजय सिंह राणा--

मैं औचित्य नहीं पूछ रहा हूं ।

श्री नारायण दत्त--

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि प्रश्न में एक बात जो निहित है, उससे हमें काफी सहायता मिली है कि जब कभी कोई जलकल स्थापित हो, तो उसके साथ-साथ स्टाफ हेतु पद भी स्वीकृत हो जाने चाहिए पत्रावली के संक्षिप्त अध्ययन के बाद, प्रारम्भिक में यह बात आयी कि जलकल बन गया था, जो पद स्वीकृत होने चाहिये थे निदेशक लोकल बाडीज से, मीटर रीडर, पम्प अटेंडेंट, जलकल लिपिक--उन पदों की स्वीकृति यहां से नहीं थी । भविष्य के लिए आदेश दिये जा रहे हैं कि जहां कहीं भी नया जलकल लगे, पद भी स्वीकृत हो जायं । जो जलकल चलाने के लिए तीन कर्मचारियों की बात कही गयी है मीटर रीडर, जलकल लिपिक, पम्प अटेंडेंट-अब उन नियुक्तियों के नियमती-करण के लिए पालिका ने निदेशक स्थानीय निकाय को लिखा है । इसकी जांच की जा रही है । पद यहां से स्वीकृत करा लिए जाने चाहिये थे, वह नहीं हुए, इसलिए अनियमित नियुक्तियां हुयीं । पद यहां से स्वीकृत करा लिये जाते, तो नियमित नियुक्ति होती है ।

(श्री किरन पाल सिंह तथा श्री विजय सिंह राणा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी के उत्तर देने के बाद, अब कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, माननीय किरनपाल सिंह जी का जो प्रश्न था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ । इनको आप मौका दे दें ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, 9 अनियमित नियुक्तियां की गयी, मंत्री जी ने 3 स्वीकार की । मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक अभ्यर्थी से 10-10 हजार रुपया लेकर नियुक्तियां की गयी हैं । इसको सारा जिला जानता है । जो असत्य रिपोर्ट अधिकारियों ने दी है, क्या इस तमाम मामले की जांच करायेंगे और, जो अनियमित नियुक्तियां की गयी हैं, क्या संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

अब हम आगे बढ़ते हैं । मुख्यमंत्री जी ने स्थिति स्पष्ट कर दी ।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, इस प्रश्न का क्या फायदा हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह क्या बात हुई कि मुख्य मंत्री के स्पष्टीकरण के बाद कोई प्रश्न ही नहीं होगा ।

*10--श्री राजेन्द्र गुप्त--

[करण संख्या 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित] ।

*11--श्री रेवती रमण सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

लालकुआं स्थित वन विभाग के लकड़ी के डिपो में आग लगाने से क्षति तथा जांच

*12--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 16 मई, 1984 को लालकुआं स्थित वन विभाग के लकड़ी के डिपो में किन परिस्थितियों में आग लगी और उसे कितनी क्षति हुई ? आग लगने और उसे बुझाने में देर करने वाले दोषी कर्मचारी कौन थे और उनके खिलाफ शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री जफर अली नकवी--

दिनांक 16 मई, 1984 को वन निगम के लालकुआं डिपो संख्या 4 व 5 में लगी आग से 1,41,52,508·33रु0 की क्षति हुई । इस अग्निकाण्ड की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है । उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आग के कारणों तथा उसके लिये दोषी कर्मचारियों का पता चल पायेगा एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, जो मेरा मूल प्रश्न था कि 16 मई, 1984 को लालकुआं स्थित वन विभाग के लकड़ी के डिपो में किन परिस्थितियों में आग लगी और उससे कितनी क्षति हुई ? माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उसका उल्लेख नहीं किया कि किन परिस्थितियों में आग लगी । मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में यह आग लगी थी, घटनाक्रम क्या था ? मान्यवर, सी0 आई0 डी0 जांच की बात कही गयी । मान्यवर, इसमें लापरवाही, अक्षमता की बात है, लापरवाही अपराध की श्रेणी में नहीं आता । तो, जब तक अपराध की जांच हो रही है, तब तक विभागीय जांच कराने की कृपा करेंगे ताकि जिन लोगों की अक्षमता और लापरवाही से डेढ़ करोड़ रु0 की लकड़ी जली है, उनके विरुद्ध कार्यवाही हो सके ।

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, परिस्थितियों का अभी ज्ञान नहीं हुआ है, इसी कारण इस मामले को सी0 आई0 डी0 को जांच हेतु दिया गया है ।

श्री जय दीप सिंह बरार--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर देने की कृपा नहीं की । विभाग के कर्मचारी और उनके ऊपर सुपरवाइजर स्टाफ घटनाक्रम की जांच अभी तक प्राप्त नहीं की है । मैं चाहूंगा कि उक्त डिपो में करोड़ों रुपये की जो लकड़ी पड़ी हुई थी, क्या उस लकड़ी की कीमत के अनुसार उसका बीमा हुआ था और क्या उसका क्लेम सरकार को मिल पाया है या बीमा कम्पनी उसकी कीमत दे रही है और या फिर उसकी जांच की कार्यवाही होने के बाद देगी ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, यह 1984 का मामला है । 1 लाख 80 हजार का बीमा हुआ था, जिसकी प्राप्ति हो गई है ।

थाना रामनगर, जिला बाराबंकी की पुलिस द्वारा स्थानीय जनता को उत्पीड़ित किये जाने सम्बन्धी शिकायत की जांच

*13--श्री बेनी प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3 मार्च, 1985 को अमरा

देवी थाना रामनगर, जिला बाराबंकी की पुलिस की गोली से एक दरोगा व एक नागरिक की मृत्यु हुई ? इस सम्बन्ध में शासन को पुलिस द्वारा स्थानीय जनता को उत्पीड़ित करने तथा बेगुनाह लोगों की हत्या या अपराधी बनाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शिकायत के आधार पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं ।

जी हां ।

जांच से शिकायतें निराधार पायी गई ।

बृजमनगंज रेलवे स्टेशन, गोरखपुर से आम की लकड़ी की ढुलाई

*14--श्री हर्ष वर्धन--

(अनुपस्थित)

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1 जुलाई, 84 से 30 अप्रैल, 85 के मध्य बृजमनगंज रेलवे स्टेशन गोरखपुर से कितनी मात्रा में आम की लकड़ी की ढुलाई बाहर के लिए हुई ? क्या आमों की लकड़ी के बराबर पेड़ों की कटाई का परमिट जारी हुआ था ? यदि नहीं, तो हरे आम के पेड़ों की कटाई और स्टेशन तक ढुलाई के लिए जिम्मेदार वन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायन दत्त--

1 जुलाई, 84 से 30 अप्रैल, 85 के मध्य बृजमनगंज रेलवे स्टेशन, गोरखपुर के 1075 कुन्तल (लगभग 107.500 घन मीटर) आम की लकड़ी के लट्ठों की ढुलाई बाहर के लिए हुयी ।

आम की लकड़ी के बराबर पेड़ों की कटाई का परमिट जारी हुआ था । अतः किसी के उत्तरदायी होने अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी चीनी मिल, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के प्रधान प्रबन्धक एवं मुख्य लेखाकार के विरुद्ध आरोपों की जांच

*15--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री रमेश शंकर पान्डेय, जिला अध्यक्ष, 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रसार समिति, जनपद शाहजहांपुर ने माह अगस्त, 84 में तथा विधायक श्री अहिवरण लाल ने अप्रैल, 85 में सहकारी चीनी मिल, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के प्रधान प्रबन्धक श्री जगतपाल एवं मुख्य लेखाकार श्री ए0 जे0 रिजवी के विरुद्ध लाखों रुपयों के गबन, घोटाले एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र प्रेषित किया था ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी ? शिकायतों में क्या-क्या तथ्य थे एवं जांच के क्या परिणाम रहे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

जी हां, श्री रमेश शंकर पान्डेय तथा श्री अहिवरण लाल के इन आशय के पत्र प्राप्त हुए थे । पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0 द्वारा जांच की गई ।

दोनो शिकायती-पत्रों में लगभग एक ही प्रकार की शिकायतें की गई थी । शिकायतों में मुख्यतः कोयला अधिक दर पर क्रय, शीरा विक्रय में हानि, सिविल कार्य करने वाले ठेकेदार को अनियमित भुगतान, अनावश्यक तीसरा चीनी गोदाम का निर्माण कर मिल को हानि पहुंचाना, रोलरों के परिवहन के लिए भुगतान में अनियमितता, बहुगुल नदी पर कच्चा पुल निर्माण में अनियमितता, मिल आवासों में निम्न स्तर की सामग्री लगाकर

आर्थिक हानि पहुंचाना मिल परिसर के पेड़ों को कटवाकर घरेलू फर्नीचर बनवाना तथा मिल के सी० डी० आई० द्वारा एक हजार रुपये लेकर, आफ सीजन में कर्मचारियों को काम पर लेना, मुख्य लेखाकार (श्री रिजवी) द्वारा अनियमित रूप से मिल कोष से अग्रिम लेना आदि का उल्लेख किया गया है ।

जांच से केवल एक शिकायती बिन्दु में आंशिक अनियमितता सिद्ध पाई गई । जिसमें मुख्य लेखाकार, श्री रिजवी तिलहर चीनी मिल द्वारा 10,000 रु० हाईड्रोलिक ब्लेडर्स के आयात के सम्बन्ध में "लेटर आफ क्रेडिट" खुलवाने हेतु लिया गया था, परन्तु कार्य न होने की दशा में उसे मिल कोष में लगभग एक माह विलम्ब से जमा किया गया । इसके लिए सम्बन्धित अधिकारी को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी गई ।

नोट--तारांकित प्रश्न 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*16--श्री देव कुमार यादव--

[6वें शुक्रवार में तारा० प्र० सं० 94 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राज्य सरकार को केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा सप्तम पंचवर्षीय योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति

*17--श्री कल्यान सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश की 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्य सरकार ने कितनी धनराशि की सहायता का प्रस्ताव केन्द्रीय योजना आयोग के समक्ष रखा और आयोग ने कितनी धनराशि की स्वीकृति दी है ? शेष की पूर्ति करने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री नारायन दत्त--

राज्य सरकार ने केन्द्रीय योजना आयोग को सप्तम पंचवर्षीय योजना के लिए 16,842.60 करोड़ रु० का प्रारूप प्रस्तुत किया था । विचार विमर्श के उपरान्त इसका आकार 11,000 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है, जिसमें केन्द्रीय सहायता का अंश लगभग 4,160 करोड़ रु० सम्मिलित है । केन्द्रीय सहायता राज्यों के बीच एक निर्धारित फार्मूले के आधार पर वितरित की जाती है और उसी आधार पर हम केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है ।

नगरपालिका तिलहर, जनपद शाहजहांपुर को विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत अनुदान

*18--श्री राम अवतार मिश्र--

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि नगरपालिका तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के वित्तीय वर्ष 83-84, 84-85 विगत दो वर्षों में किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई ? क्या यह धनराशि उन्हीं कार्यों पर व्यय हुई है ? यदि नहीं, तो किन शासनादेशों के अन्तर्गत यह धनराशि अन्य कार्यों पर व्यय की गई ? क्या शासनादेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी के विरुद्ध शासन ने कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 1983-84 में स्वीकृत धनराशि--

(1) 1,93,000 रु० साधारण सड़क अनुदान ।

(2) 35,000 रु० बाढ़ एवं अति-वृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु अनुदान ।

(3) 35,000 रु० विशेष सड़क अनुदान ।

वर्ष 1984-85 में स्वीकृत धनराशि--

(1) 3,40,000 रु० साधारण सड़क अनुदान ।

(2) 1,25,000 हजार रु0 विशेष सड़क अनुदान ।

(3) 1,75,000 रु0 बाढ़ अनुदान ।

(4) 90,000 रु0 बाढ़ एवं अति-वृष्टि से क्षतिग्रस्त सीवरेज/ड्रेनेज/जल सम्पूर्ति योजनाओं की मरम्मत हेतु अनुदान ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम उमराय पुरवा, जनपद फर्रुखाबाद में श्री राम सनेही के घर पड़ी डकैती, मृतक एवं घायलों को आर्थिक सहायता

*19--श्री बिहारी लाल दोहरे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम उमराय पुरवा, मो0 बरौली, थाना कन्नौज, जनपद फर्रुखाबाद में 21/22 अगस्त, 1984 की रात को झम्मन लाल जाटव पुत्र जगनू के यहां डकती पड़ी जिसमें झम्मन लाल मारे गये व जिया लाल पुत्र जगनू की आंखों में गोली मार कर अन्धा कर दिया व पन्नालाल पुत्र जगनू के पेट में गोली मारकर घायल कर दिया तथा देवेन्द्र कुमार पुत्र जिया लाल को छत से डाल दिया जिससे उनकी हड्डी टूट गयी ? क्या मरने वाले तथा चोट लगने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं ? यदि हां, तो उनको क्या सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचनानुसार वादी श्री राम सनेही पुत्र श्री पन्ना लाल, निवासी उमराय पुरवा, मौजा बरौली, थाना कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद के घर में दिनांक 21/22-8-1984 की रात्रि में डकैती पड़ी जिसमें झम्मन लाल की हत्या कर दी गई तथा श्री जिया लाल की आंखों में व श्री पन्ना लाल के पेट में गोली लगने से चोटें आईं । श्री देवेन्द्र कुमार को साधारण चोट आई थी उसकी हड्डी टूटने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

मृतक एवं घायल सभी अनुसूचित जाति के हैं । मृतक के परिवार एवं घायल व्यक्तियों को नियमानुसार आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी गयी है ।

बाराबंकी चीनी मिल पर गन्ना कृषकों का बकाया मूल्य

*20--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी चीनी मिल पर गन्ना किसानों का वर्ष 84-85 का कितना रुपया बाकी है ? क्या यह सही है कि मिल द्वारा उत्पादित सम्पूर्ण चीनी का मूल्य बैंक ने जिला गन्ना अधिकारी द्वारा उचित समझौते के अभाव में कर्जे में काट लिया है ? यदि हां, तो गन्ना के बकाया भुगतान की कब तक सम्भावना है ?

श्री नारायन दत्त--

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 यूनिट बाराबंकी पर दिनांक 31-7-1985 की स्थिति के अनुसार गन्ना किसानों का सीजन 1984-85 का 45·43 लाख रु0 गन्ना मूल्य का बकाया है । कलेक्टर बाराबंकी के टैगिंग आदेश के अनुपालन में बैंक ने गन्ना मूल्य एवं कमीशन के भुगतान हेतु गन्ना मूल्य खाते में निर्धारित प्रतिशत की कटौती हेतु चीनी मिल से अनुबन्ध नहीं किया और उत्पादित चीनी पर देय अग्रिम धनराशि में से 39.12 लाख रु0 मिल के कैश क्रेडिट एकाउन्ट में कमी को पूरा करने हेतु समायोजन कर लिया है । बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री कुशल पाल सिंह--

[दिनांक 16-7-1985 को अता0 प्र0 सं0 25 द्वारा उत्तरित] ।

आगरा में सोकलला-नरीपुरा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र तथा कृत कार्यवाही

2--श्री विजय सिंह राणा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में सोकलला-नरीपुरा मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में तत्कालीन नगर विकास मन्त्री श्री बलराम सिंह यादव को मेरे दिनांक 19 अप्रैल, 1984 के पत्र जो उनके कार्यालय के पत्र संख्या 2242, दिनांक 30-5-1984 के द्वारा सड़क निर्माण के जो आदेश नगर विकास सचिव को किए गये थे, के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण अभी प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया और अब यह कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्रशासक को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

धनाभाव के कारण निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका । आगणन तैयार कर लिया गया है ।

पर्यटक आवास गृह राजा मन्डी, आगरा के कतिपय कर्मचारियों के वेतन का बकाया भुगतान

3--श्री विजय सिंह राणा--

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्यटक आवास गृह, राजामन्डी, आगरा के कतिपय कर्मचारियों को माह जनवरी, 1985 के वेतन का भुगतान अभी नहीं किया गया है ? इस सम्बन्ध में कर्मचारियों का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सिंह--

पर्यटक आवास गृह, राजा मन्डी, आगरा के कतिपय कर्मचारियों का माह जनवरी, 1985 के वेतन भुगतान का प्रयास किया गया किन्तु कर्मचारियों ने वेतन नहीं लिया । प्राप्त सूचना के अनुसार कर्मचारियों का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः किसी कार्यवाही/जांच का प्रश्न नहीं उठता । कर्मचारियों द्वारा श्रम न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया गया है ।

आगरा में फतिहाबाद मार्ग पर ताजमहल के सन्निकट क्षेत्रों में प्रस्तावित औद्योगिक स्थल

4--श्री विजय सिंह राणा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में नगर महापालिका प्रसार योजना के स्वीकृत मानचित्र में फतिहाबाद मार्ग पर ताजमहल के सन्निकट क्षेत्रों में कोई औद्योगिक क्षेत्र अंकित किया गया है ? क्या यह सही है कि ताज प्रदूषण को दृष्टि में रखकर इस क्षेत्र में औद्योगिक बस्ती का बढ़ाया जाना उपयुक्त नहीं होगा ? यदि हां, तो क्या इस औद्योगिक स्थल को आवासीय स्थल में परिवर्तित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

आगरा की स्वीकृत महायोजना में फतिहाबाद मार्ग पर ताजमहल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रदूषण रहित हल्के उद्योग हेतु स्थल प्रस्तावित है । इस स्थल पर वर्तमान में मुख्य रूप से पत्थर की औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं जिन्हें वर्तमान स्थल पर ही विस्तार के प्रतिबन्ध सहित बने रहने तथा इस क्षेत्र में प्रदूषण रहित हल्के एवं सेवा उद्योगों को ही महायोजना के जोनिंग

रेगुलेशन्स में अनुमति दिए जाने का प्राविधान है। अतः इस क्षेत्र में औद्योगिक बस्ती के बढ़ने का प्रश्न नहीं उठता है। महायोजना में ताजमहल तथा इस स्थल के बीच राष्ट्रीय उपवन क्षेत्र एवं हरित पट्टी प्रस्तावित की गई है। प्रश्नगत औद्योगिक स्थल को आवासीय स्थल में परिवर्तित किए जाने का कोई मामला शासन के विचाराधीन नहीं है।

5--श्री काजी कलीमुर रहमान--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर लखनऊ में प्रस्तावित कतिपय मार्गों का निर्माण

6--श्री शारदा प्रताप--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, जिला लखनऊ में वर्ष 1977 से वर्ष 1980 तक बिजनौर-सिसेण्डी मार्ग, फतेहगंज-नारायनपुर मार्ग, कुरौवी-किसुनपुर-कौड़िया-मार्ग, निलमथा नगराम मार्ग तथा सिसेण्डी-बेनीगंज मार्ग एवं काकोरी-कठिगरा-सकरा मार्ग तथा अमौसी-भौदा मार्ग एवं बंथरा उम्मीद-खेड़ा-धावापुर मार्ग का निर्माण कार्य प्रस्तावित था ? यदि हां, तो उनमें से कौन-कौन-सी सड़कों के निर्माण का कार्य-पूर्ण हो गया है ? क्या अपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य सरकार शीघ्र पूरा करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायन दत्त--

आठ उल्लिखित मार्गों में से निम्नलिखित चार मार्गों पर स्वीकृत के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है :

1--बिजनौर-सिसेड़ी मार्ग।

2--फतेहगंज-नारायनपुर मार्ग।

3--काकोरी-कटघरा-सकरा मार्ग।

अमौसी-मौदर मार्ग।

निम्नलिखित दो मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं हैं :--

1--सिसेड़ी बेनीगंज।

2--बंथरा-उम्मीदखेड़ा-धावापुर मार्ग

शेष दो मार्गों की स्थिति इस प्रकार है :--

(1) पुरौनी-किशुनपुर मार्ग (3 किमी0)

इस मार्ग पर 500 मीटर में कार्य स्वीकृति के अनुसार पूरा कर दिया गया है, शेष 2.5 किमी0 भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य नहीं किया जा सका।

(3) नीलमथा-नगराम मार्ग (कुल लम्बाई 26 किमी0, स्वीकृत 11.5 किमी0)।

प्रथम 3.5 किमी0 कार्य पूर्ण है। किमी0 3.5 से 11.5 तक का कार्य-बीच मे 1.3 किमी0 छोड़कर सोलिंग स्तर तक पूर्ण है। उक्त 1.3 किमी0 से 1.22 किमी0 में मिट्टी का कार्य हो गया है। शेष कि0 मी0 में भूमि के विवाद के कारण कोई कार्य नहीं हुआ है। भूमि के विवाद समाप्त होने पर ही सड़क निर्माण प्रारम्भ किया जा सकता है।

7--श्री शारदा प्रताप--

[6 वें मंगलवार के लिये स्थगित]

8--श्री रणजीत--

[दिनांक 16-7-85 को अ ता0 प्र0 सं0 75 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर, पुलिस चौकी बहरी बाजार के चौकी इंचार्ज व सब इंस्पेक्टर श्री राम मूर्ति सिंह के विरुद्ध शिकायती पत्र

9--श्रीमती शारदा देवी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के रिपोर्टिंग पुलिस चौकी

बरही बाजार के चौकी इंचार्ज व सब इंस्पेक्टर श्री राममूर्ति सिंह के विरुद्ध आम जनता व जन प्रतिनिधियों की शिकायत-पत्र ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर व उत्तर प्रदेश सरकार को 2-1-84 से से 30-5-85 तक मिली हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।

श्री राम औतार, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के विरुद्ध मुकदमा तथा बन्दूक के लाइसेन्स निरस्त करने के सम्बन्ध में कार्यवाही

10--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम औतार पुत्र रघुवर, ग्राम बौरी खेड़ा, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव के विरुद्ध न्यायालय में फौजदारी का मुकदमा चल रहा है परन्तु अभी तक उनकी बन्दूक का लाइसेन्स निलम्बित नहीं किया गया ? क्या इस सम्बन्ध में श्रीमती शारदा देवी, विधायिका का पत्र दिनांक 14-5-85 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें उल्लिखित शिकायतों की जांच के क्या परिणाम निकले और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

श्री राम औतार को उनकी बन्दूक का लाइसेन्स निरस्त करने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस दिया गया है ।

जी हां । जांच में श्री राम औतार पुत्र श्री रघुवर के जरायम पेशा एवं क्रिमिनल व्यक्ति होने, गिरोहबन्दी करने और सीधे-सीधे व्यक्तियों को आतंकित कर पैसा वसूलने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ । श्री राम औतार के विरुद्ध थाना सेहरामऊ में अ0 सं0 25/82 धारा 147/148/325/323 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुआ था । राम औतार ने भी बैजू आदि (दूसरा पक्ष) के विरुद्ध अ0 सं0 25-ए/82 धारा 147/148/325/323 भा0 दं0 वि0 थाना सेहरामऊ में दिनांक 28-9-82 को पंजीकृत कराया था । दोनों मुकदमें विचाराधीन न्यायालय में हैं । दोनों पक्षों में मनमुटाव को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा स्थिति पर बराबर दृष्टि रखी जा रही है ।

11--श्री सुन्दर लाल--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जल निगम में मेकेनिकल कैडर के अवर अभियन्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड देने हेतु न्यूनतम अर्हता

12--श्री किरनपाल सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम में मेकेनिकल कैडर के अवर अभियन्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड देने के लिए न्यूनतम कौन सी अर्हता निश्चित की गयी है तथा वरिष्ठता सूची के अनुसार ऐसे कौन-कौन अवर अभियन्ता हैं, जिनसे जूनियर को सेलेक्शन ग्रेड दे दिया गया है और उन्हें अभी तक नहीं दिया गया है ?

श्री नारायन दत्त--

उत्तर प्रदेश जल निगम में मेकेनिकल कैडर के अवर अभियंताओं को सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर अनुपयुक्तों को छोड़कर ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति किये जाने का प्राविधान है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अवर अभियंताओं की सेवायें कम से कम 5 वर्ष की हों और वे अपने पद पर स्थायी हो चुके हों ।

अवर अभियंताओं की वरिष्ठता सूची के अनुसार श्री हसनैन खां, अवर अभियंता को छोड़कर उक्त कैडर का कोई अवर अभियंता नहीं है जिससे जूनियर को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया हो ।

नगरपालिका, बलिया में सेनेटरी इंस्पेक्टर के रिक्त पद

13—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया की नगरपालिका में गत दो वर्षों से 2 सेनेट्री इंस्पेक्टरों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो इन रिक्त पदों को भरे न जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नगरपालिका बलिया में सेनिटरी इंस्पेक्टर का एक पद दिनांक 25-6-84 से तथा दूसरा दिनांक 12-2-85 से रिक्त है । एक पद के विरुद्ध तैनाती के आदेश दिनांक 11-6-85 द्वारा जारी किये जा चुके हैं । दूसरे पद के विरुद्ध स्थानान्तरित व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं के कारण दिनांक 30-9-85 तक आजमगढ़ में रोका गया है और दिनांक 30-9-85 के अपरान्ह में कार्यभार मुक्त कर बलिया में कार्यभार ग्रहण के निर्देश हेतु प्रशासक, नगरपालिका, आजमगढ़ को लिखा जा चुका है ।

14—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

15—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[4थे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

16—श्री किरनपाल सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

पैरा 191 पुलिस आफिस मैनुअल के अन्तर्गत अनुमोदित पदों की संख्या

17—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पुलिस में पैरा 191 एफ0 एच0 के अन्तर्गत अनुमोदित व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है तथा उनको आज तक पुलिस उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त—

पैरा 191 पुलिस आफिस मैनुअल के अन्तर्गत जिला ना0 पु0 के 70 हे0 कां0 के पद अनुमोदित हैं । इनमें 6 हे0 कां0 अन्य जनपद या इकाई में अस्थायी स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति पर हैं । 20 हे0 कां0 ना0 पु0 को स्थानापन्न उपनिरीक्षक ना0 पु0 के पद पर पदोन्नति दी गई है । 15 हे0 कां0 का कार्य असन्तोषजनक पाये जाने/अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित होने/भ्रष्टाचार अथवा अपराध की शिकायतों के आधार पर पदोन्नति के उपयुक्त नहीं पाये गये । 29 हे0 कां0 40 वर्ष की आयु से कम तथा दिनांक 30-9-84 को 3 वर्ष स्थानापन्न उपनिरीक्षक ना0 पु0 के पद की सेवा शर्त पूरी न करने के कारण पदोन्नति के योग्य नहीं समझे गये ।

लखनऊ में थाना एवं पुलिस लाइन के बकाया बिजली बिल

18—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ में थाना एवं पुलिस लाइन के बिजली बिल, जो लाखों में बकाया है, की वसूली अवैधानिक ढंग से बिना बिजली के कनेक्शनों व मीटर के कर्मचारियों के वेतन आदि से काटी जा रही है ? यदि हां, तो इसका

आधार क्या है ? क्या इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस थानों, चौकियों व पुलिस लाइन में लगे एक ही मेन मीटर से पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों के निवासों में बहुत पहले से विद्युत् का उपभोग होता चला आ रहा है। कुछ व्यक्तियों द्वारा विद्युत बिल का पैसा न दिये जाने के कारण ही विद्युत् बिलों का भुगतान नहीं हो सका और बकाया धनराशि बढ़ती गई। जहां तक बिलों की वसूली का प्रश्न है, 'लेसू' से प्राप्त बिलों के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारियों के प्रवास की अवधि के अनुसार वसूली की जा रही है। इसके लिए उनके वेतन से कटौती नहीं की जा रही है बल्कि वे अपना स्वेच्छा से भुगतान कर रहे हैं।

जनपद लखनऊ के पुलिस अमेनीज फंड हेतु स्वीकृत धनराशि तथा रैंक वाइज स्वीकृत किये गये आवेदन-पत्र

19--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के पुलिस अमेनिटीज फंड में वर्ष 1984-85 में कितनी धनराशि थी तथा इस फंड से सहायतार्थ उक्त वर्ष में कितने आवेदन-पत्र रैंक वाइज प्राप्त हुए और कितने स्वीकार एवं निरस्त किए गये ? उसका आधार क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 1984-85 में जनपद लखनऊ के लिए पुलिस अमेन्टीज फंड (सुख-सुविधा निधि) तथा "वेलीबोलेन्ट फंड" के अन्तर्गत 1,53,075 रु0 की धनराशि आवंटित की गई थी। इस धनराशि से उप-निरीक्षक रैंक के 18, सहायक उप-निरीक्षक रैंक के 27, मुख्य आरक्षी रैंक के 46, आरक्षी रैंक के 178 तथा चतुर्थ श्रेणी के 59 कर्मचारियों को सहायता स्वीकृत की गई। अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि अस्वीकृत आवेदन-पत्रों को सम्बन्धित थानों/आवेदकों को वापस कर दिया गया और उनका कोई लेखा-जोखा पुलिस कार्यालय में नहीं रखा गया है। उपरोक्त फंड से दी जाने वाली सहायता की स्वीकृति इस प्रयोजन हेतु निर्मित नियमावली के प्राविधानों के अनुसार दी जाती है। अतः जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

20--श्री राम गोविन्द चौधरी--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

पुलिस थानों पर मालखानों में जमा सम्पति के रेकार्ड, अभिलेखों की जांच

21--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि पुलिस थानों पर मालखानों में दाखिल मालों का कोई सही रिकार्ड प्रायः उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण मालखानों में काफी गबन है ? क्या सरकार मालखानों में दाखिल मालों का तथा आदान-प्रदान के अभिलेख की जांच करायेगी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस थानों पर मालखानों में जमा सम्पत्ति का रेकार्ड रहता है और उसके जांच की भी व्यवस्था है। मालखानों से माल की कुछ चोरी के प्रसंग कर्मचारियों की कदाशयता के कारण प्रकाश में आये हैं, जिनके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही आयोजित की गयी है। मालखानों के अभिलेखों की जांच को

व्यवस्था और सुदृढ़ करने के लिए पुलिस महानिदेशक को निर्देश भेजे गये हैं।

प्रभारी निरीक्षकों के स्थान पर थानाध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार

22—श्री रामगोविन्द चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रभारी निरीक्षक, प्रायः संगीन अपराधों की विवेचना स्वयं नहीं करते हैं और न ही मुकदमों में माल-मुलजिम की बरामदगी को पकड़ने में कोई दिलचस्पी लेते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था शिथिल होती जा रही है ? यदि हां, तो क्या प्रभारी निरीक्षकों के स्थान पर थानाध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

महत्वपूर्ण संगीन अपराधों की विवेचना प्रभारी निरीक्षक स्वयं करते हैं तथा मुकदमों में मुलजिम को पकड़ने और माल की बरामदगी में दिलचस्पी लेने के साथ-साथ वे अपने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं शान्ति बनाये रखने की पूरी जिम्मेदारी वहन करते हैं। प्रदेश की कानून-व्यवस्था शिथिल नहीं है। अतएव, प्रभारी निरीक्षकों के स्थान पर थानाध्यक्षों की नियुक्ति करने का औचित्य नहीं है।

23—श्री राम गोविन्द चौधरी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आगरा के क्षेत्राधिकारी पुलिस, श्री राजेश कुमार राय द्वारा पं० बनारसी दास शर्मा को बन्द कराने का प्रयास

24—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे की जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद के क्षेत्राधिकारी पुलिस, श्री राजेश कुमार राय ने पं० बनारसी दास शर्मा, ब्लाक प्रमुख को पुलिस उत्पीड़न से दुखी लोगों की आवाज उच्च अधिकारी-गण तक पहुंचाने पर बदले की भावना से अपने मुखबिर हिस्ट्रीशीटर दयाशंकर नगला कप्तान सिंह से दिनांक 5-5-1985 को झूठी रपट थाना फिरोजाबाद उत्तर में लिखाकर बन्द करने का प्रयास किया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में नेताओं की पुलिस थाने में कथित पिटाई

25—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में 1 नवम्बर, 1984 को स्वर्गीय प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की हत्या के उपलक्ष्य में आयोजित मौन शोक जुलूस एवं सभा-स्थल पर स्वयं शोक-सभा को सम्बोधित करने वाले नेताओं को पुलिस ने थाने पर बर्बर पिटाई और अमानुषिक यातनाएं दीं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

26—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि उपर्युक्त पुलिस उत्पीड़न की जांच हेतु तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री राम सिंह सैनी की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो राम सिंह सैनी की जांच समिति की रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायन दत्त--

शासन द्वारा ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई थी। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

27--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

[दिनांक 30-7-85 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त।]

28--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

[6वें बुधवार में अत० प्र० सं० 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

29--श्री सुखपाल पाण्डे--

[6वें मंगल के लिए स्थगित।]

प्रदेश में कार्यरत आई० ए० एस० तथा पी० सी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच

30--श्री सुखपाल पाण्डे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत आई० ए० एस० तथा पी० सी० एस० के कुल कितने अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध जांच विजिलेंस विभाग द्वारा हो रही है? उसमें से कितने अधिकारियों की जांच पूरी होकर शासन को प्राप्त हुई और उनमें से कितने अधिकारी दोषी पाये गये, कितने की जांच अब भी चल रही है? क्या उनके नाम और पद की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त--

3 आई० ए० एस० तथा 24 पी० सी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा खुली जांच की जा रही है।

चूंकि जांच अग्रसर है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अधिक आबादी के गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने पर विचार

31--श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1500 से अधिक आबादी के गांव को सड़क से जोड़ने का प्राविधान उ० प्र० सरकार ने किया है? यदि हां, तो अब तक कुल कितने गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ा गया और कितने गांव शेष हैं और उन्हें कब तक पूरा कर दिया जायगा?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

ट्रांसपोर्ट कम्पनी की रेड में पकड़ी गयी डायरियों से संबंधित पत्र तथा सतर्कता विभाग द्वारा जांच

32--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को कानपुर की ट्रांसपोर्ट कम्पनी की रेड में पकड़ी गयी 3 डायरियों के बारे में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1397, दिनांक 18-7-84 मिला है? यदि हां, तो क्या सतर्कता विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की थी? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

सतर्कता विभाग द्वारा जांच जारी है।

आयुक्त, बिक्री कर द्वारा सदस्य, बिक्री कर अधिकरण, बरेली से स्पष्टीकरण मांगने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

33—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, बिक्रीकर के द्वारा सदस्य, बिक्रीकर अधिकरण, बरेली से सीधा स्पष्टीकरण मांगने के सम्बन्ध में उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1398, दिनांक 15-7-84 मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां किन्तु पत्र दिनांक 16-1-84 है ।

जांचोपरान्त किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

34—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 2-3-84 को अता0 प्र0 सं0 137 द्वारा उत्तरित]

आयुक्त, बिक्रीकर द्वारा कानपुर के समस्त बिक्रीकर कार्यालयों का निरीक्षण

35—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि आयुक्त, बिक्री-कर ने कानपुर के समस्त बिक्री-कर कार्यालयों का निरीक्षण दिनांक 18-6-84 से 21-6-84 तक किया था ? यदि हां, तो आयुक्त ने किन-किन कार्यालयों का निरीक्षण किया और क्या-क्या प्रतिकूल पाया ? उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री नारायन दत्त—

आयुक्त, बिक्री-कर द्वारा दिनांक 18-6-84 से 21-6-84 की अवधि में कानपुर के समस्त कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया था । केवल खण्ड-1 और खण्ड-4 का निरीक्षण किया गया था तथा निरीक्षण टिप्पणियां सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दी गयी थीं ।

36—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 30-7-85 को अता0 प्र0 सं0 83 द्वारा उत्तरित]

कानपुर के होटल गौरव में टी0 एल0 वर्मा सिराकी होजरी की रेडीमेड वस्त्रों की नुमाइश

37—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि कानपुर के होटल गौरव में टी0 एल0 वर्मा सिराकी होजरी की रेडीमेड वस्त्रों की नुमाइश दिनांक 23-6-84 से 30-6-84 तक लगी थी ? यदि हां, तो कितना कर लगाया गया, कितना वसूल हुआ और कितना बकाया है ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वर्तमान रजिस्ट्रार, बिक्री-कर अधिकरण के बारे में पत्र

38—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्तमान रजिस्ट्रार, बिक्रीकर अधिकरण के बारे में उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1268, दिनांक 28-6-84 पत्र संख्या 6, दिनांक 30-8-83 मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के पत्रों में मुरादाबाद के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी है जब कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उसको मुरादाबाद की तैनाती की

अवधि के किसी प्रकरण पर कोई सतर्कता जाँच या विभागीय कार्यवाही नहीं की गयी है ।

प्रदेश में पानी की टंकी और ट्रैक्टर ट्राली के निर्माण हेतु खरीदे गये आयरन के सम्बन्ध में कथित अनियमितताओं के विषय में पत्र

39—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के बिक्री-कर कार्यालयों में वर्ष 78-79 से 80-81 तक फार्म 'ख' देकर आयरन खरीद कर पानी की टंकी व ट्रैक्टर ट्राली बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1197, दिनांक 20-9-84 मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र में 3 वर्षों में प्रदेश भर में पानी की टंकी और ट्रैक्टर ट्राली का निर्माण करने वाले व्यापारियों द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण के लिए खरीदे गये आयरन के सम्बन्ध में कथित अनियमितताओं के विषय में यह सूचना चाही है कि प्रदेश के प्रत्येक खण्ड में कितने ऐसे पंजीकृत करदाता हैं और उन्होंने कितने रुपये की खरीद की, किन करदाताओं पर मान्यता प्रमाण-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण खरीद पर क्रय-कर और अर्थ-दण्ड लगाया गया अथवा नहीं और यदि नहीं तो कब तक लगेगा, तथा इस राजस्व हानि के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई तथा यदि नहीं हुई तो कब तक होगी । ऐसी सूचना शासन अथवा बिक्री-कर आयुक्त के स्तर पर नहीं रखी जाती । यदि किन्हीं विशिष्ट मामलों में किन्हीं अनियमितताओं की जानकारी दी जाये तो उनमें जांच कराकर यथावश्यक कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री डी0 एन0 चौबे, सहायक आयुक्त (न्याय), बिक्री-कर, बिजनौर द्वारा श्री परीसत, बिक्री-कर अधिकारी के आदेशों को रद्द करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

40—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि श्री डी0 एन0 चौबे, सहायक आयुक्त (न्याय), बिक्री-कर, बिजनौर द्वारा श्री परीसत, बिक्री-कर अधिकारी के आदेशों को रद्द करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1642, दिनांक 5-9-84 उनको मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां । किन्तु यह पत्र दिनांक 4-9-84 है ?

पत्र पर आवश्यक जांच कराई जा रही है ।

41—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त] ।

श्री प्रहलाद राय को वेतन का भुगतान तथा आयुक्त बिक्री-कर, श्री हरीश चन्द्र सक्सेना के विरुद्ध घूस लेने की शिकायत

42—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1641, दिनांक 5-9-84 आयुक्त, बिक्री-कर श्री हरीश चन्द्र सक्सेना से प्रहलाद राय को दिये गये वेतन को वसूलने व आयुक्त के विरुद्ध 10,000 रु0 घूस लेने की शिकायत के बारे में मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

पत्र संख्या 1641, दिनांक 5-9-84 प्राप्त नहीं हुआ है अपितु पत्र सं0 1641, दिनांक 4-9-84 प्राप्त हुआ है जो प्रसंगित मामले से सम्बन्धित है।

(1) श्री प्रहलाद राय को वेतन का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार किया गया। अतः उसे तत्कालीन आयुक्त, बिक्री-कर, श्री हरीश चन्द्र सक्सेना से वसूलने का कोई औचित्य नहीं है।

(2) श्री हरीश चन्द्र सक्सेना के विरुद्ध 10,000 रु0 घूस लेने की शिकायत के सम्बन्ध में विधान सभा के दूसरे सत्र 1982 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 134, विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 101 तथा विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 3रे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न 67 में उत्तर दिये जा चुके हैं।

बिक्री-कर कार्यालय, कानपुर में करदाताओं द्वारा स्वेच्छा से कर जमा करने के सम्बन्ध में पत्र

43—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1198, दिनांक 20-9-84 कानपुर के बिक्री-कर कार्यालय में मार्च, 1983 में करदाताओं द्वारा स्वेच्छा से अप्रैल, 1983 का कर जमा करने के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पत्र उपलब्ध कराने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के बिक्री-कर बकाया के सम्बन्ध में पत्र

44—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1002, दिनांक 9-1-84 व पत्र संख्या 1117, दिनांक 8-6-84 प्रदेश में बिक्री-कर बकाया के बारे में मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। उक्त पत्र उपलब्ध कराने पर उन पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

इलाहाबाद जनपद में बकाया बिक्री-कर

45—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 996, दिनांक 8-6-84 इलाहाबाद के बिक्री-कर बकाए के बारे में मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां।

जांच कराये जाने पर यह ज्ञात हुआ है कि इलाहाबाद जनपद में 5,000 रु0 से अधिक का बकाया वाले लगभग 1200 व्यापारी हैं। पत्र में उठाये गये अन्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

46—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 11 मार्च, 1983 को अता0 प्र0 सं0 74 द्वारा उत्तरित]।

47—श्री यदुनाथ सिंह—

[6वें मंगलवार के लिये स्थगित]।

48—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]।

विक्टोरियागंज में ताड़ी के ठेके में बिक्री-कर राजस्व की हानि के बारे में पत्र

49—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1004, दिनांक 8 जून, 1984 लखनऊ में वर्ष 1974-75 में विक्टोरियागंज में ताड़ी के ठेके में बिक्री-कर राजस्व की हानि के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

(क) जी नहीं तथापि माननीय सदस्य का पत्र संख्या 1004, दिनांक 6 जून, 1984 प्राप्त हुआ था।

(ख) उक्त पत्र में माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि क्या इस मामले की जांच करायी जावेगी और दोषी साबित होने पर अधिकारी को कठोर दण्ड दिया जावेगा, तथा क्या अधिकारी की पत्रावली में इस बकाया कर का रिकार्ड रखा जावेगा ताकि उसके सेवा निवृत्त होने से पूर्व उसके विरुद्ध इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके।

प्रथम बिन्दु का उत्तर जी हां है द्वितीय का अभी प्रश्न नहीं उठता।

50—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

51—श्री यदुनाथ सिंह—

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित]।

52—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

आगरा प्रतापपुरा की फर्म गोपाल मोटर्स पर अर्थ दण्ड लगाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

53—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 296, दिनांक 11 मई, 1984 आगरा प्रतापपुरा की फर्म गोपाल मोटर्स पर वर्ष 76-77 पर व 77-78 पर स्वीकृत कर बकाया पर अर्थ दण्ड लगाने के बारे में मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

संदर्भित पत्र सं0 296, जिस पर कोई दिनांक नहीं पड़ा हुआ है विभाग में प्राप्त हुआ। बिक्रीकर विधि के अधीन अर्थ दण्ड लगाना एक न्यायिक कार्यवाही है। मात्र इसी कारण कि विधि में अर्थदण्ड लगाने का प्राविधान है, प्रत्येक मामले में अर्थदण्ड लगाना अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर यह निर्णय लिया जाता है कि अर्थदण्ड लगाया जाय अथवा नहीं। प्रस्तुत मामले में अर्थदण्ड लगाना आवश्यक नहीं समझा गया। उपरोक्त स्थिति में अर्थदण्ड न लगने के कारण कथित राजस्व हानि के लिए दोष निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता।

54—श्री यदुनाथ सिंह—

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

55—श्री यदुनाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

56—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

57—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

58—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

59—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

60—श्री यदुनाथ सिंह—

[न्यायिक कार्य से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

तत्कालीन कर निर्धारक अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

61—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 3रे शुक्रवार हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0 108 व 109 के सन्दर्भ में क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन कर निर्धारक अधिकारियों के विरुद्ध अपने दायित्वों का निर्वाह न करने के कारण क्या कार्यवाही की गई है तथा कितना कर तारीख 31-3-85 तक वसूल हुआ, कितना बकाया है ?

श्री नारायन दत्त—

श्री डी0 के0 माथुर, बिक्रीकर अधिकारी तथा श्री एस0 डी0 सिंह, तत्कालीन बिक्रीकर अधिकारी, श्रेणी-2 (जिनका स्वर्गवास हो चुका है), को आदेश दिनांक 27-4-82 द्वारा निन्दित कर दिया गया है ।

अर्थ दंड को सम्मिलित करते हुए मे0 नैनीताल आयरन डिपो, हल्द्वानी के विरुद्ध रु0 47,40,973.00 की बकाया है । कोई धनराशि वसूल नहीं हुई है ।

प्रदेश के बिक्री कर कार्यालयों में आयरन खरीद कर पानी की टंकी व ट्राली का निर्माण करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

62—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं0 1197, दिनांक 20-9-84 प्रदेश के बिक्रीकर कार्यालयों में वर्ष 78-79 से 80-81 तक फार्म 'ख' देकर आयरन खरीद कर पानी की टंकी व ट्राली का निर्माण करने के बारे में मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 39 की पुनरावृत्ति की गयी है जिसका उत्तर अलग से दिया जा रहा है ।

अलीगढ़ में बिक्री कर की चोरी के विषय में कथित पत्र

63—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र सं0 1089, दि0 12-9-84 अलीगढ़ में सरकार को एक रात में बिक्रीकर के एक लाख चूना के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस मामले की जांच किस अधिकारी ने कब की थी और जांच रपट में क्या-क्या पाया गया ? उपायुक्त तथा बिक्रीकर अधिकारी कहां तक दोषी पाए गये और तारीख 31-3-85 तक उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में संदर्भित माननीय सदस्य का पत्र 1089, दिनांक 12-9-84 प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

64—श्री यदुनाथ सिंह—

[6वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

65—श्री यदुनाथ सिंह—

[6वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

66—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 2-3-84 को अता0 प्र0 सं0 137 द्वारा उत्तरित]

67---यदुनाथ सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

68--श्री यदुनाथ सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

69---श्री यदुनाथ सिंह---

[दिनांक 11-3-83 को अता0 प्र0 सं0 74 द्वारा उत्तरित।]

70--श्री यदुनाथ सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

डा0 कृष्ण कुमार सिंह, एन0पी0 बोर रायफल का लाइसेन्स दिये जाने हेतु पत्र

71---कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि डा0 कृष्ण कुमार सिंह पुत्र श्री जगतपाल सिंह, ग्राम रुस्तमपुर, थाना बांसडीह रोड, जनपद बलिया का एन0 पी0 बोर राइफल लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र दिनांक 18-10-84 जिलाधिकारी, बलिया को प्राप्त हुआ है ? क्या यह भी सही है कि इनको प्रतिपल व हर जगह जान व माल का घोर खतरा है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन, बलिया व उ0 प्र0 शासन को भी है ? यदि हां, तो प्रार्थी को अब तक एन0 बोर राइफल का लाइसेन्स न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायन दत्त---

प्राप्त सूचना के अनुसार एन0 पी0 बोर0 राइफल का लाइसेन्स देने हेतु प्रश्न में उल्लिखित कृष्ण कुमार सिंह का प्रार्थना पत्र दिनांकित 22-9-1984 जिला मजिस्ट्रेट, बलिया को दिनांक 18-10-1984 को प्राप्त हुआ। ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि डा0 कृष्ण कुमार सिंह को प्रतिपल तथा हर जगह जान व माल का घोर खतरा है। जिला मजिस्ट्रेट, जो उक्त प्रकार के आग्नेयास्त्र के लाइसेन्सिंग प्राधिकारी हैं, के आदेश दिनांक 31-1-1985 द्वारा इनका उक्त प्रार्थना-पत्र निरस्त कर दिया गया है।

श्री गजेन्द्र सिंह, उप पुलिस निरीक्षक, एस0 ई0 बी0 बिजनौर के विरुद्ध दायर मुकदमा

72--श्री किरनपाल सिंह---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गजेन्द्र सिंह, उप पुलिस निरीक्षक एस0 ई0 बी0 बिजनौर के विरुद्ध 26-9-1983 को कोई मुकदमा दायर किया गया था तथा भ्रष्टाचार निवारण संस्था, मुरादाबाद ने जांचोपरान्त उक्त केस जुर्म खारिज (एक्सपंज) कर दिया था ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध भा0 दं0 वि0 की धारा 211 में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त---

जी हां।

अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही न्यायालय के विचाराधीन है।

नगरपालिका अतरौली, जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत उच्च जलाशय का निर्माण

73---श्री किरनपाल सिंह---

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका अतरौली, जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत जून, 1981 से लगभग 6 लाख रुपये की कीमत का एक उच्च जलाशय निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो अब तक निर्माण पूर्ण न होने का क्या कारण है ? क्या विभाग की दृष्टि में निर्माण में हुए विलम्ब से हुई क्षति के लिए कोई राजकीय अधिकारी या कर्मचारी दोषी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त--

कथित उच्च जलाशय 15-2-1982 से निर्माणाधीन है ।

वर्ष 1982 में सीमेन्ट की कमी तथा मई, 1984 से ठेकेदार द्वारा कार्य न किए जाने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है ।

इस सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है ।

श्री सोमदत्त, ट्रैप इंसपेक्टर, बिजनौर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

74--श्री किरनपाल सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सोमदत्त, ट्रैप इंसपेक्टर, बिजनौर के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों का पत्र प्रश्नकर्ता ने डायरेक्टर विजिलेन्स, उ0 प्र0 को 20-19-1984 को जांच कराकर कार्यवाही किये जाने हेतु दिया था ? यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

श्री सोमदत्त, ट्रैप इंसपेक्टर, बिजनौर के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच करने तथा उन्हें बिजनौर जनपद से बरेली परिक्षेत्र, बरेली स्थानान्तरित किए जाने हेतु सतर्कता निदेशक, उ0 प्र0 द्वारा आदेश दे दिए गए हैं ।

बस्ती में प्राथमिकता के आधार पर पुलिया बनाने तथा खंड़जा लगाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

75--श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0 प्र0, लखनऊ ने अपने पत्रांक 3031/ग्राम अभि0 से0/240 (4)/कार्यक्रम/84 85--लखनऊ, दि0 30 अक्तूबर, 84 द्वारा जिलाधिकारी, अध्यक्ष, जिला ग्राम विकास अभिकरण, बस्ती को प्रश्नकर्ता के गांव में प्राथमिकता के आधार पर पुलिया बनाने तथा खंड़जा लगाने को लिखा था और उसकी प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, बस्ती को दी थी ? यदि हां, तो अब तक कार्य न कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

ऐसे कार्यों की स्वीकृति जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा दी जाती है और धनराशि का आवंटन भी अभिकरण द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है । इसी कारण मुख्य अभियन्ता आर0 ई0 एस0 द्वारा अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को पत्र द्वारा लिख दिया गया था ।

अभी तक इस कार्य की स्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

गन्ना विभाग के वर्ग-2 (सामान्य) कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

76--श्री सुखपाल पान्डे--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास के वर्ग-2 (सामान्य) कर्मचारियों की वर्ष 1977 से मई, 1985 तक ज्येष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की गयी है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ? क्या सरकार शीघ्र ही उक्त वर्ग-2 के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची प्रकाशित कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्नगत कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची वर्ष 1977 से मई, 1985

तक प्रकाशित नहीं की जा सकी है, क्योंकि पदोन्नति कोटे के स्वीकृत पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का अनुमोदन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को सन्दर्भित है। अनुमोदनोपरान्त ही अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित कराने की कार्यवाही की जायगी।

चीनी मिलों में सामान्य प्रबन्धक रिसीवर एवं कस्टोडियन के पदों पर नियुक्तियां

77—श्री सुखपाल पान्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चीनी उद्योग में सहकारी चीनी मिलों तथा अधिग्रहीत चीनी मिलों में सामान्य प्रबन्धक, रिसीवर एवं कस्टोडियन के पदों पर नियुक्तियां दूसरे विभागों के अधिकारियों से की जाती हैं ? क्या सरकार गन्ना विभाग में उक्त पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध अधिकारियों में से नियुक्त करके तमाम प्रशासनिक बाधाओं को समाप्त करने के लिए विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां, सामान्य प्रबन्धक रिसीवर एवं कस्टोडियन के पदों पर विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है।

सभी चीनी मिलों में गन्ना विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया जाना व्यवहारिक एवं प्रशानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है।

फर्म यूनाइटेड ट्रैक्टर्स बनाम आयुक्त बिक्री कर के फैसले में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का निर्णय

78—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने निर्णय दि0 26-8-84 से फर्म यूनाइटेड ट्रैक्टर्स बनाम आयुक्त बिक्री-कर में रिवीजन को स्वीकार करके धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही को रद्द किया है ? यदि हां, तो धारा 21 के अन्तर्गत कितना कर लगाया गया था ? क्या यह सही है कि धारा 21 के अन्तर्गत नोटिस दि0 22-9-78 को विधिवत् तामील ता0 23-9-78 को हो गयी थी और सुनवाई की तिथि 28-9-78 रखी गयी थी ? यदि हां, तो ता0 22-1-79 को दूसरा नोटिस देने की क्यों आवश्यकता पड़ी ? उक्त राजस्व की हानि के लिए कौन जिम्मेदार है और उसके प्रति तारीख 31-3-85 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायन दत्त—

(क) जी हां।

(ख) बिक्रीकर अधिकारी खंड-1, गोरखपुर द्वारा धारा 21 अन्तर्गत रुपए 1,40,500 कर लगाया गया था। परन्तु बिक्रीकर अधिकरण ने उसे घटा कर यह राशि रु0 54,468.09 पैसे कर दी थी।

(ग) जी हां। अधिकरण ने भी अपने आदेश दिनांक 30-6-83 द्वारा 23-9-78 को हुई नोटिस की तामीली को पूर्णतया वैध तथा विधिवत् माना।

(घ) व्यापारी को कर निर्धारण हेतु लेखा बहियां प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का पुनः अवसर देने हेतु।

(ङ) माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का निर्णय विधिक रूप से सही नहीं कहा जा सकता धारा 21 में दी गई यदि कोई नोटिस निर्धारित समय में विधिवत् तामील हो जाती है तो लेखा बहियां आदि प्रस्तुत करने का अथवा सुनवाई हेतु पुनः नोटिस भेजने से उक्त नोटिस की तामील/निष्क्रिय या अवैध नहीं होती अतएव उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है। अतः अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

79—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

लखनऊ के डिप्टी कलेक्टर बिक्री कर (संग्रह) के द्वारा बकायादारों से बकाया न वसूलने के बारे में पत्र

80—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1692 दि0 11-7-83, पत्र सं0 1 दि0 30-8-83 व पत्र सं0 1348 दि0 4-5-83 लखनऊ के डिप्टी कलेक्टर बिक्रीकर (संग्रह) के द्वारा बकायादारों से वर्ष 82-83 में बकाया न वसूलने के बारे में लिखा है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

प्रश्न में संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं । उक्त पत्र उपलब्ध कराए जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

81—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

82—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

83—श्री यदुनाथ सिंह—

[6 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

84—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सर्वश्री कैलाश सिंह एंड सन्स, कानपुर पर बकाया बिक्री कर वसूलने से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

85—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं0 1877 दि0 4-8-83 कानपुर की एक फर्म कैलाश सिंह ऐंड सन्स की ओर बिक्रीकर बकाया की काफी समय तक न वसूलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में संदर्भित पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । परन्तु सर्वश्री कैलाश सिंह एंड सन्स, कानपुर पर बकाया बिक्रीकर से सम्बन्धित विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-5 व विधान परिषद् के तृतीय सत्र 1982 के द्वितीय सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-2 के संदर्भ में माननीय विधायक का एक संख्या व दि0 रहित पत्र प्राप्त हुआ उसमें वर्णित तथ्यों की जांच से विदित हुआ कि वर्ष 61-62 से 76-77 तक की बकाया योग रु0 70,615·76 ही है । वर्ष 1973-74 की मांग दिनांक 1-2-78 को तथा वसूली प्रमाण पत्र दिनांक 14-7-78 को (जो गलती से 14-7-77 टाइप हो गई थी) निकाले गए थे । वर्ष 1972-73 के लिए लगाए गए अर्थदण्ड की राशि रु0 290·00 है । जहां तक वसूली प्रमाण पत्र जारी होने तथा नीलामी की निर्धारित तिथि 28-1-82 के बीच के समय में की गई कार्यवाही का प्रश्न है, यह मामले इतने पुराने हैं कि इनका ब्यौरा देना संभव नहीं है । अतः दोष निर्धारित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रशासनिक उच्च अधिकारी समय-समय पर बिक्रीकर कार्यालय का निरीक्षण करते समय परिस्थिति एवं आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष निर्देश देते रहते हैं ।

लखनऊ के बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-9 श्री केसरवानी द्वारा लखनऊ में मकान बनाने के सम्बन्ध में विधायक श्री यदुनाथ सिंह का पत्र

86-- श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1337, दि0 4-5-83 लखनऊ के बिक्रीकर अधिकारी खण्ड-9 श्री केसरवानी द्वारा लखनऊ में मकान बनाने के बारे में मिला है ? यदि हां, तो मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1692, दि0 11-7-83 भी इस सम्बन्ध में मिला था ? यदि हां तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्नकर्ता का दिनांक रहित पत्र संख्या 1337 केवल प्राप्त हुआ है। सूचना एकत्रित की जा रही है।

फर्म गुलाब किराना कं0 को रिफन्ड पर देय ब्याज के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

87--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1335, दिनांक 4-5-1983 लखनऊ की फर्म गुलाब किराना कं0 को रिफंड पर देय ब्याज के बारे में मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां।

फर्म गुलाब किराना कम्पनी, सआदतगंज, लखनऊ के वर्ष 1973-74 व 1974-75 के प्रांतीय व केन्द्रीय वादों में देय रिफंड पर अनुमन्य ब्याज का भुगतान नियमानुसार व्यापारी को कर दिया गया है।

88--श्री यदुनाथ सिंह--

[पुनर्विचार पर निरस्त]

89--श्री यदुनाथ सिंह--

[पुनर्विचार पर निरस्त]

90--श्री यदुनाथ सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

91--श्री यदुनाथ सिंह--

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित]

92--श्री यदुनाथ सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

93--श्री यदुनाथ सिंह--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

94--श्री यदुनाथ सिंह--

[न्यायिक कार्य से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

95--श्री यदुनाथ सिंह--

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित]

96--श्री यदुनाथ सिंह--

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित]

लखनऊ के बिक्री कर विभाग के भवन का निर्माण

97--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1428, दिनांक 10-11-1984 लखनऊ में बिक्रीकर विभाग द्वारा अपना भवन न बनाने के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को

मिला है ? यदि हां, तो लखनऊ में बिक्री कर विभाग का अपना भवन कब तक हो जायेगा और सारे कार्यालय एक भवन में कब तक ट्रांसफर हो जायेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

लखनऊ स्थित समस्त बिक्रीकर कार्यालयों के लिए हिल्टन लेन में आवास विकास परिषद् द्वारा निर्माणाधीन बहु-खंडीय भवन का क्रय किया जा चुका है तथा आवास विकास परिषद् को भवन की कुल कीमत का आधा मूल्य भी भुगतान किया जा चुका है । भवन जैसे ही बनकर तैयार हो जायगा, उसका शेष मूल्य भुगतान कर तुरन्त सभी कार्यालयों को एक ही स्थान पर स्थापित कर दिया जायगा ।

98—श्री यदुनाथ सिंह—

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित]

मेरठ बिक्री कर अधिकरण में द्वितीय अपील विलम्ब से दाखिल करने के सम्बन्ध में पत्र

99—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1082, दिनांक 12-9-1984 मेरठ बिक्रीकर अधिकरण में द्वितीय अपील सं0 28/83 को विलम्ब से दाखिल करने के बारे में संस्थागत वित्त राज्य मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

(क) जी हां ।

(ख) मामले में बिक्रीकर अधिकरण मेरठ के समक्ष द्वितीय अपील दायर करने में एक माह 24 दिन का विलम्ब हुआ जिसके लिये दो दोषी कर्मचारियों को दन्डित किया जा चका है । द्वितीय अपील दायर करने के अलावा प्रश्नगत मामले में अपीलीय निर्णय को संशोधित कराने के लिए विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील), मेरठ के समक्ष धारा 22 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र भी दिया गया है जो अभी अनिर्णीत है । उसके निस्तारण पर ही राजस्व की हानि हुई है या नहीं स्पष्ट होगा । तथापि मामले में निहित राशि 1192 रु0 है ।

लखनऊ बिक्री कर कार्यालय के खंड 3 में फर्म केदारनाथ आजाद कुमार से बिक्री कर वसूलने के सम्बन्ध में कार्यवाही

100—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1463, दिनांक 8-1-85 लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय के खंड 3 में फर्म केदारनाथ आजाद कुमार से बिक्रीकर बकाया से अधिक की रकम वसूलने के बारे में मुख्य मन्त्री को दिनांक 9-1-85 को मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है । उक्त पत्र उपलब्ध कराने पर उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

101—श्री यदुनाथ सिंह—

[6वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

102—श्री यदुनाथ सिंह—

[दिनांक 14-9-85 को ता0 प्र0 सं0 14 द्वारा उत्तरित ।]

103—श्री यदुनाथ सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

राजकीय बहुधंधी उद्यान प्रक्षेत्र भटकासोला, सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में फलों की बिक्री

104—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में वि0 खं0 धारचूला अन्तर्गत राजकीय फल उद्यान-भटकासोला (पत्रालय सोला) से विगत 5 वर्षों में क्रमशः किस-किस फल की कुल कितनी बिक्री किस दर से की गयी ? इसमें किस दर से ढलान खर्च किया गया ? क्या सरकार इस उद्यान के आसपास के बागवानियों से फल क्रय कर राजकीय उद्यान के द्वारा उत्पादित फल के साथ विक्रय करने की नीति तैयार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में विकास खंड धारचूला अन्तर्गत राजकीय फल उद्यान भटका सोला (पत्रालय सोला) से विगत पांच वर्षों में बिक्री किये गये फलों की वर्षवार किस्म सहित मात्रा एवं निर्धारित बिक्री दर की सूचना संलग्न है ।

ढुलान पर 1979-80, 1980-81 व 1983-84 में कोई व्यय नहीं किया गया । वर्ष 1981-82 में 24 पैसे प्रति कि0 तथा 1982-83 में 42 पैसे प्रति कि0 ढुलान पर व्यय हुआ ।

फलों के विपणन कार्य हेतु मन्डलीय विकास निगमों, सहकारी फल संघ तथा यू0 पी0 हार्टिको के लिये इस वर्ष जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उनकी सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 186, 187 पर ।)

श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव, विशेष सचिव, संस्थागत वित्त के बारे में विधायक श्री यदुनाथ सिंह का पत्र

105—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1401, दिनांक 9-11-84 श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव, विशेष सचिव, संस्थागत वित्त के बारे में मुख्य मन्त्री को मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरायन दत्त—

जी नहीं ।

प्रश्नगत अधिकारी के विरुद्ध माननीय सदस्य का शिकायती-पत्र सं0 1401/दस किपा/84, दिनांक 29-10-1984 माह नवम्बर, 1984 में शासन को अवश्य प्राप्त हुआ था । उस पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की छान-बीन की गयी परन्तु कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया ।

106—श्री यदुनाथ सिंह—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

107—श्री यदुनाथ सिंह—

[6वें मंगलवार के लिये स्थगित]

108—श्री यदुनाथ सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

109—श्री यदुनाथ सिंह—

[न्यायिक कार्य से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

वर्तमान निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद् के चयन हेतु गठित चयन समिति को दिए गए निर्देश

110—श्री किरनपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक

परिषद् के चयन के समय गठित चयन समिति तथा तत्कालीन विभागीय मन्त्री ने उनके चयन के सम्बन्ध में क्या निर्देश दिए थे ? निर्देशानुसार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद् के पद पर चयन हेतु गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 23-6-1982 को यह संस्तुति दी गई थी कि यद्यपि कोई अभ्यर्थी समिति को पूर्णतया संतुष्ट नहीं कर सका परन्तु डा0 ए0 एन0 पाठक को योग्यता सूची में प्रथम स्थान देते हुए उन्हें नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है। विभागीय मन्त्री जी ने डाक्टर पाठक को स्थायी व्यवस्था होने तक परिवीक्षा पर नियुक्त करने का आदेश दिया था। तद्नुसार डा0 पाठक, निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के पद पर कार्यरत हैं।

जनपद हमीरपुर में शेर मारे जाने की घटना

111--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त 1982 में हमीरपुर जनपद में एक शेर मारे जाने की घटना घटी थी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री नारायन दत्त--

जी हां। अगस्त, 1982 में हमीरपुर जनपद में राठ रेंज के मझगवां बीट में एक शेर मारे जाने की घटना प्रकाश में आई थी।

इस मामले में अपर मुख्य वन संरक्षक (वन्य जन्तु), उत्तर प्रदेश को एक शिकायत हमीरपुर जनपद में एक शेर नाजायज तौर पर मारे जाने के संबंध में अक्तूबर, 1982 में प्राप्त हुई थी। इस शिकायत पर की गई जांच से ज्ञात हुआ है कि मझगवां बीट (हमीरपुर वन प्रभाग) में डुगरई व ककरवाई बीट (झांसी वन प्रभाग) में यह शेर यदा कदा गाय व भैंस मारकर खाता रहा। ग्रामवासियों ने इसकी शिकायत परगना मजिस्ट्रेट, गरौठा, थानाध्यक्ष, गरौठा तथा तत्कालीन राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग से भी की। अंततः इस शेर को मारने हेतु 15-8-1982 को हांका भी किया गया बताया जाता है परन्तु शेर न मारा जा सका। दिनांक 18-8-1982 को इस शेर ने जब एक गाय मारी तो श्री सूर्य प्रताप सिंह राजा साहब बिजना ने इसे मार डाला। इस शिकार में सर्वश्री रामेश्वर, भूतपूर्व प्रधान, कचौर, पुनु खंगार यकन्दा खंगार व विन्दा खंगार साकिन कचौर भी थे। मामले में छानबीन के दौरान कुछ ग्रामवासियों ने बयान दिया कि दिनांक 15-8-1982 को इस शेर को मारने के लिये किये गये हांके में तत्कालीन राज्य मंत्री श्री रणजीत सिंह जूदेव भी उपस्थित थे तथा उन्होंने इस शेर पर फायर किया था परन्तु शेर भाग गया था। तथापि इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है क्योंकि दिनांक 15-8-1982 को तत्कालीन राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने गरौठा तथा गुरसराय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन तहसीलों में राष्ट्रीय झंडे की सलामी ली तथा उसी दिन उनके द्वारा हांका करवाने की बात अत्यन्त संशयपूर्ण है।

यह मामला शासन के विचाराधीन है और इसमें वास्तविक तथ्यों के आधार पर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1972 के अधीन नियमान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

112--श्रीमती शारदा देवी--

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला पुलिस से सम्बद्ध अंग रक्षकों को देय अंगरक्षक भत्ता

113—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पुलिस से सम्बद्ध अंग रक्षकों (गंडो) को 1978 से अंग रक्षक भत्ता नहीं दिया जा रहा है जबकि राज्य सरकार से सम्बद्ध अंगरक्षकों को उनके मासिक वेतन के साथ भत्ता दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इसका भुगतान कब तक करा दिया जायगा ?

श्री नारायन दत्त—

यह सही नहीं है कि जिला पुलिस से सम्बद्ध अंगरक्षकों को वर्ष 1978 से अंगरक्षक भत्ता नहीं दिया जा रहा है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

स्पोर्ट्स कालेज के कर्मचारियों/अधिकारियों को भविष्य निर्वाह निधि, सामूहिक जीवन बीमा तथा निःशुल्क आवास सुविधा दिये जाने पर विचार

114—श्री सरदार सिंह—

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना के 10 वर्ष बाद भी वहां के कर्मचारियों/अधिकारियों को भविष्य निर्वाह निधि एवं सामूहिक जीवन बीमा की सुविधा न प्रदान करने का क्या कारण है तथा शासन यह सुविधा कब तक प्रदान कर देगा ?

श्री नारायन दत्त—

प्रश्न में उल्लिखित सुविधाओं हेतु जुलाई, 1985 में ही स्पोर्ट्स कालेज से शासन को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परीक्षणोंपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

115—श्री सरदार सिंह—

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के कर्मचारियों/अधिकारियों को निःशुल्क आवास सुविधा दी जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 1984-85 में कितने आवास रिक्त रहे तथा कर्मचारियों को आवंटित न करने के क्या कारण थे ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ! संदर्भित अवधि में अध्यापकों के दो पद रिक्त रहने के कारण दो आवास खाली रहे।

बनारस एवं कानपुर विकास प्राधिकरण में आर्कीटेक्चरल कम प्लानिंग असिस्टेंट के पद धारकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने पर विचार

116—श्री किशन लाल दिलेर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बनारस एवं कानपुर विकास प्राधिकरणों में आर्किटेक्चरल कम प्लानिंग असिस्टेंट पद धारकों को शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में रुपये 690-1420 का पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के उक्त पद धारकों को उक्त पुनरीक्षित वेतनमान न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में उक्त वेतनमान लागू किये जाने के आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

कानपुर, विकास प्राधिकरण में आर्किटेक्चरल कम प्लानिंग असिस्टेन्ट के पद धारकों को रु0 690-1420 का पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, किन्तु वाराणसी, विकास प्राधिकरण में उक्त वेतनमान शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिया जा रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में में आर्किटेक्चरल कम प्लानिंग असिस्टेन्ट के पद धारकों के वेतनमान का पुनरीक्षण शासन के विचाराधीन हैं । इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त यथोचित आदेश जारी किये जायेंगे ।

जनपद आगरा में पेयजल अभावग्रस्त ग्रामों की सूची

117--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद आगरा में वर्ष 1972 के मानक के अधीन क्या 600 ग्राम पेयजल अभाव-ग्रस्त ग्रामों की सूची में सम्मिलित हुए और क्या वर्ष 1982 के मानकों में क्या 400 ग्राम पेयजल संकट से अभावग्रस्त ग्रामों की सूची में दर्शाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या पेयजल का अभाव दूर कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जनपद आगरा में वर्ष 1972 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 688 ग्राम समस्याग्रस्त घोषित किये गये थे, जिनमें से 14 ग्राम गैर आबाद पाये गये ।

वर्ष 1972 की सूची के अतिरिक्त वर्ष 1984 में जिलाधिकारी, आगरा से 327 अन्य नये समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची प्राप्त हुई है । वर्ष 1972 के सर्वेक्षण के अनुसार घोषित समस्याग्रस्त ग्रामों में से 586 ग्रामों को जून, 1985 तक पेयजल से लाभान्वित कर दिया गया है । नये समस्याग्रस्त ग्रामों तथा वर्ष 1972 की सूची के अवशेष ग्रामों को सप्तम पंच वर्षीय योजना काल में लाभान्वित करने पर विचार किया जावेगा ।

118--श्री सुरेश प्रताप सिंह--

[4थे बुधवार में अतां0 प्र0 सं0 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पेराई

119--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84-85 में कितनी मात्रा में गन्ने की पेराई उ0 प्र0 के चीनी मिलों द्वारा 28 फरवरी, 85 तक की गई है और इन दौरान कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन हुआ ? क्या मन्त्री जी पिछले 3 वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े देने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 1984-85 में प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 28 फरवरी, 1985 तक 121.71 लाख मी0 टन गन्ने की पेराई की गई और इस अवधि में 11.43 लाख मी0 टन चीनी का उत्पादन हुआ । पिछले तीन वर्षों के 28 फरवरी तक के तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत् हैं--

वर्ष	गन्ना पेराई (लाख मी0 टन)	चीनी उत्पादन (लाख मी0 टन)
1981-82	117.94	10.95
1982-83	106.26	10.35
1983-84	112.03	10.24

हरदोई नगर के नघटा क्षेत्र में आवास विकास परिषद् द्वारा भूमि का अधिग्रहण तथा प्रतिकर का भुगतान, भवनों का निर्माण

120--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई नगर के नघट

क्षेत्र में आवास विकास परिषद् ने भवन निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण कर लिया है ? यदि हां, तो जिन भूमि मालिकों की भूमि अधिग्रहण की गई है, उन्हें उनका मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है तथा शासन द्वारा उक्त मुआवजा कब तक दिला दिया जायगा ।

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

कुल 121 खातेदारों की भूमि अधिग्रहीत की गई है, जिसमें से 28 खातेदारों को प्रतिकर की पूर्ण धनराशि का भुगतान कर दिया गया है, 75 काश्तकारों को प्रतिकर का आंशिक भुगतान किया गया है । शेष 18 खातेदार प्रतिकर लेने हेतु उपस्थित नहीं हुए। अब शेष प्रतिकर वितरित किया जा रहा है ।

121--कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त भूमि का मुआवजा दिए बगैर उक्त जमीन पर भवनों के निर्माण करने का क्या आधार है ।

श्री नारायन दत्त--

भवनों की मांग के आधार पर भूमि अध्यापित अधिनियम, 1984 की धारा 17 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कब्जा प्राप्त करके भवन निर्मित किए जा रहे हैं ।

जनपद आगरा के किरावली रेंज कीठम वन ब्लाक रुनकता में अवैध लकड़ी का नाजायज कटान

122--श्री बदन सिंह--

क्या वन मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के किरावली रेंज के कीठम वन ब्लाक, रुनकता में वन वर्ष 83-84 में लाखों टन अवैध लकड़ी वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कटवा दी गई ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त--

वर्ष 83-84 में जनपद आगरा के किरावली रेंज के कीठम वन ब्लाक, रुनकता में लगभग 21,446 रु0 का नाजायज कटान पाया गया । उक्त नाजायज कटान से सम्बन्धित तीन वन रक्षकों को निलम्बित कर दिया गया है और एक वनविद् के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त सम्बन्धित ठेकेदार से 7,000 रु0 की वसूली के आदेश किए जा चुके हैं । अन्य कोई अधिकारी उक्त अवैध कटान से सम्बन्धित नहीं पाया गया ।

जनपद आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत लक्ष्मण पुत्र सेवाराम का अपहरण

123--श्री बदन सिंह--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत स्थित ग्राम सिकरौदा के लक्ष्मण पुत्र सेवाराम का अपहरण दिनांक 6 मार्च 84 को हुआ था ? यदि हां, तो फतेहपुर सीकरी पुलिस अभी तक उस अपहृत को खोजने में क्यों असफल रही है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

फतेहपुर सीकरी पुलिस के निरन्तर प्रयासों तथा प्रभावी कार्यवाही के परिणाम-स्वरूप आहृत लक्ष्मण को अपराधियों ने दिनांक 20-11-84 को मुक्त कर दिया और वह ग्राम सिकरौदा में अपने घर पर निवास कर रहा है ।

ग्राम किशनी तहसील मुसाफिर-खाना, जनपद सुल्तानपुर में नाले का निर्माण

124—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम किशनी तहसील मुसाफिरखाना, जनपद सुल्तानपुर में नाले के पुल निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 6554/ई-23, (सा0 नि0 वि0-11-1-80 ई/82, दिनांक 8 दिसम्बर, 1983 द्वारा 9 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो पुल के निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

अनुदान एवं सीमेन्ट की कमी ।

देवरिया से देसही देवरिया जाने वाली सी0 सी0 रोड को पिच किये जाने हेतु विचार

125—श्री रणजीत—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया से देसही देवरिया जाने वाली सी0 सी0 रोड में कुल कितने किलो मीटर को पिच किया जाना शेष है तथा शेष रहने के क्या कारण हैं और उसे कब तक पिच करने के आदेश दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

इस मार्ग का 11.00 किलोमीटर भाग अभी पिच करना शेष है ।

यह कार्य अभी स्वीकृत नहीं है ।

यह मार्ग अब जिला सेक्टर के अन्तर्गत आता है, अतः इसको पक्का कराने की स्वीकृति, जिला समिति के अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जिला समिति से अनुमोदित प्रस्ताव अभी शासन में प्राप्त नहीं हुआ है ।

नैनीताल स्थित राजभवन से हटाये गये फर्नीचर

126—श्री हर्ष वर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल स्थित राजभवन से पिछले एक वर्ष में कौन-कौन से फर्नीचर आदि हटाये गये हैं ? यह हटाये गये फर्नीचर वर्तमान में कहां पर हैं ?

श्री नारायन दत्त—

नैनीताल स्थित राजभवन से पिछले एक वर्ष में कोई भी फर्नीचर आदि नहीं हटाये गये हैं ।

विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर के कतिपय गांवों में प्रस्तावित विकास कार्य

127—श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बाहरपुर, फुनदनपुर, सत्थिन किशनी, मरदानपुर, फतेहपुर, नेवाज मदारगढ़, ऊंगगांव, निहालगढ़, संदा पट्टी महोना पूरब, महोना पश्चिम, तातारपुर, मंगरौली, दौलतपुर, बरसन्डा, मीरानपुर, रुस्तमगढ़, हरखमऊ,, मखदूम-पुर व रस्तमऊ विकास खंड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1982-83, 1983-84 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गयी है तथा वर्ष 1985-86 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं अन्य विकास कार्य के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खंड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर के कतिपय ग्रामों में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित विकास कार्य

128--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वि0 खं0 जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर के ग्राम रसूलपुर सराय आलम नयावा मगरौरा, दुलारो नगर, जलालपुर तिवारी, करोडोह में वर्ष 85-86 में 20 सूत्रीय कार्य-क्रम के अन्तर्गत कौन से विकास कार्य प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

129--श्री राम गोविन्द चौधरी--

[4थे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सी0 पी0 पी0 फंड इंश्योरेन्स में कर्मचारियों के प्रीमियम की धनराशि

130--श्री रामगोविन्द चौधरी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 पी0 फंड को स्टेट लाइफइंश्योरेंस में प्रीमियम जमा की गई और उसकी कुल धनराशि कितनी जमा है ? सी0 पी0 फंड योजना समाप्त हो जाने के बाद बीमे की धनराशि जी0 पी0 एफ0 फंड में आज तक जमा नहीं की गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया--

जी हां ।

महालेखाकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सी0 पी0 पी0 फंड इंश्योरेंस में 537 कर्मचारियों के प्रीमियम की धनराशि 2,11,928 रु0 जमा है ।

जी हां ।

महालेखाकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सी0 पी0 पी0 फंड इंश्योरेन्स योजना केवल उन कर्मचारियों के लिए समाप्त हुई जिन्होंने यू0 पी0 लिबरलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961/यू0 पी0 रिटायरमेंट बेनीफिट रूल्स 1961 को चुना । उक्त रूल्स को चुनने वाले 537 कर्मचारियों ने अपने सी0पी0पी0 फंड खातों की धनराशि को आज तक अपने जी0 पी0 फंड खातों में स्थानान्तरित किये जाने का प्रार्थना-पत्र नहीं दिया । ऐसा प्रार्थना-पत्र उनसे प्राप्त हो जाने पर उक्त धनराशि उसके जी0 पी0 फंड खातों में स्थानान्तरित कर दी जायेगी ।

महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद के लेखानुसार भविष्य निधि तथा सस्पेंश खातों में जमा की गई धनराशि

131--श्री रामगोविन्द चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि महालेखाकार उ0 प्र0 इलाहाबाद के लेखानुसार प्रत्येक विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दिनांक 31-3-85 तक भविष्य निधि तथा सस्पेंश खातों में कितनी-कितनी धनराशि जमा की ? सस्पेंश में धनराशि जमा करने का क्या आधार है । सस्पेंश में जमा धनराशि को वास्तविक खातों में जमा करने की दिशा में आज तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है तथा इस लापरवाही के लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया--

जी नहीं ।

महालेखाकार की सूचना के अनुसार 31-3-85 तक के लेखे अभी बन्द नहीं हुए हैं । अतः इस तिथि तक भविष्य

निधि तथा सस्पेंश खातों में जमा धनराशि की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

महालेखाकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जब भविष्य निधि शेड्यूल्स-जिनमें अभिदान की धनराशि के ब्यौरे होते हैं-में अभिदाता के नाम तथा उसके खाते की संख्या की सूचना गलत या बिल्कुल ही नहीं दी जाती अथवा कोष अधिकारियों द्वारा नकद जमा की गई धनराशियों के शेड्यूल्स नहीं भेजे जाते अथवा इस धनराशि का वर्गीकरण गलत कर दिया जाता है तो इस धनराशि को तब तक के लिए एक पृथक रजिस्टर में अंकित कर लिया जाता है, जब तक इसके सही विवरण नहीं मिल जाते ।

महालेखाकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यह कहना सही नहीं है कि सस्पेंश खाते में जमा धनराशि को आज तक वास्तविक खातों में जमा करने की कार्यवाही नहीं की गई । जैसा कि ऊपर कहा गया है कोई धनराशि सस्पेंश खाते में तभी तक रक्खी जाती है जब तक इस धनराशि के अभिदाता की सही खाता संख्या और उसके नाम की सूचना प्राप्त नहीं हो जाती । चूंकि महालेखाकार के कार्यालय में लगभग 4 लाख कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखों का रख-रखाव होता है, इसमें से कुछ न कुछ कर्मचारियों के खातों के सम्बन्ध में हर माह गलत सूचना प्राप्त होती रहती है जिसके कारण सस्पेंश खातों में धनराशि को दिखाये जाने और उसके सम्बन्ध में सही सूचना प्राप्त होने पर उसे वास्तविक खाते में स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही का क्रम बराबर चलता रहता है । अतः इसके लिए किसी एक व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता ।

उपरोक्त परिस्थितियों में कोई जांच कराये जाने या न कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम बाहरपुर, विकास खण्ड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर की सड़क पर निर्माण कार्य

132--श्री राम गोविन्द चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम बाहरपुर वि0 खं0 शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर को एक सड़क शुकुल बाजार रानीगंज मार्ग से गई है जिस पर मरम्मत का कार्य काफी दिनों से चल रहा है और अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त--

यह मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है ।

भनवापुर एवं डुमरियागंज क्षेत्र में जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्डपम्पों की जांच

133--मलिक मो0 कमाल यूसुफ--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की क्षेत्र समिति भनवापुर ने अपनी बैठक दिनांक 12 फरवरी, 1984 एवं क्षेत्र समिति डुमरियागंज ने अपनी बैठक दिनांक 13 फरवरी, 1984 में जल निगम द्वारा अभावग्रस्त गांव में नये ढंग के हैण्डपाईप लगाए जाने के सम्बन्ध में घोर भ्रष्टाचार पाईपों को खुले आम बाजार में बेचने तथा गांव में पैसा लेकर हैण्डपाइप लगाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति असन्तोष व्यक्त किया तथा उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ? यदि हां, तो क्या तत्काल इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां,

किन्तु क्षेत्र समिति भनवापुर एवं क्षेत्र समिति डुमरियागंज की बैठकों के होने की तिथियां, क्रमशः 12

फरवरी, 1984 तथा 13 फरवरी, 1984 के स्थान पर क्रमशः 11 फरवरी, 1984 एवं 12 फरवरी, 1984 हैं।

भनवापुर एवं डुमरियागंज क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा लगाये गए कुछ हैण्डपम्पों की जांच कराई गई है लेकिन उक्त बैठकों के प्रस्तावों में इंगित अनियमितताओं की पुष्टि नहीं हुई है।

134—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के सिनेमा घरों में "शिवा का इन्साफ" नामक फिल्म का प्रदर्शन

135—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के अनेक सिनेमा घरों में 'शिवा का इन्साफ' नामक फिल्म का प्रदर्शन इस समय कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दर्शकों से चश्मे के एवज में एक रुपया प्रति दर्शक के हिसाब से बिना रसीद के किराये के रूप में वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो इस अनधिकृत वसूली का औचित्य क्या है? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि दर्शकों के मस्तिष्क पर अत्यन्त दबाव डालने वाली उक्त फिल्म के प्रदर्शन हेतु अनुमति दिये जाने का आधार क्या है?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी हां। फिल्म "शिवा का इन्साफ" को देखने के लिए सिनेमा स्वामी द्वारा दर्शकों को चश्मा दिया जाता है। इसके लिए वह एक रुपये की अतिरिक्त राशि लेते हैं जिस पर नियमानुसार मनोरंजन कर देय होता है। प्रारम्भ में कतिपय सिनेमाओं के स्वामियों द्वारा चश्मे के लिए अलग से सिनेमा परिसर में एक रुपये लेकर एक कूपन प्रत्येक दर्शक को दिया जाता था। वर्तमान में अब सिनेमा स्वामी द्वारा अलग से चश्में के लिए दर्शक से कोई धनराशि नहीं ली जा रही है, बल्कि उनके द्वारा हर कक्ष के टिकट के मूल्य में एक रुपये की वृद्धि करके वसूली की जा रही है जिसमें चालिस पैसे प्रवेश शुल्क तथा साठ पैसे अतिरिक्त मनोरंजन कर के रूप में रहता है। उक्त फिल्म केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित की गई है। इसके प्रदर्शन की अनुमति देना प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

वृत्ति कर विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति

136—श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 2रे शुक्रवार के निर्धारित अता० प्र० सं० 132 के सन्दर्भ में क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतनमान 280–460 (अब 515–860) में निर्धारित 18 प्रतिशत का कोटा पूर्ण करने के लिए 11 अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नति दी गई? यदि हां, तो इन 11 अनुसूचित जाति के कर्मचारियों ने कब–कब कार्यभार ग्रहण किया, क्या 11वें कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व ही तदर्थ रूप से प्रमोट सबसे सीनियर कर्मचारी को प्रत्यावर्तित किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी हां। वेतनमान 280–460 रु० (अब वेतनमान 515–860 रु०) में अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण करने हेतु 11 अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई थी। इन कर्मचारियों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को कार्यभार ग्रहण किया:

(1) श्री श्रीराम पूर्व से कार्यरत

(2) श्री राममूर्ति राम तदेव

(3)	श्री कल्लू राम	12-10-82
(4)	श्री राम बचन	1-10-82
(5)	श्री हीरा लाल कुरील	14-10-82
(6)	श्री राम भरोसे सन्त	19-10-82
(7)	श्री जगदीश प्रसाद	15-10-82
(8)	श्री नरेश कुरील	18-10-82
(9)	श्री फूल सिंह	23-10-82
(10)	श्री राधेश्याम	8-4-83
(11)	श्री दुर्गपाल सिंह	11-10-82

उक्त कर्मचारियों की पदोन्नति आदेश जारी करने के पश्चात् ही तदर्थ रूप से पदोन्नति कर्मचारियों के प्रत्यावर्तन आदेश भी 11वें कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व ही जारी कर दिये गये थे।

सर्वश्री श्रीराम, राम मूर्ति राम, कल्लू राम, राम बचन, जगदीश प्रसाद एवं हीरा लाल कुरील मुख्यालय में पूर्व से ही पुराने वेतनमान 280-460 में कार्यरत थे। इनकी पदोन्नति संशोधित वेतनमान 515-860 में नियमित रूप से वर्ष 1982 में की गई थी। तदर्थ रूप से पदोन्नति अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के स्थान पर उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति की गई थी। शासनादेश दिनांक 3 सितम्बर, 1981 के अनुसार तदर्थ रूप से पदोन्नति अनुसूचित जाति का कर्मचारी यदि नियमित चयन में चयनित नहीं हो पाता तो उसे किसी प्रकार का संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा और प्रत्यावर्तित होना पड़ेगा। चूंकि तदर्थ रूप से पदोन्नति अनुसूचित जाति के कर्मचारी वरिष्ठता के आधार पर पात्रता क्षेत्र में न आने के कारण नियमित चयन में चयनित नहीं हुए। अतः शासनादेश दिनांक 3 सितम्बर, 1981 के परिप्रेक्ष्य में उन्हें प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

श्री रंग बहादुर पांडे तथा श्री श्याम बहादुर पांडे का रिवाल्वर और राइफल के लाइसेन्स निरस्त करने का आदेश

137--कुंवर रेवतीरमण सिंह--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रंग बहादुर पाण्डेय और श्याम बहादुर पाण्डेय, निवासी पनास, थाना करछना, जिला इलाहाबाद के निवासी हैं और इनके ऊपर कई मुकदमें कत्ल के और संगीन दफाओं के चल रहे हैं? यदि हां, तो उन्हें रिवाल्वर और राइफल के लाइसेन्स कैसे मिले और उनके लाइसेन्स निरस्त करने के आदेश के बाद भी उनके अस्त्र रखवाए नहीं गए? यदि हां, तो क्यों?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्न में उल्लिखित श्री रंग बहादुर पाण्डे को दिनांक 7 मार्च, 1975 को दोनली कारतूसी बन्दूक का लाइसेन्स जारी किया गया और श्री श्याम बहादुर पांडेय को एन0 पी0 बोर राइफल का लाइसेन्स दिनांक 31 जुलाई, 1979 को जारी किया गया। लाइसेन्स जारी करने की तिथियों तक उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध कथित कत्ल या किसी संगीन दफा के मुकदमें नहीं चल रहे थे। लाइसेन्स जारी होने की तिथियों के बाद इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध गम्भीर धाराओं के अन्तर्गत मुकदमें दायर हुए। इस समय उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों के लाइसेन्स दिनांक 25 मई, 1985 को निरस्त किये जा चुके हैं। श्री रंग बहादुर पाण्डेय की बन्दूक दिनांक 14 जून, 1985 को थानाध्यक्ष, करछना द्वारा जमा करा ली गई है और श्याम बहादुर पाण्डेय की राइफल जमा कराये जाने के प्रयास चल रहे हैं।

138--श्री राम आसरे वर्मा--

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।]

139—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 24-7-85 को अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित ।]

भूतपूर्व विधायक एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत अध्यासन के फलस्वरूप लिये जाने वाला दैनिक किराया

140—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासन द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि भू0 पू0 विधायकों एवं अन्य लोगों से, जो विधायक निवासों में अनधिकृत रूप से रह रहे हैं उनसे 30 रु0 से 100 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जायगा ? यदि नहीं, तो सिर्फ भू0 पू0 विधायकों पर ही क्यों लागू किया जा रहा है, अधिकारियों एवं अन्य पर लागू न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त—

(क) शासन द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 1985 को जारी हुए कार्यालय ज्ञाप द्वारा आदेश जारी किये गये हैं कि लखनऊ स्थित विधायक निवासों में उ0 प्र0 राज्य विधान मन्डल के वर्तमान सदस्यों से भिन्न भू0 पू0 विधायक एवं अन्य व्यक्तियों आदि द्वारा कक्षों के अनधिकृत अध्यासन के फलस्वरूप उनसे लिये जाने वाले दैनिक किराये का निर्धारण तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् किया गया है :—

कक्ष की श्रेणी	किराया
1	2
1—विधायक निवास के 'क' श्रेणी के कक्ष	रु0 30 प्रतिदिन
2—पुराना वि0नि0 परिसर में बहुखन्डीय भवन के फ्लेट (विशेष कक्ष)	रु0 75 प्रतिदिन
3—पार्क रोड के फ्लेट (विशेष कक्ष)	रु0 100 प्रतिदिन

(ख) उपर्युक्त आदेश सभी अनधिकृत अध्यासियों पर लागू हैं । अतः प्रश्न नहीं उठता है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के अनुभाग-1 के कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फंड, महंगाई भत्ते की किस्तों के अनिर्णीत मामले

141—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अनुभाग-1 के कर्मचारियों के प्राविडट फंड जनवरी, 1985 में बढ़ाई गयी महंगाई भत्ते की दो किस्तों का एरियर, बढ़े हुए धुलाई भत्ते का एरियर एवं सालाना तरक्की आदि मामले कितने समय से अनिर्णीत पड़े हुए हैं ? क्या सरकार इन तथ्यों की जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही पर विचार करेगी तथा उक्त सारे मामलों का तत्काल निस्तारण करायेगी ?

श्री नारायन दत्त—

राज्य सम्पत्ति विभाग के अनुभाग-1 के कार्यरत कर्मचारियों का प्राविडेन्ड फंड महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के स्तर को छोड़कर, जनवरी, 1985 में बढ़ाई गई महंगाई भत्ते की दो

किस्तों का एरियर, सालाना तरक्की, धुलाई भत्ता आदि का कोई मामला सामान्यतः अनिर्णीत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई के बिलग्राम-कन्नौज मार्ग के निर्माण हेतु कृषकों की अधिग्रहीत की गई भूमि तथा प्रतिकर का भुगतान

142--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के बिलग्राम-कन्नौज मार्ग, जिसका निर्माण लगभग 12 वर्ष पूर्व हुआ था, के अन्तर्गत आने वाले किसानों की भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायगा ?

श्री नारायन दत्त--

जनपद हरदोई में बिलग्राम-कन्नौज मार्ग के निर्माण में ग्राम ककड़ाखेड़ा को छोड़कर शेष ग्रामों के किसानों को प्रयुक्त उनकी भूमि के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है । ग्राम ककड़ाखेड़ा में चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने के कारण प्रभावित कृषकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका है । इस ग्राम में भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही जारी है जिसके पूर्ण होने पर प्रभावित कृषकों को मुआवजे का भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा ।

नैनीताल क्लब में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने पर विचार

143--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नैनीताल क्लब में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या क्रमशः कितनी है ? इनमें दैनिक वेतन भोगी कितने कर्मचारी हैं ? क्या यह भी सत्य है कि क्लब में आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से ज्यादा कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्या इसकी छानबीन करके विगत एक वर्ष से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

नैनीताल क्लब, नैनीताल में दिनांक 1-8-85 को कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 12 एवं 51 थी ।

इनमें तृतीय श्रेणी के 6 तथा चतुर्थ श्रेणी के 12 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जी नहीं ।

तीन वर्ष से अधिक समय से लगातार कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण कर नियमित पदों के उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा ।

144--श्री राम आसरे वर्मा--

[दिनांक 16-7-85 को अता0 प्र0 सं0 99 द्वारा उत्तरित]

श्री रामजी लाल वार्ष्णेय, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

145--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या सार्व0 नि0 मंत्री को जानकारी है कि श्री रामजीलाल वार्ष्णेय, अधिशासी अभियन्ता, सार्व0 नि0 विभाग, एटा ने पूल्ड हाउसेस स्कीम के बी टाइप के अपने मकान में अनधिकृत निर्माण कराकर लगभग 2 लाख रुपये की अनधिकृत रूप से अन्य मकानों में लगाये जाने वाले धन को अपने मकान में खर्च करा लिया है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर उपरोक्त अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायन दत्त--

जांच की जा रही है ।

146--श्री यदुनाथ सिंह--

[6वें मंगलवार के लिये स्थगित]

147--श्री यदुनाथ सिंह--

[6वें मंगलवार के लिये स्थगित]

148--श्री यदुनाथ सिंह--

[6वें मंगलवार के लिये स्थगित]

नवल किशोर रोड स्थित बिक्री कर कार्यालय में लिफ्ट का प्रयोग किये जाने संबंधी पत्र

149--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1248, दिनांक 26-6-84 लखनऊ में नवल किशोर रोड पर स्थित बिक्रीकर कार्यालय में लिफ्ट न प्रयोग करने के बारे में मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

नवल किशोर रोड स्थित बिक्रीकर कार्यालय में लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया जा रहा है । भवन किराये पर लेते समय लिफ्ट के प्रयोग की बात तय नहीं हुई थी । केवल भवन किराये पर लिया गया था । केवल भवन स्वामी ने इसके प्रयोग के लिये 866.67 रु0 प्रतिमाह की मांग की है । प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता को देखते हुए लिफ्ट के प्रयोग का निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

150--श्री यदुनाथ सिंह--

[पुनरावृति के आधार पर निरस्त]

151--श्री यदुनाथ सिंह--

[6वें मंगलवार के लिये स्थगित]

उपायुक्त (शा0), बिक्री-कर, इलाहाबाद के कार्यालय में बेकार पड़े ट्रक के बारे में पत्र पर कृत कार्यवाही

152--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या 1459, दिनांक 8-1-85 उपायुक्त (शा0), बिक्रीकर, इलाहाबाद के कार्यालय में बेकार पड़े ट्रक के बारे में मुख्य मंत्री को दिनांक 9-1-85 को मिला है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां । सूचना एकत्रित की जा रही है ।

153--यदुनाथ सिंह--

[पुर्नविचार पर निरस्त]

राजकीय निर्माण निगम में लेखा सहायकों को वित्तीय लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में श्री ऊदल, तत्कालीन विधायक के पत्र पर निर्णय

154-155—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय निर्माण निगम में लेखाकार के रूप में कार्य करने वाले लेखा सहायकों को वित्तीय लाभ दिए जाने के सम्बन्ध में श्री ऊदल, तत्कालीन विधायक एवं सभापति, लोक लेखा समिति का दिनांक 2-1-85 का कोई पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं को उठाया गया है ? इस पर शासन एवं निगम की बिन्दुवार समीक्षा क्या है ?

क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में यह भी बतायेगी कि निर्माण निगम के वर्किंग मैनुअल के पैरा 914 एवं 939 तथा 1033 में उल्लिखित स्थापनापन्न कार्य एवं वेतन सम्बन्धी प्राविधान को किस आधार पर पैरा 248-बी के द्वारा केवल लेखा सहायकों के मामलों में कार्यान्वित होने से रोका गया है ? क्या इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच शासन किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर शीघ्र ही इसमें यथोचित परिवर्तन एवं सुधार हेतु कोई कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां। पत्र में उठाये गये बिन्दु एवं उन पर राजकीय निर्माण निगम की समीक्षा परिशिष्ट "क" में संलग्न है। यह सम्पूर्ण प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन है तथा इसमें यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 188 पर)

चुंगी की नई व पुरानी इमारत का क्षेत्रफल, भवनों की जांच तथा श्री फरीद उद्दीन खां द्वारा क्रय की गई भूमि पर कब्जा

156—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 25, 26 एवं 27 के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि किस तिथि को एवं किस अधिकारी के द्वारा दोनों भवनों का कारपेट एरिया की नाप की गयी थी ? उक्त अधिकारी की रिपोर्ट क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त नए तथा पुराने भवनों की स्थिति में अन्तर है क्योंकि पुराने भवन की स्थिति मुख्य बाजार में स्थित होने के कारण नए भवन की स्थिति से अधिक है ? क्या सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उक्त मूल्य निर्धारण के अवसर पर इस तथ्य को दृष्टि में रखा गया था ?

श्री नारायन दत्त—

नगरपालिका के ड्राफ्टसमैन द्वारा दिनांक 2 दिसम्बर, 1983 को दोनों भवनों के कार्पेट एरिया की नाप की गयी थी जिसकी आख्या के अनुसार पुरानी चुंगी इमारत का क्षेत्रफल 1554 वर्ग फीट तथा नई चुंगी की इमारत का क्षेत्र 1848.60 वर्ग फीट है, जिससे स्पष्ट है कि दोनों भवनों के क्षेत्रफल में अन्तर है। तत्कालीन नगरपालिका बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 25, दिनांक 5 जनवरी, 1976 द्वारा पुराने चुंगी भवन को श्री फरीदउद्दीन को देने तथा उसके बदले श्री फरीदउद्दीन द्वारा पालिका की अन्य भूमि पर पालिका द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुरूप नया चुंगी भवन बनवाकर पालिका के स्वामित्व में सौंपने के लिए बोर्ड ने उक्त प्रस्ताव पारित करते समय भवन की स्थिति के बारे में उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखा होगा।

157—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या मंत्री जी यह भी कृपया बतायेंगे कि पुराने भवन का स्थानान्तरण करते समय मूल्यांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया ? यदि हां, तो यह किस प्रकार सुनिश्चित किया गया कि पुराना भवन जीर्ण-शीर्ण हो गया है ? क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस तथ्य की पुष्टि कराई गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पुराने भवन का मूल्यांकन नहीं कराया गया । इस सम्बन्ध में तत्कालीन परगनाधिकारी/प्रभारी अधिकारी के आदेश दिनांक 7 जुलाई, 1977 के अन्तर्गत नगरपालिका के तत्कालीन अवर अभियंता द्वारा दोनों भवनों की जांच की गयी जिसकी आख्या दिनांक 14 जुलाई, 1977 के अनुसार पुराना भवन खस्ता हालत में था । अवर अभियंता की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन परगनाधिकारी/प्रभारी अधिकारी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से इसकी पुष्टि कराने की आवश्यकता नहीं समझी होगी ।

158—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नए भवन का मूल्यांकन किसके द्वारा किस तिथि को कराया गया तथा उसका क्या मूल्य आंका गया ? 35 बीघे 5 बिस्वे जमीन खसरा नं0 दो, ग्राम घुघली शहरी क्षेत्र के अन्दर जो श्री फरीदउद्दीन खां द्वारा नीलाम के माध्यम से क्रय बताई गयी है, की हदबन्दी हुई है, यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा किस तिथि को यह सुनिश्चित किया गया कि श्री फरीदउद्दीन खां द्वारा क्रय की गयी भूमि से कम भूमि पर कब्जा है ? उक्त अधिकारी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री नारायन दत्त—

नये भवन का मूल्यांकन 30,000 रु0 पालिका के तत्कालीन अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 1977 को किया गया । यद्यपि नगर पालिका द्वारा प्रसंगत भूमि की हदबन्दी नहीं हुई तथापि उक्त भूमि की पैमाइश तत्कालीन प्रभारी अधिकारी के आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 1982 के अन्तर्गत तहसील विभाग द्वारा करायी गयी जिसके अनुसार श्री फरीदउद्दीन का कब्जा 35 बीघा 5 बिस्वे के बजाए 23 बीघा 2·5 बिस्वा (3·60 एकड़) पर ही है । रिपोर्ट संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 189 पर)

वृतीय कार्यालयों में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों की चरित्र पंजिकाओं के अभाव में प्रोन्नति न दिया जाना

159—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वृतीय कार्यालयों में कार्यरत कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ पदों पर जो पदोन्नतियां मार्च, 85 में जारी की गयी हैं उसके लिए पात्र सभी कनिष्ठ लिपिकों में से ऐसे कनिष्ठ लिपिक कौन-कौन थे, जिनको प्रोन्नतियों पर इसलिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि उनकी चरित्र पंजिकाएं कमेटी के सामने उपलब्ध नहीं थीं ? पंजिकाएं उपलब्ध न करा पाने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री नारायन दत्त—

वृत्तीय कार्यालयों में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ लिपिकों को चरित्र पंजिकाओं के अभाव में मार्च, 85 में प्रोन्नत नहीं किया जा सका ।

1—श्री सन्तोष कुमार भट्टाचार्य ।

2—श्रीमती साजिदा जी ।

3—श्री राम गोपाल शर्मा ।

4—श्री शैलिग कुमार अस्थाना ।

5—श्री राम स्वरूप ।

6—श्री उदय राज ।

चरित्र पंजिकाएं उपलब्ध न करा पान के लिए निम्नलिखित अधिकारी जिम्मेदार हैं :

1—अधीक्षण अभियन्ता, 31वां वृत्त, सा0 नि0 वि0, लखनऊ ।

2—अधीक्षण अभियन्ता, 2सरा वृत्त, सा0 नि0 वि0, आगरा ।

3—अधीक्षण अभियन्ता, 58वां वृत्त, सा0 नि0 वि0, बाराबंकी ।

सामान्य प्रशासन विभाग की विभिन्न मदों में आवंटित धनराशि का विवरण

160—श्री कल्यान सिंह तथा श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1984-85 में सामान्य प्रशासन विभाग की किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा वर्ष के अन्त में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि व्यपगत हो गयी ? व्यपगत होने के कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायन दत्त—

वित्तीय वर्ष 1984-85 में सामान्य प्रशासन विभाग की विभिन्न मदों में आवंटित धनराशि का विवरण संलग्नक के कालम-1 में अंकित है । व्यपगत धनराशि तथा व्यपगत होने के कारण सम्बन्धित मदों के समक्ष संलग्नक के क्रमशः कालम 2 तथा 3 में अंकित हैं ।

व्यपगत धनराशि वर्ष के अन्त में वित्त विभाग को पुनर्ग्रहण हेतु समर्पित कर दी गयी थी ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 190 पर)

श्री गिरधारी लाल बर्थवाल व उनके परिवार के लोगों द्वारा पार्क रोड सिविल लाइन, गोरखपुर की नजूल भूमि पर कथित कब्जा

161—श्री काजी कलीमुर रहमान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री गिरधारी लाल बर्थवाल व उनके परिवार के लोगों द्वारा पार्क रोड, सिविल लाइन, गोरखपुर के नजूल भूमि पर अवैध कब्जा व प्राधिकृत अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए बिना निर्माण करने के सम्बन्ध में श्री केदार नाथ सिंह, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा ने शिकायती-पत्र, दिनांक 6-10-82 जिलाधिकारी, गोरखपुर को दिनांक 11-10-82 को दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायन दत्त—

जी नहीं ।

जिलाधिकारी, गोरखपुर के यहां ऐसा पत्र प्राप्त नहीं हुआ । अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गजेन्द्र सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक के वेतन एवं जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान

162—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री गजेन्द्र सिंह, पुलिस उप निरीक्षक, जो यू0 पी0 एस0 ई0 बी0, बिजनौर में नियुक्त थे, को 24-9-83 को निलम्बित कर दिया गया था तथा उसके बाद उनको 1-10-84 को पुलिस अधीक्षक, एस0 ई0 बी0, लखनऊ ने बहाल कर दिया था ? यदि हां, तो

श्री गजेन्द्र सिंह पुलिस उपनिरीक्षक का आज तक जीवन निर्वाह भत्ता तथा वेतन न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या इसी दौरान श्री गजेन्द्र सिंह का स्थानान्तरण गाजियाबाद कर दिया गया? यदि हां, तो आज तक उक्त उप निरीक्षक पुलिस को एल0 पी0 सी0 पुलिस अधीक्षक एस0 बी0 ई0 ने गाजियाबाद नहीं भेजी है जिसके कारण उनको वहां भी वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

श्री गजेन्द्र सिंह पुलिस उप निरीक्षक के वेतन एवं जीवन निर्वाह भत्ते के भुगतान हेतु सचिव उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ के द्वारा रु0 15,993.63 मात्र की धनराशि आहरित कर चेक सं0 जी/ए0 2529798, दिनांक 23-7-85 को भुगतानार्थ भेजा गया है एवं अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद को भेज दिया गया है । श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा आजीविका सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण-पत्र पहिले प्रेषित न करने के फलस्वरूप उन्हें भुगतान नहीं किया जा सका था ।

प्रदेश में चल-चित्र निगम द्वारा सिनेमा घर का निर्माण

163--श्री राजेन्द्र गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य चलचित्र निगम द्वारा अब तक प्रदेश में कुल कितने सिनेमा घर बनकर तैयार हो चुके हैं ? कितने निर्माणाधीन हैं ? जो बनकर तैयार हैं उनमें से कितने चल रहे हैं ? क्या कुछ सिनेमा घरों को निगम द्वारा स्वयं न चलाकर निजी व्यक्तियों को ठेके पर दे दिया है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा कहां-कहां स्थित हैं ? तथा ठेके पर देने का क्या कारण है ? कितने सिनेमा घर घाटे पर चल रहे हैं तथा कितने लाभ अर्जित कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह--

अब तक प्रदेश में उत्तर प्रदेश चल-चित्र निगम द्वारा कुल 40 सिनेमा घर बनकर तैयार हुए हैं तथा 10 सिनेमा-घर निर्माणाधीन हैं ।

38 सिनेमाघर चल रहे हैं ।

जी हां ।

दो (सी0 बी0 गंज) बरेली तथा सिधौली (सीतापुर) निगम द्वारा इन सिनेमाघरों को चलाने से जो हानि हो रही थी उसको कम करने के उद्देश्य से इन सिनेमा-घरों को पट्टे पर दिया गया है ।

निगम द्वारा निर्मित कोई छविगृह लाभ पर नहीं चल रहा है ।

राजकीय पालीटेक्निक, बदायूं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मृत्यु से रिक्त पद पर नियुक्ति

164--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक, बदायूं में दिनांक 5-3-85 को एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मृत्यु से पद रिक्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार सेवायोजन कार्यालय से एवं भूमि अधिगृहीत स्वामियों के आश्रित को समान एवं उच्च योग्यता रखते हुए उनमें से किसी को न लेकर श्री राम सिंह को किस आधार पर प्रधानाचार्य द्वारा नियुक्त किया गया ? क्या सरकार पूर्ण जांच कराकर प्रधाना-चार्य के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जी हां ।

चतुर्थ श्रेणी के मृतक कर्मचारी की कोई आश्रित न होने से इस पद पर नियमित नियुक्ति किया जाना अपेक्षित हो गया । किन्तु शासन द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां किये जाने हेतु जनपद स्तर पर चयन समिति बनाये जाने के कारण राजकीय पालिटेकनिक, बदायूं के प्रधानाचार्य को उस पद पर नियमित नियुक्ति हेतु चयन करने का अधिकार नहीं था । अतएव संस्था के कार्य के हित में प्रधानाचार्य द्वारा श्री रामसिंह, जिनका नाम स्थानीय सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है और जो पूर्व में उसी संस्था में दैनिक वेतन पर अंशकालीन कर्मचारी के रूप में कार्य कर चुके थे, को नितान्त काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में एक-एक माह के लिए नियुक्त किया गया है ।

कथित परिस्थितियों में प्रधानाचार्य के विरुद्ध जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

165—श्री सुखपाल पांडेय—

[दिनांक 30-7-1985 को अता0 प्र0 सं0 149 द्वारा उत्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के विकास खंडों में छात्रावास युक्त विद्यालय

166—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में कौन-कौन से विकास खंड ऐसे हैं जिनमें छात्रावासों युक्त बालिका हाई स्कूल हैं ? शेष किन-किन विकास खंडों में छात्रावास युक्त ऐसे विद्यालय कब तक बना दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अल्मोड़ा में नेगचूला खाल ग्राम चिनतोली में भेड़ तथा ऊन प्रसार केन्द्र की स्थापना

167—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 13 जून, 1984 को जनपद अल्मोड़ा में नेगचूला खाल ग्राम चिनतोला में भेड़ फार्म कितना धनराशि व नर भेड़ों से खोला गया ? इस संदर्भ में क्या यह सच है कि ग्राम चिनतोला में मात्र केवल 3 भेड़ें हैं जब कि आस-पास के गांवों में (बारंगल, कल्याल्यूगड़ा, मुनानी) में कुल भेड़ संख्या 211 है और सम्बन्धित अधिकारियों ने इनकी संख्या कहीं ज्यादा लिखाई है । इस फार्म के खुलने से अब तक कितनी नर भेड़ें इस कारण मर गयी हैं ? सरकार ने इस भेड़ प्रजनन केन्द्र को उन्नतशील बनाने हेतु क्रमशः क्या-क्या कदम उठाए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त—

जनपद अल्मोड़ा के नेगचूला खाल ग्राम चिन्तोली में किसी भी भेड़ फार्म की स्थापना नहीं, की गई बल्कि अगस्त, 1984 में यहां भेड़ तथा उन प्रसार केन्द्र की स्थापना की गई थी । जिस पर वर्ष 1984-85 में 30,172.25 रु0 तथा वर्ष 1985-86 में 6,773.60 रु0 का व्यय हुआ है । इस केन्द्र पर 50 मेढ़ें भेड़ फार्म कर्मी से स्थानान्तरित करके रखे गए हैं ।

जी नहीं । इस केन्द्र पर 33 मेढ़ें हैं ।

वर्ष 1977-78 की पशु गणना के अनुसार सल्ट व स्यालदे विकास खंड में भेड़ों की संख्या 9401 है । अब तक कुल 17 मेढ़ों की मृत्यु निमोनिया से हुई है ।

केन्द्र को उन्नतिशील बनाने हेतु स्थानीय भेड़ों की ड्रेन्चिग, ड्रिपिंग तथा

चिकित्सा आदि की सुविधा उपलब्ध किए जाने हेतु उक्त केन्द्र में आवश्यक दवाओं की व्यवस्था रखी गई है ।

जनपद पिथौरागढ़ के औषधालयों/पशुधन केन्द्रों में उपलब्ध जानवरों का मानक

168--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के किन-किन औषधालयों/पशुधन केन्द्रों में भैंसा, सांड़, भेंड़ व बकरी उपलब्ध कराये गये हैं ? इन भैंसा, सांड़, भेंड़, बकरों को एक ही केन्द्र में कितने समय पर किस मानक के अनुसार रखा जाता है ? कब इन्हें वंश वृद्धि के अनुपयुक्त घोषित किया जाता है ? पहाड़ों की जटिल परिस्थितियों में किसानों के जानवरों को गर्भाधान सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने कौन-कौन से परीक्षण उपरोक्त जानवरों में समय-समय पर करने का प्राविधान किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

संलग्न सूची में दिए गए विवरण-अनुसार :--

1--सांड परिचरों वाले 40 केन्द्रों पर 36 गाय सांड तथा 37 भैंसा सांड उपलब्ध हैं ।

2--मानदेय प्रणाली के अन्तर्गत 22 नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों पर 16 गाय सांड तथा 17 भैंसा सांड उपलब्ध हैं ।

3--16 भेंड़ एवं ऊन केन्द्र/मेढ़ा केन्द्रों पर 490 मेढ़ा व्यवस्थित हैं।

4--जनपद में अव्यवस्थित विभागीय केन्द्रों पर बकरा सांड नहीं हैं ।

गाय व भैंसा सांड सामान्यतया 5 व 6 वर्षों तक तथा मेढ़ा 3 वर्ष तक एक ही केन्द्र पर रखे जाने के उपरान्त बदले जाते हैं ।

अनुपयुक्त निम्न परिस्थितियों में घोषित किया जाता है :--

1--वृद्धावस्था की दशा में गाय व भैंसा सांड़ 12 वर्ष तक तथा मेढ़े 6 वर्ष से अधिक आयु-प्राप्त करने पर जब वे प्रजनन के अयोग्य हो जाते हैं ।

2--सांड़ में (Sex Labido) का अभाव ।

3--सांड़ द्वारा यथोचित कवरिंग का न किया जाना ।

4--सांड़ों के आकस्मिक रोगों ब्रुसेलोसिस, टी0 बी0 आदि रोगों के ग्रसित होने की दशा में।

सड़क से सम्बद्ध केन्द्रों पर अति-हिमीकृत वीर्य प्रणाली तथा अन्य केन्द्रों पर तरल वीर्य प्रणाली से गर्भादान कार्यान्वित की गई है । गर्भित पशुओं का अनुश्रवण क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा किया जाने की व्यवस्था है । सम्बन्धित सांड़ों के वीर्य परीक्षण कर समय-समय पर सांड़ों का उपचार किया जाता है । गायों के बांझपन के चिकित्सा की भी व्यवस्था उपलब्ध है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 192 पर ।)

मोहन लाल शाह बालिका विद्या मन्दिर, नैनीताल के इंटर कक्षा हेतु मान्यता दिए जाने के आदेश

169--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को मोहन लाल शाह बालिका विद्या मन्दिर, नैनीताल के इंटर कक्षा हेतु मान्यता के सम्बन्ध में वर्तमान विधायक, श्री जसवन्त सिंह बिष्ट का दिनांक 17 मई, 1084 का पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्रमशः क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

कब तक इस विद्यालय को मान्यता प्राप्त हो जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय को इंटर साहित्यिक (नवीन) की मान्यता के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं ।

उत्तराखंड पर्वतीय जनपदों में वनों के कटान को रोकने हेतु की गयी वैकल्पिक योजनायें

170--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तराखंड (पर्वतीय) जनपदों में विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों लगातार कम हो रहे जंगलों एवं केन्द्रीय वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जंगल पर बोझ कम से कम करने के उद्देश्य से उत्तराखंड में वहां के छोटे बाजारों गावों में वैकल्पि ऊर्जा हेतु प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार के सहयोग से कौन-कौन सी योजना आगे चलाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

उत्तराखंड (पर्वतीय जनपदों) में वनों के कटान को रोकने तथा पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है । वैकल्कि ऊर्जा विकास संस्थान उत्तर प्रदेश के माध्यम से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एकीकृत ग्राम्य ऊर्जा विकास कार्यक्रम, ऊर्जा ग्रामों की स्थापना सौर ऊर्जा के ईधन एवं प्रकाश हेतु उपयोग, पवन ऊर्जा, तथा जल विद्युत उपादन आदि कार्यक्रम शामिल किये गये हैं । वर्ष 1984-85 में इन कार्यक्रम हेतु 1·55 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था । सातवीं पंचवर्षीय योजना में वैकल्पिक ऊर्जा विकास से उपरोक्त कार्यक्रमों के लिए 15 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है जिसमें से वर्ष 1985-86 के लिये 2 करोड़ रुपया परिव्यय रखा गया है ।

राजकीय इन्टर कालेज बाड़ेछीना जनपद अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

171--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज बाड़ेछीना, जनपद अल्मोड़ा के भवन निर्माण हेतु 1982-83, 1983-84 व 1984-85 में कितने लाख रुपये स्वीकृत हुए थे और उनमें से कितने लाख रुपये खर्च किये गये और कितनी धनराशि लैप्स की गयी ? इसका क्या कारण है ?

श्री नरायन दत्त--

राजकीय इन्टर कालेज, बाड़ेछीना, जनपद अल्मोड़ा के भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 में आवंटित तथा व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	आवंटित धनराशि	व्यय
	लाख रु0	लाख रु0
1982-83	1·50	1·50
1983-84	1·50	1·50
1984-85	..	0·24

उपरोक्त वित्तीय वर्षों में कोई धनराशि लैप्स नहीं हुयी ।

राजकीय इन्टर कालेज लोहाली, नैनीताल के भवन का निर्माण

172--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जीर्ण-शीर्ण भवन में

जो राजकीय इन्टर कालेज लोहाली (नैनीताल) संचालित है, वह भवन जब निर्मित किया गया ? क्या यह सही है कि इस भवन को अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खंड नैनीताल ने अपने पत्र संख्या 1606/30 सी0 सी0 दिनांक 27-3-79 द्वारा मरम्मत के अयोग्य घोषित कर इसके स्थान पर नवीन भवन निर्मित करने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो नवीन भवन के निर्माण की क्या प्रगति है तथा भवन कब तक तैयार होगा ?

श्री नारायन दत्त--

प्रश्नगत विद्यालय जो जू0 हा0 स्तर के भवनों में संचालित है, 1918 के आस-पास निर्मित किया गया था। भवन के तीन कमरों को छोड़ कर शेष कमरे जीर्ण अवस्था में हैं।

जी हां।

निर्माण कार्य के आगणन प्राप्त करके वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये निर्माण कार्य करने पर विचार किया जायेगा।

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के विद्यालयों में विज्ञान विषय पढ़ाये जाने पर विचार

173--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के किन-किन विद्यालयों में कक्षा 10 तक अनिवार्य विज्ञान विषय पढ़ाये जाने के कारण विज्ञान कक्षा की पूर्ण स्थापना हो चुका है, शेष विद्यालयों में इनकी स्थापना कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के इन्टर कालेजों में कतिपय विषयों को पढ़ाने की व्यवस्था

174--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के किन-किन इन्टर कालेजों में गृह विज्ञान, वाणिज्य, काष्ठ उद्योग, कृषि कताई, बुनाई, वन विज्ञान, सैनिक विज्ञान भूगर्भ व माइनिंग की शिक्षा दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त विषयों को वहां पढ़ाने की व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के उन इन्टर कालेजों जिनमें काष्ठ शिल्प, वाणिज्य, कताई, बुनाई, गृह विज्ञान, सैन्य विज्ञान व कृषि विषय की शिक्षा दी जाती है उनकी सूची संलग्न है। वन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान एवं माइनिंग विज्ञान विषय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित नहीं है। अतः उक्त विषयों को पढ़ाने की व्यवस्था किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 195 पर।)

राजकीय इन्टर कालेज, देवीधुरी का नाम बाराही लक्ष्मी देवी इन्टर कालेज, देवीधुरा करने की मांग

175--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री को ज्ञात है कि राजकीय इन्टर कालेज, देवीधुरी का नाम राजकीयकरण करने से पूर्व चले आ रहे नाम बाराही लक्ष्मी देवी इन्टर कालेज, देवीधुरा करने की मांग कई बार

प्रशासन से की जा चुकी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

प्राप्त सूचना के अनुसार फरवरी, 1975 में प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल, देवीधुरा को प्रान्तीकृत करके इसे उसी स्थान पर खोले गये राजकीय हाई स्कूल से सम्बद्ध किया गया था जो अब इन्टर स्तर का विद्यालय है । प्रश्नगत विद्यालय के नाम के साथ बारही लक्ष्मी देवी जोड़े जाने की मांग के औचित्य का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

कुमायूं व गढ़वाल मण्डल के राजकीय हाई स्कूल व इन्टर-मीडियेट कालेजों में स्नातक वेतनक्रम में नए पद सृजित करने का विचार

176--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं व गढ़वाल मण्डल मे ऐसे कौन-कौन राजकीय हाई स्कूल, इण्टरमीडियेट कालेज हैं जहां पूर्व स्नातक वेतनक्रम के केवल दो ही पद सृजित हैं ? क्या इन विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार शेष नए पद सृजित करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमासपुर, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के उच्चीकरण का प्रस्ताव

177--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय अमासपुर, पत्रालय बसई, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के उच्चीकरण का प्रस्ताव शिक्षा समिति ने किया था ? यदि हां, तो सरकार उक्त विद्यालय का उच्चीकरण कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

जी नहीं । तथापि जनता की मांग पर विचार करने के उपरान्त इस विद्यालय का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

कुमायूं मण्डल के विकास खण्डों में स्थित राजकीय विद्यालयों में विज्ञान विषय के समावेश पर विचार

178--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मण्डल के कितने ऐसे कितने विकास खण्ड हैं, जहां इण्टर विज्ञान विषय का अभी तक एक भी विद्यालय नहीं है ? क्या शासन ऐसे विकास खण्डों में स्थित राजकीय विद्यालयों मे इण्टर स्तर पर विज्ञान विषय के समावेश पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गढ़वाल मण्डल के मुख्यालय पौड़ी में कार्यालयों हेतु बहुमंजिले भवन का निर्माण

179--डा० शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के मुख्यालय पौड़ी में सरकारी कार्यालयों के लिए एक बहुमंजिले भवन के निर्माण का सुझाव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा सुझाव के क्रियान्वयन हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है

और बहु मंजिले भवन का निर्माण कब तक होने की संभावना है ?

श्री नारायन दत्त--

जी हां, अगस्त, 83 में प्राप्त हुआ है। अधीक्षण अभियन्ता 36वां वृत्त, पौड़ी ने अवगत कराया है कि पौड़ी की भू रचना ऐसी है कि वहां दो मंजिले भवन से ऊंचा भवन बनाने की संस्तुति नहीं की जा सकती है। अतः प्रश्नगत निर्माण कराना उपयुक्त न होगा।

180--श्री राजेन्द्र गुप्त--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

181--श्री राजेन्द्र गुप्त--

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

प्रदेश में सीनियर डिप्टी एस0 पी0 की नियुक्ति हेतु रिक्त पद

182--श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सीनियर डिप्टी एस0 पी0 की नियुक्ति के कितने पद हैं ? क्या यह सत्य है कि उन पदों से अधिक पदों पर सीनियर डिप्टी एस0 पी0 की नियुक्तियां हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां पर और इसका क्या कारण है ?

श्री नारायन दत्त--

प्रदेश में सीनियर डिप्टी एस0 पी0 की नियुक्ति हेतु 135 पद उपलब्ध हैं। इन पदों से अधिक पदों पर सीनियर डिप्टी एस0 पी0 नियुक्त नहीं हैं।

जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में किलमोड़ा की जड़ों का विपणन व विक्रय

183--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़े में किन-किन व्यक्तियों (स्थायी पते सहित) को किलमोड़ा की जड़ें निकालने जनपद में क्रय कर जनपद से बाहर ले जाकर विक्रय करने की अनुमति विगत वित्तीय वर्ष में दी गयी है ? उपरोक्त लोगों द्वारा क्रमशः कितनी मात्रा में जड़ों का विपणन व विक्रय किन-किन संस्थाओं को किस दर से क्रय-विक्रय किया ?

श्री नारायन दत्त--

किलमोड़ा की जड़ों के विदोहन पर प्रतिबन्ध के कारण विगत वित्तीय वर्ष में आरक्षित वनों से किलमोड़ा की जड़ का विदोहन नहीं हुआ है। जनपद अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में आयुक्त, कुमायूं मण्डल के आदेश द्वारा वर्ष 1979 से सिविल एवं पंचायती वन तथा नाप भूमि से किलमोड़ा की जड़ों के विदोहन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है परन्तु जनपद अल्मोड़ा में आयुक्त, कुमायूं मण्डल के उक्त आदेश को न्यायालय द्वारा नाप भूमि के लिए अवैध ठहराये जाने के फलस्वरूप विगत वित्तीय वर्ष में आठ ठेकेदारों को किलमोड़ा की जड़ों को नाप भूमि से निकालने की अनुमति जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा दी गयी, जिनमें से एक ठेकेदार ने काम नहीं किया। अन्य सात ठेकेदारों को को 12481 कुन्तल किलमोड़ा की जड़ें निकालने की अनुमति जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा दी गयी, जिनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

नाप खेतों व निजी भूमि से जड़ी बूटी के संग्रहण तथा उसकी निकासी पर कानूनन कोई प्रतिबन्ध न होने के कारण, ठेकेदारों से कितनी मात्रा में जड़ों का विपणन व विक्रय किया और किन-किन संस्थाओं से किस दर पर क्रय किया तथा विक्रय की दर क्या थी इत्यादि के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 196 पर।)

राजकीय निर्माण निगम में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यरत अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच, तैनाती पर प्रतिबन्ध

184--सूर्य प्रताप शाही तथा श्री झिलमिट राम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय निर्माण निगम में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऐसे कितने अभियन्ता कार्यरत हैं, जिन्हें निगम में गत 31-3-85 को 5 वर्षों से अधिक समय हो गया है तथा उनमें से कितनों के विरुद्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग में कोई जांच लम्बित है या प्रगति में है ? ऐसे कितने अभियन्ता हैं जिनके प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी शासनादेश में उन्हें निगम को किसी परियोजना के निर्माण स्थल पर तैनात करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? इसके बावजूद इनमें किस-किस अभियन्ता को किसी निर्माण स्थल पर तैनात किया गया है तथा क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

92 अभियन्ता ।

तेरह अभियन्ताओं के विरुद्ध ।

केवल एक श्री टी0 एच0 आब्दी, अधिशासी अभियन्ता को लखनऊ जिले में तैनाती पर प्रतिबन्ध लगाया गया था । निगम के कार्य हित में तथा लखनऊ में परियोजना प्रबन्धकों की आवश्यकता को देखते हुए श्री आब्दी की तैनाती लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में की गयी है ।

गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत मोटर मार्गों की तकनीकी जांच

185--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत वर्ष 1981-82, 82-83, 83-84 तथा 84-85 में किन-किन मोटर मार्गों की तकनीकी जांच की गई है और जांच के परिणाम क्या हैं तथा जांच आख्या पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायन दत्त --

सूचना एकत्रित की जा रही है । इसे एकत्रित करने में विलम्ब इसलिए हो रहा है कि गढ़वाल मंडल के जिलों के भिन्न-भिन्न मोटर मार्गों के वर्षों के बारे में वांछित सूचना विभाग अधीक्षण अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ताओं से प्राप्त करके एकत्रित की जानी है । इसलिए इसमें कुछ अधिक समय लगने की संभावना है और मुख्य अभियन्ता (पर्वतीय), सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विलम्ब के इन कारणों को बताते हुए उत्तर भेजने के लिए समय मांगा है ।

श्री संकठा प्रसाद यादव, निवासी पुराना गोरखपुर के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

186--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव, निवासी पुराना गोरखपुर का एक शिकायती-पत्र 8-4-85 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो शिकायत क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायन दत्त --

जी नहीं ।

दिनांक 5-4-85 का प्राप्त हुआ । थानाध्यक्ष, गोरखनाथ द्वारा रंजिश रखते हुए न्यायालय की नोटिस पर प्रार्थी का फर्जी अंगूठा निशान बनवाना, गिरफ्तारी के समय प्रार्थी को अपमानित किया जाना, माननीय विधायक जी का शिकायती-पत्र और पैड प्राप्त होने पर उन्हें गालियां दिया जाना आदि-आदि बातें कही गयी हैं ।

जांच से थानाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप प्रमाणित न हो सके । न्यायालय की नोटिस पर प्रार्थी का फर्जी अंगूठा निशान बनाने के आरोप के सम्बन्ध में थाना गोरखनाथ पर मु0 अं0 स0 207/85 धारा 419/457 भा0 द0 वि0 दिनांक 29-7-85 को पंजीकृत किया गया जो विवेचनाधीन है ।

प्रदेश के तापीय विद्युत् गृहों पर उपयोग किये गये कोयले से उत्पन्न सल्फर डाईआक्सा-इड का वायु-मण्डल में प्रवेश

187--श्री जयदीप सिंह बरार--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1985 दिनांक 20 मार्च, 1985 के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछा गया अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पर्यावरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के तापीय विद्युत् घरों में विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष उपयोग किये गये कोयले की मात्रा के आधार पर प्रत्येक वर्ष कितनी सल्फर ने वायुमण्डल में प्रवेश किया ?

श्री नारायन दत्त--

गत पांच वर्षों में प्रदेश के 10 तापीय विद्युत् गृहों से अब तक की उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग 10,37,000 मेट्रिक टन सल्फर डाई-आक्साइड ने वायु मण्डल में प्रवेश किया जिसमें वर्ष 1980-81, 81-82, 82-83, 83-84, व 84-85 में क्रमशः 1,90,000 1,90,000, 1,97,000, 2,36,000 तथा 2,24,000 मेट्रिक टन सल्फर डाई आक्साइड उत्पन्न हुई । इनमें से एक शक्तिनगर तापीय विद्युत् गृह की आंशिक सूचना ही उपलब्ध हो पाई है । 9 तापीय विद्युत् गृह बन्द होने के कारण उनकी सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

सर्वश्री गजेन्द्र सिंह, संतोष कुमार, ईंट भट्ठा विधूना, इटावा पर बकाया अर्थ दण्ड व बिक्री कर की धनराशि

188--श्री औतान सिंह यादव--

क्या सरकार को जानकारी है कि फर्म गजेन्द्र सिंह, सन्तोष कुमार, ईंट भट्टा विधूना, इटावा पर वर्ष 1969-70 से 1974-75 तक की कितनी टैक्स की धनराशि बकाया है ? यदि हां, तो उसकी वसूली की क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री नारायन दत्त--

सर्वश्री गजेन्द्र सिंह, सन्तोष कुमार, ईंट भट्ठा विधूना, इटावा पर वर्ष 1969-70 से 1974-75 तक के लिए बकाया अर्थदण्ड व बिक्रीकर की धनराशि रु0 63,535.36 हैं । इसके अतिरिक्त बकाया कर पर ब्याज भी देय है । बकाया की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए तथा बाकी दार की अचल सम्पत्ति कुर्क करके नीलामी की कार्यवाही की गई जिसके विरुद्ध मंडलायुक्त, इलाहाबाद के समक्ष दायर आपत्ति विचाराधीन है ।

189--श्री यदुनाथ सिंह--

[अर्ध न्यायिक कृत्य से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

मिर्जापुर (चुनार) में भगोड़े सैनिकों को पकड़ने में मारे गये नागरिकों के परिवार को आर्थिक सहायता

190--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1266 दिनांक 28-6-84 को मिर्जापुर (चुनार)

में भगौड़े सैनिकों को पकड़ने में मारे गये दो नागरिकों की क्षतिपूर्ति के बारे में मिला है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मारे गये नागरिकों को क्षतिपूर्ति शासन की ओर से की गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी ?

श्री नारायन दत्त --

जी हां ।

भगोड़े सैनिकों के साथ रेलवे स्टेशन सक्तेशगढ़ पर दि0 12-6-84 को प्रातः लगभग 4.30 बजे हुई मुठभेड़ में एक नागरिक श्री कन्हैया पुत्र श्री बलिराम कोल मारा गया था । मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मिर्जापुर से प्रस्ताव मांगा गया है ।

लखनऊ तथा वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय में आर्ट (ड्राइंग) का डिप्लोमा तथा शैक्षणिक अवधि

191--श्री हफीज भारती--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में केवल लखनऊ तथा वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा ही आर्ट (ड्राइंग) में डिप्लोमा प्रदान किया जाता है ? उक्त डिप्लोमा का शैक्षणिक अवधि कितने वर्ष की है ? क्या शासन द्वारा उक्त दोनों विश्वविद्यालयों के उपर्युक्त आर्ट (ड्राइंग) डिप्लोमा को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु मान्यता दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायन दत्त--

वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय केन्द्र शासन के नियन्त्रण में है । अतएव इस विश्वविद्यालय के आर्ट (ड्राइंग) डिप्लोमा से बारे में विवरण उपलब्ध नहीं हैं । लखनऊ विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में आर्ट मास्टर ट्रेनिंग का डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, जिसकी अवधि दो वर्ष है । मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर वर्ष 1964 में ही यह आदेश प्रसारित कर दिये गये थे कि भारत में, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त डिग्री अथवा डिप्लोमा को राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती के प्रयोजन हेतु स्वतः मान्यता प्राप्त है । ऐसे मामलों में मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में औपचारिक आदेश प्रसारित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)]

तारांकित प्रश्न सं0 2 (नत्थी-घ) के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री राजेन्द्र गुप्त का नाम पुकारे जाने पर) ।

श्री सत्य पाल सिंह--

मान्यवर, एक अवसर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त, आप बैठिये, नियमानुसार कार्यवाही चलने दें ।

श्री सत्य पाल सिंह--

आपने मेरे नाम की जगह सुखपाल पान्डे का नाम पुकार लिया ।

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये ।

श्री सत्य पाल सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप अपने शब्द वापस लीजिये कि मैंने गलती की है । आप ही यहां बैठ कर काम कीजिये ।

नोटः--[× × ×]यह अंश श्री अध्यक्ष आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सत्य पाल सिंह--

वापस लेने का प्रश्न ही नहीं है, ये नाम मेरा था आपने पान्डे जी का नाम लिया ।

श्री अध्यक्ष--

बैठिये आप ।

श्री सत्य पाल सिंह--

[× × ×]

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अप मान्यवर, तारांकित प्रश्न दो देखें । यह प्रश्न शिवानन्द नौटियाल जी का था, पर्वतीय क्षेत्र की जो बुरी हालत है, उससे मुख्य मन्त्री जी भी परिचित हैं । इस सवाल को देखें, जो सवाल पूछा है, इसको सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी को उत्तर देना चाहिए था तब कहीं सही उत्तर आता--क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल एवं कुमायूं मन्डलों में वन अधिनियम कानून लागू होने के कारण प्रायः सभी निर्माणाधीन मोटर मार्गों का बनना समाप्त हो गया है ? सवाल यह था कि जो अधिनियम है, इसके लागू होने के कारण निर्माणाधीन मोटर मार्गों का बनना समाप्त हो गया है, तो इसका उत्तर पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर की ओर से आना चाहिए था, तभी इसका सही उत्तर आ पाता । लेकिन इसका उत्तर सही नहीं आया और वन मन्त्री जी ने इसका उत्तर दे दिया । मान्यवर, यह अधिनियम पूरे प्रदेश में लागू है, मेरा जनपद है, हालांकि वहां वन क्षेत्र का कुछ चप्पा है लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां का तो चप्पा-चप्पा वन है इसलिए इसका उत्तर पी0 डब्लू0 डी0 मिनिस्टर को देना चाहिए था और खड़े हो गये वन मन्त्री जी । इसलिए निवेदन करूंगा कि, मुख्य मन्त्री जी भी बैठे हैं, सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र की पीड़ा है, इसलिए इसको स्थगित कर दें और सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री द्वारा इसका उत्तर दिलाने की कृपा करें ।

(श्री सुखपाल पान्डे के खड़े होने पर) ।

श्री अध्यक्ष--

आप का इसी के सम्बन्ध में है ।

श्री सुखपाल पान्डे--

हमारा अलग है ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)--

मान्यवर, सम्मानित सदस्य, सीतापुर, ने जो प्रश्न उठाया है, इसका उत्तर सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को देना चाहिए था । जिन मन्त्री को सम्बोधित करके प्रश्न भेजे जाते हैं आम तौर पर वही उसका उत्तर देते हैं । वन संरक्षण अधिनियम का जो प्रशासनिक दायित्व है वह वन विभाग है न कि सा0 नि0 विभाग का । इसलिए चूंकि वन संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित था इसलिए आपके कार्यालय से श्रीमन्, इसे वन मन्त्री को भेजा गया और इसका उत्तर वन मन्त्री ने दिया । मैं समझता हूं कि यह वन संरक्षण अधिनियम का प्रश्न है, इसका उत्तर दिया जा चुका है । जहां इसकी आवश्यकता की बात है, देश और प्रदेश के हित में, पर्वतीय अंचल के हित में,

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां यह भी आशा है कि इस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्रातिशीघ्र लिया जाय। इसके बारे में मैं स्वयं चेष्टा कर रहा हूं और इस सम्बन्ध में मैंने वन विभाग के लोगों से परामर्श भी किया है कि इस काम में शीघ्रता हो।

श्री अध्यक्ष--

इसका स्पष्टीकरण तो हो गया गुप्ता जी ?

श्री राजेन्द्र गुप्त--

जी हां, मान्यवर, समाधान हो गया।

सरयू नहर परियोजना के अन्तर्गत चिताही तथा बिजवार माइनरों को समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मुझे नियम 301 के अन्तर्गत ...।

सुखपाल पान्डे--

मान्यवर, मेरे अधिकारों की आप रक्षा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जायं। मुझे नियम 301 के अन्तर्गत ...।

(श्री सुखपाल पान्डे के खड़े होने पर)।

आप कृपा करके बैठ जायं।

(व्यवधान)

मैंने आपसे कहा न कि आप बैठ जायं। मुझे नियम 301 के अन्तर्गत 29 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें से मैंने 8 को स्वीकार किया है जो कि श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री माता प्रसाद पान्डय, श्री हरिश चन्द्र हरीश जी, श्री गौरी शंकर भइया, श्री विजय सिंह राणा, श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री यदुनाथ सिंह तथा श्रीमती कमला साहनी की सूचनाएं हैं।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

माननीय अध्यक्ष, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में राप्ती नदी से मिले हुए उत्तरी किनारे पर सरजू नहर परियोजना की दो माइनरें चिताही एवं बिजवार निकालने का प्राविधान है। जब कि इस क्षेत्र में जिन गांवों से होकर यह नहरें जायेंगी, बाढ़ से डूबा हुआ इलाका है और करीब-करीब सभी काश्तकारों के पास अपनी सिंचाई की सुविधा है और यह जनवरी के शुरू तक पानी से डूबा रहता है। मुझसे इन माइनरों में पड़ने वाले गांव मलहवार, चिताही, देवरिया, डीडडीहा, मधुकरपुर, डीडीडीहा चौबे, बढ़ाया, भीटानानकर, रमवापुर, राउर सेमरा, वनकसिया, महुआखुर्द, से खुई गोबदन, अन्धुवा, सुरपहवा, बिजवार, भरवटिया के सभी काश्तकारों ने यह बताया है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में खुद भी देखा है। इन दोनों माइनरों के बनाने से कोई फायदा नहीं होगा और करोड़ों रुपये का सरकारी नुकसान हो जायेगा।

अतः उस क्षेत्र की जनता की तरफ से मांग करता हूं कि तत्काल इसकी जांच सम्पूर्ण गांव में किसी अधिकारी को भेज कर करा लिया जाय। ताकि आम जनता की समस्या का निदान हो सके और इस माइनर पर जो खर्चा होने वाला है, वह बच जाय। जांच के समय मुझसे भी सम्पर्क स्थापित किया जाय जिससे कि मैं वस्तु स्थिति से अवगत करा सकूं।

नेपाल तथा प्रदेश की उत्तरी सीमा पर विदेशी गतिविधियों की सक्रियता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से मुख्यत: नेपाल के सरहद पर आजकल विदेशी गतिविधियां काफी सक्रिय हो गयी हैं जिससे हमारी सीमा को तथा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हो गया है। क्योंकि नेपाल में आज कल राजशाही के विरुद्ध आन्दोलन उठ रहे हैं। इसके फलस्वरूप नेपाल से कुछ राजनैतिक कार्यकर्ता हमारी सीमा के अन्तर्गत आकर अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ले रहे हैं। इस सूचना पर नेपाल की पुलिस जिसका कि कोई अधिकार हमारे क्षेत्र में घुसने का नहीं है, वह आकर ऐसे लोगों को जो नेपाल की राजनीति में हिस्सा लेते हैं तथा जो नेपाल के जनतन्त्रीय आन्दोलनों में सहयोग करते हैं चाहे वे भारत के नागरिक क्यों न हों, उन्हें जबरन पकड़ ले जाने की साजिश नेपाल की पुलिस करती है। इस प्रकार की घटनायें अभी बिहार प्रान्त में हुई हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती, गोरखपुर, गोन्डा और बहराइच जनपदों के अन्तर्गत भी इस प्रकार घटनाओं की सम्भावना बढ़ गयी है। सीमा पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस बल की चौकियां हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है। इससे हमारे जनपद के व अन्य सरहद के निवासियों में भय व्याप्त हो गया है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बस्ती, गोरखपुर, गोंडा और बहराइच के सरहद पर पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाय और केन्द्र सरकार के लिये भी वहां की सरकार को आगाह कर दिया जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के जनपद देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा तथा बहराइच में मलेरिया के प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

मैं एक लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सरयू नदी के उत्तर से लेकर नेपाल की सीमा से लगे बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिले के गांवों में मलेरिया ज्वर का भयंकर प्रकोप है। अनेक ऐसे गांव हैं जहां रोगियों की संख्या दर्जनों और सैकड़ों में है। बस्ती जिला स्थित खेसरहा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इस रोग से पीड़ित 70 लोगों के आने की सूचना मिली है। देवरिया जिले के ग्राम खेरा बनुआ में इस रोग से लगभग 100 लोग पीड़ित हैं। यह रोग बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, परन्तु खेद है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर इस रोग के परीक्षण के लिए आवश्यक सामानों और दवाओं का घोर अभाव है। इस रोग से पीड़ितों में अधिकांश लोग दुर्बल और गरीब वर्ग के हैं, जिनमें बाजार से मंहगी दवा खरीदने की सामर्थ नहीं है। इस रोग से मरने वालों के भी समाचार आने लगे हैं। बस्ती जिले के अस्पतालों में अन्य प्राणरक्षक दवायें जैसे सांप तथा कुत्ता काटने की दवायें भी अनुपलब्ध हैं।

मैं इस लोक महत्व की सूचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक सामान तथा दवाओं का प्रबन्ध करें तथा सांप एवं कुत्ता काटने की भी दवायें उपलब्ध करायी जायं।

प्रदेश में जीवन रक्षक दवाओं के अभाव से जनमानस में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरीशंकर भइया—

महोदय, सरकार व दवा बनाने वाली कम्पनियों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण एस्प्रिन, विटामिन्स, सल्फर ड्रग्स तथा एन्टीबायटिक ग्रुप की दवाओं का उ0 प्र0 चिकित्सालयों एवं दवाखानों पर अभाव उत्पन्न हो गया है। य दवायें जीवन रक्षक दवायें हैं। एक तरफ काला बाजार में इनके मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हुई है तथा दूसरी तरफ इन दवाओं की वैकल्पिक दवा उपलब्ध न होने से प्रदेश के हजारों रोगियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस घटना से प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति दुख, भय एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गयी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

आगरा में तालपुर मार्ग की दयनीय स्थिति एवं उनके सुधार की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आगरा जनपद में तालपुर मार्ग से गामरी जारुवाकटरा तक बना जिला परिषद् का मार्ग विगत पांच वर्ष से पूर्णतः ध्वस्त पड़ा है। रास्ते के ठीक न होने के कारण वहां चलने वाली सिटी बसें भी विगत तीन वर्षों से बन्द कर दी गई हैं। अतः सम्पूर्ण क्षेत्र की जनता बहुत दुखी और संत्रस्त है। वर्षा के कारण इस गांव का रास्ता पूर्णतः अवरुद्ध हो गया है। जनता आगरा शहर को जाने के लिए तरसती है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन को बराबर लिखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन को भी मैं बराबर लिखता रहा हूं। भूतपूर्व ग्राम विकास मन्त्री श्री बलराम सिंह यादव ने सड़क निर्माण के आदेश किये थे किन्तु अभी तक सड़क निर्माण की कोई व्यवस्था सम्भव नहीं हो सकी है। अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् ने उत्तर प्रदेश शासन से सड़क निर्माण के लिए पांच लाख रुपये के विशेष अनुदान की मांग की थी। विगत 18-5-85 को मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया था और इन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया था किन्तु आश्वासन मात्र आश्वासन ही रहा।

अतः मैं सदन और शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित कर शासन से अविलम्ब सड़क निर्माण के लिए विशेष अनुदान दिये जाने की मांग करता हूं।

प्रदेश के हजारों मान्टेसरी टाइप कोचिंग स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के शोषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि प्रदेश के मात्र शहरों में नहीं वरन् अब कस्बों में भी हजारों की संख्या में मान्टेसरी टाइप कोचिंग खुल गये हैं। इनमें बच्चों से 50 रु0 प्रतिमाह तक फीस ली जाती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, परन्तु अध्यापक अध्यापिकाओं को मात्र 100 रु0 से 125 रु0 मासिक वेतन से अधिक नहीं मिलता। श्रम विभाग-3 की अधिसूचना संख्या 4190-36-3-21 (एम0 डब्लू0) 83, 1 दिसम्बर, 1984 द्वारा प्रदेश में प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, नर्सरी स्कूलों में नियोजित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें लागू हो गई हैं जिसके अनुसार चपरासी, प्रधानाध्यापक तक के वेतन तथा मंहगाई भत्ते की दरें नियमित कर दी गई हैं, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 299 रु0 तथा प्रधानाचार्य को 515 रु0 इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता आदि मिलना चाहिये। परन्तु श्रम विभाग की मिली भगत से इस अधिसूचना का पालन नहीं कराया जा रहा है और स्नातम, स्नातकोत्तर लड़के और लड़कियां शोषण के शिकार हो रहे हैं।

भूखे पेट कर्मचारियों की मजबूरी का लाभ उठाकर प्रबन्धक स्कूल चलाते हैं और बच्चों से फीस लेकर अपनी निजी सम्पत्ति अर्जित कर रहे हैं।

अधिसूचना का कड़ाई से पालन न कराने से श्रम विभाग की भर्त्सना करता हुआ कड़ाई से पालन कराने हेतु सेवायोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं।

काशी-हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में असामाजिक तत्वों का बोलवाला होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना अतिआवश्यक है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में असामाजिक तत्वों का बोलबाला है, जो वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में पल रहे हैं। विश्वविद्यालय परिसर में गत दिनों दि0 26-7-85 की हुई हत्या, बलात्कार के लिए विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहे गैर राजनीतिक लोग और विश्वविद्यालय के अधिकारी जिम्मेदार हैं। विश्वविद्यालय में चेतना विहीन, गैर राजनीतिक लोग जो आज पैसों के बल पर और गुण्डों के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, उनके कारण ही आज ऐसी स्थिति है।

विश्वविद्यालय में कथित नेताओं और अधिकारियों के मिली भगत से शास्त्रास्त्रों की, मादक पदार्थों की आपूर्ति, तस्करी, हत्या व बलात्कार जैसे दुष्कृत्य हो रहे हैं। पिछले दिनों भभूवां बिहार से आयी एक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया, जब वह अपने पिता के साथ लौट रही थी तो उसके पिता ने मालवीय जी की मूर्ति पर थूकते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय थूकने लायक ही है। शासन के लिए इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है।

अतः मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन और शासन से मांग करता हूं विश्वविद्यालयों में व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, तस्करी और शिक्षा के गिरते स्तर को बचाने के लिए तत्काल उपयुक्त कार्यवाही की जाय।

शिवपति इन्टर कालेज, शोहरतगढ़ बस्ती के 1984-85 के परीक्षाफल की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती कमला साहनी--

महोदय, आपकी अनुमति से सदन और सरकार के संज्ञान में कहना चाहती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि बस्ती जनपद के शिव पति इन्टर कालेज शोहतगढ़ के वर्ष 1984-85 के माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित इन्टरमीडिएट की परीक्षा में लगभग 60 छात्रों को वहां के प्रधानाचार्य ने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति न हो पाने के कारण बैठने से रोक दिया। जब इसकी शिकायत अभिभावकों ने तत्काल उपलब्ध परगनाधिकारी, नौगढ़ से की तो उनके आग्रह पर प्रधानाचार्य ने छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने के निर्देश परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक बुद्ध विद्या पीठ इंटर कालेज वर्डपुर, बस्ती को लिखित रूप से दिया और यह भी बतलाया कि 21 मार्च, 1985 तक सभी प्रवेश पत्र केन्द्र पर भेज दिये जायेंगे। जिसके आधार पर छात्रों की परीक्षा ली गयी। परन्तु छात्रों के अनुसार अवैध धन प्राप्त न होने पर प्रधानाचार्य ने शिक्षा परिषद को पत्र लिखकर छात्रों का परीक्षाफल घोषित करने से रोक दिया है। जिससे छात्रों का परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया। इस घटना से क्षेत्र में रोष व्याप्त है। कभी भी विस्फोटक स्थिति हो सकती है।

अतः मैं शासन से मांग करती हूं कि उक्त छात्रों का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

अध्यापक सदस्यों के निर्धारित अवकाश से सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं जिसमें से 6 सूचनाएं मैंने अस्वीकार की हैं, श्री देव कुमार यादव की, सत्यपाल सिंह यादव, शफीकुर्रहमान बर्क, अनुग्रह नारायण सिंह, राम आसरे वर्मा और राजेन्द्र गुप्त जी की। सातवीं सूचना है उसमें मैं शतरुद्र प्रकाश जी को सुनना चाहता हूं।

(श्री सुखपाल पाण्डे के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, श्री शतरुद्र प्रकाश।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा संसदीय विशेषाधिकार तथा संसदीय शिष्टाचार द्वितीय संस्करण 1980 शायद वह बाद में भी उसका संस्करण आया है, लेकिन उसके पृष्ठ संख्या 9 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है—"सामान्य सिद्धांत यह है कि विधान मण्डल और उनके सदस्यों को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं वे केवल उनके विधान मण्डल के कृत्यों से सम्बन्धित हैं और उनके लिए एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जिससे वे विधान मण्डल में स्वतंत्र तथा निर्भीक रूप से जनहित के प्रश्नों पर अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। ये विशेषाधिकार इसलिए आवश्यक हैं कि सदस्यों को विधानमण्डल में उपस्थित होने तथा सदस्य के नाते अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वहां कुछ कहने के सम्बन्ध में तंग न किया जा सके। मान्यवर, इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य को स्वतंत्रता पूर्वक, निर्भीक होकर और बगैर डर के सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें, अपनी बात कह सकें, यह उनका अधिकार है। मैं कहना चाहूंगा कि इस समय कुछ ऐसे सदस्य हैं जो अध्यापक हैं और वह जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल और हाई स्कूल से उच्च कक्षाओं में अध्यापन का कार्य करते हैं, उनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में प्राविधान है कि सप्ताह में 30 से 36 पीरियड पढ़ाना बहुत जरूरी है यह नया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सत्र शुरू हुआ है और इस समय जो मेरी जानकारी में है कि किसी भी अध्यापक के लिये 14 दिन की कैजुअल लीव और 3 दिन की अर्न्ड लीव, कुल मिलाकर 17 दिन का अवकाश ले सकता है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन ने एक अधिसूचना दिनांक 23 मार्च, 1984 को जारी की है जिसका नम्बर है 1863/15-7-2 (13)-79, जिसमें कुछ संशोधन किया गया है और जिसमें साफ तौर से लिखा है कि अवकाश अधिकार स्वरूप नहीं मांगा जा सकता है। परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए सम्मोदन प्राधिकारी किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने से इन्कार कर सकता है और पहले स्वीकृत किये गये अवकाश को भी रद्द कर सकता है। इसके अलावा यह टिप्पणी दी हुई है जिसमें लिखा है कि यदि कोई आचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक राज्य विधान मंडल या संसद का सदस्य हो तो उसे विधान मंडल, संसद अथवा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु उसके द्वारा ऐसी बैठक तथा उसमें भाग लेने हेतु जाने के अपने इरादे की सूचना दिये जाने पर उसे संस्था से अवमुक्त कर दिया जायेगा और संस्था से उसकी ऐसी अनुपस्थित की अवधि को उसे ऐसे अवकाश पर समझा जायेगा जैसा उसे देय तथा जिसके लिये वह आवेदन करे। यदि उसे कोई अवकाश देय न हो तो ऐसी अनुपस्थिति की अवधि में बिना वेतन के अवकाश पर समझा जायेगा। तो मान्यवर, यह सत्र 25-30 दिन से ज्यादा चलने वाला है और कुल मिलाकर एक अध्यापक को 17 दिन का अवकाश देय है, तो मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि 27 जुलाई, 1985 को उच्च न्याय लय में एक याचिका भी दायर की गयी है, मैं उस पर अपने विचार नहीं प्रकट करूंगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के बारे में विचार प्रकट करना उचित नहीं है।

मान्यवर, एक विचित्र स्थिति यह है कि माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार हैं कि वह सदन में स्वतंत्रतापूर्वक भाग ले सकते हैं और अधिसूचना के द्वारा माननीय सदस्यों को इसमें बाधा पड़ती है। अगर सरकार इसमें किसी प्रकार का संशोधन करना चाहती है, तो भी नहीं कर सकती है क्योंकि यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक यह सत्र चलेगा, तो अध्यापकों को जो अवकाश मिलता है वह समाप्त हो चुका है और सदन में भाग लेने में असमर्थ हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप महाधिवक्ता की राय ले लें आप उनको इस सदन में भी बुला सकते हैं, ऐसी परम्परा रही है और उनकी राय लेकर आप अपनी व्यवस्था इस पर दें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न इसी पर बल देने के लिये है। मान्यवर, संविधान की धारा 195 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि विधान मण्डल अपने सदस्यों के लिये वेतन और भत्ते का प्राविधान करेगा। मान्यवर, इसके अन्तर्गत जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जो अध्यापक होने के आधार पर यहां आयेगा, तो जितने दिन वह यहां काम करेंगे, उतने दिन तो ठीक है लेकिन जो सीमा की बात आ जाती है तो या तो शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत इसको कर दें जैसे कि 194 (1) हमको आजादी देता है बोलने की। जिस अध्यापक को माननीय सदस्य होने के नाते भय होगा वह यहां आजादी से नहीं बोल सकते हैं उसके दिमाग में यह भय व्याप्त रहेगा कि क्या कहें क्या न कहें। इस विधान सभा में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि वह आजादी पूर्वक अपनी बात कह सकें। इन्टरमीडिएट ऐक्ट को बरकरार रहना चाहिए। दोनों प्राविधान करना चाहिये। या तो शिक्षा नियम के अन्तगत उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां से अनिवार्य रूप से वेतन मिलना चाहिए या तो 195 के अन्तर्गत यह प्राविधान कर देना चाहिये कि जो शिक्षक यहां सदस्य होंगे उनको यहीं से वेतन मिलेगा और जब वे वहां से वेतन नहीं लेंगे तो उनको किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मान्यवर, मैं इस औचित्य पर बल देते हुए शासन से अपेक्षा करूंगा कि इस बारे में कोई आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, यह मामला....

श्री अध्यक्ष--

आपकी तरफ से तो यह सूचना है नहीं। आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री राम सरन--

मान्यवर, यह इनसे संबंधित मामला है। कृपया इनकी बात सुन लें।

*श्री बदन सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय शतरुद्र प्रकाश ने कहा है, मान्यवर, मैं इसके ऊपर बल देना चाहता हूं। जो माननीय सदस्य अध्यापक के रूप में यहां पर चुनकर आते हैं उनको भी यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी न हो। विशेषाधिकार के अन्तर्गत और किसी प्रकार से उनको तंग करने की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए लेकिन रिट पिटीशन के अंतर्गत मुझ 14वें नम्बर पर एक पार्टी बनाया है और मैंने 30 जून, 1985 में ही सेवा निवृत्ति ले लिया है। मैं अध्यापक नहीं हूं लेकिन फिर भी मैं बराबर तंग हूं। मुझ माननीय विधान सभा में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। सदन चल रहा है और मुझे मुकदमे की चिन्ता लगी रहती है। यह औचित्य का प्रश्न है और जैसा कि अभी माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा इसमें महाधिवक्ता से राय लेना चाहिए। मेरा भी यही मत है कि इसमें महाधिवक्ता से राय लेना चाहिए और इस चिन्ता से माननीय सदस्यों को मुक्त करना चाहिये।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, जिन कल्पनाओं के आधार पर संवैधानिक संकट की बात कही गई। मैं पहले उस विषय में स्थिति स्पष्ट कर दूं। मान्यवर, किसी प्रकार का कोई भी संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं हुआ। मैं उस टिप्पणी का भी उल्लेख करूंगा। दो कल्पनायें आपने की हैं। एक तो यह कि कोई अध्यापक है, छुट्टी उसको देय है, आप अध्यापक भी हैं, विधान सभा में भी आते हैं, इसका जो प्राविधान है वह तो है ही लेकिन विधान सभा में आने में किसी प्रकार का अवरोध, कोई रुकावट पैदा नहीं होती। मान्यवर, कोई वकील यहां पर है और उसका मुकदमा सेशन कोर्ट में लगा हुआ है तो वह आपसे कहे कि मेरे काम में अवरोध हो रहा है मेरे खिलाफ खुद इलेक्शन पीटिशन लगा हुआ है उस पर मैं यह कहूं कि मेरे काम में अवरोध पैदा हो रहा है तो यह एक कल्पना है। इस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यह आप पर है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन किस प्रकार करें। ऐसे तो तमाम रुकावटें आपके सामने आयेंगी। जैसे गाड़ी में रिजर्वेशन की समस्या आयेगी, रिक्शा न मिलने की समस्या आयेगी। टिप्पणी में आपके सामने पढ़ दूंगा।

इसमें दो प्रकार की छुट्टियों का उल्लेख है एक वह छुट्टी जिसमें आप वेतन पायेंगे। दूसरी वह कि जिसमें वेतन नहीं मिलेगा यानी असाधारण छुट्टी एक्स्ट्रा आर्डिनरी लीव। माननीय सदस्य किस किस्म से पीड़ित हैं मैं नहीं जानता, वहां से भी तन्खाह लेना चाहते

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं और यहां भी बैठना चाहते हैं और वहां तनख्वाह नहीं मिल रही हो मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी तो मैं समझता हूं अध्यापक नहीं हैं। उन्होंने जो लाइन पढ़ना छोड़ दिया मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं उससे सारी बात समाप्त हो जायेगी। अभी 23 मार्च, 1984 को नोटिफिकेशन है उसमें छपा है यदि कोई आचार्य प्रधानाध्यापक अथवा अध्यापक राज्य विधान मंडल या संसद का सदस्य हो तो उसे विधान मंडल, संसद अथवा उनकी समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु उसके द्वारा ऐसी बैठक तथा उसमें भाग लेने हेतु जाने के अपने इरादे की सूचना दिये जाने पर, उसे संस्था से अवमुक्त कर दिया जायगा और संस्था से उसकी ऐसी अनुपस्थिति की अवधि में उसे ऐसे अवकाश पर समझा जायेगा जैसा उसे देय हो तथा जिसके लिए वह आवेदन करे। यदि उसे कोई अवकाश देय न हो तो ऐसी अनुपस्थिति की अवधि में बिना वेतन के अवकाश पर समझा जायेगा।

अब आप कौन सी श्रेणी में आना चाहते हैं। यहां भी बैठना चाहते हैं और वेतन भी लेना चाहते हैं। आपको मैनेजमेंट को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। यह आपका अधिकार है अगर नहीं आना चाहते हैं तो कोई मजबूर नहीं कर सकता है।

श्री बदन सिंह—

अब मैं अध्यापक नहीं हूं हमको पार्टी बनाया गया है..

श्री अध्यक्ष—

माननीय बदन सिंह जी आप कृपा कर बैठें।

श्री हुकुम सिंह—

पार्टी हमने नहीं बनाया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के एक भाग का उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखपाल पांडे—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मैंने एक अतारांकित प्रश्न दिया था प्रश्न संख्या 30 माननीय मुख्य मन्त्री जी बड़े विद्वान हैं हम कम पढ़े लिखे हैं लेकिन हमको किस तरह से उत्तर देते हैं और उलझा देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप उनसे बड़े विद्वान हैं।

श्री सुखपाल पांडे—

मेरे अधिकारों की रक्षा करें, प्रश्न आप देख लें मैंने पूछा था कि क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यरत आई0 ए0 एस0 तथा पी0 सी0 एस0 के कुल कितने अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध जांच विजिलेंस विभाग द्वारा हो रही है, उनमें से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा 3 आई0 ए0 एस0 तथा 24 पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा खुली जांच की जा रही है। चूंकि जांच अग्रसर है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता। तो इसमें जो दूसरा भाग है कि कितने अधिकारियों की जांच पूरी होकर शासन को प्राप्त हुई और उनमें से कितने अधिकारी दोषी पाये गये, कितने की जांच अब भी चल रही है, क्या उनके नाम और पद को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे। तो माननीय मन्त्री जी ने एक अंश का उत्तर दे दिया जो मैंने अभी बताया। सारी सूचना का जवाब नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सारे प्रश्नों का जवाब हमें दें। हमने प्रश्न किया था कि कितने अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है

उनके नाम क्या हैं, कितने पर अब भी जांच चल रही हैं और किस-किस पद पर कार्य कर रहे हैं, पूरा विवरण दें, इस पर आप व्यवस्था दें और सरकार को निर्देश दें कि सही उत्तर दिया करें।

अध्यापक सदस्यों के निर्धारित अवकाश से सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

सबसे पहले श्री शतरुद्र प्रकाश ने यह प्रश्न उठाया था। मैं समझता हूं कि अध्यापकों को इस सदन में आने की कोई रुकावट और कठिनाई नहीं है। इसलिये यह प्रश्न नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है, अतः मैं इसको अस्वीकार करता हूं।

दिनांक 22 जुलाई, 1985 को सदन में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां का स्पष्टीकरण

श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां—

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम 291 (क) के अन्तर्गत अपना स्पष्टीकरण पेश करने की अनुमति दी है। मान्यवर, मेरी अनुपस्थिति में मेरी नागरिकता के बारे में कुछ विवाद उठाया गया था, इसलिये मैं यह स्पष्ट रूप से अर्ज करना चाहता हूं कि मैं जन्म से अब तक भारत और केवल भारत का नागरिक हूं और था, मैं एक क्षण के लिये भी ब्रिटेन अथवा किसी अन्य देश का न कभी नागरिक था और न हूं। मैं सिर्फ भारत का नागरिक हूं और भारत का वफादार हूं। मान्यवर, मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि मेरा निवास स्थान मोहल्ला संगत किला, मकान नं0 96, नगर महमूद बाद, जिला सीतापुर है। मेरा जन्म 30 नवम्बर, 1943 को वहीं हुआ और जन्म से मोहल्ला संगत किला में रहा। मैंने 1953 से लेकर 1961 तक शिक्षा-ला-मा-टीनियर कालेज, लखनऊ में प्राप्त किया था।

मान्यवर, मेरा मोहल्ला पैगम्बरपुर, मकान नं0 90, नगर महमूदाबाद जिला सीतापुर से या वोटर लिस्ट की क्रम संख्या 385 या उसमें रहने वालों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

मान्यवर, मेरा नाम मोहल्ला संगत किला, मकान नं0 96, नगर महमूदाबाद, जिला सीतापुर की वोटर लिस्ट के क्रम संख्या 1218 पर दर्ज है और इसी पर मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था और इसी पर वोट करता रहा हूं जो मेरे पास इस समय है।

मान्यवर, वर्ष 1959 से मेरा अपना पासपोर्ट है। इसके पहले मैं अपनी मां रानी कनीज आबिद के पासपोर्ट पर भारत से बाहर यात्रा करता था। मेरी मां हमेशा भारत की नागरिक रही हैं और आज भी हैं, उनके भारतीय पास पोर्ट की कापी मैं आपको दे चुका हूं। मैंने अपने पास पोर्ट की भी कापीज आपको दे दिया है। वर्ष 1959 से लेकर अब तक भारत सरकार द्वारा जारी किये गये पासपोर्टों की कापियां मेरे पास हैं और जो आपको दे रखा है, उसमें आप देख लें कि यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं भारत का नागरिक हूं और भारतीय हूं।

मान्यवर, मैं 1962 में विदेश गया। पहले एल्डेनहम स्कूल इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की जो भारतीय नागरिक की हैसियत से ही की। उसके बाद मैथ-मेटिक्स और फिजिक्स की डिग्रियां केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त कीं। उसके बाद

रिसर्च की पढ़ाई इम्पीरियल कालेज और केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की और भारतीय नागरिक की ही हैसियत से यह सब शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद एक भारतीय नागरिक की हैसियत से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में खगोल भौतिक जिसे अंग्रेजी में आस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं और गणित विषयों में हिस्सा लिया। मान्यवर, इस प्रकार मैंने एक छोटा प्रयास किया कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में कुछ योगदान दूं।

मान्यवर, मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों को कुछ गलत सूचनायें दी गयीं थीं जिनके आधार पर यह बातें शायद यहां उठायी गयी थीं। मैं सभी माननीय सदस्यों का, चाहे वह इस पक्ष के हों या उधर के हों, आदर और सम्मान करता हूं और मैं समझता हूं कि वह सब जिम्मेदार लोग हैं, जो इस सदन में मौजूद हैं। मैं यह जानता हूं कि कभी वह कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे सदन की मर्यादा में कोई गिरावट आये। मैं इस बात को हमेशा महसूस करता रहूंगा और हमेशा इस बात का ख्याल रखूंगा कि कभी ऐसी कोई बात न हो कि इस सदन की मर्यादा में कोई गिरावट आये। मैं नहीं समझता हूं कि किन लोगों ने, किन मतलबपरस्त लोगों ने इन माननीय सदस्यों को इस प्रकार की यह गलत सूचना दी। मैं फिर आखिर में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर अपना स्पष्टीकरण पेश करने का मौका दिया और मैं तमाम सदस्यों का आभारी हूं, तमाम सम्मानित सदस्यों का जिन्होंने यह प्रश्न हमारी नागरिकता के बारे में यहां पर उठाया है। हार्दिक रूप से, दिल से मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं बड़े गर्व के साथ कह सका कि मैं भारत का नागरिक हूं और किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हूं।

श्री राम अजरे वर्मा—

ऐसा लगता है कि नागरिकता के ऊपर मोहर लगवाने का मौका मिल गया माननीय सदस्य को।

श्री अध्यक्ष—

अब मद संख्या—3।

श्री यदुनाथ सिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब इस सिलसिले में कोई व्यवस्था नहीं।

औचित्य के प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आजरे वर्मा—

औचित्य का प्रश्न मैंने दिया था, इसी प्रश्न के बारे में यहां कहा गया था कि फिर उठा लीजियेगा, लेकिन आज भी नहीं लिया

(इस समय 1 बजे अधिष्ठाता डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल पीठासीन हुये।)

(व्यवधान)

मान्यवर, यह मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। एक औचित्य का प्रश्न दिया था आज। यही औचित्य का प्रश्न मान्यवर, परसो भी दिया था। परसों किसी गलती की वजह से या अन्य किसी कारण से जब अन्य माननीय सदस्यों को सुनने का अवसर दिया गया, उस समय मुझे अपने औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर नहीं मिल पाया। आप ही उस समय भी उस कुर्सी पर विराजमान थे और आपने कहा था कि इसे फिर उठाने का मौका मिल जायेगा। मैं चाहता था कि जिसे परसों, उठाने का अवसर देने की बात कही गयी थी, आज नहीं दिया गया,

अब आज उसे उठाने का अवसर हमें मिलाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आज फिर कहता हूं कि भविष्य में आपको उठाने का मौका मिलेगा ।

श्री रामआसरे वर्मा--

अब आज आप बैठे हैं, आज भी नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

मैंने कह दिया है कि भविष्य में मिलेगा आप तो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं इस सदन के (व्यधान) ।

श्री राम आसरे वर्मा--

उस पीठ से यह कहने से कि "आप तो संसदीय प्रक्रिया के ज्ञाता हैं" या आप तो वरिष्ठ सदस्य हैं कहने से सब खत्म हो जाता है ।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में अव्यवस्था के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री यदुनाथ सिंह--

मैं कुछ दिनों से बलरामपुर अस्पताल में भर्ती हूं । वह स्वास्थ्य मंत्री भी और डाक्टर भी हैं । कई मंत्री भी वहां पर भर्ती हैं, शिवबालक पासी जी भी वहां पर भर्ती हैं । जिस तरह की लापरवाही वहां पर हो रही है उससे लगता है कि इस विधायिका की अवमानना हो रही है, एम0 एल0 एज0 और एम0 एल0 सीज0 की अवमानना हो रही है । मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे जिससे बलरामपुर अस्पताल के सुप्रिन्टेन्डेंट अपने में सुधार ला सकें । तीन बार मैं बलरामपुर अस्पताल में गया वहां पर कोई मुझे कमरा नहीं मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई महत्व नहीं दिया जाता है.... (व्यवस्थान)

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी यह आपके मिर्जापुर का मामला है ।

*जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री-- (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

यह मिर्जापुर का नहीं इस सदन का मसला है, माननीय सदस्य का मसला है इनके लिए कमरा आरक्षित हो चुका है, जब माननीय सदस्य चाहें जा सकते हैं वहां । इनके लिए वातानुकूलित कक्ष आरक्षित हुआ है ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक 1985

सचिव, विधान सभा--

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जनपद फैजाबाद में तिवारीपुर नन्सा बाजार रोड पर मड़वा तमसा नदी पर पक्का पुल बनाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, आपकी अनुमति से जनपद फैजाबाद में तिवारीपुर-नन्सा बाजार रोड पर मड़हां (तमसा) नदी पर पक्का पुल बनाने तथा पूरी सड़क को पक्की करवाने विषयक श्री अंबिका सिंह आदि निवासीगण, जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

जनपद बांदा में अतर्रा कस्बा को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा में अतर्रा कस्बा को तहसील बनाये जाने विषयक श्री प्रकाश चन्द्र गुप्त आदि निवासीगण, जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता--

नियम 225 के अंतर्गत, विधान सभा के 7 अगस्त, 1985 से 24 अगस्त, 1985 तक के कार्यक्रम के संबंध में कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें निम्न-लिखित हैं :--

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं पढ़ रहा हूं, व्यवस्था का प्रश्न बाद में उठा लीजियेगा ।

7 अगस्त, 1985, बुधवार

(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985, पर विचार एवं उसका पारण ।

(2) (क) पशुधन विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान (आधा दिन) ।

(ख) जेल एवं राजनैतिक पेंशन तथा नागरिक सुरक्षा विभागों से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान (आधा दिन) ।

(3) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण (एक घंटा) ।

(4) श्री राम गोविंद चौधरी द्वारा दी गयी सूचना पर माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापकों की सेवायें समाप्त किये जाने के संबंध में चर्चा ।

†छापी नहीं गयी ।

8 अगस्त, 1985, गुरुवार	(1) सिंचाई विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान ।
	(2) प्रदेश में घाघरा, सरयू, गोमती तथा उनकी सहायक नदियों एवं उनमें मिलने वाले नालों से हर वर्ष उत्पन्न होने वाली बाढ़ की विषम स्थिति का स्थायी हल निकालने से लिये एक आयोग गठित करने के विषय में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के प्रस्ताव पर नियम 103 के अंतर्गत एक घंटे की चर्चा ।
9 अगस्त, 1985, शुक्रवार 10 अगस्त, 1985, शनिवार 11 अगस्त, 1985, रविवार	बैठक नहीं होगी ।
12 अगस्त, 1985, सोमवार	ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान ।
13 अगस्त, 1985, मंगलवार	(1) परिवहन विभाग से संबंधित अनुदान की मांग पर मतदान ।
	(2) उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।
14 अगस्त, 1985, बुधवार	(1) उद्योग विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान ,
	(2) उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, 1985 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।
15 अगस्त, 1985, गुरुवार	(स्वतंत्रता दिवस का अवकाश) बैठक नहीं होगी ।
16 अगस्त, 1985, शुक्रवार	(1) कृषि विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान ।
	(2) विधान परिषद् सचिवालय, विधान सभा सचिवालय तथा संसदीय कार्य विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान (विवाद नहीं होगा) ।
17 अगस्त, 1985, शनिवार	(3) सहकारिता विभाग के संबंधित अनुदान की मांग पर मतदान । (पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक) ।

(2) पर्वतीय विकास विभाग से संबंधित अनुदान अनुदान की मांग पर मतदान, (अपराह्न तीन बजे से ।)

(दिनांक 17-8-85 को नियम 301, 51 और 56 की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी ।)

18 अगस्त, 1885, रविवार — बैठक नहीं होगी ।

19 अगस्त, 1985, सोमवार — (1) शिक्षा एवं मुस्लिम वक्फ विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान ।

(2) नियोजन विभाग से संबंधित अनुदान की मांग पर मतदान (विवाद नहीं होगा) ।

20 अगस्त, 1985, मंगलवार — आवास एवं नगर विकास विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान ।

21 अगस्त, 1985, बुधवार — गन्ना विकास विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान ।

22 अगस्त, 1985, गुरुवार — सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर मतदान ।

23 अगस्त, 1985, शुक्रवार — गृह, कार्मिक, सामान्य प्रशासन विभाग इत्यादि से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विवाद (वित्त विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विवाद नहीं होगा) ।

24 अगस्त, 1985, शनिवार — (1) गृह, कार्मिक, सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग इत्यादि से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर मतदान (वित्त विभाग, से संबंधित अनुदानों की मांगों पर विवाद नहीं होगा ।)

(2) 4 बजे अपराह्न, उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1985 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह—)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना आज माननीय अधिष्ठाता द्वारा सदन को दी गयी है, सदन सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि सदन, कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज अधिष्ठाता द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

11 सितम्बर, 1984 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में शोधन

वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)—

अधिष्ठाता महोदय, दिनांक 11 सितम्बर, 1984 को श्री रेवती रमण सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-5 के सम्बन्ध में श्री रेवती रमण सिंह, सदस्य विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि कौन-कौन सी सड़कें वहां पर बनाई जा रही हैं और कितनी लागत की बनाई जा रहीं हैं। उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि 'मिसिंग लिंक, सिरसा मदिरा घाट का निर्माण, 33, मांडा लालगंज मार्ग, 18, 57 चाकी दिघिया मार्ग का आधुनिकीकरण 14, 32, बरौधा बाजार से सिरावल भरमतियां मार्ग 0.61"

2—उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है—

"मिसिंग लिंक सिरसा, मदराघाट का निर्माण स्वीकृत लम्बाई 0.50 कि0 मी0 लागत 0.79 लाख रुपये, मान्डा, लालगंज मार्ग स्वीकृत लम्बाई 15.85 कि0 मी0 स्वीकृत लागत 17.60 लाख रुपये, चौकी दिघिया मार्ग का आधुनिकीकरण स्वीकृत लम्बाई 11.10 कि0 मी0 स्वीकृत लागत 16.94 लाख रुपये, बरौधा बाजार से सिरावल झखनियां मार्ग स्वीकृत लम्बाई 6.80 कि0 मी0 स्वीकृत लागत 1.18 लाख रुपये।"

(3) इसके अतिरिक्त श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मन्त्री जी ने कहा किसी प्रकार की शिकायत की जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य ने लिखित प्रश्न दिया और अपेक्षा की कि पूरे मामले की जांच गुप्तचर विभाग से करा देंगे। माननीय मन्त्री जी ने क्या कोई जांच कराई, जिससे यह पता चला कि कोई शिकायत नहीं है। अगर जांच कराई गई तो किस अधिकारी द्वारा कराई गई और कब कराई गई।"

(4) उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि....133 किलोमीटर सड़क स्वीकृत कराई गई है। प्राप्त सूचना के अनुसार 1 करोड़ 25 लाख रुपया 31 मार्च, 1984 तक व्यय किया जा चुका है।

(5) उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है—

....139.75 किलोमीटर सड़क स्वीकृत करायी गयी है। प्राप्त सूचना अनुसार 1 करोड़ 21 लाख 32 हजार रुपया 31 मार्च, 1984 तक व्यय किया जा चुका है।

(6) मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न हैं।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985†

मुख्य मन्त्री (श्री नारायन दत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

†दिनांक 9 अगस्त, 1985 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री नारायन दत्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

आज दिनांक 6-8-85 को मुझे नियम 56 के अन्तर्गत 17 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनका नाम मैं पढ़ देता हूं। (1) श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री मित्रसेन श्री राम सजीवन, श्री अफजल अंसारी, श्री इकबाल अहमद, श्री राम आसरे वर्मा, श्री हृदय नारायण दीक्षित आदि इन सबकी सूचना भूतपूर्व विधायक श्री सजीवन लाल की हत्या की साजिस के सम्बन्ध में है। (2) श्री अनुग्रह नारायण सिंह, इनकी सूचना 15 रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश की समस्या के सम्बन्ध में है। (3) श्री देव कुमार यादव, (4) श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, (5) श्री विजय सिंह राणा की सूचना बांदा में पत्रकारों तथा अभियन्ताओं के मध्य विवाद के सम्बन्ध में है। (6) श्री राजेन्द्र गुप्त की सूचना बिक्रीकर विभाग में भ्रष्टाचार से करोड़ों का घपला के सम्बन्ध में है। (7) श्री शतरुद्र प्रकाश की सूचना वाराणसी में आधा दर्जन व्यक्तियों की हैजे से मृत्यु के सम्बन्ध में है। (8) श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री गया प्रसाद वर्मा, चौधरी महाराज सिंह, श्री कमलेश कुमार पाठक, श्री अंचल सिंह, श्री माता प्रसाद पान्डेय, श्री राम सरन, श्री त्रिलोक चन्द्र आदि की सूचना माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अधूरा परीक्षाफल घोषित किए जाने के सम्बन्ध में है। (9) कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री हर्षवर्धन, श्री कौशिक रमा शंकर श्री जनार्दन ओझा, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री कमल किशन पान्डेय, श्री ओमप्रकाश, श्री विष्णुदेव, श्री रणजीत, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी आदि की सूचना दहेज के कारण श्रीमती मीरा की हत्या के सम्बन्ध में है। (10) श्री राम गोविन्द चौधरी की सूचना यूनियन कार्बाइड से लखनऊ को खतरा के सम्बन्ध में है। (11) श्री राज किशोर सिंह, श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री हफीज भारतीय की सूचना फतेहपुर पुलिस द्वारा आतंक के सम्बन्ध में है। (12)) श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचना कानपुर तथा इलाहाबाद में तीन युवतियों की संदिग्ध मौत के सम्बन्ध में है। (13) श्री बालेश्वर की सूचना देवरिया के पुलिस कप्तान के संतरी की हत्या के सम्बन्ध में है। (14) श्री मूल चन्द की सूचना वाराणसी में कालीन उद्योग में सुविधाओं के अभाव के सम्बन्ध में है। (15) श्री दिवाकर विक्रम सिंह की सूचना बुनकरों से रुस्ती खरीद न होने तथा भुगतान न होने से स्थिति गम्भीर होने के सम्बन्ध में है। (16) श्री शारदा प्रताप शुक्ल की सूचना लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी के सम्बन्धमें है। (17) श्री सत्यपाल सिंह की सूचना शाहजहांपुर के 20 हजार किसानों की भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में है। मैं इससे जो पहली सूचना दी है, माननीय मित्रसेन जी ने भूतपूर्व विधायक श्री सजीवन लाल की हत्या की साजिश के सम्बन्ध में, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में ग्राह्यता के सम्बन्ध में यह अपनी बात प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

श्री मित्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सजीवन लाल जी इसी सदन के सदस्य रह चुके हैं, उनके ऊपर कातिलाना हमला करने के लिए पाठकपुर गांव का जसवन्त सिंह लगातार प्रयास कर रहा है। मान्यवर, इसकी जानकारी तब हुई जब प्रदीप कुमार नाम का आदमी गिरफ्तार हुआ और उसके द्वारा जानकारी कराई गई, तो मालूम हुआ कि माननीय सजीवन लाल, भूतपूर्व विधायक की हत्या के लिए जसवन्त सिंह लगातार प्रयास कर रहा है। इसकी जानकारी तब हुई, जब जसवन्त सिंह एक माननीय

सांसद के यहां पेपर मिल कालोनी में जाकर ठहरा और उसका संरक्षण चाहा। उसने कहा कि मैंने सजीवन लाल की हत्या की पूरी साजिश कर दी है, आप मुझे अस्पताल में भरती करवा दें, जिससे मैं गिरफ्तार न हो सकूं एक अन्य आदमी इस बात को सुन रहा था, उसने इस बात को क्षेत्र में आकर बता दिया, जिससे लोगों को जानकारी हो गई। सजीवन लाल की हत्या के लिए जसवन्त सिंह बराबर प्रयत्नशील है। पाठकपुर गांव में कुछ लोग तथा जसवन्त सिंह और राम किशोर, सजीवन लाल के यहां डकैती डालने तथा उसकी हत्या की साजिश कर रहे थे। दिनांक 23 जुलाई, को हसनगंज थाने की पुलिस ने उनमें से 4 डकैतों को पकड़ लिया और राम किशोर तथा जसवन्त सिंह भाग गए। वहां के सांसद और विधायक जसवन्त सिंह को संरक्षण दे रहे हैं और उन्नाव की पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं कि उनको गिरफ्तार न किया जाय। जिस दिन यह लोग साजिश कर रहे थे, उसी दिन 4 डकैत पाठकपुर, गांव थाना आसीवन में पकड़े गए और उन्होंने पुलिस के समने बयान दिया कि जसवन्त सिंह और राम किशोर भी थे। किन्तु सांसद और विधायक का संरक्षण जसवन्त सिंह को मिल रहा है। इससे सजीवन लाल की हत्या हो सकती है। मान्यवर, वहां के सांसद और विधायक पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं, इससे भूतपूर्व विधायक सजीवन लाल की जान का खतरा है। उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को तुरन्त गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप इस पर माननीय मन्त्री जी को वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय वर्मा जी जो यादव जी ने कहा है, उसके अलावा कुछ कहेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, दो मिनट में कह दूंगा। माननीय सजीवन लाल इस सदन के सदस्य रहे हैं। वह उन्नाव में एक अच्छे कम्युनिस्ट नेता के रूप में सामाजिक राजनीति सेवा कर रहे हैं। उनकी जिन्दगी के लिये खतरा है। काफी अर्से से यह खतरा चला आ रहा है और इसमें नये अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। स्पष्ट तथ्य तब सामने आया जब जसवन्त सिंह ने पेपरमिल कालोनी में एक सांसद के यहां संरक्षण चाहा और अस्पताल में भरती होने का प्रयास किया। मान्यवर, इसी गिरोह के कुछ लोग पकड़े गये और उन्होंने पुलिस में बयान दिया कि सजीवन लाल की हत्या के लिये कुछ राजनीतिक लोग साजिश करवा रहे हैं। साजिश किसी पक्ष के व्यक्ति के लिये हो, हर आदमी के लिये चिन्ता स्वाभाविक है। इस जघन्य अपराध के लिये कोई छूट नहीं दी जानी चाहिये। शासन को निर्देशित करें, आप अपने आसन से, कि शासन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे और जो लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं उनसे प्राप्त तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें।

*श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, बांदा जनपद में एक बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण प्रकरण पत्रकारों और वहां के अधिकारियों के बीच में शुरू हो गया है। पत्रकारों के प्रान्तीय नेता 28 तारीख को वहां जाने वाले थे। वहां के पत्रकारों ने पी0 डब्लू0 डी0 के अधिशासी अभियन्ता से डाक बंगले में एक सूट की मांग की। लेकिन जब उन्हें सूट नहीं दिया तो इसी बात को लेकर इस तरह का विवाद शुरू आ कि मारपीट हो गई और अधिशासी अभियन्ता की तरफ से पत्रकारों के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखा दी गयी।

इस सन्दर्भ में मान्यवर, पत्रकारों की ओर से भी रिपोर्ट लिखायी गयी। जिससे अब बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी है। प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भी मान्यवर, कुछ लोग पत्रकारों के साथ हैं और कुछ अभियन्ताओं के साथ हैं। और एक विषय परिस्थिति पूरे जनपद में उत्पन्न हो गयी है। अधिशासी अभियन्ता ने सड़क पर कुछ सूचना बंटवानी चाही तो उस बांटने वाले को पुलिस ले गयी, उसको मारा पीटा और उस पर डकैती का मुकदमा दर्ज कर दिया, इस परिस्थिति के कारण बहुत गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है और कोई भी गम्भीर घटना घट सकती है। इसलिये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह एक अविलम्बनीय महत्व का मामला है, इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करावें। यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो पत्रकारों, शासन के अधिकारियों और जनता के बीच में वैमनस्य बढ़ रहा है और यह प्रदेश व्यापी रूप ले सकता है। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पत्रकारों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनता के बीच सद्भावना आवश्यक है: इस पर चर्चा अवश्य करावें।

श्री अधिष्ठाता--

जो कुछ भी अभी माननीय देव कुमार यादव जी ने कहा, आप इसके अलावा और कुछ बोलना चाहते हों तो बोलें। वैसे तो तथ्य सदन के संज्ञान में आ चुके हैं।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मान्यवर, 28-7-85 को कथित पत्रकारों ने और ठेकेदारों ने जिनके नाम काली सूची में दर्ज हैं, उन लोगों ने अधिशासी अभियन्ता को मार पीटा और उनका सामान लूटा। इतना ही नहीं मान्यवर, उनके घर में घुस कर सामान तहस नहस कर दिया। मान्यवर, अगर इन्सपेक्शन हाउज रिजर्व कराने की ही बात थी, और वह रिजर्व नहीं कर रहे थे तो डी० एम० से कहना चाहिये था, लेकिन चूंकि उनमें ऐसे पत्रकार थे, जो छद्म रूप से ठेकेदार थे, जिनके नाम काली सूची में दर्ज हैं, और जिनके खिलाफ संगीन अपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, मान्यवर, इन्हीं ठेकेदारों ने अधिशासी अभियन्ता को 28-7-85 को मारा पीटा और लूट पाट की। और सामान तहस नहस किया। इतना ही नहीं, मान्यवर, 31-7-85 को उनके कर्मचारियों को स्टेशन रोड पर मारा पीटा गया और इसके बाद यही काली सूची में दर्ज ठेकेदार और पत्रकारों ने रात में यादव होटल, स्टेशन रोड के पास घुसकर फिर से उनको मारा-पीटा और उनके साथ ऐसी हरकत की कि सभी विभागों के अभियन्ताओं ने हड़ताल का निर्णय ले लिया है। जल विद्युत की सप्लाई पूरी तरह से ठप होने की सम्भावना है और जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इतना ही नहीं पत्रकारों का एक समूह' जिनका नाम ठेकेदारों की काली सूची में दर्ज है, मार पीट कर रहा है। यही नहीं मान्यवर, इन गुन्डों में जो मुजरिम हैं, वह फरार हैं और वह विधान सभा और विधान परिषद् और माननीय मुख्य मंत्री जी के बंगले के पास चक्कर लगा रहे हैं। इसलिये जनता में आक्रोश व्याप्त है।

श्री अधिष्ठाता--

बस बहुत हो गया, अब आप बैठें।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देते हुए चाहूंगा कि यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है, इस पर चर्चा अवश्य कराई जाय। और यह जो कथित गुण्डे, छद्मवेशी पत्रकार के रूप में अधिकारियों से पैसा वसूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। ये पुलिस और प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। इस पर चर्चा अवश्य कराई जाय। मैं इस पर बल दे रहा हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

बहुत हो गया, अब आप बैठ जाइये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

कार्य-स्थगन की इसी सूचना पर श्री देव कुमार यादव जी को आपने मौका दिया और श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा जी को भी आपने मौका दिया । दोनों माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तथ्य अलग-अलग हैं आखिर किस बात को सही माना जाय । इसलिए शासन द्वारा वक्तव्य आवश्यक है ।

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

जो तथ्य मैंने इस सदन में प्रस्तुत किये हैं और जो तथ्य माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये हैं । यह निश्चित है कि दोनों तथ्य अलग-अलग हैं और यह मामला विवादपूर्ण हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें । आपने अपनी बात कह दी है ।

श्री देव कुमार यादव--

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि प्रश्नगत मामले पर सदन की एक समिति गठित कर दी जाय जो इसकी जांच कर सके ।

श्री अधिष्ठाता--

हर माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है । चाहे वह आपकी बात से सहमत हो या न हो । इस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है ।

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, 28 तारीख को बांदा में पत्रकारों को जिला बांदा में पी० डब्लू० डी० डाक बंगला आरक्षित करने के सम्बन्ध में जो मारपीट हुई तथा तथा माननीय सदस्यों ने जो अपनी बातें रखी हैं, मान्यवर, मैं पूरे घटनाक्रम में न जाकर, संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, डाक बंगले के कमरों के एलाटमेंट का अधिकार जिलाधिकारी को है । उन्होंने डाक बंगले का आरक्षण पत्र दे दिया । वे लोग उस आरक्षण के पत्र को लेकर अधिशासी अभियंता के घर गये । उन्होंने अधिशासी अभियन्ता से डाक बंगले का आरक्षण दिये जाने की प्रार्थना की । उन्होंने एलाटमेंट नहीं दिया । मान्यवर, उस अधिशासी अभियन्ता ने जो पत्रकारों पर आरोप लगाये, वह बात मैं नहीं कहना चाहता ।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी ने जब पत्रकारों के नाम डाक बंगले का एलाटमेंट कर दिया फिर उस आरक्षण को न देने का प्रश्न कहां से पैदा होता है । कहा गया कि मरम्मत चल रही है । अगर मरम्मत चल रही होगी तो एक कमरे या दो कमरे में । पूरे के पूरे में तो चल रही होगी । अगर मरम्मत चल भी रही थी तो उसकी सूचना पहले से जिलाधिकारी को क्यों नहीं दी गयी ? और यदि दी गयी तो जिलाधिकारी ने उसका आरक्षण क्यों कर दिया ? मान्यवर, यदि आरक्षण जिलाधिकारी ने पत्रकारों के लिये कर दिया, तो उस आरक्षण के आधार पर निरीक्षण भवन को उपलब्ध कराना अनिवार्य था ?

मान्यवर, यह निरीक्षण भवन उन अधिशासी अभियंताओं को, जो इसकी देखरेख करते हैं, खुद की सम्पत्ति सी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बन गयी है । इनके रिश्तेदार ठहरे रहते हैं, कागज पर कहीं आरक्षण नहीं होगा, लेकिन इनके रिश्तेदार कमरों में रुके रहेंगे उनका भुगतान भी नहीं होगा । मान्यवर, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी आगरा चले गये थे, निरीक्षण भवन में कहीं स्थान उपलब्ध नहीं था ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, जो विषय इस समय विचाराधीन है, कृपया उसकी ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं । मान्यवर, बांदा में स्थिति यहां तक आ गयी कि उस अधिशासी अभियन्ता ने उन पत्रकारों को पिटवाया, वहां मारपीट की गयी । जिसमें 3 आदमियों को गम्भीर रूप से चोटें आयी । मान्यवर, यही नहीं डकैती का केस दर्ज कराया गया । इस प्रश्न को लेकर जो हंगामा हुआ है । मान्यवर, यह घटना अकेले केवल बांदा में ही नहीं, बस्ती में भी यही स्थिति है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य मैं, विषयान्तर नहीं होने दूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पत्रकार समाज का प्रतिनिधि है । समाज के खिलाफ जो बात कही जाती है, उसे अखबार के सम्पादक बड़ी दृढ़ता के साथ अखबारों में लिखता है । जनता की रक्षा करते हुए यदि उसके ऊपर हमला किया जाय और उसे मारा जाय तो समाज के अधिकारों की रक्षा कैसे हो पायेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य आपने अपनी बात समाप्त कर ली है, कृपया आप बैठ जांय ।

श्री विजय सिंह राणा—

समाज का जो वास्तविक चित्रण होता है, वह अखबारों में किया जाता है । यदि पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार अत्याचार किया जायेगा तो समाज की सुरक्षा कैसे हो पायेगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर आज सदन में चर्चा करवा दें ।

श्री अधिष्ठाता—

पत्रकार वाले मामले पर जो विवाद-पूर्ण सूचना दी गई है, उसे मैं वक्तव्य के रूप में स्वीकार करता हूं । भूतपूर्व विधायक श्री सजीवन लाल की हत्या की साजिश किये जाने के सम्बन्ध में जो सूचना दी गई है, उसके सम्बन्ध में शासन को निर्देश देता हूं कि उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाय ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैंने कार्य स्थगन के माध्यम से जो प्रश्न उठाया है वह बहुत ही गम्भीर है । मैं चाहूंगा कि आप आज की शेष कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करवा दें ।

मान्यवर, एक तरफ तो सरकार चाहती है कि राजस्व बढ़े दूसरी तरफ यह व्यवस्था है कि बिक्री कर विभाग में एक समानान्तरण बिक्री कर विभाग चल रहा है, जिससे करोड़ों रुपए की प्रतिवर्ष राजस्व में क्षति होती है । मान्यवर, इनके यहां एक फार्म-31 होता है । जिसमें एक व्यापारी दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में माल लाता है, तो फार्म 31 ले जाता है आपके जिला कार्यालयों से । (चेक-पोस्ट पर उसकी चेकिंग होती है) । बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी व्यापारी संस्थाओं का पंजीकरण इनके कार्यालय में किया गया है । व्यापारियों को फार्म-31 उपलब्ध करा दिये जाते हैं, जिससे करोड़ों रुपए की चोरी हो रही है । जब मामला प्रकाश में आता है तो बिक्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर विभाग, एक दो मामले पकड़ लेता है और वाह-वाही कमा लेता है। कानपुर में ही 100 फर्जी संस्थायें पंजीकृत हैं। 70 तो उसमें से ऐसी हैं, जिन पर 50 करोड़ रुपए की बिक्री कर का बाकी है। 4 फर्जी संस्थायें पिछले सप्ताह में पकड़ी गई। जो एक नामी तस्कर गिरोह की हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। इसी प्रकार आगरा में 18, उन्नाव में 6, झांसी में 11, मैनपुरी में 8 और अलीगढ़ में 10 हैं। अब ये पंजीकरण कराये कैसे जाते हैं। पंजीकरण के समय सारी फारमेलिटीज पूरी की जाती हैं और इनके पूरा होने के बाद वही अधिकारी इसे फर्जी घोषित कर देते हैं। इस पंजीकरण के लिए कितने अधिकारी दोषी पाये गये। कानपुर में 500-600 के करीब फार्म-31 चोरी हो गये। एक को दंडित कर दिया, इस तरह से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बिक्रीकर विभाग में करोड़ों रुपयों की तस्करी हो रही है। प्लास्टिक का सामान लाने के लिए लाइसेन्स दिये गये और आया क्या इस्पात जैसी मूल्यवान चीजें। इस तरह से इससे महत्वपूर्ण बात दूसरी कोई है नहीं, करोड़ों रुपयों की चोरी हो रही है, इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दें।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मैं तो कहता था कि गुप्त जी इस पर बधाई देंगे कि इस तरह हमारे अधिकारियों ने पर्दाफाश किया और शासन को भी लेकिन कह रहे हैं कि कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। यह उसी का नतीजा है कि इस तरह की फर्मों का पर्दाफाश हुआ, अनियमितता पकड़ी गई....

(एक सदस्य के द्वारा वक्ता के सामने से निकलने पर)

श्री अधिष्ठाता—

जब कोई मंत्री बोल रहे हैं तो उनके सामने से न निकलें।

श्री हुकुम सिंह—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे अधिकारियों की सतर्कता के परिणामस्वरूप जो अनियमिततायें सामने आ रही हैं, चाहे वह कोई अधिकारी हो, या व्यापारी, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मैं चुनौती देता हूं, फर्जी फर्मों का पंजीकरण किसने किया, किसी का नाम प्रकाश में आया है? एक नाम बता दें।

श्री हुकुम सिंह—

जानकारी में आने के उपरान्त कार्यवाही शुरू हुई है। अगर नाम की बात करते हैं तो नाम भी बता देंगे।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, महानगर वाराणसी में इस समय हैजे की बीमारी के सम्बन्ध में मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले 10 दिनों के अन्दर 10 लोगों की जान जा चुकी है और इस समय हैजे की बीमारी काफी तेजी से फैल रही है। इधर 10 दिनों में जो पानी बरसा है, वह जमा हो गया है जगह-जगह, पांच-पांच दिन तक पानी निकल नहीं रहा है। जहां पीने के पानी तथा सीवर की लाइन साथ हैं, उनका पानी एक मिल चुका है, बड़ा बाजार, जैतपुरा आदि, शहरों के बीच में बड़ी जगहों पर यही स्थिति है, अगर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया....

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे बोल रहे हैं, शान्ति से बैठें।

(व्यवधान)

माननीय गौरी शंकर भइया जी, माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कृपया शांति बनाये रखें।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

पानी की निकासी नहीं हो रही है क्योंकि सीवर बन्द पड़े हैं। नगरमहापालिका के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया, लेकिन नगरमहापालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीका तक नहीं लगाये गये हैं। हजारों नागरिक और तीर्थ यात्री बाहर से आते हैं, अगर इस तरह से रोज-बरोज महामारियां फैलती रहेंगी तो आने वाले यात्रियों पर भीषण संकट उत्पन्न हो जायेगा। इसलिए शासन से वक्तव्य दिला दें और विभाग की ओर से कार्यवाही करने के निदेश दें। टीका लगाने तथा सीवर की तत्काल व्यवस्था करा दें।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

गैस्ट्रोइन्टाइटिस की जो शिकायत है, उसकी रोकथाम के लिए व्यवस्था की जा रही है।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय मंत्री जी ने हैजे को गैस्ट्रोइन्टाइटिस कहा। यहां पर गैस्ट्रोइन्टाइटिस की बात नहीं है। बनारस में मैं गया, वहां गलियां बहुत संकीर्ण हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री गोपाल दास यादव--

यह सदन को भ्रमित कर रहे हैं, महामारी को रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर।)

पहले माननीय मंत्री जी की बात पूरी हो जाने दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

वाराणसी में हैजे की शिकायत नहीं है, गैस्ट्रो इन्टाइटिस की शिकायत थी। इसके लिए जल का शुद्धीकरण तथा नगर की सफाई की व्यवस्था की जा रही है। सावन के महीने में कुछ अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था नगरमहापालिका, वाराणसी में की जाती है, उनको आदेश दे दिये गये हैं। सावन में हजारों तीर्थयात्री आते हैं, सुई की भी व्यवस्था कर दी गई है। स्थिति ऐसी नहीं है कि जिस पर ध्यानाकर्षण या चर्चा की आवश्यकता हो। सरकार सजग है, किसी भी अंचल में महामारी नहीं फैल पायगी।

(राम गोबिन्द चौधरी को पुकारे जाने पर।)

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि पैसे का भुगतान कर दिया गया है, दवायें मिल रही हैं। एक डाक्टर ने कहा कि आज भुगतान हो रहा है, माननीय मंत्री जी बात कुछ और कहते हैं, विभाग वाले कुछ और कहते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, मैंने जो नियम 56 में कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़े दिन पहले यूनियन कार्बाइड की जहरीली गैस निकलने के कारण भोपाल में बहुत बड़ी महामारी फैली थी, हजारों लोग मौत के घाट उतर गये। यूनियन कार्बाइड का एक कारखाना लखनऊ में ऐशबाग में है जो एवररेडी टार्च बनाता है। वहां पर जहरीली गैस निकलने से 12-13 मजदूर मर गये हैं, एक दर्जन से अधिक मजदूर टी0 बी0 के शिकार होकर मर गये हैं, एक दर्जन से अधिक मजदूर पागल होकर मेडिकल कालेज में या नूरमंजिल में दवा करा रहे हैं। मिल के प्रबन्धकों ने कोई भी उपाय नहीं किया है कि जहरीली गैस जो निकल रही है, उससे निपटा जा सके। इस कारखाने से जो विषाक्त जल निकलता है, उससे दो-चार जानवर भी मर चुके हैं। प्रबन्धकों ने कहा है कि उस पानी को गोमती में गिरा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोमती का पानी पीने के उपयोग में भी लिया जाता है। जब वह जहरीला पानी गोमती में गिरेगा तो इस प्रदेश के हजारों लोगों के मरने का काम उस गैस से हो जायेगा। एक बहुत बड़ी घटना घटी और कुछ विशेषज्ञों ने 39 ऐसे कारखानों के बारे में भी शंका व्यक्त की है कि जिनमें कभी भी किसी समय जहरीली गैस का रिसाव हो सकता है जो कि आदमी के लिए जान-लेवा हो सकता है। इससे अधिक महत्व-पूर्ण कोई भी घटना नहीं हो सकती है। यूनियन कार्बाइड की गैस जहरीली हो के कारण उससे हजारों-हजारों लोगों का जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। पिछली बार भी मैंने सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि कभी भी यह घटना घट सकती है लेकिन इस सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया और जिसके फलस्वरूप यह घटना घट गयी है जिसमें कि 12 से 14 लोग या तो मर गये हैं या पागल हो गये हैं। प्रदेश में इस जहरीली गैस के कारण लोगों की मौतें हो सकती हैं। भोपाल का उदाहरण आपके सामने है जो कि में केवल देश की बल्कि विश्व की सबसे बड़ी गैस की दुर्घटना हुई है। इसी तरह से लखनऊ में भी भोपाल से बड़ा काण्ड जा रहा है जिसके कारण यहां की जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है और भय उत्पन्न हो गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आप सदन की कार्यवाही को रोक करके इस पर चर्चा करा दें क्योंकि इससे महत्वपूर्ण कोई बात जो कि जनता के जीवन की रक्षा से सम्बन्धित है, इससे महत्वपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती है।

श्री नरेश चन्द्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जिस यूनियन कार्बाइड की बात इन्होंने यहां कही है वह यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री सवा दो महीने से बन्द थी, वह मेरे ही क्षेत्र में आती है इसलिए मैं बतला रहा हूं कि अभी 6-7 दिन ही उसे खुले हुए केवल हुए हैं। माननीय सदस्य जितने लोग बतलाये कि इससे मर गये हैं और पागल हो गये हैं यह सही नहीं है इसलिए मैं जानकारी आपको देना आवश्यक समझता हूं।

(श्री गौरी शंकर भइया के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये। इस सूचना को मैं वक्तव्य के रूप में स्वीकार करता हूं। इसके अतिरिक्त माननीय मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा गया प्रसाद वर्मा आदि सदस्यों की माध्यमिक शिक्षा परिषद् के बारे में जो उन्होंने सूचना दी है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में एक चर्चा लगी हुई है, एक या दो दिन में इस पर चर्चा होगी

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

चर्चा से कुछ होने वाला नहीं है। हर वर्ष इस सम्बन्ध में यहां इस प्रकार की चर्चा होती है लेकिन फिर भी 1983-84 का और अब 1984-85 का रेजल्ट रुका हुआ है। आप स्वयं देखते हैं कि यह शासन की जिम्मेदारी है कि समय से रेजल्ट निकालने के लिए परिषद् को वह सुविधा कराये जिससे कि विद्यार्थियों के रेजल्ट न रुकें। मैं अपने कार्य-स्थगन पर बल देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी इनकी बातों में आकर गुमराह हो गये हैं। मान्यवर, इसके लिए प्रक्रिया है कि कमेटी बनायी जाय। परीक्षा की कापियां जो जांच के लिए जाती हैं उनमें से आधी पहुंचती हैं और आधी रास्ते में ही गायब हो जाती हैं, कापियों की जांच ठीक से होती नहीं है और वहां से लिख कर आ जाता है कि 200 लड़के अनफेयर मीन्स में पकड़े गये इसलिए उनका रेजल्ट रोक दिया गया। सन् 1983-84, 1984-85 के रेजल्ट नहीं निकले, जो बच्चे पैसा वहां दे आते हैं उनका रेजल्ट निकाल दिया जाता है और जो पैसा नहीं दे पाते हैं उनका रेजल्ट रोक दिया जाता है, नहीं निकाला जाता है।

आज तक माध्यमिक शिक्षक परिषद् ने कोई कमेटी नहीं बनायी है जो कि मौके पर आकर देखें। यह सरकार लाखों लड़कों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। लड़कों का रेजल्ट निकालते नहीं हैं। आप स्वयं जानते हैं कि कोई लड़का इंजीनियरिंग में जाना चाहता है और कोई लड़का मेडिकल में। आप उस लड़के की भावना को समझते होंगे जिसका रेजल्ट रोक कर उसके जीवन साल बर्बाद कर देती है, जो लड़का चिराग की रोशनी में पढ़ कर अपनी परीक्षा देता है और भविष्य को संवारने के सपने देखता है, उसकी भावना को आप समझ रहे होंगे कि रिजल्ट रोक देने से उस पर क्या इसका प्रभाव होता है? परीक्षा दी होगी और परिणाम निकलता है और आपका परिणाम रुक गया इसलिए मैं शासन से कहता हूं कि चर्चा से पहले उन्हें अस्थायी रूप से 4 दिन में 15 दिन में रिजल्ट घोषित करेंगे और आपसे आग्रह करूंगा कि यह नंपुसक सरकार, यह संकल्प विहीन सरकार एक निश्चित समय के भीतर इस परीक्षाफल को घोषित करे।

श्री अधिष्ठाता--

इस सूचना से सम्बन्धित जो हमारे माननीय सदस्य हैं, मैंने जैसा अभी कहा कि चर्चा होनी है 1-2 दिन में होनी है। माननीय पाण्डेय जी ने ग्राह्यता पर रोशनी डाल ही दी है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर अब ज्यादा चर्चा न हो।

(श्री राम सरन के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपको सुन लूंगा लेकिन एक मिनट में खत्म करें।

श्री राम सरन--

इस चर्चा में तो, मान्यवर, 7 या 8 बजे लगती है और सब सदस्य चले जाते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

जिनको दिलचस्पी हो वह बैठे।

श्री राम सरन--

मान्यवर, हजारों छात्र परेशानी में हैं जो इनका माध्यमिक शिक्षा परिषद् है, क्या है, इसे विभाजित कर दें, तोड़ दें। आप तो शिक्षा मंत्री रहे हैं आप तो जानते हैं कि जो रुपया लेकर जाते हैं इलाहाबाद वह फर्स्ट क्लास पास होते हैं, डिप्लोमा मिल जायेगा यह वहां का रात-दिन का काम है। आप तो खुद जानते हैं आपने शिक्षा विभाग चलाया है आजकल इतना भ्रष्टाचार है कि जिस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लड़के को चाहे पास करे और जिसे लड़के चाहे फेल कर दें तो मान्यवर, शिक्षा परिषद् को आप तुड़वा दीजिये इसे विभाजित करवा दीजिये या कोई और सिस्टम लाइये एजूकेशन के लिए जिससे लड़कों के साथ खिलवाड़ न हो सके ।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, यह नियम के तहत सच है । चर्चा इस पर लगी हुई और संसदीय कार्यमंत्री ने भी बताया । चर्चा होने से पहले अगर हमारे माननीय सदस्यों को यह आभास हो जाता कि सरकार कुछ करने जा रही है तो यह सवाल इतना न उठाया जाता । मान्यवर, यह पूरे प्रदेश की समस्या बन गयी है । लाखों लड़कों का नतीजा रुका हुआ है, किस बात के लिए नतीजा रुका हुआ है । 5 विषय हैं और 5 विषय में साढ़े चार 4 विषय का नतीजा आ गया है । साढ़े चार विषय का जो नतीजा आया है वह पांच विषय में पास है । मान्यवर, नतीजा क्यों रुका हुआ है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक पर्चे का नतीजा नहीं आ पाता है तो साढ़े चार विषय में और-पांच विषय में पास हो गया और एक विषय में 33 नम्बर आने चाहिए और 40 वह पा रहा है । आज हालत यह है कि एक पर्चे का नतीजा नहीं आया है तो उस लड़के का नतीजा रुका हुआ है । आज तमाम लड़कों ने आत्महत्यायें की हैं तो जब आत्महत्यायें की हैं तो उनके मां-बाप को कितना मानसिक उत्पीड़न हो रहा है । मेरा स्पष्ट आरोप है इस सरकार पर कि यह सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है कि जिससे प्रदेश की समस्याओं से बचाया जा सके और दूसरे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका नतीजा इसलिए रुका हुआ है क्योंकि रोजगार की उनके सामने समस्या है । मान्यवर, एक महीने के लिए तो मान सकता हूं कि गुम हो गयी है कापी, लेकिन 2-2 साल के नतीजे क्यों रुके हैं । दूसरा मान्यवर, प्रेक्टिकल है, मैं यह सब आपके सामने रखता हूं आपको जानकारी नहीं होगी । प्रेक्टिकल में कापियों की कोई जरूरत नहीं है जिस टीचर ने इम्तहान लिया हो, उसके पास मार्क शीट रहती है, टेलीफोन करके पूछ लीजिये, तो प्रेक्टिकल के नतीजा क्यों रुका हुआ है । इस कारण से अगर किसी का नतीजा रुका हुआ है, तो टीचर के पास एक मार्क शीट रहती है, उससे सम्पर्क करके आप नतीजा निकाल सकते हैं ।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में यह गम्भीर समस्या है । दो सालों से परीक्षाफल अपूर्ण है । मैं चाहूंगा कि आप कोई तिथि निश्चित कर दें कि 10 दिन में, 15 दिन में या एक महीने में हम परीक्षाफल निकाल देंगे और शासन को आश्वासन देना चाहिये कि हम नतीजा निकाल देंगे । मान्यवर, हम यहां पर भाषण देने के लिए नहीं आये हैं कि अखबारों में आये, इसके लिये नहीं बोल रहे हैं, बल्कि लाखों लड़कों के भविष्य का सवाल है इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री 15 दिन में यह एक महीने में नतीजा आउट होना चाहिये, लाखों लड़कों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कोई रास्ता सरकार को नजर नहीं आ रहा है, यह कोई मामूली बात है । मां बाप पैसा खर्च करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकलता है । नतीजा न निकलने से उन बच्चों की उम्र अधिक हो जायेगी और उनका दाखिला नहीं हो सकेगा । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप आश्वासन दें कि 10 दिन में या 15 दिन में या एक महीने में रिजल्ट निकाल देंगे । आप शिक्षा परिषद् को बिल्कुल समाप्त कर दें और जिला स्तर पर या दो जिलों को मिलाकर इसका इन्तजाम करें और आप निश्चित करें कि कितने दिन में आप नतीजा निकाल देंगे ।

श्री हुकुम सिंह--

हमारे सम्मानित नेता विरोधी दल ने जिस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और शिक्षा शास्त्री श्री रामशरण

दास ने इस ओर प्रकाश डाला और श्री माता प्रसाद जी ने भी इसकी गम्भीरता पर अपने विचार व्यक्त किये हैं तथा नेता विरोधी दल ने यह आरोप लगाया कि सरकार नतीजा इसलिए नहीं निकालती है कि वह रोजगार नहीं देना चाहती है और बच्चों को प्रवेश नहीं देना चाहती है और उनके सामने प्रवेश की समस्या है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार का उत्तरदायित्व न केवल पढ़े-लिखे लोगों को ही रोजगार देने का है बल्कि जो पढ़े-लिखे नहीं हैं उनको भी रोजगार देने का है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि दो श्रेणी इस नतीजे की हैं, एक तो जो नतीजा अपूर्ण होने के कारण घोषित नहीं हुआ है और दूसरा परीक्षा के समय कुछ धांधली, अनियमितता या नकल करते पकड़े जाने के कारण नतीजा रुका है। यह दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 1983 का हाई स्कूल और इण्टर का इस श्रेणी का कोई भी नतीजा नहीं रुका है, वर्ष 1984 का अपूर्ण के कारण कोई भी हाई स्कूल या इण्टर का नतीजा नहीं रुका है और 1985 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दोनों श्रेणी की संख्या अधिक है, अपूर्ण हाई स्कूल 32530 लड़कों का परीक्षाफल रुका हुआ है और अपूर्ण इण्टर का 3306 लड़कों का परीक्षाफल रुका हुआ है। इसका कारण क्या है, मान्यवर, त्रुटियों के कारण कभी-कभी केन्द्र में परिवर्तन हो गया। उसके कारण और कभी-कभी कम्प्यूटर का फीडिंग सही नहीं हुआ, इसके कारण अपूर्ण था।

श्री यदुनाथ सिंह--

कम्प्यूटर की खराबी के कारण ही क्या इतने दिन परीक्षाफल रोके गये ?

श्री अधिष्ठाता--

आप बिराजें।

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, इनकी विद्वता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता है। यह इस सदन के सबसे ज्यादा तकनीकी सदस्य हैं जो ऐसी-ऐसी बातों को पकड़ने के माहिर हैं। मान्यवर, परीक्षाफल जहां पर अनियमितता या नकल के कारण रुका वहां हमने यह व्यवस्था की है कि जब तक सम्बन्धित परीक्षार्थी से स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त हो जायेगा तब तक कार्यवाही नहीं की जायेगी। इसके लिए हमने निर्देश दे दिये हैं कि अविलम्ब इस प्रक्रिया को पूरा करके दोनों परीक्षाफल घोषित किये जायं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

आप अगर इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई समय निर्धारित कर दीजिये।

श्री हुकुम सिंह--

हमारा प्रयास यह होगा कि हम इस सदन के चलने तक माननीय नेता विरोधी दल की जिज्ञासा की पूर्ति कर दें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

शासन की नीतियों के अनुसार ...

(कई सदस्यों के साथ बोलने से)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आपके एक सदस्य बोल रहे हैं तो शान्ति से बैठें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज देश के समस्त रीजनल इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा का केन्द्र है। इसके लिए नियम, उपनियम बनाये गये हैं। इसमें भारत के संविधान तथा शासन की नीतियों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के जो आश्रित हैं उनके लिए आरक्षण है। प्रवेश में पिछले कई वर्षों में धांधली की

रिपोर्ट मिलती रही है और कार्यवाही भी होती रही है। पहले अनुसूचित जाति की 260 सीटें थीं, अनुसूचित जनजाति की 43 और स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की 41 सीटें थीं जिनमें से 159 अनुसूचित जाति के 9 अनुसूचित जनजाति के तथा 13 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को प्रवेश दिया गया। इस सम्बन्ध में इलाहाबाद के नागरिकों ने, वहां के क्षेत्रीय नेताओं ने, जब जानकारी चाही तो उस सम्बन्ध में एक शासनादेश किया गया। यदि आप कहें तो मैं इसे पढ़ दूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपनी बात रखिये।

यह शासनादेश 1981 में जारी किया गया था। इसमें आरक्षण करने तथा प्रवेश के लिए सुविधा की बात कही गई थी। आज संविधान के अधिकारों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की जो सुविधायें प्राप्त होती हैं, उसका खुला उल्लंघन किया जा रहा है। आज इन अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक और परीक्षा अलग से निश्चित करके इसी आधार पर उनको नम्बर दिया जाता है। मान्यवर, इस प्रकार भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के जो अधिकार हैं, आरक्षण के सम्बन्ध में, प्रवेश के सम्बन्ध में, उसका हनन हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि आप सदन की कार्यवाही रोककर इन लोगों के अधिकारों की रक्षा का निर्देश दें जिससे यह सदन इन लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही करे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय रेवती रमण सिंह और अन्य कई माननीय सदस्यों ने यह दिया है। यह घटना 16-17 जून की है इसलिए मैं नहीं समझता कि यह आवश्यक है। यह नियम के अन्तर्गत नहीं आता है। आप किसी अन्य नियम के अन्तर्गत इसको उठायेंगे तो निश्चित रूप से इसका कुछ समाधान हो सकेगा।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, यह गम्भीर मसला है उत्तर प्रदेश में हत्याओं की ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। शासन इसमें तत्परता नहीं दिखा रही है। जब कि केन्द्र सरकार की तरफ से स्पष्ट निदेश है यदि 7 साल के अन्दर शादी होने के बाद किसी महिला की मृत्यु होती है तो गम्भीरता से शासन को कार्यवाही करनी चाहिये। इस मामले में धारा 302 के अन्तर्गत रिपोर्ट हुई है लेकिन उसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वह स्पष्ट है उससे आभास होता है कि मीरा श्रीवास्तव को मारा गया है। बिजली के करेंट के निशान तथा अंगुलियों के नाखून नीले होने की बात कही है। ऐसी अवस्था में अगर कार्यवाही नहीं होती है तो इस तरह की वारदातें बढ़ती जायेंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें शासन से कम से कम सी0 आई0 डी0 जांच कराने के आदेश दें, जांच हो जाय और इस पर वक्तव्य दिला दें इस मामले को गम्भीरता से लिया जाय।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

सरकार ने घोषणा की थी कि इस तरह दहेज के कारण मृत्यु होने के मामलों की जांच के लिए अलग से एक सेल गठित किया जायेगा। जो कि आज तक गठित नहीं हुआ है तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि सरकार की यह उपेक्षापूर्ण नीति ऐसे मामलों में रही है।

श्री मैनेजर सिंह--

कम से कम इसमें निर्देशित कीजिये कि सी0 आई0 डी0 जांच की जाय। जब मेडिकल रिपोर्ट में है कि चोट के निशान हैं उसके बावजूद पुलिस बैठी हुई

है। माननीय मन्त्री जी से कहिये कि सी0 आई0 डी0 की जांच करायें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है। मैं आपका ध्यान इस विषय में आकर्षित करना चाहता हूं कि अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण के पृष्ठ 6 में 16 (2) में दिया हुआ है कि सूचना 8 दिन से अधिक पुरानी न हो। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न को आप नियम 51 या अन्य दूसरे नियमों में उठा सकते हैं।

*श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, नियम 56 में कोई सूचना तो आप स्वीकार करते नहीं हैं। सारे तथ्यों को ग्राह्यता के सम्बन्ध में रखने पर भी इस पीठ से कभी कार्यस्थगन स्वीकार नहीं हुआ। यह तो एक ज्वलंत समस्या यहां पर उठाने का प्रश्न है, उस पर शासन का ध्यान आकर्षित करने की बात है ताकि तत्परता के साथ उस पर कार्यवाही हो। जो बात आप कह रहे हैं वह शिरोधार्य है। लेकिन मामला इतना गंभीर है इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित होना ही चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए मैं इसे ध्यान आकर्षित करने हेतु शासन को भेजता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, बनारस वाले मामले में क्या हुआ 6 लोगों की मृत्यु हो गई है....

श्री अधिष्ठाता--

आपकी जो सूचना थी उस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है और स्पष्टीकरण भी दे दिया अब मैं समझता हूं कि इसमें कोई बात नहीं रह गई है।

*श्री राजेन्द्र गुप्त--

मान्यवर, आपने करण के नियम 16 के सम्बन्ध में बात की आप उसी का 18 भी पढ़ लें। मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं आपके 56 के निस्तारण के बारे में आपके श्रीमुख से व्यवस्था हुई कि शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। आप जिन मामलों में ध्यान आकृष्ट करेंगे उसमें करण 18 एप्लाई करेगा।.... सदन के संज्ञान में मैं इसे लाना चाहता हूं। आज शासन द्वारा नियमों की खुली अवहेलना हो रही है। मुझे बड़ी पीड़ा है, इसे आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने उसे पढ़ लिया है और उसी के अन्तर्गत मैंने उसे शासन को ध्यान आकर्षित करने के लिए भेजा है।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

आप देखें करण संख्या 18 में स्पष्ट दिया हुआ है--"नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त किसी सूचना को आग्राह्य घोषित करते समय अध्यक्ष उस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और ऐसी सूचनाओं पर वही प्रक्रिया लागू होगी, जो नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचना पर लागू है।" मैं चुनौती देता हूं, सन् 1985 में जब से यह विधान सभा गठित हुई है तब से लेकर आज तक किसी का भी ध्यान आकर्षण सूचना पर उस प्रकार की प्रक्रिया शासन द्वारा नहीं अपनाई गई है जिस प्रकार की नियम 301 के अन्तर्गत की जानी चाहिये। न जाने कितने माननीय सदस्यों की सूचना पर अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था हुई है कि इस पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है अथवा ध्यान आकर्षणार्थ शासन को भेजा जाता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो उस पर नियम 301 की प्रक्रिया लागू नहीं हुई है। नियम 301 के अन्तर्गत आई सूचना पर शासन द्वारा माननीय सदस्य को एक सप्ताह में अन्तरिम उत्तर और एक माह में अन्तिम उत्तर प्राप्त हो जाना चाहिये। उसमें यह भी दिया हुआ है कि जो सूचना मंत्रियों द्वारा सदस्यों को दी जायेगी, उसकी एक प्रति मान्यवर, आपके सचिवालय को भी दी जायेगी।

आप अपने सचिवालय में दिखवा लें, यदि किसी एक में भी कोई प्रति इस सम्बन्ध में आपके यहां भेजी गई हो, मैं चुनौती देता हूं इसके लिए। जब इतनी इन नियमों की खुली अवहेलना हो रही है तो मेरे मन में आशंका पैदा हो गई है और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कहीं नियम 18 का निलम्बन तो नहीं कर दिया गया है। उसका कहीं पालन ही नहीं हो रहा है वरना शासन का ध्यान आकर्षित करने का मतलब या फायदा ही क्या रह गया है ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गुप्त जी ने जो महत्व का प्रश्न उठाया है, करण 18 को माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगित कर दिया है, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र गुप्त--

लेकिन मुझे इसका कोई पता नहीं है ? यह कब स्थगित हो गया। यह, तो रहना चाहिये, वरना हमारा फायदा ही क्या रहा। इसके बिना ध्यान आकर्षण सूचना को भेजने का फायदा ही क्या हुआ यदि इस करण 18 को स्थगित कर दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता--

शेष सूचनाओं को हमने अस्वीकार कर दिया है। श्री रामगोविन्द चौधरी ने जो सूचना दी है उसे वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है. . .

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मैंने एक सूचना बस्ती जनपद के बारे में दी है. . .

श्री अधिष्ठाता--

दिवाकर विक्रम सिंह जी ने जो सूचना नियम 56 में दी है वह घटना भी 2 माह पुरानी है. . . .

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

आप मुझे इसकी ग्राह्यता के बारे में सुन लें।

(कई सदस्यों के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री बालेश्वर--

पुलिस कप्तान द्वारा सन्तरी की हत्या कर दी गई है, यह बड़ी गम्भीर घटना है आप इस पर चर्चा करायें, मान्यवर. . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें, बिना बैठे मैं आज्ञा नहीं दूंगा : आप नियमों का पालन कीजिए, जब अधिष्ठाता खड़े हों, आप बैठ जायें।

(सभी खड़े माननीय सदस्यों के बैठ जाने पर।)

आपकी सूचना 12/13 मई की घटना के सम्बन्ध में है। और आपको नियमों के अन्तर्गत यह मालूम होना चाहिए कि नियम 56 में 8 दिन से पुरानी घटना नहीं होनी चाहिये। और यह मई की घटना है, इसलिए जो कृपया नये मा० सदस्य हैं वह नियमावली को देखें और उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इसे यदि वह अन्य नियमों के अन्तर्गत उठायें तो विचार किया जा सकता है नियम 56 में नहीं,

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठ जायें, एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात कहें ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बस्ती जनपद के लगभग 10 हजार बुनकरों के बारे में, जो भुखमरी के शिकार हैं और उनकी समस्या बहुत दिनों से बरकरार चली आ रही है, सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये बताना चाहता हूं कि उनकी स्थिति यह है कि सघन हथकरघा विकास निगम के जो वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो क्रय केन्द्रों पर काम कर रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के कारण जो बुनकरों की धोतियां खरीदी गयीं उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है और 27 अगस्त को बकरीद का त्योहार है और आज उनके घर में खाने को कुछ नहीं है जिससे बुनकर भिवंडी जा रहे हैं जिससे वहां अजीब स्थिति पैदा हो गई है । यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस पर तुरन्त चर्चा करायें । बुनकरों की हालत बहुत खराब है । मान्यवर, सघन हथकरघा विकास निगम के कर्मचारी और अधिकारी पावरलूम की धोतियां खरीद रहे हैं और बिना मोहर लगाये उसी को 20 प्रतिशत डिस्कउन्ट पर अपने चहेतों को बेचकर, उसको फिर खरीद रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

संक्षेप में कहें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, इस प्रकार चार-चार बार धोतियां खरीद कर बेची जा रही हैं । यह भ्रष्टाचार का मामला है । इसलिए मंत्री जी से आश्वासन आप दिलायें कि बकरीद के त्योहार के पहले बुनकरों का भुगतान हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप--

मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने लखनऊ तहसील के तमाम गांवों का अधिग्रहण किया जिसमें बेसा गांव, जहां ट्रान्सपोर्ट नगर बनाया गया है, 4 वर्ष पूर्व यहां की जमीन का अधिग्रहण किया और कब्जा ले लिया । 20 दिसम्बर, 1984 को सालेह नगर, किला मोहम्मदी नगर, औरंगाबाद भदरुख आदि तमाम गांवों की जमीन लेने का गजट किया गया और 1-4-85 को कब्जा कर लिया गया और जमीन ले लिया एल0डी0ए0 ने, लेकिन उन काश्तकारों को, जो एक-एक, डेढ़-डेढ़ बीघे के मालिक हैं, जिनकी आय के दूसरे साधन नहीं हैं, उनकी जमीन ले ली गयी । अब उनके सामने भुखमरी का सवाल खड़ा हो गया है । मैंने विकास प्राधिकरण के सचिव और जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को पत्र लिखा परन्तु अभी तक इन गांव वालों को, काश्तकारों को पैसे की व्यवस्था नहीं की गयी है । इन लोगों को पेशगी भी नहीं दी गयी है । जबकि जमीन लेने पर एडवांस दिया जाता है । तो मैं चाहता हूं कि इस मामले पर माननीय नगर विकास मंत्री जी से वक्तव्य दिलवा दें और हम लोगों को वहां काश्तकारों को आश्वस्त करें कि उनको जल्दी से जल्दी पैसा मिल जायगा ।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी कोई सूचना नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त नहीं हुयी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, नियमों का उल्लंघन हो रहा है। 301 में सूचना दी है।

श्री अधिष्ठाता—

नियम 301 में आपने सूचना दी थी वह सूचना स्वीकार कर ली गयी है। नियम 56 में कोई आपकी सूचना नहीं है। मैं कोई मौका नहीं दूंगा।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना मैंने दी है उसकी अविलंबनीयता इसलिये है कि सन 74-75 से जिला शाहजहांपुर और बदायूं के बार्डर पर जो रामगंगा नदी है उसकी वजह से वहां पर भूलेख का बंदोबस्त हो रहा है। 20 हजार परिवारों की समस्या है, उनकी रोजी-रोटी की समस्या है। सन 74-75 से लेकर 85 आ गया है लेकिन वह बंदोबस्त पूरा नहीं हुआ है। मैंने सवाल किया था कि भूलेख बंदोबस्त कब तक पूरा हो जायेगा तो उसका जवाब आया कि कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है क्योंकि वह रामगंगा को कटने का मसला है, यहां पर कोई बंदोबस्त नहीं हुआ करता। मान्यवर, 74-75 से यह बंदोबस्त चल रहा है। सारी शहादत हो गयी है और अधिकारियों ने मौके देख लिया है। 20 हजार परिवारों से सम्बन्धित समस्या है। बड़े बड़े काश्तकार छोटे-छोटे काश्तकारों की जमीन दाबे हैं। इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है इसलिये मैंने नियम 56 में इसको उठाया है इस पर वक्तव्य दिलवा दें कि कैसे वहां पर भू-लेख नहीं हो रहा है जबकि भूलेख हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, जो मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है वह तीन घटनाओं से सम्बन्धित है।

श्री अधिष्ठाता—

आपके भाषण से पहले मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि नियम 56 के अन्तर्गत सूचना एक ही घटना से सम्बन्धित होनी चाहिये। आपने कई घटनाओं का जिक्र किया है।

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

संयोग से एक ही दिन यह घटनायें हुयी हैं। मान्यवर, कानपुर में टहनू निवासिनी श्रीमती राधा देवी की मृत्यु 3 तारीख को आग से जलने के कारण हो गयी। इसी तरह से बाबू पुरवा थाना क्षेत्र में स्थित अजीतगंज निवासिनी मुन्नी उर्फ महमूद बेगम की मृत्यु आग में जलकर हो गयी। उनको आग में जलाकर मार डाला गया। मान्यवर, इसी तरह से 22 वर्ष की श्रीमती सुशीला देवी को परसों कानपुर में जलाकर मार दिया गया। सुशीला देवी का विवाह इसी साल 4 महीने पहले हुआ था, वह फैजाबाद की रहने वाली लड़की थी। दहेज के कारण उसको मार डाला गया। इलाहाबाद में 28 जुलाई को थाना सोराम, मतियापुर निवासिनी सोनपति को मार डाला गया और उसकी लाश को कुयें में डाल दिया गया। उसके भाई ने एस0 ए0 पी0 को प्रार्थना-पत्र दिया कि उसके ससुराल वाले 5 हजार रुपये मांग रहे थे न मिलने पर उसे मार डाला गया। लेकिन इस पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। यह तीनों घटनायें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके चर्चा कराइये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मूल चन्द--

मान्यवर, मैं जनपद वाराणसी के भदोही क्षेत्र की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। भदोही क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र है। भदोही क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां कालीन का व्यवसाय होता है। मान्यवर, कालीन का उद्योग ऐसा उद्योग है जोकि विश्व के मानचित्र में एक मुख्य स्थान रखता है कालीन के उद्योग से 150 करोड़ विदेशी मुद्रा हमारी सरकार को अर्जित होती है। लेकिन विकास के नाम पर हमारी सरकार उस क्षेत्र की उपेक्षा करती है।

श्री अधिष्ठाता--

जो आपका विषय है, उसकी ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री मूल चन्द--

मान्यवर, मैं कहता हूं कि वहां के कालीन के मजदूरों के लिए कोई व्यवसाय नहीं है वहां अगर उन कालीन मजदूरों के लिये उचित व्यवस्था हो, अगर हर गांव सभा में बिजली लग जाय और 20 घंटे लाइन दी जाय और हर गांव सभा से लिंक रोड जोड़ दी जाय और डाक्टरी दवाई की सुविधा करा दी जाय, तो 150 करोड़ के स्थान पर 300 करोड़ की विदेशी मुद्रा हमारी सरकार को अर्जित हो सकती है। मान्यवर, विदेशी लोग वहां पर आते हैं, लेकिन वहां की गंदगी देख कर वहां पर रुकते नहीं हैं, वे वाराणसी चले जाते हैं। मान्यवर, अगर हर गांव सभा में लिंक रोड हो जाय, तो विदेशी व्यापारी हर गांव में जाकर सीधे सम्पर्क करके मजदूरों को काफी फायदा दे सकते हैं और उससे सरकार को मंशा भी पूरी हो सकती है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र को विकास के नाम पर उपेक्षित किया जा रहा है। मान्यवर, वह हरिजन क्षेत्र है, इसलिए उस क्षेत्र को उपेक्षित किया जा रहा है।

मान्यवर, आज देश में अलगाववादी नीति चल रही है, जैसे कि माननीय सदस्य इलाहाबाद श्री अनुग्रह नारायण जी ने बताया कि इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद में हरिजनों की अलाहिदा परीक्षाएं होती हैं और उनकी अलाहिदा कापियां जांची जाती हैं और रिजर्व कोटा के आधार पर उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है। तो एकता और अखंडता कैसे कायम रहेगी? मान्यवर, इस प्रकार से शिक्षा जोकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां पर भी अलगाव हो रहा है। ऐसी सूरत में मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह चाहूंगा कि क्षेत्र भदोही, जोकि कालीन औद्योगिक क्षेत्र है, उसकी उपेक्षा विकास के लिये न करें और वहां के व्यवसाय के लिए विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, जो मैंने बात कही है उसके भुगतान के लिये शासन से आश्वासन दिला दें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय दिवाकर विक्रम सिंह ने जो नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचना दी है, उसे तो अस्वीकार करता हूं, लेकिन ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का आज बजट है, कोरम को मान्यवर, देख लें। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का बजट हो और कोरम नहीं है।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या 78-सूचना विभाग

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, कोरम नहीं है।

*श्री हुकुम सिंह--

संसदीय कार्य राज्य मंत्री 3 बजे तक यह बहस चलायेंगे, तो कोरम क्या रहेगा।

(कोरम के लिए घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,61,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं देश के सबसे बड़े प्रदेश के सबसे छोटे विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। विभाग के महत्व को देखते हुये, जितनी धनराशि मैंने मांगी है, अपने विभाग के काम को आगे चलाने के लिये, शासन की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिये, माननीय सदस्यों को कम लगी होगी। संसाधन को देखते हुये मैं आश्वस्त करता हूं कि जितनी धनराशि स्वीकृत होगी, उसका एक-एक पैसा सही रूप में खर्च करना, सदुपयोग करना हमारा दायित्व होगा। मान्यवर, इस प्रदेश में अभी तक 56 जिलों में हमारे सूचना अधिकारी और सूचना केन्द्र कार्यरत हैं। एक जनपद कानपुर देहात जो नया बना है, वहां सूचना अधिकारी का कार्यालय नहीं था। इस बजट में प्राविधान किया गया है, कानपुर देहात में एक सूचना अधिकारी का पद सृजित किया जाय। इसके अतिरिक्त हमारी यह नीति रही है कि इस विभाग को जिले से नीचे तहसील स्तर पर ले जाया जाय। तहसील स्तर पर ले जाने के लिये बजट में प्राविधान किया गया है। हालांकि इस वर्ष 3 तहसील के पद सृजित करने की मांग है। हमें विश्वास है कि आगे आने वाले वर्षों में तहसील स्तर पर सूचना विभाग पहुंच जायगा। मान्यवर, हमने इस विभाग को 5 क्षेत्रों में जिसको मण्डल कह सकते हैं, बांटा है। उनका विकेन्द्रीकरण करके उपनिदेशक सूचना हमने वहां पर बैठाया। इस बार एक और उपसूचना निदेशक का पद सृजित करने का और क्षेत्र सृजित करने का प्रस्ताव है। वहां पर उनका काम क्या हो, काम कैसे बांटा जाय? मान्यवर, आपको जानकारी होगी कि अभी तक पूरे प्रदेश में जहां भी आवश्यक होती थी फिल्म यूनिट यहां से जाती थी, उनके आने-जाने का खर्च और पूरे प्रदेश को कवर करने में दिक्कत होती थी। अब हर क्षेत्र के लिये मण्डल स्तर पर फिल्म यूनिट होगी। वहां के विकास कार्यों की डाकूमेंटरी फिल्म बनायेगी।

मैं माननीय सदस्यों के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूं। कमियां सामने आयेंगी, कमियां हैं, कमियों को दूर करना, खासकर विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों के सुझाव से अपने पक्ष के सदस्यों के सुझाव से, हमारा दायित्व है। मान्यवर, इस समय हर जिले में सूचना अधिकारी कार्यरत नहीं हैं, हमारे प्रयास के बावजूद नहीं हैं। क्योंकि सूचना अधिकारी का पद ऐसा है जिसका चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है। मुझे खेद है कि हमारे प्रयास के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाये। 8 पदों के चयन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये हमने अनुरोध किया था लोक सेवा आयोग से। लेकिन अभी तक उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। आगे आने वाले वर्ष में 31 दिसम्बर तक कुछ सूचना अधिकारी चयनित होने जा रहे हैं, हम प्रयास करके, तालमेल करके, जिन जिलों में सूचना अधिकारी नहीं उनकी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, केवल दो विन्दुओं के ऊपर में सदन का ध्यान लाना चाहूंगा। आपको जानकारी है कि समाज के जितने भी हमारे साथी हैं, जिनको पेंशन की आवश्यकता पड़ती है, शासन के जो अधिकारी रहते हैं, यह देखते हुए कि सेवा निवृत्ति के बाद, उनके लिये धन की उपलब्धता की जाती है। मान्यवर, समाज कल्याण की दृष्टि से विकलांगों, विधावओं आदि को पेंशन देने का प्राविधान किया है। सांसदों और विधायकों को पेंशन देने का प्राविधान है। मान्यवर, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक जो वरिष्ठ सदस्य हैं, वे जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिये आवश्यक हैं, वे पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग इस सुविधा से वंचित रहे हैं। इसमें शक नहीं कि बिना स्वस्थ पत्रकारिता के लोकतंत्र कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मान्यवर, 1977 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की इस आशय की कि पत्रकारों के लिये पेंशन का प्राविधान करेंगे। लेकिन पत्रावली चलती रही। आज हम इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रताप से घोषणा करना चाहते हैं कि सरकार ने निश्चय किया है कि इसी सत्र में एक विधेयक लाकर पत्रकारों को भी पेंशन देने का प्राविधान किया जायगा।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, वर्ष 1976 से हमारे विभाग ने प्रयास किया था कि हमारे यहां के जो टैलेंट हैं, जिनको अपनी प्रतिभा दिखने के लिये यहां मौका नहीं मिलता था और इसके लिये जो बम्बई जाते थे। यहां इतना बड़ा प्रदेश होते हुए जो लोग इसमें फिल्म निर्माण करना चाहते हैं, डायरेक्टर का काम करना चाहते हैं, प्रोड्यूसर का काम करना चाहते हैं, जो पहले इसके लिये बम्बई जाते रहे, इसकी पूर्ति के लिये हमने चलचित्र निगम का निर्माण किया था। लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र में हम अधिक कार्यवाही नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसके लिये प्रयास चलता रहा, रुकावटें आती रहीं। प्रयास होता रहे तो पता लगता है कि शासन की सदाशयता ठीक है। मैं सदन को सूचित कहना चाहता हूं, खुशी के साथ कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में आज सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि फिल्म निर्माण, जिसमें छविगृहों का निर्माण भी शामिल है, डबिंग, लेबोरेट्री, जिसके अन्तर्गत यह सारा काम आता है, सबको उद्योग घोषित करने का। मान्यवर, अभी तक उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें फिल्म निर्माण को उद्योग घोषित किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं आपके सुझाव जानना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके जो रचनात्मक सुझाव होंगे, हम उनको पालन करने में सफल होंगे।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78 में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मंत्री जी ने बहुत मुख्तसर तौर से अपनी बात कही है और यह मानते हुए कि यह प्रदेश का सबसे बदनसीब गरीब विभाग है, जिसके पास सबसे कम पैसा है, लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के लिये निभा रहा है।

मान्यवर, मैं सूचना विभाग के लिये एक शेर कहकर बात शुरू करूंगा—

हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन,
खाक हो जायेंगे हम तुमको खबर होने तक।

मान्यवर, यह सही बात है कि सिर्फ सरकार की बात को जनता तक पहुंचायी जाये—यह विभाग इसलिये नहीं है। सरकार अपनी बात कह दे, सरकार सही या गलत गुमराह करे जनता को, कोई मुखालिफत हो या न हो, लेकिन जनता तक सरकार की बात पहुंच जाय, यही एक मकसद विभाग का नहीं है। विभाग का अहम काम यह भी है जनता की जो समस्यायें हैं, जनता की जो तकलीफें हैं, जनता की जो मांगें हैं, वे विभाग के जरिये पूरे प्रदेश और पूरे देश की आवाम और उसके कानों तक पहुंचे, उसके दिलो दिमाग तक पहुंचे।

लेकिन मान्यवर, मुझे अफसोस है कि आपके विभाग का इस्तेमाल सिर्फ अपनी छवि को बनाने के लिये, पार्टी का काम करने के लिये, इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने के लिये किया गया है। मैं मिसाल के तौर पर मैं इस सदी के सफाकाना शर्मनाक, अफसोसनाक, इंसानियत सोज इंदिरा गांधी के कत्ल का जिक्र करूंगा। मान्ययर, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती थी। लेकिन, यह सियासी कत्ल दुनिया के सियासी पर्दे पर अकेला नहीं था। इससे पहले कैनेडी का कत्ल हुआ था सदर सादात, कर्नल नासिर, शाह फैसल और खुद हिन्दुस्तान में गांधी जी का कत्ल काबिले जिक्र है। लेकिन, गांधी जी के कत्ल पर रेडियो का इस्तेमाल, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल इस ढंग से हर्गिज नहीं हुआ, जिस ढंग से इंदिरा गांधी के कत्ल पर इन माध्यमों का इस्तेमाल सियासी अगराजों मकासिद और वोट हासिल करने के लिए किया गया।

मान्यवर, यही नहीं सरकार ने पार्लियामेंट और एसेम्बली के चुनाव में रेडियो और टेलीविजन का भरपूर नाजायज इस्तेमाल किया और इस तरह से करोड़ों आवाम के जजबात से खिलवाड़ किया। मान्यवर,

रात को रात कह दिया मैंने,
बस इसी पर बिगड़ गई दुनियां।

रेडियो और टेलीविजन का इस्तेमाल पार्लियामेंट, एसेम्बली के इलेक्शन में, प्रधान मन्त्री के भाषणों में, मुख्य मंत्रियों के भाषणों से शुरू होता था और उसी पर तमाम।

पिछली बार सन् 1982 में चल-चित्र निगम ने रंगीन फिल्म बनाई, उस वक्त के मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी पर, लेकिन, इतनी बड़ी रकम लगाकर बनायी गयी फिल्म आज तक किसी सिनेमाघर के पर्दे पर नहीं दिखायी गयी। मेरा निश्चित आरोप है कि यह विभाग अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में पूरी तरह से नाकाम है। मैं इसी विभाग से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कुछ कहना चाहूंगा। बताया गया है कि सार्वजनिक संस्थाओं में 1985 तक 860 टेलीविजन सेट्स लगे हैं, यह कौन सी संस्थायें हैं, आज तक नहीं मालूम ? यह संस्थायें आम जनता तक क्या फायदा पहुंचा रही हैं, हमें नहीं मालूम। टेलीविजन सेट अफसरान के घरों में लगे हैं, टेलीविजन सेट रखा है संस्था में, लेकिन उसका स्टैबलाइजर लगा हुआ है आई० ए० एस० के फ्रिज के अन्दर। मैंने खुद देखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी पहाड़ी इलाके के हैं। आपको मान्यवर, याद होगा एक दिन एक माननीय सदस्य ने अल्मोड़े को किसी तहसील को जिला बनाने के लिए कहा था। हम बदनसीब लोग भी नैनीताल की सरहद के जिले में रहते

है । लेकिन न तो वहां पर काम है और न काज है वहां पर भुखमरी के सिवाय और कुछ नहीं है। कारखाना बनना है तो नैनीताल में, बिल्डिंग बननी है तो नैनीताल में। आज हालत यह है कि नैनीताल में कोई भी कारखाना लगाने के लिए माकूल जगह नहीं है, वहां पर काम करने के लिए मजदूर नहीं है। मान्यवर, हमारे जिले को भी नैनीताल की तहसील बना दी जाय । मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि पर्वतीय अंचल का विकास करना है, क्योंकि वह पिछड़ा हुआ इलाका है, उन्हें ज्यादा इनफारमेशन देने की जरूरत है, वहीं पर मंत्री जी कहते हैं कि हमने पहाड़ी इलाके में कोई भी टेलीविजन सेट देने का काम नहीं किया है और आपका विभाग कहता है कि 800-900 टेली-विजन सेट दिए गए हैं।

मान्यवर, चलचित्र निगम आज से ठीक 10 साल पहले कायम हुआ था। इसका मकसद यह था कि तहसीलों में और बड़े-बड़े गांवों में छोटे-छोटे पिक्चर हाउसेस बनाये जायं लेकिन हालत यह है कि जो पिक्चर हाउसेस बनाये गये हैं, उनमें से 80 प्रतिशत घाटे में चल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि स्टाफ सर-प्लस है, सिफारिश पर लोग रख लिए गए हैं, मैनेजमेन्ट खराब है। मेरा इल-जाम यह भी है कि इस विभाग में तक-रीबन सारे अधिकारी आई0 ए0 एस0 हैं, जो इस विभाग के ऊपर कंट्रोल करते हैं। मान्यवर, आप जानते हैं कि कई बार इसकी आलोचना भी हुई है। हमने यह समझ लिया है कि आई0 ए0 एस0 के अलावा कोई भी अधिकारी विभाग चलाने के लिए सक्षम नहीं है। हर डिपार्टमेन्ट में आई0 ए0 एस0 को लाद दिया गया है चाहे वह टेक्निकल डिपार्ट-मेंट हो या इन्जीनियर और चाहे वह मेडिकल डिपार्टमेन्ट हो। इस चलचित्र निगम में भी आई0 ए0 एस0 अधिकारी को बैठा दिया गया है। हमारा यह भी एतराज है कि आई0 ए0 एस0 को जो हर विभाग में लाद दिया गया है, उसे आप ठीक करें। छोटे-छोटे पिक्चर हाउसेज की, जो जेरे तामीर थे, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बिलग्राम में एक पिक्चर हाउस बन रहा था 1982 में, उसका काम बन्द हो गया है। इन्द्रानगर में एक ट्विन सिनेमा और कमर्शियल काम्पलेक्स बनने जा रहा है। इस पर आप कब से काम शुरू कर देंगे, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

माननीय मंत्री जी ने फिल्म बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे प्रदेश के जो ऐक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, स्टोरी राइटर्स हैं और डाइरेक्टर्स हैं, जो भाग कर बम्बई जाते हैं, उनको रोका जा सके और प्रदेश में ही फिल्म बनाने का काम किया जाये। यह अच्छी बात है। इस पर यह डिपार्टमेंट जोर दे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को याद होगा कि हरिजनों की समस्याओं से मुतालिक फिल्म बनाने के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने 8 लाख रुपए दिए थे। लेकिन सारा रुपया कहां है, आई0 ए0 एस0 अधिकारियों की जेब में। साइट देखने जा रहे हैं फिल्म कहां से शुरू करनी चाहिए, कहां से हरिजनों की प्राब्लम्स की शुरुआत करें। इसमें पैसा खर्च हो रहा है। 25 हजार रुपया जमा किया गया है प्रोसेस फी के नाम पर जिसमें कुछ लोगों ने जमा भी किया है। हमारे यहां साहिबे सलाहियत लोगों की कमी नहीं है। मैं एक नाम बता दूं--मुजफ्फर अली, जिसने पूरी दुनियां में नाम कमाया है, उमराव जान, आगमन गमन जैसी फिल्में बनाकर। बैनल अकवामी शोहरत हासिल की है। चिकेन वर्कर्स के सिलसिले में वह एक फिल्म बनाने जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

अभी आप कितना समय...

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह तो अभी शुरुआत है।

एक सदस्य—

अभी तो कास्टिंग चल रही है, मान्यवर ।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां—

ऐसी फिल्में जिसने बनाई जो बैनल अकवामी शोहरत की मालिक बनी है, ऐसे डाइरेक्टर को पैसा न दिया जाय, यह मिसाल है इस विभाग के निकम्मेपन की ।

मान्यवर, अखबारात इस विभाग का एक अहम लिंक है । अभी इधर से एक आवाज आयी थी, नेशनल हेराल्ड, स्वतंत्र भारत, कौमी-आवाज, इसमें आए दिन हड़तालें रहती हैं... जी हां नवजीवन।

एक सदस्य—

स्वतंत्र भारत नहीं है, नव जीवन है ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

इसकी वजह, उन लोगों को तनख्वाह का न मिलना, पालेकर एवार्ड का पूरी तरह से लागू न करना है । जब यह सरकार उन अखबारों को जो इनकी अपनी नाजायज औलादें हैं का ख्याल नहीं करते, राहत नहीं देते तो दूसरी जायज औलादों का क्या ख्याल करेंगे । लेकिन कहते हैं कि बड़ों को नहीं छोटे अखबारों को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं । इसका नतीजा यह है कि जो उनके चहेते अखबार हैं, इनके मंत्रियों के भाषण, तस्वीरें कार्यों को पहले पृष्ठ पर, पहली लाइन में छापते हैं, लेकिन जो इनके खिलाफ लिखते हैं, इनकी पालसियों पर रोक लगाते हैं, उनको न कागज का कोटा देते हैं न इश्तिहार । आप क्यों मुस्करा रहे हैं, आपके अखबार को भी नहीं मिलता है ।

(व्यवधान)

आप न मुस्कराइये और अगर आप चाहेंगे तो जो शिकायत आपने लिखी हैं आपको पेश कर दूंगा । मान्यवर, आज से 3 साल पहले भी सूचना पर कटौती का प्रस्ताव पेश किया था और उस समय जो पुराने सदस्य मौजूद होंगे, उन्हें केवल राम का नाम याद होगा । यह हरिजन सूचना अधिकारी था, इन्हें सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया फिर इसलिए कि यह हरिजन है और गरीब मजदूर है, बराबरी का हकदार नहीं है इसलिए इन्हें सूचना अधिकारी के पद से हटा दिया गया । मैंने इस सदन में प्रश्न उठाया था, अल्प-सूचित तारांकित के तौर पर बजट पर कट मोशन पेश करते हुये मामला उठाया था, मान्यवर, कार्यवाही निकाल कर देख ली जाय, पिछले सूचना मंत्री ने साफ आश्वासन दिया था कि मैं यह ऐलान करता हूं कि केवल राम को सूचना अधिकारी बना दिया गया । बना दिया जायगा नहीं, मान्यवर, बना दिया गया । इन्होंने "बना दिया गया है" कहा था और उसके बाद हमारे माननीय हुकुम सिंह जी का जवाब दो कागजों पर छपा हुआ आया कि चूंकि शासन की ऐसी नीति नहीं है इसलिए इस हरिजन को सूचना अधिकारी नहीं बनाया गया । यह सरकार अपने आपको हरिजनों की, अकलियतों की रखवाली कहती है और फिर भी केवल राम को इसलिए सूचना अधिकारी नहीं बनाया गया क्योंकि वह उस समाजी से जुड़ा हुआ था, जो हरिजन है, दलित है, पिछड़ा हुआ है और जिसे आज भी कंधे से कंधा मिलाकर बैठने का हक नहीं है ।

दो बड़ी मैगजीन्स निकलती हैं "नया दौर" और "उत्तर प्रदेश मासिक" के नाम से । "नया दौर" का स्टैंडर्ड अच्छा है । यह उर्दू की बड़ी बदनसीबी है कि जहां हम सब मिल कर उर्दू की बात करते हैं वहीं जो काम हमारी तरफ से उर्दू के लिए होना चाहिए, उसे अदा नहीं करते । पूरा हिन्दुस्तान उर्दू की अच्छी मैगजीन्स से महरूम है । मैंने कहा है कि किसी जुबान की जिन्दगी तब तक नहीं बच सकती जब तक उसे रोजी से नहीं जोड़ा

जायगा । उर्दू के साथ यही नाइंसाफी रही कि इसे रोजी से नहीं जोड़ा जा सका । उर्दू की कोई अच्छी मैगजीन नहीं निकलती है । उत्तर प्रदेश से निकलनी शुरू हुई, रघुपत सहाय "फिराक गोरखपुरी" के नाम से एक अंक निकला है, काफी अच्छा है लिटरेचर का एक हिस्सा है लेकिन इसका जो एडीटोरियल बोर्ड है, उसमें और अच्छे लोग रखे जाने चाहिए। जो व्यक्ति अपनी काबलियत, सलाहियत और लियाकत की बुनियाद पर आये, उसे रखा जाना चाहिए। सरकार यह कहती है कि ऐसी पालिसी रखना चाहते हैं जिससे कम से कम फिरकापरस्ती फैले । आसाम, गुजरात, पंजाब और दिल्ली सब आपके सामने हैं । हमारी मैगजीन्स हैं, अखबार हैं, सदन की कार्यवाही है सदन और सदन के बाहर हमारा अमल है । सबमें ऐसा होना चाहिए जिससे मुल्क का माहौल अच्छा हो लिहाजा अगर कोई एसी मैगजीन जो सरकार निकालती है उसमें ऐसे फिरकापरस्ती फैलाने वाले मजमीन जिनका तवारीख से कोई वास्ता है न हकीकत से कोई ताल्लुक है, उसकी वजह यह है कि टेलेन्टेड लोग नहीं रखे जाते हैं सिफारिश पर रखे जाते हैं इसलिए वो जानते नहीं हैं कि मजमून में किस तरह एडिटिंग होना चाहिए और क्या नहीं ?

यह अप्रैल, 1984 की एक मैगजीन है साकेत अंक । इसमें निकला है "अयोध्या के सांस्कृतिक भू दृश्य" इसमें एक हिस्सा है "मुस्लिम काल" । उसमें मुस्लिम मुगल बादशाहों के बारे में बार-बार यह कहा गया है कि वह फिरकापरस्त थे बाबर के बारे में कहा गया है, यह सही है कि एक हजार मुगल नंगे घोड़ों की पीठ पर बैठकर यहां आये और सैकड़ों साल यहां हुकूमत की और इसे अपना वतन बनाया यह भी सही है कि उसमें से एक भी जिन्दा वापस नहीं गया और सब यहीं दफन हो गये तमाम की कब्रें इस खाके वतन में मौजूद हैं । उन्होंने हिन्दुस्तान को बहुत कुछ दिया है तारीख का पसमन्जर, तहजीब तमद्दन, इमारात जबकि अंग्रेजों ने, जो सात समन्दर पार से आये हम पर जुल्म की हुकूमत कायम की । हमारी तहजीब, हमारा माल यहां तक कि ताजमहल, लालकिला और तमाम अहम इमारात से हीरे जवाहरात नोच कर ले गये और छोड़ गये गुलामी की यादगार, अंग्रेजी जुबान जिसे आप आज तक खत्म न कर सके अफसोस उंगली उठाते हैं उन पर जो हिन्दुस्तान के मएयार थे । अंग्रेज जो हिन्दुस्तान की पूरी सभ्यता को तहस-नहस करके चले गये गुलामी के उस बोझ को आज तक न उतार सके ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, यह बजट पर भाषण हो रहा है या हिस्ट्री का क्लास लिया जा रहा है ?

श्री मुहम्मद आजम खां--

बाबर के बारे में इस किताब में जो छपा है कि उसने कितने ही मन्दिरों को तुड़वा कर मस्जिदें बनवाई हैं । लेकिन मैं पूरी कूवत के साथ कहता हूं कि अगर बाबर के जमाने में मन्दिरों को तुड़वा कर मस्जिदें बनवाई गयी हैं, कोई इस बात की तस्दीक कर दे, यह बात साबित हो जाय तो मैं कहता हूं कि मैं सदन की सदस्यता से महरूम हो जाऊंगा, फिर कभी इस सदन में नहीं आऊंगा ।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि ऐसे मजहबीन आर्टिकिल ऐसी पुस्तकों में नहीं छापे जाने चाहिये जो कि सरकार की तरफ से निकाली जाती हैं । इसके साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे अहम डिपार्टमेन्ट का जो कि आम जनता में अपना अहम रोल प्ले कर सकता है, जनता की समस्याओं को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगा ।

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सूचना राज्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण हीन किया ।

मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस सीमित संसाधनों के बजट का समर्थन करता हूं और माननीय मुहम्मद आजम खां द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मुहम्मद आजम खां तो इस सरकार का वोल्टेज स्टेबलाइजर देख रहे थे लेकिन मैं कहता हूं कि मुहम्मद आजम खां को देख कर अच्छे-अच्छों का वोल्टेज स्टेबलाइजर फेल हो सकता है।

मान्यवर, आज मैं बधाई देता हूं माननीय सूचना मंत्री जी को कि उन्होंने आज बहुत प्रतीक्षित घोषणा की है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहु-प्रतीक्षित जो होनी थी, इसे आज माननीय सूचना मंत्री जी ने किया है कि फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा देने का मैं समझता हूं कि कुछ लोगों के जेहन में जो कि तंगेजेहनसीब हैं, उनकी समझ में यह बात नहीं आयेगी लेकिन इस सदन में बहुत से प्रतिभाशाली लोग भी हैं वह समझ गये होंगे कि उत्तर प्रदेश में जिसने कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में हमेशा अपना उच्च स्तर कायम रखने में अपना नाम किया है, यह उत्तर प्रदेश की धरती सदा से उर्वरा रही है, उसने सदैव कोई न कोई संस्कृति और कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने में अपना योगदान किया है चाहे वह पर्वतीय आंचल के जैसे गढ़वाल के लोग हों, चाहे पर्वत की सुन्दर छटा हो, चाहे मैदानी क्षेत्र के चाहे आगरा जैसे ऐतिहासिक स्थान की बात हो, जरा राणा जी को जगा दें, वह सो रहे हैं।

(हंसी)

तो मैं कह रहा था कि चाहे गंगा-यमुना के पास के तीर्थस्थल हों, उ0 प्र0 ऐसी जगह है कि यह हमेशा से फिल्म वालों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। यह भूमि हमेशा फिल्म बनाने वालों को आकर्षित करती रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि फिल्म तो बन ही रही हैं लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज तक किसी ने उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की दिशा में नहीं सोचा है। मैं इसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

मान्यवर, मैं जानता हूं कि इस काम में पैसे की कमी आयेगी और इसके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी को अपने दो-एक सुझाव देना चाहूंगा। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि फिल्म में एक क्षेत्र वितरण का क्षेत्र होता है। आज वितरण के क्षेत्र के लिये दिल्ली और उत्तर प्रदेश अलग-अलग टेरीटरी बने हुए हैं। जितने वितरण हैं उनका दिल्ली में आफिस है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स दिल्ली के ही हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं है जिसका आफिस उत्तर प्रदेश की जमीन पर हो। नतीजा यह होता है कि सारे उत्तर प्रदेश से मनोरंजन के रूप में जो पैसा जमा होता है वह वितरक दिल्ली में जमा करता है, यह केन्द्र की नीति रही है जिस प्रदेश में जितना ज्यादा टैक्स जमा होता है उसका 50 प्रतिशत उसकी बढ़ोत्तरी के लिए, विकास के लिए लगता रहा है। होता यह है कि उत्तर प्रदेश के लोग पैसा देते हैं और उसका इस्तेमाल होता है दिल्ली जैसे प्रदेश में। मैं सूचना मंत्री जी से चाहता हूं कि फिल्म उद्योग का वितरण क्षेत्र अलग हो जाय, पंजाब ने ऐसा किया है। इससे प्रदेश के विकास के लिए ज्यादा धन मिल सकता है। एक चीज लोकतंत्र के लिए अवश्य कहना चाहता हूं और वह आवश्यक भी है कि जिस प्रदेश में या देश में स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं होगी, न वहां प्रगति हो सकती है और न लोकतंत्र जिन्दा रह सकता है। आज जो हमने प्रयास किया है वह यह है कि हम पत्रकारों की स्वतंत्र कार्यपद्धति के लिए एक ऐसा विषय पढ़ाये जिससे वह अपने कार्य को अमली जामा पहना सके। मान्यवर, 2 मिनट और चाहता हूं। मान्यवर, सूचना विभाग का जन्म दिया था पंत जी ने और उसको खतम किया

था एक मुख्य मंत्री ने। शायद उनके जेहन में आ गया होगा। मान्यवर, वह महिला विरोधी रहे, उद्योग विरोधी रहे ह, मान्यवर, मने नाम नहीं लिया है, लेकिन राणा साहब के बोलने से मालूम हो गया है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, थोड़ा सा समय तो दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

दो बजट आने हैं। आप समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, एक सिफारिश करते हुए सूचना मंत्री जी से अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो नयी फिल्म बनायें अगर उसमें विदूषक या खलनायक की जगह हो तो राणा जी को जरूर कन्सीडर कर लें। यह कहते हुए मैं बजट का समर्थन करता हूं।

[3 बजकर 7 मिनट]

*श्री त्रिलोक चन्द्र--

अधिष्ठाता महोदय, यह सूचना एवं प्रचार विभाग का बजट माननीय मंत्री जी ने पेश किया और श्री आजम खां साहब ने इसके कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यह विभाग देखने में बहुत छोटा और धन भी इसमें कम है लेकिन प्रजातन्त्र में इस विभाग का सबसे ज्यादा महत्व है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस विभाग की है। जो इनफार्मेशन विभाग है उसके द्वारा खास तरीके से सरकार की नीतियों का प्रचार और प्रसारण पब्लिक में जाता है और खास तरीके से डेमोक्रेसी में जो प्रतिपक्ष में उसकी भावना का भी प्रसारण होता है यह दोनों काम जो सूचना विभाग को करने होते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि सूचना विभाग ने अपने सूचना प्रसारण का काम छोड़कर वह काम ले लिया है जो नहीं लेना चाहिए लेकिन यहां वह बात पता नहीं लगती कि जनसम्पर्क कहां होता है। अब उनके जनसम्पर्क अधिकारी हैं, हर मंत्री के साथ जनसम्पर्क अधिकारी हैं। जिले में भी उनके जनसम्पर्क अधिकारी हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मन्डलों में उनको विभक्त कर दिया है। लेकिन हमको नहीं मालूम कि कोई गवर्नमेंट की सूचना है, हमारी सूचना है, गवर्नमेंट की सूचना जो जन सुविधा के लिए है, पब्लिक के लिए भेजी जाती है।

किस आदमी को पता लगता है, किसी को पता नहीं लगता है। जो सुविधायें गवर्नमेंट देती है, जो नियम जो कानून सरकार बनाती हैं, उनकी सूचना गांव के आदमी को नहीं पहुंचती है, इसी कारण उनको वकील करना पड़ता है, लीडरों से पूछना पड़ता है कि कानून क्या है, लेकिन उनको कोई नहीं बताता है। लोकपति जी बैठे हुए हैं, इनके विभाग को कितनी सुविधायें हैं, उनको कोई गांव के आदमी को बताता नहीं है, हलांकि विभाग ने सूचना अधिकारी बना रखा है, लेकिन जिस जनता तक यह सूचना पहुंचनी चाहिये, वह नहीं पहुंची है। तो मान्यवर, मैं अभी पिछले दिनों दिल्ली में था, दिल्ली के सूचना केन्द्र की बड़ी तारीफ की है, एम0 पी0 से बड़ी समस्यायें रखता है। 5 साल में यह जो डायरी छपती है, जो सूचना पंचांग छपता है और एक आध किताब हमको मिल गई, फिर मैंने बार-बार कोशिश की कि सूचना अधिकारी कहां पर हैं, वह नहीं मिले, रेजीडेन्ट कमिश्नर के यहां पर फोन किया कि वह बतावे कि क्या कहना है, किस बात पर क्या बोलना है, लेकिन उनका पता ही नहीं चला। कभी कह दिया गया कि यू0 पी0 भवन गए हैं और कभी कह दिया गया कि मिनिस्टर के यहां पर गए हैं। तो हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिपक्ष के हैं, तो हमें बताना तो चाहिए। अगर आप इन बातों को नहीं बतायेंगे तो हमारा आना बेकार हो जाता है, चाहे वह सेन्ट्रल का हाउस हो या यहां का हाउस हो। मैं 5 साल तक रहा लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया, मैंने कोशिश भी की।

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय समाप्त हो गया है, अपना भाषण समाप्त करें।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, दो मिनट का समय और दे दें वहां पर। छोटी बात नहीं उठाई जाती है। लेकिन किसी से सम्पर्क हो नहीं हो सका, हालांकि दफ्तर आपने खोल दिये हैं और वह मन्त्रियों के चक्कर लगाते रहते हैं। मान्यवर, सरकार आती है और जाती है लेकिन सूचना और प्रसारण का जो कर्तव्य है, उसको निभाना चाहिए। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जहां तक टी0 वी0 और रेडियो का सवाल है, यहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और न कोई कन्ट्रोल है। कुछ बातें तो सूचना विभाग के अधिकार में हैं। केन्द्र में चर्चा होती है, 5-6 लोग होते हैं कुछ विरोध के होते हैं और कुछ सरकारी पक्ष के होते हैं, तो इस तरह से गोष्ठी कराई जाती है, लेकिन इस तरह की गोष्ठी हमारे यहां पर नहीं की जाती है। तो टी0 वी0 या रेडियो पर किसी समस्या को लेकर गोष्ठी कराई जानी चाहिए। एक आध मिनिस्टर का भाषण करा दिया और उसी से अपनी इतिश्री मान लेते हैं।

मान्यवर, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि आपने अपने भाषण में कहा कि आपने चलचित्र निगम खोला है, प्रमोद जी ने कहा, आप जानते हैं कि 104 निगम हैं वह सब घाटे पर चल रहे हैं, तो यह भी घाटे पर ही चलेगा। नोयडा में आपने स्टूडियो बनवाया लेकिन आप फिल्म वालों को बिजली नहीं देंगे, सड़क नहीं बनायेंगे तो यहां पर कौन आयेगा, उससे आप टैक्स बहुत लेंगे और ला एन्ड आर्डर की प्राब्लम होगी तो चलचित्र निगम की कहानी वही है जैसी और की कहानी है। अंत में मैं एक सुझाव देकर अपनी बात बंद करना चाहता हूं। आप इस विभाग का सरकारी-करण न करें। यह जनता का विभाग है और इसे जनता का रहने दें।

श्री अमर चन्द्र--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मेरे अनुरोध पर मुझे सूचना विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, सूचना विभाग एक ऐसा माध्यम है जो प्रजातंत्र में जनजागरण का काम करता है। इसके माध्यम से सूक्ष्म से सूक्ष्म खबरें प्रदेश स्तर के सूचना केन्द्रों से लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। इस प्रकार हमारे प्रदेश में 64 सूचना केन्द्र हैं जिनके द्वारा सरकार द्वारा जनता के लिए किये गये विशिष्ट कार्यों की जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाई जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान तहसील स्तर पर सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। जब तक तहसील स्तर पर सूचना केन्द्र नहीं होंगे तब तक यह संभव नहीं है कि हमारी सरकार द्वारा किये गए विलक्षण कार्यों की सूचना जनसाधारण तक पहुंच सके।

इसके साथ ही मैं ब्लाक स्तर पर छविगृह खोले जाने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, इस विभाग को सशक्त बनाने के लिए अधिक राजस्व इकट्ठा करने के लिए चलचित्र निर्माण की जो घोषणा की गई है उसमें अधिक धन बढ़ाने के लिए निवेदन करूंगा और जिस तरह से पूना फिल्म इस्टीट्यूट है उसी तरह

का इंस्टीट्यूट हमारे प्रदेश में भी स्थापित होना चाहिए। जब तक हम अच्छे निदेशक, अच्छे कलाकार और उनकी कलाओं को विकसित करने का काम नहीं करेंगे, और उसके लिए प्रशिक्षण नहीं देंगे तब तक यह संभव नहीं है कि सूचना विभाग इससे अधिक राजस्व प्राप्त कर सकेगा।

इसके साथ ही मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश में लखनऊ में या अन्य किसी भी जगह पर एक फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाय।

धन्यवाद।

*श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान चलचित्र निगम के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। करीब एक साल पहले आक्रोश और गृहप्रवेश दो फिल्में इस निगम द्वारा खरीदी गई जो बहुत चली लेकिन उत्तर प्रदेश के चलचित्र निगम को जो इसका वितरक निगम है अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोनों में घाटा हुआ। इसके अलावा करीब एक लाख के इसमें लागत आई और घाटे में यह निगम गया।

इसी तरह से शक्ति हिन्दुस्तान भर में काफी चली जो अच्छे स्तर की फिल्म थी। इस चलचित्र निगम के पास करीब 50 छविगृह हैं उसमें से 30 में भी नहीं चली। तो इस फिल्म में भी इस निगम ने घाटा दिया। एक चिमनी का धुवां फिल्म थी जिसे 15 हजार रुपया एडवांस देकर लिया था इसमें 15 सौ रुपये भी नहीं कमाये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चलचित्र निगम जो अच्छी-अच्छी फिल्म खरीदता है उसमें भी उसको घाटा हो गया। यह निगम वितरक का काम करता है इसके अलावा फिल्मों में सबसिडी दी जाती है। उसके लिए 3 मापदंड निर्धारित हैं उसके लिए लम्बाई निर्धारित है और 80 प्रतिशत वह फिल्म प्रदेश में बनी हो। 80 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए और निर्धारित स्तर से उसकी सबसिडी भी तय की गई है लेकिन जिनको सबसिडी दी गई है जैसे सेनुर, उसकी लम्बाई कम है, इसी तरह एक पिक्चर थी जगवाल, पहाड़ी भाषा में यह थी। इसकी भी लम्बाई कम थी तो क्यों चलचित्र निगम ने मापदंड तोड़ दिया और निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं किया। इसी तरह से आप ऋण लेते हैं छविगृहों को बनाने के लिए। मान्यवर, 18 प्रतिशत की दर से ऋण लेते हैं और यह मेरी जानकारी है कि जो ऋण छविगृहों को बनाने के लिए लिया गया था उससे दो अम्बेसडर कार खरीद ली गई और वहां के अधिकारी उसको चलाने लगे। छविगृहों का निर्माण नहीं हो पाया और अभी भी उत्तर प्रदेश में जितने भी छविगृह हैं जो चलचित्र निगम द्वारा बनवाये हैं उनकी हालत ऐसी है कि वहां आदमी तो क्या यदि आदमी से भी गिरा हुआ स्तर किसी का हो तो वह भी वहां नहीं जा सकता है। इसके लिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि छविगृहों की स्थिति में सुधार किया जाय।

इसके अलावा अगर आप सूचना विभाग को देखें तो सूचना विभाग का बिल्कुल सरकारीकरण हो चुका है। सूचना विभाग का जनतांत्रिककरण होना चाहिए। सूचना विभाग को केवल मुख्य मन्त्री और खास मन्त्रियों के ही समाचार छापने का काम नहीं करना चाहिए। अन्य और भी विभाग हैं, और भी मंत्री अच्छा काम करते हैं और सरकारी काम के अलावा भी प्रदेश में अच्छे काम होते हैं उसको भी सूचना विभाग द्वारा प्रसारित किया जाना चाहिए। मान्यवर, सूचना विभाग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की हालत यह हो गई है कि यह विभाग इन्दिरा गांधी के नाम पर भी पैसा खा रहा है। 6 लाख पोस्टर छपवाये गये। 20 पैसा की दर से नेशनल हेराल्ड से कोटेशन मांगी गई। उसमें 3 रु0 का खर्च आया और प्रति पोस्टर को चिपकाने में 70 पैसे का खर्च आया। मान्यवर, इस तरह से अपने ही नेता और प्रधानमंत्री के मरने पर इस विभाग ने गबन और अनियमितता की है। इससे बड़ी शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती है। इसी तरह से पंजाब की समस्या पर इन्दिरा गांधी और राष्ट्रपति ज्ञानी जल सिंह के भाषण और श्वेत पत्र छपवाये गए यूनाइटेड प्रेस, दीपक प्रेस और ब्लाक प्रिंटर से छपवाये गए। इसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा दर से पैसा व्यय किया गया। इसी प्रकार 1985 का जो कैलेन्डर छपा उसका खर्च 1 रु0 60 पैसे आया। उस पर पत्ती लगाने का काम कुल 70 पैसे में किया गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के सारे जिलों पर एक पुस्तिका छपवाई गई जिसकी लागत 40 पैसे प्रति पुस्तक थी लेकिन उसका बिल 3 रु0 के हिसाब से आया और पूरा बिल उसका 85 लाख रु0 का आया। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप इसकी विजिलेंस से जांच करवा लें और विजिलेंस से जांच करवाने के बाद ही उसकी आपूर्ति की जाए। इससे पहले प्रमोद तिवारी जी और सुनील शास्त्री जी जब मंत्री थे, इन लोगों ने, जब पुरानी सरकार थी और प्रमोद तिवारी जी सूचना राज्य मंत्री थे इन लोगों ने पिक्चर बनवाने का काम शुरू किया था बम्बई से नाचने गाने वाले बुलाये गये लेकिन इस सरकार ने इनकी नीतियों पर कुठाराघात कर दिया लेकिन मुझे जानकारी यह है तो मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा सूबा है, मैं श्री प्रमोद कुमार जी की राय से सहमत हूं कि, उत्तर प्रदेश को अपने स्तर पर यहां बड़ी-बड़ी फिल्में बनानी चाहिए ताकि प्रदेश का विकास हो सके।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे सूचना के बजट पर बोलने का समय दिया। सर्व प्रथम मैं सूचना मंत्री की ओर से, मुख्य मंत्री जी की ओर से जो बजट पेश किया गया है उसका स्वागत करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, हैरत है कि कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य को यहां मौजूद होना चाहिए लेकिन वह यहां इस समय मौजूद नहीं हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अखबारों का आजादी के पहले और बाद में इनके क्या फरायज हैं, पहले मिशन था और अब कामर्स भी शामिल हो गया है। मान्यवर, आर्थिक तौर पर जब तक अखबार खड़े नहीं होंगे तब तक वह अपनी आजादी को कैसे बरकरार रख सकते हैं और आजादी को बरकरार रखने के लक्ष्य को पूरा करने में उनको कठिनाई होगी। मान्यवर, यकीनन देखना होगा कि अखबारों का स्तर क्या है और किस तरह की आजादी अखबार चाहते हैं और वह कैसे बरकरार रहेगी।

मान्यवर, अभी कटौती के प्रस्ताव को पेश करते हुए श्री मुहम्मद आजम खां ने कुछ ऐसी नजरों से मुझे देखा कि मैंने महसूस किया कि यह नजर ज्यादा कुछ अच्छी नहीं है लेकिन मुस्करा जरूर रहे थे। मान्यवर, इस सिलसिले में एक शेर सुनाना चाहता हूं—

तुम्हारा नजरिया कुछ हो, हमारा तजुर्बा यह है,
अगर दिल में बुराई हो, नजर अच्छी नहीं होती।

तो जिस अंदाज से कटौती पेश करते हुए जिस तरह मेरा नाम लिया है कि उस अखबार से मेरा तालुक था इसमें दो राय नहीं हैं अब इस अखबार से पहला जैसा तालुक नहीं है। वह

अखबार आजाद राय रखते हुए अपना फर्ज अदा करता है और आराम के ख्यालात की तरजुमानी करता है। लेकिन जब राजनीति और अखबार दोनों अलग-अलग चीजें हों और दोनों में कंन्ट्राडिक्शन भी होता है, इसलिये मैंने खुद को पत्रकारिता से अलग कर राजनीति में केन्द्रित कर लिया है।

मान्यवर, रूरल प्रेस और अरबन प्रेस का जिक्र किया गया है और श्री त्रिलोक चन्द्र ने कहा कि शहर और गांव में रहने वाले कितने लोग अखबार पढ़ते हैं। टेलीविजन केन्द्र की बात है, उसमें केन्द्र जवाब देगा। लेकिन यकीनन मुबारकबाद देना चाहता हूं केन्द्र के दूरदर्शन को और रेडियो में काम करने वालों को जिन्होंने देश में जब श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में जो जजबात उभरे थे उसकी जिस तरह से तरजुमानी की और जो सूचनाएं दी उसके लिये मैं उनको मुबारकवाद देता हूं क्योंकि जब कैनेडी और सादात का वाक्या हुआ था तो अमेरिका और मि के टेलीविजन ने भरपूर प्रचार किया था और अपने जजबात का इजहार किया था। मान्यवर, इस देश और प्रदेश को ऊंचा उठाने के लिये और इसकी प्रगति को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि देहात और शहर के लोगों को जानकारी पहुंचाने वाले प्रेस, अखबार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे लेकिन साक्षरता का स्तर इतना ऊंचा नहीं हुआ है, इसलिये अखबारों का सभी तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिये और टेलीविजन का सहारा लिया जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है।

मान्यवर, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी में उस समय जो मिशन था देश को आजाद करने के लिये उस समय जो लक्ष्य था उधर या इधर के नेताओं ने अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिये अखबार निकाले और उसके जरिये अपनी बात जनता तक पहुंचायी। अखबार का काम पब्लिक ओपिनियन (जनवाणी) बनाना है, वह आपके कार्य से ज्यादा मिलता जुलता है। उनके लिए कोई रास्ता नहीं रहता आपके मुख से बात आए या उनकी कलाम के बात निकले। इसलिए विपक्ष का जो रोल है, जो उसे अंजाम देना है, इसी तरह का कार्य करना अखबार का भी बहुत बड़ा काम है। वह आजादी यहां पर प्रेस को नहीं दी जा सकती है जो भरपूर तरक्की-याफ्ता मुल्कों में या डेवलप्ड कन्ट्रीज में उन्हें दी जा सकती है या दी जाती है। वहां पर उनके सोचने का अंदाज ही कुछ दूसरा होता है। आप कभी-कभी कहते हैं कि वह बिल्कुल सरकार की तरफ चलता है, उसी की बात और उसी के हक की बात कहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसका एक बुनियादी फर्ज है कि जो गुजर रहा है उसका वह जिक्र करे—चाहे वह पक्ष में जाए या विपक्ष में जाए और वह तभी हो सकता है जब वह अपने में मजबूत हों।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं किया गया है, जैसा कि जनता पार्टी के राज्य में किया गया था। मैं तो उनके नाम भी ले सकता हूं और जिसकी तरफ अभी उधर के माननीय सदस्यों का इशारा था, दिल पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि अखबार 'सियासत' ने जनता पार्टी के समय में सरकार का और उसकी नीतियों का विरोध किया था तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री राम नरेश यादव ने जो इस समय उधर बैठने वाले इस माननीय सदन के सदस्य भी हैं। इस चीज को शतरूद्र प्रकाश जी भी अच्छी तरह से जानते हैं, उस अखबार के विज्ञापन को अपने खत से रोक दिया था। किन्तु कांग्रेस सरकार ने कभी वह काम नहीं किया है, जो एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री राम नरेश यादव ने किया था। इस चीज के विरोध में यहां पर हमारे बहुत से माननीय सदस्यों

ने आवाज भी उठाई थी और कहा था कि यह आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया था ।

कांग्रेस सरकार ने कभी यह नहीं किया, चाहे कोई अखबार उसके खिलाफ भी लिखता हो. उसको धमकी देने, घौंस देने और उसको विज्ञापन न देने का कार्य कभी नहीं किया है । दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं । मैं इस मौके पर बहुत बातें कहना चाहता था, लेकिन आपने लाल बत्ती जला दी । वैसे मैं बहुत कम बोलता हूं, जब तक कि मुझे छेड़ा न जाए । आप लालबत्ती बन्द कर दें, उससे बड़ा डर लगता है । अब मैं एक ही बात कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं--

"एक चेहरा इसी चेहरे पे लगाए रखिए,
लोग पहचान न लें, खुद को छिपाए रखिये ।"

माननीय मंत्री जी की ओर से पत्रकारों को पेंशन देने के सम्बन्ध में जो बात कही गई है, मैं उसका भरपूर स्वागत करता हूं क्योंकि पत्रकार लोग जिन्दगी भर आजादी के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं । वह यकीनन उस पेंशन के हकदार हैं ।

मैं एक बात चलचित्र निगम के बारे में भी कहना चाहता हूं । आपके लिए फीचर फिल्म बनाने के पहले यह आवश्यक होगा कि हम कार्टून फिल्में और बच्चों की फिल्में बनाने और दिखाने पर ध्यान दें । जिसमें कम पैसा लगता है और पूरे प्रदेश में हर एक को जिसे दिखाया जा सकता है । प्रमोद जी ने और हमारे दूसरे सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन सबका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि प्रेस के बारे में जो पालिसी कांग्रेस ने अपनाई है कि जो मुखालिफत भी करता है उसका पैसा न काटा जाए, उसके लिए अपनी पार्टी को और मुख्य मंत्री को और केन्द्रीय सरकार को मुबारकबाद देता हूं । मैं इसके साथ इस बजट का भरपूर समर्थन करता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं अपने भाई खान गुफरान जाहिदी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जनता शासन में जिस मजबूती से वह सरकार की समर्थन करते थे, आज उसी मजबूती से मौजूदा सरकार का समर्थन कर रहे हैं ।

श्रीमन्, यह सूचना विभाग एक फिजूलखर्ची का विभाग है । मेरी स्वयं की मान्यता है कि इस विभाग के लिए, इस प्रदेश की गरीब जनता के धन की एक कौड़ी भी व्यय के लिए नहीं देनी चाहिए । यह विभाग एक आमोद-प्रमोद का विभाग हो गया है । कुछ लोगों के खाने-पीने के प्रबन्ध का विभाग हो गया है और चापलूस अधिकारियों की फौज खड़ी हो गई है । विरोध पक्ष के अभी माननीय सदस्य ने कहा, सूचना विभाग का मुख्य काम है सूचना देना तथा जनता और शासन के बीच एक माध्यम बनना । यह काम विभाग नहीं करता है । सूचना अधिकारी का काम हो गया है कि कलेक्टर की फोटो खिंचवाना, दोनों वक्त सलामी देना और डाली लगाना । हमारे मंत्रीगण जायं तो अखबार वालों को बुलाकर आव-भगत करा देना, फोटो खिंचवा देना, उनके भाषण को सुधार करके व्यापक रूप से प्रसार व प्रचार करवाना, केवल यही काम रह गया है । इसलिए मेरी मान्यता है कि इस विभाग पर जनता का धन व्यय नहीं होना चाहिए और पशुपालन विभाग के इस बजट को अस्वीकृत कर देना चाहिए, यह मैं सदन से मांग करता हूं । मान्यवर, बहुत वकालत की जाती है पत्रकारों की । पेन्शन की सुविधा देना यह स्वागत योग्य कदम है । लेकिन आज पत्रकारों की क्या स्थिति है ।

पत्रकारों को आपने भिखारी बनाकर छोड़ दिया है । आप चाहते हैं कि पत्रकार कभी स्वावलम्बी न हों, वह बरा-

बर आपकी तरफ शासन की तरफ देखते रहें पत्र पत्रिकायें चलाने वाले लोग आपके आश्रित रहें। आपकी सरकार छोटे पत्रों के खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार और अन्य सरकारों ने छोटे पत्रों को सुविधा दी है वह आज उत्तर प्रदेश के पत्र पत्रिकाओं को क्यों नहीं दी जाती। भारत सरकार ने और अन्य प्रदेशों में 4 पृष्ठ के साप्ताहिक और 6 पृष्ठ के पाक्षिक को विज्ञापन मान्यता दी जाती है लेकिन आपके यहां 6 पृष्ठों के साप्ताहिक और 8 पृष्ठों के पाक्षिक पत्र के लिए प्रतिबन्ध लगा हुआ है। माननीय मन्त्री जी बतायें कि यह सुविधा आप क्यों नहीं दे रहे हैं। आपने इस प्रदेश में छोटे पत्रकारों के सामने असुविधा पैदा की है।

(इस समय 3 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता कुंवर रेवती रमण सिंह पीठासीन हुए)

पत्रकारों को राज्य परिवहन विभाग की बसों में घूमने की छूट दी गई है, उसमें भी प्रतिबन्ध लगा दिया है कि वह 500 कि0 मी0 से अधिक नहीं चल सकते। जैसा आपने राजनीतिक पीड़ितों और अन्य वर्गों को दिया है वैसे ही पत्रकारों को सारे प्रदेश में घूमने की आजादी क्यों नहीं देते। आप उनको यू0 पी0 निवास में विश्राम की आजादी क्यों नहीं देते हैं। यदि आपको पत्रकारों से प्रेम है, स्नेह है तो यह सुविधा दें। लेकिन आप चाहते हैं कि पत्रकार स्वालम्बी न हों, पत्रकार स्वाधीनता की जिन्दगी व्यतीत न करें। आपकी मंशा है कि पत्रकार परावलम्बी रहें और सरकार का मुंह देखते रहें इसलिए आपने यह परेशानियां पैदा की हैं।

मान्यवर, बड़े अखबारों की वकालत होती है। "नेशनल हेराल्ड" जिसको पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शुरू कराया था वह अखबार हमारे जमाने में हमारी राष्ट्रीय धारा का एक प्रमुख पत्र था। उसकी दुर्गति और दुर्दशा इस शासन में कर दी गई है। मजदूर मर रहे हैं, हड़ताल चल रही है मजदूर लोग भुखमरी के शिकार हैं। वे अनशन कर रहे हैं और आत्मदाह की धमकी दी है उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। क्या आप पंडित जवाहर लाल नेहरू को भूल गये हैं। क्या आप उनके आदर्शों से विमुख हो गए हैं। क्या आप मजदूरों का गला काटना चाहते हैं। क्या इस पत्र की गरिमा नष्ट करना चाहते हैं। क्या यह किसी की व्यक्तिगत दूकान हो गई है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसको व्यक्तिगत दूकान समक्ष कर स्थापित नहीं किया था। लेकिन नेशनल हेराल्ड को पारिवारिक सम्पत्ति के रूप में लाकर रख दिया गया है। पारिवारिक जो नौकर हैं, यशपाल कपूर वह दूकान चला रहे हैं और मजदूरों का गला काट रहे हैं और आपकी सरकार मुंह देख रही है।

आपकी सरकार मुंह ताकती रहेगी मजदूर मरते रहेंगे कोई आपके अन्दर हिम्मत नहीं है कि आप कोई कार्यवाही करें नेशनल हेराल्ड ग्रुप के मालिकों के खिलाफ करें, आपको भय है कि अगर कोई कार्यवाही करेंगे, तो आप निकाल दिए जायेंगे, आप मन्त्री पद पर नहीं बने रहेंगे, आपकी सरकार नहीं रहेगी, यदि नेशनल हेराल्ड ग्रुप के मालिकों की मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठायेंगे। यह मैं श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री बहुत चहकते हैं, जब आप इधर थे, तब भी आप ऐसे ही चहका करते थे। माननीय प्रोफेसर बासुदेव सिंह जी, वरिष्ठ मंत्री राष्ट्रीय आंदोलन के नेता रहे हैं, वर्षों तक मजदूरों के लिए संघर्ष किया है, आप उधर चले गये। आप कम से कम नेशनल हेराल्ड के मजदूरों के लिए कुछ कीजिए। आप उधर रहने की अपनी सार्थकता तो दिखलाइये, नेशनल हेराल्ड के मजदूरों का मामला हल कराइये। यह सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि नेशनल हेराल्ड के मजदूर भूख हड़ताल कर रहे हैं और उन्होंने

आत्मदाह की धमकी दिया है। यदि यहां निर्णय लेने में आप लोगों को भय है, तो कृपा करके माननीय रघुवीर सिंह और वरिष्ठ पुराने मंत्रीगण दिल्ली दरबार में जायं और वहां समझायें और माननीय राजीव गांधी से कहिये कि उनकी बदनामी हो रही है, नेशनल हेराल्ड के मजदूरों का मामला हल करवाइये। मान्यवर, नेशनल हेराल्ड पत्र हमारे राष्ट्रीय प्रेरणा का स्रोत रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसकी स्थापना देश के हित में किया था। इसको कभी उन्होंने व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं समझा, किन्तु आज यह पारिवारिक सम्पत्ति हो गया है और यशपाल कपूर एक पारिवारिक नौकर जैसा नेशनल हेराल्ड ग्रुप का प्रबन्ध कर रहे हैं। मान्यवर, चलचित्र निगम की स्थापना सरकार ने की है। यह आई० ए० एस० अफसरों के लिए चरागाह बना हुआ है।

यह आई ए० एस० अफसरों की ऐयाशी एवं एशो आराम तथा लाभ का साधन बना हुआ है। हमारे विरोधी पक्ष के माननीय मित्र ने कहा कि आई० ए० एस० अफसरों को प्रत्येक जगह बैठा दिया जाता है, बिना सोचे कि उस विभाग की कोई जानकारी हो या नहीं। मान्यवर, इस पद पर किसी योग्य कलाकार की नियुक्ति होनी चाहिए। आई० ए० एस० अफसर क्या पारस पत्थर है कि जिसको छू ले वही सोना हो जाय, जिस विभाग में उसको बैठा देंगे, उसी का वह पारंगत हो जायगा आई० ए० एस०, पी० डब्लू० डी० का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। उसको इरीगेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना दिया जाता है उसको सूचना विभाग का डायरेक्टर बना दिया जाता उसको मेडिकल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। वह सभी विषयों का ज्ञाता मान लिया जाता है। चाहे एक लेख लिखने आवे या न आवे आप सूचना का निदेशक बना देते हैं। मेडिकल सेक्रेटरी के पद पर बैठालकर डाक्टरों के साथ अन्याय करते हैं।

मान्यवर, चलचित्र निगम को अगर सुचारु रूप से चलाना है, तो किसी योग्य कलाकार को बुलाकर उसको चेयरमैन तथा डायरेक्टर बनाइये, तब यह चल चित्र निगम ठीक से चलेगा' अन्यथा चलचित्र निगम ऐयासी का अड्डा बनता ही जायगा।

दूरदर्शन मान्यवर, कुछ नेताओं के प्रचार का साधन बना हुआ है। यदि सरकार के कार्यों का प्रदर्शन एवं प्रचार भी दूरदर्शन के द्वारा होता, तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन यह दूरदर्शन एक व्यक्ति विशेष के प्रचार का साधन बना हुआ है। फिर भी मैं कहता हूं कि आप दूरदर्शन का प्रसार कीजिए। आपने पटना, गोरखपुर एवं बनारस में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया है, जिसके परिक्षेत्र से बलिया बाहर है। बलिया में तीनों केन्द्रों के चित्र नहीं आते। देवरिया में एक छोटा दूरदर्शन केन्द्र स्थापित है जो अब गोरखपुर केन्द्र के कारण बेकार हो गया है। अतः देवरिया की यूनिट को बलिया में स्थानांतरित करने का कष्ट करें। बलिया पर तो आपकी सरकार की बड़ी निगाह है। आप अपना प्रचार वहां करना ही चाहते हैं, तो कृपा करके बलिया में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित कीजिए, ताकि आपके नेता की फोटो का प्रचार बलिया भी हो। बलिया के 60 किलो मीटर चौतरफा किसी भी केन्द्र का स्पष्ट चित्र नहीं आता है। अतः बलिया में एक छोटा यूनिट सरकार शीघ्र लगाये ताकि आपका भी प्रचार हो और लोगों को मनोरंजन का साधन मिले। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय सम्मानित सदन में जो सूचना विभाग का बजट प्रस्तुत है मैं उसका स्वागत करती हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और सम्मानित विरोध पक्ष के माध्यम से जो कटौती का प्रस्ताव आया है, मैं उसका विरोध करती हूं। मान्यवर, मैंने अभी सम्मानित विरोध पक्ष के दो माननीय सदस्यों को सुना। एक श्री शतरुद्र प्रकाश को और दूसरे सम्मनित मैनेजर सिंह को। हमारे सम्मनित सदस्य वाराणसी माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने श्रीमती इन्द्रागांधी की मृत्यु पर किस प्रकार से विज्ञापनों में और कलेन्डर की सूचना की बात कही। जब उन्होंने इस बात को कही तो मैं माननीय मैनेजर सिंह को स्मरण दिलाना चाहती हूं कि आज उन्होंने वर्तमान सरकार पर यह आरोप लगाया है कि इस वक्त कुछ नेताओं की फोटो दिखाई जाती है और उनका प्रचार और प्रसार किया जाता है। मैं आपके माध्यम से विरोध पक्ष के सम्मानित सदस्यों को स्मरण दिलाना चाहती हूं कि जिस वक्त उनकी सरकार थी, इनकी सरकार में मान्यवर, जैसे ही टेलीविजन खोलते थे शाह कमीशन की रिपोर्ट आती थी, दूसरी चीज नजर ही नहीं आती थी। यह केवल मेरी बात नहीं है, जिसके घरों में दूरदर्शन सेट लगे हैं....

श्री यदुनाथ सिंह--

उस वक्त टेलीविजन का अविष्कार नहीं था।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, एक बात कहना चाहती हूं, मैं इनकी गलत से गलत बात सुनती हूं, लेकिन यह मेरी सही बात को भी सुनने को तैयार नहीं होते। अगर मैं झूठ कहूं तो आप खड़े हो लेकिन सच बात को ध्यान से सुन लिया करें, तो इनकी कृपा होगी। जिस वक्त इनकी सरकार बनी इनके पास एक मात्र, एक सूत्रीय कार्यक्रम था, शाह कमीशन की रिपोर्ट श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह किया वह किया यह बुरा किया। नतीजा क्या हुआ, जो लोग टेलीविजन रखते हैं, उनका मनोरंजन का केन्द्र होता है, जिस वक्त शाह कमीशन की रिपोर्ट उसमें आती थी लोग अपना टेलीविजन बन्द कर देते थे और न जाने क्या-क्या कहा करते थे आपको? अगर आप शाहकमीशन के माध्यम से श्रीमती इन्दिरा गांधी की बुराई पर ध्यान न दिये होते तो हम वह काम न कर पाते जो आपने बुराई के माध्यम से किया। आपने जन-जन में श्रीमती इन्दिरा गांधी के लिये स्थान बनाने का काम बुराई के माध्यम से किया। आप कहेंगे, यह बात सही नहीं है।

चुनाव घोषणा का जो परिणाम रहा वह बताता है कि कितनी आपकी शाह कमीशन की रिपोर्ट सुनी गई और किसके ऊपर विश्वास किया गया। मान्यवर, विज्ञापन के बारे में कहा गया। यह बात सही है। मान्यवर, समाचार-पत्रों को सूचना विभाग के माध्यम से सहयोग दिया जाता है, समाचार-पत्रों के प्रचार और प्रसार के लिये। मेरा निवेदन है कि जो हमारे छोटे-छोटे समाचार-पत्र ग्रामीण अंचलों में हैं, उनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाय। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके, उनको हम चलाने की सुविधा दें, तो निश्चित रूप से ग्रामीण अंचलों में जो हमारी नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, उनको वहां तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। मान्यवर, मैंने इस विभाग की छोटी सी पुस्तिका को पढ़ा। उसमें एक बात यह कही है कि गत वर्षों की भांति वर्ष 1984-85 में भी शासन के कार्य-कलापों का सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे-चंग, गायन, भजन, कठपुतली, कठवाली, नाटक, नौटंकी, आल्हा, बिरहा व पहाड़ी लोकगीत द्वारा प्रचार प्रसार किया जायगा। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन यह है कि भारत की जो संस्कृति है, वह ग्रामीण अंचलों में है। उनका जो स्वाभाविक कार्यक्रम होता है, वही उसकी संस्कृति होती है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि ऐसे कार्य-

क्रमों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दें जिससे ग्रामीण अंचलों में ज्यादा से ज्यादा यह जो गीत और नाट्य हैं, इनके माध्यम से लोग उस संस्कृति का प्रदर्शन कर सकें।

मान्यवर, ग्रामीण अंचल की बात कहूं, जैसे खेत काटने के समय ब्रज भाषा के गीत चलते हैं। खेत के किनारे किसान अपनी पत्नी के साथ जो वार्ता करते हैं, वे उस ग्रामीण परिवेश का पूरा चित्रण देते हैं। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि यहां पर हम लोग एअर कंडीशन्ड में बैठते हैं और श्रम नहीं करते हैं, लेकिन श्रम का संगीत से बड़ा सम्बन्ध है। डोली ले जाने वाले जो कहार होते हैं, वे जब पालकी लेकर जाते हैं तो गीतों के ही माध्यम से अपनी थकान को समाप्त करते हैं। यहीं नहीं, ग्रामीण अंचलों में जो बहनें चक्कियां पीसती हैं, तो वे गीत और संगीत के माध्यम से ही अपनी थकान समाप्त करती हैं। और यही नहीं, मान्यवर, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि इस पर अनुसंधान कर लीजिये कि श्रम का संगीत से पूरा सामंजस्य है।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहती हूं। इसको गम्भीरता से सुनिये। मान्यवर, जहां तक विज्ञापन की बात है और फिल्मों के विज्ञापन की बात है, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे यहां जो विज्ञापन हैं चल-चित्रों का, इसमें कभी-कभी बड़े गन्दे पोस्टर लगते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि सड़कों पर इस प्रकार के गन्दे पोस्टर लगाए जाने की अनुमति किसी भी प्रकार से न दें। उनसे परिणाम अच्छा नहीं होता है, खराब होता है। एक चीज और कहना चाहूंगी कि आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि आजकल हमारे यहां जो छविगृह (सिनेमाहाल) हैं इनमें मलयालम के नाम पर बड़े गन्दे पोस्टर दिखाए जाते हैं, और जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वे छोटी-छोटी उम्र के लड़के किताबें छोड़ कर उन सिनेमाहाल में जाकर बैठ जाते हैं। मलयालम के नाम पर बड़े गन्दे पोस्टर लगे रहते हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो हमारे यहां की भाषा नहीं है, तो जो इस तरह से सिनेमा हमारे यहां चलते हैं, उनको रोकने के लिये जो भी रास्ता हो सके, ग्रहण करने की कोशिश की जानी चाहिये। मान्यवर, आपने बत्ती जला दी है। अधिक कुछ नहीं कहना चाहती। मान्यवर, एक चीज और कहना चाहती हूं जिसका सूचना विभाग से सम्बन्ध है कि हमारा जो रेडियो और दूरदर्शन से प्रचार और प्रसार हो सकता है, मान्यवर, उसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचने का प्रयास करें। मान्यवर, जहां तक समाचार-पत्रों की बात है, वर्तमान सरकार उनको हर सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रही है, जिनको उन तक पहुंचना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत बजट का स्वागत करती हूं।

*श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने शिखंडियों को खड़ा कर दिया था, लेकिन कहां झेल पाये।

मान्यवर, इमरजेंसी के समय जयप्रकाश नारायण का नाम लेने पर लोगों को बन्द कर दिया जाता था। एक धोबी ने धोबिन से इंदिरा जी की बुराई की, उनके बारे में बात कही, तो उसको बन्द कर दिया।

मान्यवर, ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए लोग टेलीविजन के प्रचार-प्रसार की बात कर रहे थे। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो उसको 7 दिन टेलीविजन पर दिखाया गया। लेकिन, ललित माकन की हत्या हुई, उसका पता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं, बनारसीदास जी की हत्या हुई, उसका पता नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, बाबू बनारसी दास जी की हत्या नहीं हुई थी, उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी । मान्यवर, यह शब्द कार्यवाही से निकलवा दें, और इनसे कहें कि यह सदन में क्षमा मांगें ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, बनारसी दास जी की स्वाभाविक मृत्यु हुई, बनारसीदास जी ऊंचे-ऊंचे पदों पर आसीन रहे । इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री रहे, विधानसभाध्यक्ष रहे । लोक सभा के सदस्य थे । स्वाभाविक मृत्यु हुई, तब पर भी उनको दिखाना चाहिये था । इंदिरा जी और संजय गांधी को दिखाया जायेगा, लेकिन जो दूसरे उच्चकोटि के नेता रहे, उनको नहीं दिखाया जायगा । माननीया सदस्या शाह कमीशन की बाबत कह रही थीं ।

माननीय प्रमोद तिवारी जी हाईकोर्ट के वकील हैं, किसी तरह से सूचना मन्त्री बने थे, जब यहां पर सिनेमा दिखाने वाली बात कही गयी, उस समय श्रीपति मिश्र जी यहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कम चीफ मिनिस्टर थे, वे जुडिशियल ज्यादा थे, चीफ मिनिस्टर कम थे, प्रमोद तिवारी जी का उसी सदन में उन्होंने मन्त्री पद से पत्ता काट दिया था । सूचना विभाग ने अपने समय के विख्यात जयप्रकाश नारायण और गांधी जी की बातों को जनता तक नहीं पहुंचाया । मान्यवर,

[× ×]

और जो कभी हवाई जहाज चलाने का काम करते थे, अब प्रधान मन्त्री हो गये हैं राजीव गांधी जी । उनको टेलीविजन स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी बनाने का काम कर रहा है ।

श्री प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, इनसे कहिये कि सदन में गलत भाषा का प्रयोग नहीं करें ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यदुनाथ जी आप बैठें, माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, अगर किन्हीं बातों से सदन में बैठे लोगों को मजा आ जाय, तो उस पर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, देश बड़ा है, व्यक्ति नहीं ।

राजीव जी आज प्रधानमन्त्री के पद पर आसीन हैं, उनके लिये ऐसी कोई बात कहना, राजीव जी का अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि सम्पूर्ण भारत का अपमान कर रहे हैं ।

श्री हरदेव—

मान्यवर, माननीय यदुनाथ जी द्वारा कहे गये शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

इसे देख लिया जायेगा, देखने के बाद इस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, सूचना विभाग में 8 डायरेक्टर हैं ।

नोट :—[× ×] यह अंश माननीय अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम गोविन्द चौधरी--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, माननीय सदस्य ने माननीय प्रमोद जी को हाईकोर्ट का वकील कहा, तो वे खुश हो गये, जो टीचर हैं, उसे टीचर कहा जाय, तो वह खुश होगा । क्या राजीव गांधी जी हवाई जहाज नहीं चलाते थे ? जब वे हवाई जहाज चलाते थे, तो इसमें कौन सी असंसदीय बात हो गयी ?

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैंने [× ×] पर आपत्ति व्यक्त की है ।

श्री अधिष्ठाता--

यदि कोई इस प्रकार की बात कही गई होगी तो उसे देखकर निकाल दिया जायेगा ।

श्री यदुनाथ सिंह--

प्रोफेसर वासु देव सिंह जैसे बुजुर्ग लोग यहां पर बैठे हैं तो क्या राजीव गांधी इनके सामने लड़के हैं कि नहीं? मान्यवर, मैं कह रहा था कि 8 निदेशक हैं । तुलसी दास जी तो कोई आई0 ए0 एस0 नहीं थे और न ही कोई आई0 सी0 एस0 रहे । प्रमोद तिवारी जी को इसलिए सूचना मंत्री बना दिया गया था कि वे हाईकोर्ट के वकील रहे थे लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की तरह उनकी लेखनी नहीं चलती थी और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की तरह उनकी लेखनी नहीं चल रही थी और न ही, इनको पत्रकारिता का काम आता था । मेरा सुझाव है कि सूचना में उन लोगों को रखा जाना चाहिये जिसे पत्रकारिता में 20 साल का अनुभव हो और या फिर 12 साल का अनुभव हो और किसी विश्वविद्यालय में कम से कम 20 साल प्रोफेसर के पद पर कार्य कर चुका हो । आज बहुत से डाइरेक्टर्स इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बिना वजह हमें कहां फंसा दिया । कहीं कमिश्नर होते तो अच्छा होता । 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आप लोग काफी गुणगान करते हो । यदि प्रमोद कुमार को कह दिया जाय कि 20 सूत्रों को वह गिन दें एक से 20 तक तो, वह नहीं बता पायेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की चुनौती को स्वीकार करता हूं । वह पूछें तो ।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग इस प्रकार का वाद-विवाद खड़ा न करें । श्री प्रमोद कुमार जी आप बैठ जायें ।

श्री यदु नाथ सिंह--

मान्यवर, हुकुम सिंह जी जैसे लोग सूचना मंत्री का काम कर रहे हैं । सिनेमाघरों की बात कही गई । उत्तर प्रदेश में 57 जिले हैं । यहां पर एक-एक हीरो और हिरोइन पैदा हो सकती हैं । कोई बम्बई की ही क्लाइमेट ऐसी नहीं है कि जहां पर हीरो और हिरोइन पैदा होती हों । उत्तर प्रदेश में एक से एक सुन्दर स्थान हैं । कुमायूं और नैनीताल जैसे सुन्दर स्थान हैं, जहां पर फिल्मों की सूटिंग हो सकती है लेकिन बम्बई को ही माना-जाना सेन्टर इसलिए रखा गया है कि वह तस्करों का केन्द्र है, पंजाब जो आज आपके सामने है, पहले भी वहां गुरुद्वारे थे । तस्करी करने वालों ने ढोंग करके अपने को सिक्ख बनाया । मद्रास हो, बम्बई हो और चाहे वह कलकत्ता हो, ये सब तस्करी के केन्द्र हैं । यहां पर ज्यादा पैसा मिलता है । अमिताभ बच्चन को भी एक दिन का 16 हजार रुपये मिलता है । आपके जो केन्द्र में विधिमंत्री हैं अशोक सिंह, उनकी पत्नी

नोट--यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उनसे कभी-कभी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आपको मंत्री क्यों बनाया। अच्छा होता कि आप बैरिस्टर ही रहते और मैं बैरिस्टर की पत्नी रहती। यही आपके सूचना निदेशकों की हालत है। मेरा कुछ समय बरबाद हो गया, खैर कोई बात नहीं ?

मान्यवर, हुकुम सिंह जी जैसे सेन्सेबल मिनिस्टर हैं इस सूचना विभाग के आप लखनऊ में बैठते हैं। सूचना विभाग के सिनेमाघरों में जायें तो कम से कम वहां पर गन्दे पोस्टर तो देखने को न मिलें। जैसा कि माननीय सदस्या कह रही थीं। यह एक बहुत गम्भीर बात है। इन्डिया का कल्चर कोई कैबरे डान्स नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री यदुनाथ सिंह--

भारतीय संस्कृति मनु की संस्कृति से नहीं जोड़ रहा हूं, कृषि हमारी संस्कृति है, कृषि की संस्कृति में कोई सूचना विभाग की संस्कृति ली जाय, उससे मैं जोड़ता हूं। जहां-जहां इनके चलचित्र घर हैं..

(हरदेव का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री यदुनाथ सिंह--

वही हमारे सामने शिखण्डी लाने वाला काम करेंगे।

(हंसी)

कहां राजा भोज कहां गंगू तेली।

(हंसी)

पत्रकारों की हत्यायें, 1983 में इसी लखनऊ में..

(व्यवधान)

(श्री हरदेव का नाम पुकारे जाने पर मेजों की थपथपाहट)

श्री हरदेव--

माइक से आवाज नहीं आ रही है।

कई सदस्य--

माइक ठीक किया जाय।

(श्री हर देव ने दूसरे माइक पर बोलना शुरू किया)।

श्री हर देव--

मान्यवर, आपने इस सूचना एवं प्रचार बजट पर मुझे चर्चा करने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे देश व प्रदेश में इस विभाग ने काफी तरक्की की है और इसके माध्यम से गरीब मजदूर से शिक्षित, पढ़े-लिखे लोग भी आसानी से अखबारों, समाचार-पत्रों, रेडियो, टेलीविजन से समाचार प्राप्त करते हैं इसलिए शासन तंत्र में इसका हमेशा से महत्व है। मैं आपके माध्यम से शासन और इस विभाग के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। नई-नई योजनायें शामिल की हैं। अभी-अभी चलचित्र निगम में नये कार्यक्रमों की स्थापना हुई, टेलीविजन में भी काफी संशोधन हो गया है इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। अभी विरोधी दल के एक नेता ने भारत सूचना एवं प्रचार की महान नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बारे में चर्चा किया। अगर यह व्यवस्था शासन की या सरकार की न होती तो हमारे देश में और आग लग जाती, विद्रोह बढ़ जाता न जाने कितने कत्लेआम हो जाते, खून खराबा बढ़ा होता। हमारे देश-वासी इस बात को जानना चाहते थे कि कैसे इनका निधन हुआ, कैसे घटना घटी, अगर समाचार-पत्र और सूचना विभाग न होता तो लोगों में एक भय, आतंक छा गया था। इनके दो नाम हैं--शत्रु भी हैं और एक है शत्रु प्रकाश क्योंकि अच्छे कामों से इनसे शत्रुता होती है।

(हंसी)

तो जो उन्होंने बात कही मैं उसकी

निन्दा करता हूं, ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए था, जिसने देश के लिए बलिदान किया, देश की हिमायती तथा सेवा में रही है।

(व्यवधान)

हमारे यदुनाथ जी अभी बोल रहे थे, उनकी पीठ पर बलात घाव हुआ है और उसका प्रचार पेपर में, समाचार-पत्रों में आया है। अब उनको शर्म हो रही है।

(हंसी)

यह ऐसी बात कहते हैं कि जिनका समाचार-पत्रों में प्रकाशन तो जरूर होता है लेकिन इनकी निन्दा भी रहती है। मैं ऐसे विचार रखने वालों के लिए चाहूंगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो सदन में बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि आगरा पागलखाना में इनको भर्ती हेतु इन्तजाम किया जाय ताकि इनका शरीर मस्तिष्क पवित्र हो और यह ठीक हो जायं...

(तीव्र हंसी के कारण घोर व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि..

(घोर व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं तो बलरामपुर अस्पताल में भर्ती हूं ही लेकिन यह जंगली भैंसा....

(तीव्र हंसी के कारण घोर व्यवधान)

श्री हरदेव--

मान्यवर, राजा भोज मैं हूं और यह गंगू तेली..

(तीव्र हंसी के कारण घोर व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, इस सत्ता पक्ष में कोई ऐसा नहीं है जो बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की क्वालीफिकेशन्स रखता हो। ये ऐसी बात नहीं कह सकते कि मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूं।

(हंसी)

श्री हरदेव--

इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्रीय समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जनपद बलिया में सूचना केन्द्र का भवन नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी भवन की व्यवस्था करें। रसड़ा (बलिया) बहुत बड़ी तहसील है, जहां से 40-50 कि0 मी0 दूर बलिया पड़ता है। अतः रसड़ा में सूचना केन्द्र, जिनकी फाइल डायरेक्टर महोदय के यहां पड़ी है, बनवा दिया जाय।

सिनेमा के प्रचार और प्रसार के लिये गन्दे पोस्टर, जो इधर-उधर दीवारों पर चिपकाये जाते हैं, यह भारतीय संस्कृति के विपरीत हैं, इनको केवल सिनेमाघर पर ही लगाया जाय। रास्ते पर और बाहर एडवरटीइजमेंट न किया जाय ताकि भारतीय सभ्यता कायम रहे।

चलचित्र निगम में ठीक से काम हो और सिनेमाघर में भी ठीक ढंग से कार्य करने के नई प्रभावी पद्धति हो जिससे लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़े। आजादी की लड़ाई में बलिया सदैव आगे रही, वहां पर टेलीविजन केन्द्र खोलने की मांग है, उसको पूरा किया जाय। दिल्ली में संसदों को महीने में एक दिन सिनेमा का पास मिलता है यहां पर भी ऐसी ही व्यवस्था करायी जाय ताकि हम लोग भी अच्छी-अच्छी फिल्में देख सकें। आरक्षण कोटे में अनुसूचित जाति के लोगों को जो लाभ मिलता है, नये डायरेक्टर साहब हैं माननीय सूचना मन्त्री जी पूरा करने में लगे हुये हैं, इसे पूरा किया जाय और अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा करेंगे।

इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। अपने भाई से जो साम्प्रदायिकता की भावना से ओत-प्रोत रहते हैं, उनसे कहूंगा कि वे इसको त्यागें और कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें।

[4 बज कर 12 मिनट]

*श्री माता प्रसाद पांडेय--

मुझे सूचना पर कोई भाषण नहीं करना है। सुझाव देना चाहता हूं। ग्रामीण अंचलों से जो लोग आते हैं, यहां चलचित्र निगम और फिल्म की बात करते हैं, तो हमारा बरबस ध्यान गांव की ओर चला जाता है। मान्यवर, गांवों में आजकल बहुत सी ऐसी कम्पनियां हैं जिनको कि नाटक की कम्पनी कहते हैं जिसके माध्यम से तरह-तरह के खेल दिखा कर बच्चों के अच्छे चरित्र का निर्माण किया जा रहा है। जब हम लोग छोटे थे तो ऐसी ही नाटक की कम्पनियां राजा राम का राजा हरिश्चन्द्र का खेल दिखाकर आदमियों में सुचरित्र का निर्माण किया करती थीं। चूंकि आज तो राजे-महराजे रहे नहीं हैं। इन नाटक कम्पनियों में काम करने वाले गरीब लोग हैं उनके पास आज न ठीक से कपड़ा है और न ही पर्दा आदि की व्यवस्था है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से एक यह निवेदन है कि इन नाटक मंडलियों के लिये ठीक से पर्दे तथा वस्त्रादि की व्यवस्था करने की कृपा करें जिससे कि ग्रामीण अंचलों में भी नाटकों को, अच्छे नाटकों की रचना करा कर, परिवार नियोजन भी नाटक के माध्यम से गांव के लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सकता है।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, मैंने पिछली बार जब काशीनाथ मिश्र जी यहां पर थे उनका भी ध्यान इस ओर दिलाना था और अपना सुझाव इस सम्बन्ध में दिया था कि ग्रामीण अंचलों में ब्लाक स्तर पर जो सूचना के केन्द्र बने हुये हैं वहां अखबार व मैगजीन की व्यवस्था सुलभ करा दी जाय क्योंकि आम आदमी पैसे के अभाव में अखबार नहीं खरीद पाता है और रोज-रोज की सूचनायें होती हैं उनसे वह अनभिज्ञ रह जाता है। इसलिये प्रत्येक विकास खंड में जो सूचना केन्द्र हैं, ब्लाकों में जहां धनाभाव है, तो हर ब्लाक के पास सूचना केन्द्र में एक आध अखबार और जो सूचना की सामग्री जो भी सम्भव हो सके, पर्याप्त मात्रा में विकास खंडों पर भेजी जानी चाहिये। ब्लाकों में सूचना पहुंचाने के लिये आप सूचना विभाग के माध्यम से यह इन्तजाम करा दें। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने मन्त्री जी को दिये हैं उनको वे स्वीकार करेंगे और उन्हें पूरा करने में सहयोग प्रदान करेंगे।

*श्रीमती चारु शीला--

मान्यवर, अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं सूचना मन्त्री द्वारा जो बजट बताया गया है उसका स्वागत करती हूं। मान्यवर, सूचना मन्त्री ने फिल्म वालों की बात यहां रखी है, उससे हमारे प्रदेश को अत्यधिक लाभ होगा। लेकिन मेरा इस सम्बन्ध में उनसे एक अनुरोध है कि इन फिल्म वालों की बातों में अच्छी बातें होनी चाहिये, इनके द्वारा अच्छे मार्ग का प्रदर्शन होना चाहिये। जैसे कि जिस प्रकार की गन्दी फिल्में आ रही हैं और उनमें भद्दे-भद्दे गाने फिल्माये जा रहे हैं, इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। सारा वातावरण इसके कारण दूषित हो रहा है।

बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री जी को बताना चाहूंगी कि मेरा एक अनुभव है कि बच्चों के शिक्षाप्रद पुस्तकें और मैगजीन भी सूचना विभाग के द्वारा निकाली जानी चाहिये। सूचना विभाग के इस सहयोग से देश के बच्चे लाभान्वित होंगे और मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री जी ऐसा अवश्य करेंगे।

मान्यवर, अन्त में, मैं आपकी अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और अपने विचारों को यहां रखने का अवसर दिया। मान्यवर, एक बात और कहना चाहती हूं कि पत्रकारों को पेंशन अवश्य मिलनी चाहिये लेकिन जो पत्रकार केवल यही कर रहे हैं कि जो उनके हित में बात करता है उसकी तो वे बड़ाई करते रहते हैं और जो उनका विरोध करता है तो उसके विरुद्ध बातें करके, उसके प्रति गन्दी-गन्दी बातें निकालते हैं, उसका ब्लेक मेल करते हैं। ऐसे अखबारों को अवश्य सजा मिलनी चाहिये। इस तरह से बहुत से लोगों का शोषण होता है, इसको रोकने की जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता--

बस, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती चारु शीला--

मेरा तो थोड़ा सा ही है, कोई ज्यादा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन करती हूं कि माननीय मन्त्री जी का बजट पास किया जाय, ऐसा मेरा अनुरोध है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे माननीय सदस्य मोहम्मद आजम खां द्वारा सूचना विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सूचना विभाग के द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क का काम शासन के कार्यकलापों नीतियों तथा उपलब्धियों को देश के समाचार-पत्रों, रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। मान्यवर, जहां पर शासन की उपलब्धियों और उनकी नीतियों को ही पहुंचाने की बात है। मैं आपके माध्यम से शासन को बताना चाहता हूं कि अपनी हर अच्छी और बुरी बात को जन जन तक पहुंचा देंगे तभी अपनी तथा जनता की भावना जो समाज में फैलेगी उसको आप काट-छांट कर के उसके सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि शासन की नीतियों को ही न प्रचारित करके बल्कि एक दल की नीतियों को प्रचारित करने का जो प्रयास किया गया है उससे हमारे सूचना विभाग की स्वायत्तता पर एक खतरा आ गया है। इसलिये यही कारण है कि जो रेडियो टेलीवीजन, समाचार-पत्र हैं, यह सब एक दल का प्रचार माध्यम बनाये रखे गये हैं। फिल्म उद्योग को इन्डस्ट्री बनाने की बात माना यह खुशी की बात है, इससे रोजगार बढ़ेंगे लेकिन इसके पीछे एक भावना होनी चाहिये। आज फिल्में हमारे समाज को उत्तेजित व दिग्भ्रमित करने का साधन बन गयी है। सामाजिक, आर्थिक और समस्याओं वाली फिल्में इन तरीकों को देखते हुये वर्गीकरण को भी हमें निर्धारित करना होगा तभी यह मानसिक दशा उनकी उन्नति में सहायक होगी, नहीं तो पूरे देश में हिंसा और लूटमार की स्थिति पैदा हो रही है तथा होगी।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं तमाम इन साथियों को जो इस पक्ष से हैं या उस पक्ष से इसकी हिमायत में या इसके खिलाफ बोले हैं, मैं उनका इन्तहाई शुक्रगुजार हूं। और मैंने यह महसूस किया कि किसी न किसी ढंग से हमारे कटौती के प्रस्ताव की हिमायत हुई है लेकिन मान्यवर, एक चीज जो अवश्य ही देखने में आई जो जरूर काबिले अफसोस रही है। शायद सूचना का बजट हमारे तमाम

सत्र में आज मजाक का मौजू बना रहा। हमारे से बहुत से गैर संजीदा साथियों ने इस बजट की संजीदगी से नहीं लिया बल्कि जो माहौल इस सदन में बना है वह इस सदन की गरिमा के खिलाफ है और आपको याद होगा मैंने कहा था, कि पथ से बाहर रहने वाले लोगों को यह भ्रम है कि पूरे प्रदेश की हुकूमत कर रहे लोग, यहां पर बैठने वाले लोग करोड़ों लोगों के दुखदर्द का फैसला कर रहे होंगे। यहां पर बैठने वाले लोग वह जो समाज के लिये, सूबे के लिये यहां के रहने वालों के लिये कानून बनायेंगे। मैंने कहा था याद होगा कि इन दीवारों पर चारों तरफ से टेलीवीजन कैमराज लगा दिये जाय और लोगों को दिखाया जाय कि वह जो चुने हुये नुमाइन्दे हैं, हमारे लिये वह क्या करते हैं। मान्यवर, मैं एक बात की तरफ और आपका ध्यान लाना चाहता हूं जैसा हमारे साथियों ने भी कहा आप ऐसी फिल्म नहीं बनायेंगे जैसी आपके मेम्बर आफ पार्लियामेंट अमिताभ बच्चन साहब ने बनायी गोली चलाकर सारे मन्त्री परिषद् का कत्ल कर दिया। मान्यवर, ऐसी फिल्मों पर रोक लगनी चाहिये जिनमें कत्ल, गुन्डागर्दी और बैंकों की लूट के तरीके बताये जाते हैं। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्या ने एक प्रपोजल इस बारे में रखा है। मैंने देखा है इसी शहर लखनऊ में लोगों को खास तौर से नौजवानों की रात के अंधेरे में अश्लील पोस्टरों को फाड़ते हुए। अभी हमारे समाज में ऐसे लोग जिन्दा हैं। जो समाज की मौत से परेशान हैं। ऐसी गन्दी फिल्मों पर रोक होनी चाहिये।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगा एक आर0 के0 मिश्र हैं चलचित्र निगम में, इनका 70 हजार सालाना का खर्चा है चलचित्र के निगम के नाम पर, आप देखियेगा, ऐसे लोग चलचित्र निगम पर बोझ बने हुये हैं, मैं तो यह कहूंगा कि वह कैंसर बन गये हैं, उनको हटाना होगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री के यही सेक्रेटरी भी हैं, जो कि आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं, वह चलचित्र निगम के चेयरमैन हैं और चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी भी हैं। मैं समझता हूं कि एक समय में दो अहम कामों को एक आदमी के लिए कर सकना मुमकिन नहीं है। या तो वह चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी रहें और चाहे चलचित्र निगम के चेयरमैन। दोनों काम करने का मतलब होगा कि दोनों के साथ ज्यादती होगी, बेईमानी होगी। सूचना विभाग ईमानदारी के साथ अपना रोल अदा नहीं कर रहा है। मान्यवर, अभी कई दिन पहले मैंने एक औचित्य का प्रश्न उठाया था कि आल इंडिया रेडियो की इमारत में दो लड़कियों का रेप हो गया और इस बात को दबा दिया गया। मामले की सूचना टेलीफोन द्वारा थाने को दी गयी, एडीशनल एस0 पी0 को यह बात पहुंच गयी। पुलिस ने वह काम नहीं किया जो करना चाहिये था, इसलिए कोतवाल को सस्पेंड कर दिया गया। इस प्रकार मेरी बात की पुष्टि हो जाती है। मान्यवर, आल इंडिया रेडियो में आने वाली लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाना, यह बहुत ही शर्म की बात है। इस पर सख्ती के साथ ऐक्शन होना चाहिए और रोक होनी चाहिए।

इनफारमेशन आफीसर की बात मैं बताता हूं, उनका ट्रान्सफर नहीं होता है। एक रामपुर का इनफारमेशन अधिकारी है, वह बड़ा रिसोर्सफुल है, इसलिए वह वहां से नहीं हटता। वह बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है और जो भ्रष्ट लोग हैं वह एक ही स्थान पर जमकर रहना चाहते हैं, उनको आप हटाने का काम करें। मान्यवर, अगर विपक्ष भी अच्छी बात कहता है तो रेडियो और टेलीविजन पर उसकी बात आनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। सभी माननीय सदस्यों से गुजारिश है कि पहली बार और आखिरी बार एक सही बात करें और जो आज कटौती का प्रस्ताव रखा है, इसको मंजूर कर लें।

श्री हुकुम सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और विशेष जिन माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है और गम्भीर आरोप लगाये हैं और साथ ही साथ सुझाव भी दिये हैं। माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो कुछ जानकारी चाही है, मैं कुछ ही क्षणों में उनको जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। उन्होंने विज्ञापन की नीति के बारे में जानना चाहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के 23 जिले टेलीप्रिन्टर की सेवा से जुड़े हुये थे और अब 32 और जिलों को टेलीप्रिंटर सेवा से जोड़ा जायेगा, यह सुविधा और उपयोग उन समाचार-पत्रों के लिए होगा जिनके पास अपने टेलीप्रिन्टर नहीं हैं बड़े लोग तो रख लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि तमाम जनपदों को टेलीप्रिन्टर सेवा से जोड़ा जाये और जो विकास के कार्यक्रम हैं, उनको पहुंचाया जाये। मुझे बताते हुये हर्ष हो रहा है कि....

श्री अधिष्ठाता--

आप इस बात को भी दिखवा लें कि कितने टेलीप्रिन्टर खराब रहते हैं।

श्री हुकुम सिंह--

मैं दिखवा लूंगा। अभी तक 23 जिलों में थे और अब 32 जिलों में और प्राविधान किया गया है। अगर 23 के बारे में बात है तो इसको दिखवा लिया जायेगा और जो खराब हैं उनको भी ठीक करवाने के लिए आश्वस्त करता हूं। विज्ञापन दो माध्यम से किये जाते हैं। डी० ए० वी० द्वारा और हमारे विभाग द्वारा। यह लगभग दस हजार का सरकुलेशन होता है। यह उन्हीं के द्वारा किया जाता है चाहे वह डी० ए० वी० से मान्यता प्राप्त हो या प्रवेश के सूचना विभाग से। सब को एक ही दर दी जायेगी भले ही वह छोटे अखबार हों।

मान्यवर, टी० वी० सेट्स के बारे में कहा गया। जहां तक पंचायतों का सवाल है मेरठ मंडल के किरनपाल सिंह और अन्य भी कई सदस्य हैं उनसे यह जानकारी प्राप्त हो सकती है कि कहां पर यह लगाये गये हैं। जहां पर कवरेज था उन तमाम स्थानों पर लगाया गया और इस वर्ष हम 430 और टी० वी० सेट देने जा रहे हैं। जहां-जहां आवश्यकता समझी जायेगी, वहां दिया जायेगा। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में आपने शिकायत की थी कि वहां टी० वी० सेट नहीं उपलब्ध कराये गये तो मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्रों में हिल डेवलपमेंट, पर्वतीय विकास के बजट से यह उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए 7 लाख रु० का प्राविधान किया गया था और टी० वी० सेट क्रय भी किए जा चुके हैं, कुछ क्रय किये जा रहे हैं और उनको उनके स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। यह बात सही है कि सूचना अधिकारी के बारे में यह शिकायत मिलती है कि वह केवल जिलाधिकारी तक ही सीमित रहते हैं इसके लिए हमने यह निर्देश दे दिये हैं कि सूचना अधिकारी का जो कार्य क्षेत्र है, एक महीने में वह अपनी टिप्पणी नहीं देगा तो उसकी कार्य-क्षमता के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उस टिप्पणी में मंत्रियों के भाषण, जिलाधिकारी के भाषण सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में और भी सुझावों पर विचार किया जायेगा। चलचित्र निगम के बारे में बहुत आशंकायें जाहिर की गई जैसे छविगृहों की स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर स्टाफ ज्यादा है, भ्रष्टाचार है।

मान्यवर, इसके दो पहलू हैं एक तो चलचित्र निगमों के स्थान वह थे जिसके ऊपर अमीर आदमी, साहूकार अपना छविगृह नहीं बनाना चाहते थे तो स्वाभाविक है कि दोनों का कम्पटीशन हो क्योंकि यह स्थान शहर से दूर होते हैं लेकिन इसके बावजूद मनोरंजन कर के माध्यम से रेवेन्यू कहीं ज्यादा बढ़ा है। अच्छी परफारमेन्स आई है। अभी हमारे लिए कोई औचित्य नहीं है इस बात को कहने का। मैं आपको आश्वस्त करता हूं

कि उसमें सुधार लाया जायेगा और इसके लिए हमने कुछ कदम भी उठाये हैं, हमने जिम्मेदारी भी निर्धारित की है। हमको 40-50 हजार का रेवेन्यू अधिक मिलना शुरू हुआ है। मुझे विश्वास है कि यदि इसी तरह हम चलते रहे और अगर हमारे छविगृह फायदे में नहीं पहुंचते हैं तो हम अपनी नीति के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए भी बाध्य होंगे। मान्यवर, इन्दिरा नगर कामर्शियल सेंटर के बारे में कहा गया। उसके लिए स्थान मिल गया है, पैसे का भी प्राविधान हो गया है और शीघ्र ही वह शुरू होने जा रहा है। हमारा जो प्रकाशन केन्द्र है सूचना विभाग का इसके माध्यम से विशेषतौर से हम दो मैगजीन निकाल रहे हैं।

नया दौर और उत्तर प्रदेश नामक मैगजीन का जिक्र किया मुझे खेद है जिसका आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने विमोचन किया, यहां उपलब्ध नहीं करा सके। नया दौर मैगजीन नयी दिशा लेकर आयी है और उत्तर प्रदेश नामक मैगजीन में गौरव के साथ कह सकता हूं कि उसकी चाहे वह उर्दू की मैगजीन हो चाहे हिन्दी की मैगजीन हो देश की किसी मैगजीन से तुलना कर सकते हैं। इसमें हमारे जितने भी पुराने साहित्यकार हुए हैं जैसे अमीर खुसरो, फिराक या गालिब हैं उनके ऊपर विशेषांक निकाले हैं जिन्होंने साहित्यिक जगत में नया स्थान कायम किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिया है इन तमाम मुद्दों के ऊपर मैगजीन के साथ-साथ कुछ अच्छी किताबें भी छापने का काम करे तो उसको भी हम शुरुआत करेंगे।

फिल्मों के निर्माण में जो सुविधा उपलब्ध करा रहे थे उस बिन्दु को भी यहां पर उठाया गया। अभी तक वह फिल्में, जिनका 80 प्रतिशत निर्माण उत्तर प्रदेश में होता था, जिनका सामाजिक थीम होता था ऐसी कई फिल्मों को अनुदान के रूप में पैसा दिया। इसके अलावा कोई निर्माता या निदेशक उत्तर प्रदेश में आना चाहे और यहां फिल्म निर्माण करना चाहें तो कैमरा सबसिडाइज्ड रेट पर उपलब्ध कराया जायेगा, जनरेटर तथा आवासीय सुविधा तथा अन्य जो भी सुविधा संभव है उनको उपलब्ध करायेंगे। आज हमने फिल्म निर्माण को उद्योग घोषित करने का निर्णय ले लिया है तो इससे उनको ऋण बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा क्योंकि इससे पहले ऋण देना हमारे लिए संभव नहीं था चाहे वह बैंकों के माध्यम हो या वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से हो। फिल्म निर्माण को उद्योग घोषित करके यह सुनिश्चित कर लिया है कि इसमें हम रचनात्मक कदम उठा सकेंगे। इन शब्दों के साथ में समस्त माननीय सदस्यगण का आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा की तरह आपसे अनुरोध करता हूं कि जितने सुझाव आपके थे उनको स्वीकार किया है और आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री मुहम्मद आजम खां--

माननीय मंत्री जी ने यह अच्छी खबर दी है कि जिस तरह की मैगजीन हिन्दी और उर्दू में निकालते हैं उसी तरह से किताबें भी छापने का काम करेंगे और अच्छे राइटर्स की किताबें छापेंगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्राइटेरिया वह तो नहीं होगा जो उर्दू अकादमी वालों का होता है। आप किस तरह की कमेटी बनायेंगे, किस राइटर की किताब छापेंगे इस पर प्रकाश डाल दें।

श्री हुकुम सिंह--

मुझे पता नहीं कि उर्दू अकादमी वालों का क्या क्राइटेरिया होता है इस पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं लेकिन जो स्तर हमारी मैगजीन का रहा है अच्छे साहित्यिक जो हैं उसमें किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं होगा।

श्री सरदार सिंह--

एक जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल हैं जो यहां किसी बड़े आदमी के मंत्री के संरक्षण में हैं और उन्होंने किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया है उसको हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह--

मान्यवर, मुझे पता नहीं माननीय सरदार सिंह जी ने जो कहीं कहीं पर कब्जा कर रखा है ।

श्री सखावत हुसैन--

मैं जानना चाहता हूं कि गाजियाबाद में एक फिल्म स्टूडियो बनाने का स्व0 चन्द्रभान गुप्त के समय में निर्णय लिया गया था जिसके लिए जमीन भी एक्वायर हो गई है, उसकी क्या स्थिति है ?

श्री हुकुम सिंह--

जो माननीय सदस्य ने बताया वह महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसका परीक्षण कई बार कराया गया, बम्बई से भी कलाकार और फिल्म निर्माता आये, उन्होंने उस जगह का, जो प्रस्तावित थी, परीक्षण किया, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्थल का चयन किया गया था वह उपयुक्त नहीं पाया गया । अब तो फिल्म उद्योग घोषित किया है इसलिए जहां से फिल्म स्टुडियो बनाने की बात आयेगी तो विचार किया जायेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि मंत्री जी ने जो बातें कहीं और हर सवाल का जवाब दिया है, इसलिए इस आखिरी बात को भी आशा करता हूं कि वह मान लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78-सूचना विभाग में संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 78-सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले पारव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,61,75,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विधान सभा के उपाध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम को निरस्त करने का प्रस्ताव

*संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि--

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हेतु जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसे निरस्त कर दिया जाय । उक्त निर्वाचन के लिए यदि कोई नाम निर्देशन-पत्र अब तक प्राप्त हुए हों तो निरस्त समझे जायें और माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया जाये कि निर्वाचन हेतु नया कार्यक्रम निर्धारित करें ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हेतु जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसे निरस्त कर दिया जाय । उक्त निर्वाचन के लिए यदि कोई नाम निर्देशन-पत्र अब तक प्राप्त हुए हों तो निरस्त समझे जायें और माननीय अध्यक्ष से अनुरोध किया जाय कि निर्वाचन हेतु नया कार्यक्रम निर्धारित करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी प्रक्रिया नियमावली के अनुसार सदन बैठने के 30 दिन के अंदर उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो जाना चाहिये। किसी भी दशा में 10 अगस्त के बाद निर्वाचन स्थगित करने का प्रयास हो रहा है। कराना नियमानुकूल नहीं है। मान्यवर, बारबार यह निर्वाचन पिछले सत्र में भी स्थगित होता रहा और इस बार भी वही प्रक्रिया शुरू हो रही है, मेरी इस पर घोर आपत्ति है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि अच्छी और स्वस्थ परम्परा उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी कि उपाध्यक्ष का पद विरोध पक्ष को दिया जायेगा और दिया जाता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के विरोध पक्ष के नेतागण अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं कर रहे हैं और किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच रहे हैं, यह शर्मनाक बात है खासकर विरोध पक्ष के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस चुनाव को टाला न जाये और आज रात में बैठकर कोई निर्णय ले लें विरोध पक्ष के किसी एक माननीय सदस्य को जिसपर आम सहमति हो, चुनाव कर लिया जाय। मान्यवर, मेरी बात मा0 अध्यक्ष तक पहुंचावें कि सारे विरोध पक्ष के जो मा0 सदस्य हों, उनकी राय मा0 अध्यक्ष जी ले लें गोपनीय ढंग से और जिसपर आम सहमति हो उसको उपाध्यक्ष पद हेतु चुन लिया जाये। इस पर आज रात में विरोधी पक्ष के नेता बैठ कर निर्णय ले लें वरना इनके हाथ से यह निर्णय निकल जायेगा। माननीय सदस्य विरोध पक्ष के निर्णय स्वयं ले लेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 178, 179 और 180 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 178 में स्पष्ट दिया हुआ है—एवरी लेजिस्लेटिव एसेम्बली आफ ए स्टेट शैल ऐज सून ऐज मे बी, चूज टू मेम्बर्स आफ दि असेम्बली टू बी रिस्पेक्टली स्पीकर ऐन्ड डिप्टी स्पीकर देयर आफ, ऐन्ड, सो आफन ऐज दि आफिस आफ स्पीकर आर डिप्टी स्पीकर बिकम्स वैकेन्ट, दि असेम्बली शैल चूज ऐनअदर मेम्बर टू बी स्पीकर आर डिप्टी स्पीकर, ऐज दि केस मे बी।" इसका हिन्दी ट्रांसलेसन है कि हर विधान सभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव, जितनी शीघ्रातिशीघ्र हो सकेगा विधान सभा के गठन के बाद किया जायेगा और यदि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की जगह किसी वजह से रिक्त हो जाती है तो विधान सभा शीघ्राति-शीघ्र उसका चुनाव करेगी। फिर अनुच्छेद 179 बी व सी में दिया हुआ है :—

"(बी) मे ऐट एनी टाइम वाई राइटिंग अन्डर हिज हेण्ड एड्रेस्ड इफ सच मेम्बर इज दि स्पीकर, टू दि डिप्टी स्पीकर, एण्ड इफ सच मेम्बर इज दि डिप्टी स्पीकर, टू दि स्पीकर, रिजाइन हिज आफिस, एण्ड

(सी) मे बी रिमूव्ड फ्राम हिज आफिस बाई ए रिज्यूलूशन आफ दि असेम्बली पास्ड बाई ए मेजारिटी आफ आल दि दैन मेम्बर्स आफ दि असेम्बली"

मतलब यह है कि अगर स्पीकर अपना इस्तीफा देता है तो वह डिप्टी स्पीकर को एड्रेस करके देगा और अगर डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा देता तो वह स्पीकर को एड्रेस करके देगा।

आप जरा अनुच्छेद 180 को देखें, उसमें लिखा है—"व्हाइल दि आफिस आफ स्पीकर इज वैकेन्ट, दि ड्यूटीज आफ दि आफिस शैल बी परफार्म्ड बाई दि डिप्टी स्पीकर आर, इफ दि आफिस आफ डिप्टी स्पीकर इज आलसो वैकेन्ट, बाई सच मेम्बर आफ दि असेम्बली ऐज दि गवर्नर मे एप्वायन्ट फार दि परपज।"

मतलब यह है कि स्पीकर अनुपस्थित हो तो उसके कार्यों यानी स्पीकर के कार्यों को डिप्टी स्पीकर करेंगे और यदि डिप्टी स्पीकर भी अनुपस्थित हों, उनका पद भी खाली हो तो उनके कार्य को असेम्बली का वह सदस्य करेगा जिसे गवर्नर इस कार्य के लिए नियुक्त करें ।

इसका सब क्लाज–2 है :

"(2) ड्यूरिंग दि ऐक्सेन्स आफ दि स्पीकर फ्राम एनी सिटिंग आफ दि असेम्बली दि डिप्टी स्पीकर, आर इफ ही इज आलसो ऐब्सेन्ट, सच परसेन ऐज मे बी डिटरमेन्ड बाई दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि असेम्बली, आर, इफ नो सच परसन इज प्रेजेन्ट, सच अदर परसन ऐज मे बी डिटरमेन्ड बाई दि असेम्बली, सेल ऐक्ट ऐज स्पीकर ।"

180 (2) का मतलब है कि अगर स्पीकर अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर और अगर डिप्टी स्पीकर भी अनुपस्थित है तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे स्पीकर ने अधिकृत कर दिया हो, वह विधान सभा की अध्यक्षता करेगा । उसमें कहीं यह नहीं है कि विधान सभा की अध्यक्षता, डिप्टी स्पीकर का बिना चुनाव हुए अधिष्ठाता मंडल करेगा ।

(व्यवधान)

अब आप जरा 178 और 180 को साथ–साथ देखें । 178 में है जितनी जल्दी से जल्दी होगा, और यहां से लेकर सुप्रीम–कोर्ट तक, इसका आशय यह है कि एक रीजनेबिल टाइम जितना आवश्यक हो । विधान सभा का गठन हो गया है । एक सत्र प्रारम्भ हुआ और खत्म भी हो गया है । यह विधान सभा का दूसरा सत्र है । यह उत्तर प्रदेश विधान सभा में पहला मौका है कि विधान सभा का पूरा बजट सत्र बिना स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर के चल रहा है । अधिष्ठाता मंडल के जरिए । इस तरह से स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर के ओहदे को रिडन्डेन्ट बनाया जा रहा है कुछ लोगों की साजिश से । स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में अधिष्ठाता मंडल विधान सभा की अध्यक्षता और उसका संचालन करेगा, लेकिन आज स्थिति दूसरी है डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ ही नहीं है । इस समय संवैधानिक स्थिति यह है कि अधिष्ठाता मंडल की उपस्थिति में जितने भी कार्य हुए हैं वह असंवैधानिक हैं . .

(व्यवधान)

इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप 1957 की प्रोसीडिंग मंगाकर देख लें उस समय भी यह संवैधानिक सवाल उठा था, बजट सत्र में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था । उस समय जो आज के नेता सदन में वह डिप्टी लीडर आफ अपोजीशन थे और उन्होंने भी उस संवैधानिक प्रश्न को उठाया था ।

उस समय सरकार ने इसको कंसीडर किया था और एक सप्ताह के अन्दर उपाध्यक्ष का चुनाव करा दिया था । तो यह एक असाधारण परम्परा बन रही है । संविधान के अनुच्छेदों की अवहेलना हो रही है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आज इस प्रस्ताव को आप न लें और अध्यक्ष महोदय तक हमारी जो भावनायें उनको भेज दें और अगर हो सके तो कम से कम निश्चित तिथि की घोषणा शीघ्र हो यह नहीं कि अनन्त काल तक उपाध्यक्ष का चुनाव टलता जायगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपको ध्यान पूर्वक सुन रहा था । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा, उसके बाद आपने प्रश्न उपस्थित कर दिया । क्या उसके बाद कोई व्यवस्था का प्रश्न उठ सकता है । अगर व्यवस्था का प्रश्न उठाना था तो जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव रख रहे थे तब उठाना चाहिये था ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इन व्यवस्था के प्रश्नों की अनुमति न दें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने तिवारी जी और माननीय मैनेजर सिंह को सुना। यह सही है कि उपाध्यक्ष का चुनाव शीघ्र हो जाना चाहिये था लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाया है । यह हाउस अपने बिजनेस का स्वयं मास्टर है । इसलिये अब इस समय जब प्रश्न उपस्थित हुआ है, मैं आग्रह करूंगा माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोध पक्ष से कि अगली बार जब भी समय निश्चित हो तो अवश्य करा दें जिससे कि यह जो एक समस्या है इसका निदान हो जाय ।

मैं प्रश्न रखता हूं दोबारा :--

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, "नहीं" की संख्या अधिक है ।

श्री अधिष्ठाता--

"हां" की संख्या अधिक है ।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मतदान कराइये, यह रिकार्ड में आयेगा ।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी जो भावनायें हैं वह माननीय अध्यक्ष तक पहुंचा दी जायेगी । मुझे उम्मीद है कि अगली बार आपको यह शिकायत नहीं रहेगी ।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं । मैं मतदान की मांग करता हूं । "नहीं" की संख्या अधिक है ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, "हां" की संख्या अधिक है । यह एक गलत परम्परा डाल रहे हैं ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, यह सवाल नहीं रह गया है । अब आप आगे बढ़ें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं एक बार फिर प्रस्ताव रखता हूं :--

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग

आबकारी मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,74,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, जैसा कि आप जानते हैं कि इस विभाग में मद्य निषेध एक महत्वपूर्ण अंग है और इस विषय में जैसाकि आपको मालूम है पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जिलों में और जो हमारे धार्मिक क्षेत्र हैं, वहां पर मद्य निषेध लागू है । मान्यवर, मद्य निषेध के लिये प्रयास किया गया कि इसको कानून से बन्द किया जाय, लेकिन आप जानते हैं कि कानून से इसको बन्द नहीं किया जा सकता है । इस विभाग का बजट जो है वह भी बहुत कम है, सिर्फ 24,34,000 रुपया है और इस सीमित धनराशि में हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वह किया जा रहा है । पहाड़ी क्षेत्रों की कई जगहों से यह शिकायत आई है कि वहां पर मद्य निषेध तो लागू है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज अल्कोहल या शीरा के नाम पर वहां पर लोगों

को पिलाया जाता है, जिससे लोगों के सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इन सबको देखते हुए शासन ने एक समिति का गठन किया है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर यह देखे कि मद्य निषेध तो वहां पर लागू है, लेकिन लोगों की तन्दुरुस्ती, सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जैसा मैंने बताया कि वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें लोगों ने बना रखी हैं, जिसके पीने से बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसी को देखने के लिए शासन ने एक समिति का गठन किया है, जो कि जाकर वहां पर देखें और शासन को रिपोर्ट दें, उसके बाद शासन इसको देखेगा कि किस प्रकार से मद्य निषेध वहां पर लागू किया जाय। जैसा मैंने बताया कि मद्य निषेध कानून से नहीं लागू हो सकता है, इसलिए हमको चाहिए कि जो हमारे धार्मिक विचार के लोग हैं, इसमें वह योगदान दें, जब तक हमको इनका सहयोग नहीं प्राप्त होगा, तब तक इस दिशा में हमको सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगा। मान्यवर, हमारे प्रदेश में मद्य निषेध के जो कार्य-कलाप हैं, उसके लिए कई जिलों में हमारे प्रचारक भी हैं, और भी इस तरीके से लोग हैं जो काम करते हैं, लेकिन हमें खेद है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। इस दिशा में भी शासन बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा है कि इसको हम कैसे सुदृढ़ बना सकें और कैसे अच्छी तरह से इसको हम चला सकें। इसके बारे में भी हम लोग काफी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। आबकारी विभाग के बारे में जैसा कि आप लोगों को मालूम है यह विभाग सेल्स टैक्स के बाद आय के बारे में सबसे ज्यादा आय देता है। 1983-84 में इससे आय 213 करोड़ रुपया थी और 1984-85 में यह बढ़कर 251 करोड़ हो गई है और ऐसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष 300 करोड़ रुपये तक लगभग पहुंचेगी। इतनी आय होने पर भी श्रीमन्, इस विभाग का खर्च आप लोगों ने देखा होगा कि वह 2 प्रतिशत से भी कम है। विदेशी मदिरा जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें तस्करी बहुत होती है, इसकी रोक-थाम के लिये शासन ने बहुत से कदम उठाये हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि टैक्सेशन कमेटी की सिफारिश से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के आसपास के प्रदेशों में जो कर भार लगा हुआ था, उसको देखते हुए हमने अपने प्रदेश में भी उसके समान यहां पर भी कर दिया है, जिससे तस्करी में रोकथाम हो सके। इसकी रोकथाम में काफी फायदा हुआ है और आय भी काफी बढ़ी है। इसी तरह से समता लाने के लिये हमने एक निर्णय लिया और जो विदेशी मदिरा पर ड्यूटी 55 रुपये प्रति अल्कोहल लीटर थी उसको घटाकर 40 रुपया कर दिया और जो ऐसेस्ट की 5 रुपये बोतल थी उसको खत्म कर दिया है।

श्रीमन्, हमारे यहां जो ठेकेदारी का सिस्टम है, इसके बारे में कई बार कहा गया कि इसमें बहुत गड़बड़ी होती है। इसको भी खत्म करने के लिये शासन विचार कर रहा है। यह ठेकेदारी सिस्टम तोड़कर या खत्म करके कौन सी चीज या कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, जिससे यह कमियां खत्म हो जायं। श्रीमन्, जैसा हम लोगों को मालूम है, उत्तर प्रदेश में बहुत अल्कोहल पैदा होता है, यह सरप्लस राज्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में 18 सौ लाख लीटर अल्कोहल बनता है और इसमें से 12 सौ लाख लीटर उद्योगों पर, जो दवाईयां बनाती हैं, उनपर खर्च होता है, सिर्फ 6 सौ लाख लीटर दारू बनाने के लिये दिया जाता है, इस 6 सौ लाख लीटर में से कम करके बाहर देते हैं, सिर्फ 4 सौ लाख लीटर देशी शराब पर यह खर्च किया जाता है। जैसा हमने बताया ठेकेदारी प्रथा बहुत वर्षों से चली आ रही है,

इसमें बहुत कमियां हैं। इस साल हम लोगों ने नया कायदा शुरू किया टेन्डर-कम-आक्सन का इससे हमारी आय में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इससे काफी फायदा हुआ है। श्रीमन्, इसी तरीके से और बहुत सी गड़बड़ी इस विभाग में हैं। उनको दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। श्रीमन्, मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा।

मान्यवर, भांग का ठेका होता है। भांग का ठेका ले लेते हैं और उसके अन्दर गांजा और बहुत सी चीजें बेचते हैं, जिससे लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। शासन इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है कि कैसे इसको खत्म करें। ताड़ी के बारे में जैसा हम लोग जानते हैं, ताड़ी के पेड़ ज्यादातर पूर्वी जिलों में हैं। इसमें आक्सन सिस्टम था, यह प्रथा खत्म कर दी गई है। आक्सन अब नहीं होता है। ताड़ी के काम में एक विशेष वर्ग काम करता था। उन्हीं के लिये कर दिया है वह लोग ताड़ी का काम कर रहे हैं। लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर में ताड़ी के पेड़ नहीं हैं लेकिन नीलामी में सबसे ज्यादा आमदनी यहीं होती है। उसका कारण यह है कि पेड़ न होने की वजह से पानी में एक दवा मिलाकर और कोई जहरीली चीज मिलाकर, लोगों को पिलाते हैं जिसका बुरा असर पड़ रहा है। इस बारे में भी शासन सोच रहा है कि इसको कैसे खत्म करें। मान्यवर, हमारे प्रदेश में अल्कोहल शीरे से पैदा होता है, गन्ने की फसल अच्छी होती है तो शीरा अधिक होता है, गन्ने की फसल अच्छी नहीं होती है तो अल्कोहल में कमी आ जाती है। इसके लिये विचार किया जा रहा है कि गन्ने के अलावा कोई और चीज सोची जाय। जैसे आलू और आवला जो है, महुआ है, यह ऐसी वस्तुएं हैं, जिनसे अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो जब हमारे उद्योग में शीरे की कमी होगी तो अल्कोहल की कमी में इससे फायदा होगा। इस तरह से इसमें काफी प्रयास किया जा रहा है। श्रीमन्, विभाग में जो और भी कमियां हैं, उनको हमारे इधर और उधर के माननीय सदस्य, जो बैठे हुए हैं, सुझाव देंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि शासन उन पर विचार करेगा और उनको दूर करने का प्रयास करेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि यह अनुदान की मांग जो हमने आप लोगों के लिये रखी है, उसको आप पास करें।

श्री किरन पाल सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत मांगी गई धनराशि में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मंत्री जी ने, जो आबकारी और मद्य निषेध के मंत्री हैं, अपना बजट प्रस्तुत करते हुये मद्य निषेध से शुरू किया, इस बात से शायद माननीय सदस्यों को कुछ तसल्ली हुई हो, लेकिन मान्यवर, आप देखें कि जो माननीय मंत्री जी ने बजट पेश किया है, वह सिर्फ आबकारी विभाग का पेश किया है। और मद्य निषेध का बजट आज से लगभग 4-5 दिन पहले माननीया श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी ने पास करवा लिया था और आज आप जो मद्य निषेध मंत्री हैं, अपना मद्य निषेध का बजट नहीं लाए और वह पहले ही चुपके से पास करा लिया। परन्तु यदि आप अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक होते तो अनुदान संख्या 81- के अन्तर्गत जो बजट पास कर दिया गया है, मद्य निषेध का उसे अनुदान संख्या-1 में समय रहते सम्मिलित करा लेते और आज यहां

मद्य निषेध का बजट पेश करते। मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री जी मद्य निषेध के मंत्री हैं और उन्होंने अपना बजट पेश नहीं किया और बड़े बेलिहाजी के साथ मद्य निषेध का कुछ जिक्र अवश्य किया है।

मान्यवर, सन् 1950 में हमारे देश का संविधान बना और संविधान निर्माताओं ने 3 साल तक प्रयास करने के बाद जो हमारे समाज के लिये और सरकार चलाने के लिये जो नीति-निर्देशक सिद्धांत बनायें उसमें 47वें अनुच्छेद के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया है कि राज्य अपने नागरिकों के आहार के पोषक स्तर को ऊंचा रखने के लिये, नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये और उनका जीवन स्तर ऊंचा रखने के लिये मान्यवर, मद्य निषेध को प्राथमिकता देगी और उन बातों को छोड़कर जहां मादक द्रव्य जीवन की रक्षा के लिये स्वास्थ्य के लिये आवश्यक हों, हानिकारक पदार्थों के प्रयोग को हमेशा ध्यान में रखा जायगा कि उनका निषेध किया जाय। मान्यवर, माननीय मंत्री जी यहां पर सिर्फ शराब बेचने का बजट लाये हैं और मद्य निषेध का बजट पेश नहीं किया है, इस प्रकार उन्होंने भारतीय संविधान के अन्तर्गत जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं, उनका उल्लंघन किया है। मान्यवर, यही नहीं हमारे आबकारी अधिनियम में जो 1910 में बना था, उसमें लिखा है उसके प्रिएम्बुल में लिखा है कि जो नशीली वस्तुएं हैं जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक वस्तुएं हैं, उनके लिये आबकारी विभाग आबकारी ऐक्ट बनाकर उनके ट्रान्सपोर्ट और बेचने में रुकावट लाने और कम करने का काम करेगा। यही आबकारी ऐक्ट की प्रस्तावना है। इसी के साथ-साथ आपको ध्यान होगा कि 1975 में भारत की प्रधानमंत्री स्व० इंदिरा जी ने एक 12 सूत्री कार्यक्रम तमाम राज्यों को दिया था मद्य निषेध लागू करने के लिये। माननीय मंत्री जी ने मद्य निषेध की बात कही। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह शराब बेचने का काम किसके लिये कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन किसके लिये कर रहे हैं अधिनियम का उल्लघंन किसके लिये कर रहे हैं? अपनी स्वर्गीय प्रिय नेता की इच्छा के विपरीत काम किसके लिये कर रहे हैं?

मान्यवर, हिन्दुस्तान को आजाद करने का काम गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, उसमें स्वतंत्रता की मांग के साथ-साथ खादी ग्रामोद्योग की बात थी, अछूतोद्धार की बात थी, और मद्य निषेध को पूरे हिन्दुस्तान में लागू किये जाने की बात थी। जिस गांधी जी ने देश को आजाद कराया, इस देश को स्वतंत्रता दिलायी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, आज उन्हीं का नाम लेकर जीती हुई सरकार उत्तर प्रदेश की असेम्बली में शराब बेचने के काम का बजट लाकर शर्मनाक काम कर रही है। इसलिए मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है कि आबकारी बजट के लिये सरकार को पैसा नहीं दिया जाय।

आप यह आबकारी बजट राजस्व की दृष्टि से ला रहे हैं। गांधी जी के समय यह बातअयी थी, लोग जेल गये थे, घेराव किया गया था, लोगों ने गांधी जी से कहा था कि यदि मद्य निषेध लागू किया गया, तो राजस्व की कमी रहेगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए बजट कहां से आएगा तथा बच्चों की पढ़ाई पर खराब असर पड़ेगा बिना पढ़े रह जायेंगे बच्चे बरबाद हो जायेंगे। गांधी जी ने कहा था नौजवान पीढ़ी को अशिक्षित रखना मंजूर है, लेकिन नशेड़ी बनाना मंजूर नहीं है। इस मद्य निषेध के लिये संघर्ष किया गया था। लेकिन मान्यवर यह सरकार आज उन्हीं के आदेशों को तिलांजलि देकर शराब बेचने का काम कर रही है।

मान्यवर, उधर बैठे हुए लोगों में 2-4 सदस्य ऐसे अवश्य होंगे, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया था, आज वह महसूस कर रहे होंगे

कि जिस आबकारी के बजट को यहां पर लाया गया है, उससे स्वास्थ्य खराब होता है, तमाम परिवार बरबाद हो जाते हैं, नैतिकता जाती है ।

मान्यवर, आप देखते हैं यह जो हत्याएं होती हैं, बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, आत्म हत्याएं हो रही हैं, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, इनके सभी के पीछे शराब मुख्यतः होती है । आज शराब की अधिकता से हिन्दुस्तान में आम नागरिक का स्वास्थ्य बहुत गिरता जा रहा है । तमाम तरह की बीमारियां जैसे लीवर कैंसर, मस्तिष्क का पक्षाघात, तमाम असाध्य रोग इस शराब से समाज में फल रहे हैं । राजस्व लाने के लिये, समाज का चरित्र, समाज के स्वास्थ्य की चिन्ता नहीं है । जब नागरिकों का स्वास्थ्य गिरता जायेगा तो यह बजट आपका किसके काम आयेगा । माननीय मंत्री जी ने अपने बताया कि आबकारी से 300 करोड़ रुपये की आय प्रस्तावित है, कुल बजट के 2 प्रतिशत आमदनी की बात कही । यदि किसी नागरिक को आप बजाय 100 रुपये के 98 रुपये दे दें, 2 रुपये कम करके दे दें अच्छा है लेकिन यदि आप उसे 100 रुपये देंगे और वह 60 रुपये की शराब ही पी जाय, तो उससे क्या फायदा होगा । सरकार मद्य निषेध की ओर अवश्य ध्यान दे ।

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि सरकार मद्य निषेध की तरफ कदम बढ़ा रही है, मद्य निषेध का जो बजट रखा है, वह 24 लाख 34 हजार का है, जिसमें इस्टेबलिशमेन्ट पर खर्चा 15 लाख है । 10 लाख का खर्चा मद्य निषेध के प्रचार के लिये, जन जागरण कराने के लिये, जन चेतना को उजागर करने के लिये इतना छोटा सा बजट है । मान्यवर, मैं कहता हूं कि यह मद्य निषेध के नाम पर एक धोखा है । मान्यवर, आपने रामायण कथा भी सुनी होगी । रामायण में भी है कि रावण ने सीता का हरण करने के लिये साधु का वेश धारण किया था उसने शराब छोड़ दी बुरे कर्म छोड़ने का नाटक किया था । उसी तरह से शराब बेचने के लिये इस मद्य निषेध का बेस लेकर, इस गरीब जनता को धोखा दिया जा रहा है ।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मद्य निषेध विभाग का जो बजट है, उसे बढ़ाया जाय ।

मान्यवर, इसके साथ ही आपका जो यह मद्य निषेध परिषद् कार्य करता है, वह नक्कारों में तूती की आवाज के समान है । जब मैं एक दिन लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो यंग इंडिया, जो 23 जून, 1927 का था, में लिखा गया था कि पूर्ण नशाबन्दी केवल भारतवर्ष में लागू हो सकती है, क्योंकि यहां पर शराब पीने वाले को सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता है और न ही यह यहां के फशन में शामिल है । यहां पर शराब पीने वाले को नीची नजर से देखा जाता है लेकिन अफसोस की बात है कि यही सरकार गांधी जी का नाम लेकर शराब को प्रोत्साहन दे रही है । शराब पीने वाले को प्रतिष्ठा दे रही है । मान्यवर, आपको अफसोस होगा कि आजादी के बाद आज तक देश की जनसंख्या ढाई गुना बढ़ी है लेकिन इनके विभाग के राजस्व की आय 35 गुणांक बढ़ गई है । जो शराब निन्दनीय होनी चाहिए थी, उसे आज प्रतिष्ठा के साथ जोड़ दिया गया है । आज इस सरकार ने शराब का विष वृक्ष बो दिया है और इससे हमारे नागरिक बुरी तरह से विषमय बनते जा रहे हैं । आज तक हम यह कहते आये हैं कि यह देश गांधी का देश है इसका अर्थ यह हुआ कि हम उनके सिद्धान्तों पर चल रहे हैं लेकिन असलियत यह है कि हम गांधी जी के सिद्धान्तों से कोसों दूर चले गये हैं ।

(इस समय 5 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, आज देश में और प्रदेश में मन्दिरों, मस्जिदों के सामने शराब की दुकानें खुली हुई हैं, स्कूलों के सामने दुकानें खुली हुई हैं और चौराहों पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं । जिस देश में

और प्रदेश में दूध और दही की नदियां बहा करती थीं आज उसके स्थान पर शराब की नदियां बहाई जा रही हैं। जहां पर हिंसा का तान्डव हो रहा है, और जहां पर अनीति नीति के साथ कुचक्र कर रही हो, जहां पर भोग लिप्सा, पदलोलुपता का बोल बाला हो रहा है, जहां पर मास कार्टिंग हो रही हो जहां पर मास मरडर हो रहे हों और जहां पर मास चीटिंग चल रही हो और जहां पर अत्याचारों का बोल-बाला हो, वह देश कोई और का देश हो सकता है, लेकिन गांधी का देश नहीं हो सकता है। लेकिन हमें इस गांधी के देश को गांधी का ही देश रखना है। उसके लिए हमें संविधान की रक्षा करनी है। संविधान के निर्माताओं ने जो नीति निर्देशक सिद्धान्त दिये हैं, उन्हीं के तहत हमको आगे बढ़ना है। मान्यवर, एक समय आया था ...

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने काम किया था लेकिन दुर्भाग्य से वह काम अधूरा रह गया।

लेकिन अब भी समय है, रोग असाध्य नहीं हुआ और हम सब चाहें, समाज के कर्णधार, सरकार को चलाने वाले, सामाजिक कार्यकर्ता, चाहें तो इस बुराई से लड़ सकते हैं, इस बुराई को दूर कर सकते हैं, परिष्कार और चिन्तन के साथ-साथ शराब पीने वाले नशेड़ियों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, प्रताड़ना करनी चाहिए। राष्ट्र का चरित्र सर्वोपरि है और स्वास्थ्य महत्व-पूर्ण है। इन दोनों की रक्षा करनी है और मद्य निषेध को पूरी तरह से लागू करना है।

हम 21वीं सदी में जाने की कल्पना करते हैं, हमारे देश के नशेड़ी नागरिक 21वीं सदी का भार उठा नहीं सकेंगे। मन्त्री जी ने कहा कि शराब के ठेकों को देने के विकल्प के रूप में विचार विमर्श कर रहे हैं कि क्या किया जाय, और भी दो-तीन बातें बतायीं। सब पर विचार कर रहे हैं, अभी तक कोई बात तय नहीं की है। शराब तो पिला ही रहे हैं और न जाने क्या-क्या उसके साथ पिला रहे हैं गरीब जनता को। तमाम ठेके दिये जाते हैं शराब और भांग के इसी लखनऊ में हैं, मन्त्री जी नोट कर लें, नाका हिन्डोला में एक ठेका है, उसे भांग का ठेका दिया गया 4 लाख में, लाख का ठेका, 4 सौ किलो भांग बिकी, उसकी कीमत हुई 80 हजार, बाजार भाव है, ठेका लिया है 4 लाख का, कुल बिक्री 80 हजार की हुई। 3 लाख बीस हजार के घाटे में है, वह घाटा कहां से पूरा करेगा भांग से नहीं, चरस, गांजा, अफीम, सुल्फा, हीरोइन से पूरा होगा उसका घाटा। इसी तरह से वहां पर एक देशी शराब का ठेका दिया है, 45 लाख में, यदि आंकड़े लगाये जायें तो यदि 7 लाख देशी शराब की बोतल बेचें तब वह नो प्राफिट नो लास में चलेगा लेकिन बिक्री हुई साढ़े तीन लाख बोतलें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य जरा संक्षेप में...

श्री किरन पाल सिंह--

अगर हिसाब लगाया जाये तो 18-20 लाख के घाटे में ठेका लिया है। इसको कहां से पूरा करता है, वह ठेकेदार क्या कोई घाटे का ठेका ले सकता है, 18-18, 3-3 लाख का घाटा। घाटा नहीं रिश्वत देने के बाद भी लाखों-लाख रुपया कमाता है, वह ठेकेदार दो नम्बर का काम करके, इसके लिये सरकार और अधिकारी उत्तरदायी हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आपको जवाब देने के लिए भी समय मिलेगा, इसलिए संक्षेप में कर दें।

श्री किरन पाल सिंह--

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए यह मांग

करता हूं सदस्यों से मद्य निषेध पर बल देने की, जो शराब देश के चरित्र, नैतिकता को, स्वास्थ्य को बर्बाद करती है उसके चलन को हतोत्साहित करने की। वासु देव सिंह जी ने कुछ काम किया था, मद्यनिषेध की ओर। अपनी तहसील में भी नशा-बन्दी का काम किया, दुर्भाग्य से इसके मन्त्री नहीं रहे...

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

दुर्भाग्य से या सौभाग्य से ?

श्री किरन पाल सिंह--

लेकिन लगता है, आबकारी मन्त्री की इस डिपार्टमेन्ट में कोई पकड़ नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे मद्यनिषेध के बारे में खुल कर विचार रखें और अनुरोध करते हुए, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया माननीय आबकारी मन्त्री जी के बजट पर बोलने का, और मैं समर्थन करता हूं उन्होंने जो यहां अनुदान प्रस्तुत किये हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। बहुत दिनों से यह मांग की जा रही थी कि हमारे उत्तर प्रदेश के चारों तरफ जो अन्य प्रदेश हैं, वहां पर एक्साइज ड्यूटी बहुत कम है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है जिसके कारण लाखों करोड़ों रुपये की जो तस्करी होती थी और गवर्नमेंट को नुकसान होता था, इस बार माननीय मन्त्री जी ने एक साहसिक कदम उठाया है, उन्होंने 55 रु0 से घटाकर जो 40 रु0 उसकी धनराशि कर दी, उससे मेरा निश्चित मत है कि आने वाले समय में ज्यादा राजस्व प्राप्त हो सकेगा प्रदेश को। लेकिन उसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा कि इसको सख्ती के साथ अमल करने की आवश्यकता है। आज भी बहुत सी ऐसी यूनियन टेरीटरीज हैं, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, जहां पर एक्साइज ड्यूटी बिलकुल नहीं है और जो उत्तर प्रदेश से माल जाता है, वह उन स्थानों पर न जा कर प्रदेश में ही खपत हो जाती है नतीजा यह होता है कि लाखों रु0 की इक्साइज ड्यूटी, जो मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है। इसके लिये आपको चौकसी और मजबूत करनी होगी। चेक पोस्टों पर आर्मड कांस्टेबिल्स रखने होंगे, विभाग को चुस्त और दुरुस्त करना होगा ताकि इस पर रोक लग सके।

माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा, उन्होंने यह कहा कि 15 लाख रु0 इस्टैब्लिशमेंट पर खर्च करता है यह विभाग, जो कि बहुत ज्यादा है। मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत कम है। टोटल जितना रेवेन्यू मिलता है इस प्रदेश को आबकारी से, उसका वह 8 प्रतिशत खर्च होता है इस विभाग पर। बधाई देना चाहता हूं। उसके साथ-साथ निवेदन करना चाहता हूं कि अभी बहुत आवश्यकता है विभाग को आधुनिकतम बनाने की। मैंने पिछले वर्षों में भी, जब आबकारी बजट प्रस्ताव आया था, निवेदन किया था। आज इस विभाग के पास न जीपें हैं, न टेलीफोन है, न कार्यालय हैं, न आवास हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको वर्दी तक नहीं है। वे जो कर्मचारी हैं, उनके हाथ में छोटा सा डंडा दे दिया जाता है और अपेक्षा करते हैं कि लाखों रु0 की तस्करी को रोक सकें, यह सम्भव नहीं है। आपको निश्चित रूप से जैसे पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है, अपने कर्मचारियों को भी वैसे ही ट्रेनिंग देकर दीक्षित करना होगा, शस्त्र देने होंगे ताकि बड़े-बड़े तस्करों को पकड़ने में समर्थ हों और उसके लिये आपको खर्चा करना चाहिये ताकि रेवेन्यू में बढ़ोत्तरी हो सके।

मुझे मालूम है कि आज भी आपके यहां उपायुक्त सहायक आयुक्त और अधीक्षक के पद वर्षों से खाली पड़े हुए

हैं नतीजा यह है कि जो चुस्ती और गति आनी चाहिये, वह सम्भव नहीं हो सकी है। मैं अनुरोध करूंगा कि उन पदों को तत्काल भरने के लिये, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन से भरे जाते हैं, उस दिशा में कार्य करेंगे। जैसा माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जो भांग के ठेके उठते हैं, उसमें भांग कम बिकती है और अफीम चरस और हिरोइन ज्यादा बिकती है।

श्रीमन्, इसमें दो राय नहीं हैं कि जिन ठेकों की नीलामी होती है, जितने माल का उठाना होता है उसको 1/10 हिस्सा उठाना नहीं हो पाता है। देशी मदिरा और अंग्रेजी शराब के बारे में आप देखें कि जितने लाख का ठेका होता है उस पर कितनी एक्साइज ड्यूटी मिलती है? इसलिये मैं कहता हूं कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर है। क्योंकि वह आक्सन में पैसा देता है, उठान कर नहीं पाता है तो कैसे वह लाभ में रहेगा? इसका नतीजा तस्करी है। दूसरी जगह से शराब लाकर बेची जाती है और इससे नुकसान होता है विभाग को।

आगरा में आपके विभाग और वहां के पुलिस विभाग को बधाई देता हूं जिन्होंने विगत दिवस अवैध शराब लाखों रुपये की पकड़ी है इसमें बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई। बहुत से ऐसे स्थान पाये गये अन्डर ग्राउन्ड जहां लाखों रुपय की अवैध शराब मिली। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के अवैध माल को पकड़ना चाहिये, दविश में नकली लेबिल मिले हैं। जो लोग 'बार' चला रहे हैं, नकली दारू बेच रहे हैं, उनके लाइसेन्स तत्काल जब्त होने चाहिये और फिर भविष्य में उन्हें लाइसेन्स नहीं दिया जाना चाहिये।

मैं शीरे के बारे में भी कहना चहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में शीरा शायद 12 रु0 क्विन्टल के हिसाब से बिकता है। आज यहां शीरे की नेपाल में सबसे ज्यादा खपत है क्योंकि वहां इससे शराब बनती है। नेपाल जाने वाले शीरे की कीमत 50 रु0 क्विन्टल है। जो शीरा हमारे प्रदेश से बाहर जा रहा है उसको हम अपने प्रदेश में ही इस्तेमाल करें और उससे अल्कोहल इत्यादि बनाने का काम लें। विकृत स्प्रिट है।

प्रदेश में बहुतों को इन्डस्ट्रियल लाइसेन्स दे दिये गये हैं, हजारों लीटर प्रति माह के लाइसेन्स दे रखे हैं लेकिन वे इन्डस्ट्रीज तो एगजिस्ट ही नहीं करते हैं उनका अस्तित्व ही नहीं है लेकिन वह इसका दुरुपयोग करके आपसे कोटा और परमिट लेते रहते हैं ब्लैक में बेच देते हैं इससे आपके विभाग का नुकसान हो रहा है।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आज आपकी जो शुगर मिल हैं उनसे आप शीरा लेते हैं, उन पर नजर भी रखते हैं लेकिन आप खांडसारी के शीरे को नहीं लेते हैं, उन पर आपका कोई कन्ट्रोल भी नहीं है। खांडसारी से आपको शीरा लेना चाहिये।

एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज लखनऊ में सब से ज्यादा आपको इससे राजस्व मिल रहा है, खपत भी सबसे ज्यादा है। लेकिन आपके बगल में हीं एक जिला है कानपुर जो कि औद्योगिक केन्द्र है, आबादी भी ज्यादा है लेकिन वहां खपत कम है और राजस्व भी लखनऊ के मुकाबिले में कम है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? आप इसे देखें, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है।

श्री विजय सिंह राणा--

आप इस विभाग के अनुभवी हैं आप ही बतला दें।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

मेरा तो काम ही दवा और दारू का रहा है। आपके लिए भी मैंने मौका पड़ने पर व्यवस्था की है। इसके साथ

ही में माननीय किरनपाल सिंह द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री कौशिक रमा शंकर--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं । इसलिए और भी क्योंकि मुझे भी इस विभाग में काम करने का मौका मिला है उसी आधार पर चन्द सुझाव मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं । एक तो मान्यवर, यह जो हमारा मंत्रालय है आबकारी और मद्य निषेध उसका नाम अब बदलकर आबकारी और शराब पिलाओं रख दिया जाय तो अच्छा होगा क्योंकि मद्यनिषेध की कोई बात इस सरकार के कार्यक्रम में नहीं है कोई भी आधार इस बात का नहीं है कि हम माने कि आप शराब की कमी करना चाहते हैं, मद्य निषेध लाना चाहते हैं । जो हां, मैंने मद्यनिषेध शुरू किया था ।

(कई सदस्यों के शोर करने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें ।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, मद्य निषेध के मामले में बहुत सी कुतर्कें दी जाती हैं और माननीय मंत्री जी शायद तर्क दे सकते हैं कि इससे नकली शराब ज्यादा बनने लगी थी, हो सकता है उस समय बनने लगी हो लेकिन नकली शराब अभी भी नहीं रुक रही है । लेकिन यह बात निश्चित है कि उस समय जब शराब बन्दी की नीति सरकार की थी और उसी तरह की शराब बन्दी की नीति यह सरकार रखती तो निश्चित रूप से जो नौजवान शराब के नशे के आदी होते चले जा रहे हैं वह न होते वह नीति चलती रहती तो हमारे नौजवान भ्रष्ट न होते । यह ठीक है कि जो पीने वाले लोग हैं वह तो पीते रहते लेकिन जो नौजवान तबका 18-19-20 साल का है वह भ्रष्ट न होता । अभी आपने पहाड़ के क्षेत्र में शराब बन्दी कर रखी है, यह तो सरकार जानती है कि पहाड़ के क्षेत्र में जहां शराब बन्दी है, वहां दवाओं के नाम पर शराब बेची जा रही है जो दवाओं के नाम पर शराब बनती है वह बनती है गाजियाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में । स्प्रिट के तमाम लाइसेंस इन जगहों पर दिये जा चुके हैं इतने कभी भी पहले नहीं दिये गये थे । जो शराब बनती है दवाओं के नाम पर पहाड़ों में बेची जाती है । स्प्रिट का कोटा बढ़ा है । उनको जो ऐसी दवायें बनाते हैं । आप यह बात कह सकते हैं कि हम मद्यनिषेध को प्रचार के माध्यम से दूर करना चाहते हैं । मान्यवर, आप वेश्या वृत्ति को प्रचार के माध्यम से दूर नहीं करते, चोरी को प्रचार के माध्यम से दूर नहीं करते डकैती को प्रचार के माध्यम के दूर नहीं करते तो इसमें भी आप क्यों प्रचार का माध्यम अपना रहे हैं ।

जहां तक आबकारी विभाग का प्रश्न है इसमें बहुत विसंगतियां हैं । माननीय मंत्री जी कृपा करके इस पर ध्यान देंगे । ऐसा कोई अन्य विभाग नहीं कर्मचारी नहीं जहां पर अपने ही कर्मचारियों के प्रति ऐसा अविश्वास किया जाता हो जैसा आपके विभाग में है । दूसरे आपके कर्मचारी हैं आप उन पर दोहरा नियंत्रण रखते हैं एक तो आपके विभाग का नियंत्रण कमिश्नर करता है और दूसरा जिलाधीश के जरिये से नियंत्रण होता है । जिलाधीश सीधे उस काम में न पड़कर अपने अधीनस्थ अधिकारी को उस सरकार को सौंप देता है और नतीजा यह होता है न उनका नियंत्रण ठीक तरह से नहीं होता है । क्योंकि यह ए0 डी0 एम0 को दे देते हैं जो पी0 सी0 एस0 ही होता है । अगर आप अभी इस कार्य से जिलाधिकारी को न हटा सकें तो कम से कम यह सुनिश्चित कर दीजिए कि जिलाधिकारी ही इस काम को देखें । जिलाधिकारी के अधीनस्थ जो कर्मचारी अधिकारी हैं,

वह इस काम को न देखे वर्ना आपका काम ठीक से नहीं हो पायेगा । पहले जो अधीकारी अधिकारी होता था वह पी0 सी0 एस0 अधिकारी होता था अब विभागीय व्यक्ति को प्रोन्नत करके जिला आबकारी बनाते हैं यह ठीक है, अच्छा किया है, लेकिन वह जिला आबकारी अधिकारी किसी पी0 सी0 एस0 के अन्डर में रहकर, नतो विश्वास पूर्वक कार्य कर पाता है और न कार्य ही ठीक से चलता है ।

कानपुर का मामला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपने वहां के सारे के सारे आबकारी कर्मचारियों को हटा दिया है, बिना जांच किये हटा दिया है । मैं नहीं कहता कि वह निर्दोष थे, मैं नहीं कहता कि वह दोषी नहीं थे, लेकिन क्या आपने किसी की जांच की । आपने उनका ट्रान्सफर पी0 सी0 एस0 अधिकारी की शिकायत पर कर दिया लाइसेंस फीस वसूल करना तहसीलदार सर्टीफिकेट देता है हैसियत के बारे में तथा बटटे खाते के बारे में रिपोर्ट बनाता है, लेकिन सारी जिम्मेदारी आप अपने अधिकारी पर डाल देते हैं । तो मेरा कहना है कि आप अपने अधिकारी को सक्षम बनावे । जिला आबकारी अधिकारी के यहां पर जो लिपिक होता है वह जिला अधिकारी के कार्यालय का होता है । के आपके पास स्टाफ भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में काम कैसे चला सकते हैं । दूसरे आप मद्य निषेध की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता की हालत क्या होने वाली है । आपने इस नीति की बनाया है कि कोई भी ठेकेदार उस क्षेत्र में अन्य दुकान खोलने का अधिकारी है, अगर वह 25 हजार रुपया शहर की दुकान के लिये और 15 हजार रुपया देहात की दुकान के लिये दे देता है । तो वह ठेकेदार किसी भी एरिया में दुकान खोल सकता है, चाहे वहां पर मन्दिर हो, चाहे वहां परमस्जिद हो और चाहे वहांपर स्कूल हो, तो पान की दुकानों की तरह शराब की दुकाने बढ़ती चली जायेगी और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा उत्तर प्रदेश नशे में डूब जायेगा । इस बात को भी आप देखें और इसको रोकें, किसी तरह यह बात नहीं होनी चाहिये

श्री अधिष्ठाता---

आप अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री कौशिक रमा शंकर---

5 मिनट और लगेंगे । मान्यवर, जहां तक राजस्व का सवाल है, 300 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली की जा रही है, बढ़िया बात है, लेकिन प्रश्न यह है कि शराब में डूबाने वाला राजस्व दिमाग में नहीं होना चाहिये, आपके पास तो बहुत बड़ी शक्ति है अलकोहल की इन्डस्ट्रियल अलकोहल ऊर्जा है, एक शक्ति है । नये 2 उद्योग लगाने और बढ़ाने की शक्ति है । आपकी नीति आपने प्रदेश में उद्योग लगाने की नहीं है । यह मैं आपको चुनौती के साथ कहना चाहता हूं इन्डस्ट्रियल अलकोहल हमारे प्रदेश में बहुतायत से होता है, इतना किसी दूसरे प्रदेश में नहीं होता है, महराष्ट्र और गुजरात ही हमारी तुलना कर सकते हैं । अगर कोई इसकी इन्डस्ट्री लगाना चाहता है तो आप 1.25 बैण्डफी लेते हैं, 40 पैसा लाइसेंस फी हैं और 10 पैसे अन्य फी लेते हैं । जो इण्डस्ट्री उत्तर प्रदेश के बाहर लगी हुई हैं उनसे आप यह 40 पैसा लेते हैं और जो हमारे यहां उत्तर प्रदेश में लगाते हैं उनसे 1.25, 40 पैसा और 10 पैसा प्रति लीटर शुल्क लेते हैं और अगर उत्तर प्रदेश के बाहर लगाता है तो सिर्फ 40 पैसा लेते हैं, अब 40 से बढ़ाकर 60 पैसे कर रहे हैं । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप अपने यहां उद्योग लगाना चाहते हैं तो यहां पर लोगों को छूट दें । महाराष्ट्र में यह ड्यूटी 25 पैसा और गुजरात में 20 पैसा लगती है । हमारे यहां पर केवल तीन अलकोहल की फैक्टरीज

मान्यवर, मेरे यहां भी एक है। बारबंकी में है। तीसरी बरेली में लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों की आखें नहीं खुलतीं। आप यह देखें कि हम कितना अल्कोहल बाहर भेजते हैं। यह 64.4 मिलियन लीटर बाहर भेजते हैं और इसका दूना अपने यहां इस्तेमाल करते हैं। यह एसी बिसंगति है जिसको तुरन्त दूर करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

कौशिक जी आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री कौशिक रमाशंकर--

मान्यवर, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार की नीयत इस सदन की गरिमा को बढ़ाने की नहीं है। यह 12 जुलाई से बजट सेशन चल रहा है और 22 जुलाई को नोटिफिकेशन के जरिये एल्कोहल पर डयूटी को और बढ़ा दिया गया। मैं माननीय सत्ता पक्ष के, कांग्रेस पार्टी के जो नेता लोग हैं, जो विधायक लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह आपके अधिकारों का भी सवाल है हम लोग यह किसलिए बठे हैं बजट पास करने के लिए बैठे हैं तो 22 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करने का क्या औचित्य था ? इस विसंगति को माननीय मंत्री जी को दूर करना चाहिए ताकि हमारे यहां उद्योग भी बढ़ सकें, हमारा राजस्व भी बढ़ सके। इन चन्द सुझाओं के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मुईद अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय....

श्री अधिष्ठाता--

इस अनुदान पर काफी लोग बोलने वाले हैं इसलिए समय का निर्धारण हो जाय। मैं 5-5 मिनट इसके लिए निर्धारित कर रहा हूं।

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, आपने माननीय आबकारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान पर बोलने का मौका दिया' उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, इस बजट पर चर्चा करते हुए मैं इसलिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पुरानी अनेकों अनियमितताओं को और पुरानी बहुत सी खराबियों में इन्होंने सुधार किया है इसलिए मैं उन्हें बधाई दे रहा हूं। मान्यवर, जो डयूटी हमारे प्रदेश में ज्यादा थी उसको इन्होंने कम किया और 55 परसेन्ट से 40-41 परसेन्ट पर इसको ले आये। इसकी वजह से जो तसकरी होती थी, दूसरे प्रदेश में, उसमें कमी आई है और राहत मिली है। तस्करी के बारे में मेरी जानकारी है कि हरियाना से जब ट्रक पास होता है गाजियाबाद के लिए तो 30 हजार रु0 वहां के अधिकारी, पुलिस वाले और आबकारी वाले मिलकर लेते हैं जिसमें कस्टम और सेल्स वाले भी होते हैं। माननीय मंत्री जी ने इसकी डयूटी कम करके एक सराहनीय कार्य किया है। आज बजट में जरूर कुछ विरोधाभास है क्योंकि एक ओर आबकारी का बजट और मद्य निषेध का बजट यह दोनों बजट एक दूसरे के विरोधाभास हैं और यह एक ही मंत्री दोनों काम करते हैं। इस विरोधाभास के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस विरोधाभास का एक कारण यह भी है कि जनता पार्टी के शासन काल में मद्य निषेध चालू कराया गया और शराबबन्दी में यह हुआ कि गली-गली में शराब बिकने लगे केवल फर्क इतना पड़ा था कि उसमें दरोगा की आमदनी बढ़ गई थी, तस्करों की आमदनी बढ़ गई थी जो शराब बाहर से आती थी उसमें दरोगा भी हिस्सा लेता था और एक्साइज इन्सपेक्टर बजाय ठेका चलने के चोरी की शराब पिलवाता था।

तो मान्यवर, चोरी से शराब पिलवाते थे और घटिया किस्म की शराब बिकती थी आपके जनता पार्टी के शासन में। मैं मानता हूं कि शराब बंदी होनी चाहिये, शराब पिलाने की प्रथा बन्द होनी चाहिये लेकिन आपके शासन में एक बड़े ऐब को रोकने के लिए हजारों ऐब के दरवाजे खोल दिए इससे नैतिकता का ह्रास हुआ। जहां तक कच्ची शराब की बात कही गयी वह तब भी बनती थी और आज भी बनती है लेकिन उस समय में 10 गुना आज से ज्यादा बनती थी।

यह विभाग बड़ा लाभकारी विभाग है 24 लाख खर्च करके दो सौ तीन सौ करोड़ रुपया इससे मिलता है। तो कम से कम जिस चीज को रोक नहीं पाये और लोग चोरी छिपे शराब पिये तो उससे कम से कम प्रदेश की आमदनी हो रही है जो विकास के काम पर खर्च हो रही है।

एक सबसे बड़ी बात यह कही गयी कि ठेकेबंदी लोग करते हैं इस प्रकार एक सिंडीकेट चलता है इसे समाप्त होना चाहिये। टेंडर की जो प्रथा चलाई गई थी उससे लाभ हुआ है उसमें जो बंगलिंग होती थी कि सिंडीकेट के लोग ही ठेका ले लेते थे वह तरीका समाप्त होना चाहिये उसमें लोग सारे प्रदेश में अपनी दुकानें विभाग वालों से मिल कर जिला-घोश से मिलकर मेरी सुनिश्चित जानकारी है चलाते हैं अकेले सिंडिकेट वाले यह नहीं कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि अधिकारी मिल कर दूसरे का ठेका निरस्त कर देते हैं तो यह समाप्त होना चाहिये।

एक चीज माननीय मंत्री जी से कहूंगा जैसे किसी ने भांग का ठेका ले लिया या शराब का ठेका ले लिया उसमें वह भांग, गांजा आदि सब बेचता है और तस्करी करके अपना घाटा पूरा करते हैं। भांग के नाम पर अन्य तस्करी का सामान बेचते हैं, भांग वाला शराब भी बेचता है, और शराब वाला भांग या गांजा भी बेचता है यह बन्द होना चाहिए। इन शब्दों के साथ जिन विषम परिस्थितियों में यह मांग प्रस्तुत हुई हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री किरन पाल सिंह—

इस्लाम धर्म में कहां लिखा है कि शराब पीनी चाहिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आबकारी विभाग के ऊपर जो माननीय किरन पाल सिंह ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, गांधी जी एवं स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रभाव में आकर कांग्रेस सरकार ने पूर्ण शराब बंदी की बात को स्वीकार किया और दूसरे प्रदेश की शराब बन्दी की सूची में अपने को भी अंकित कराया परन्तु आज तक पूर्ण शराब बंदी सरकार नहीं कर पायी। श्रीमन्, आपको याद होगा 1937 में जब पंडित गोबिन्द बल्लभ पन्त जी की सरकार थी उस समय 20 आने से डेढ़ रुपये तक में एक बोतल शराब बिकती थी। शराब बंदी की दिशा में कदम रखते हुए, शराब की खपत कम हो पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने डेढ़ रुपये से दाम बढ़ाकर दो रुपया फी बोतल किया और सख्ती से उसका पालन किया ताकि शराब की खपत कम हो लेकिन वर्तमान सरकार जो अपने को गांधी जी का वारिस कहती है, अभी उन्होंने गांधी शताब्दी समारोह मनाया और गांधी जी के सिद्धान्तों पर चलने का ढिंढोरा पीटती है कि गांधी जी के असली वारिस हम ही हैं लेकिन उनका जो सपना था और उद्देश्य था, कि गरीब प्रदेश और देश की जनता शराब से पीड़ित न हो, आर्थिक दशा उसकी दयनीय न हो, उसको यह सरकार नजरंदाज कर रही है और शराब बंदी के विषय में कुछ नहीं सोच रही है। मान्यवर, अभी जब श्री कौशिक जी बोल रहे थे, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि आपकी सरकार ने क्या किया।

में कहता हूं कि जनता पार्टी ने जब सत्ता में आयी तो शराब बन्दी विधिवत लागू किया और फिर जब 1980 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आयी तो उसको तोड़ा और पूर्ण शराब बिकने की छूट दे दिय क्योंकि नशाबन्दी करने से आमदनी घटेगी और नशाबन्दी बढ़ाने से दूसरी नशा की चीजों की बिक्री से सरकार को राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी, इसलिये इस प्रदेश को शराब में ओत-प्रोत करने का यह काम सरकार कर रही है।

मान्यवर, इस सरकार ने दो खतरनाक आदेश अभी इस विभाग ने किए हैं --एक आदेश है जिसमें 15 हजार रुपये जमा करके कोई भी लाइसेन्सी अपनी दुकान क्षेत्र की एरिया में चाहे जितने भी उप-केन्द्र खोल सकता है। दूसरे बाहर निर्मित विदेशी शराब के लाइसेन्सी 25 हजार रुपए जमा करके अपने दुकान क्षेत्र में किसी भी स्थान पर वह दूसरा उप-केन्द्र खोल सकता है। इन दो आदेशों से गांव-गांव और मोहल्ले-मोहल्ले में शराब बिकने का काम घड़ल्ले से हो जाएगा और जो शराब से वंचित था, जो नहीं जानता था उनको भी शराब पिलाने का काम यह सरकार करने जा रही है। मान्यवर, इन नये नये आदेशों से आशंका हो रही है कि कहीं यह ठेकेदार मंदिर और मस्जिद और यहांतक कि मंत्री जी आपके विधान सभा में ठेकेदार इस आदेश से दुकानें खोल सकते हैं। मान्यवर, इस तरह इन आदेशों से एक तरफ तो दुकानें बढ़ाने और शराब पिलाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ शराब बंदी की बात करते हैं, तो यह कहां तक सही है।

मान्यवर, दूसरा आदेश सरकार का हुआ कि 55 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत भारत निर्मित विदेशी मदिरा से ड्यूटी हटाएंगे क्योंकि इनको संदेह था कि आंध्र प्रदेश से या दूसरे प्रदेश से इसकी तस्करी इनके प्रदेशों में होती थी, इसलिए ड्यूटी घटने से प्रति व्यक्ति शराब की खपत बढ़ जाएगी। इस तरह यह ऊल-जलूल आदेश करके इस प्रदेश के प्रत्येक आदमी को शराब से ओत-प्रोत कर देना चाहते हैं। मंत्री जी तो मिट्टी के माधव हैं, उनका अपने विभाग पर अंकुश नहीं है और न अनुभव ही इस विषय में है। मान्यवर, जहांतक मुझे बताया गया है कि मंत्री जी से ऊपर इक्साइज कमिश्नर मनमाने ढंग से जो चाहते हैं वही नियम और कानून बन जाते हैं और यहां तक स्थानान्तरण और पोस्टिंग में भी, मंत्री जी से परे, अनियमिततायें बरती गयी हैं। पूरे प्रदेश में हवा है इस बात को कि कोई दूसरा आदमी एक्साईज कमिश्नर से गलत काम करवाता है, उसके माध्यम से एक्साईज विभाग में बहुत सी असमंजसपूर्ण स्थितियां पैदा हो गई हैं, जिससे लाखों लाख रुपये का विभाग में घोटाला हो रहा है। भांग के लिये केवल लाइसेन्स दिया जाता है, किन्तु आप किसी भी दुकान पर जाएं, कोई भी भांगवाला केवल भांग बेचकर अपना शुल्क अदा नहीं कर सकता है, इसलिए भांग के साथ साथ वह गांजा, अफीम, चरस और हीरोईन जैसे नशीले पदार्थों को उत्तर प्रदेश में घड़ल्ले से बेचने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं मंत्री जी से और सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं..

(व्यवधान)

आप कृपया घोषणा करें कि हम उत्तर प्रदेश में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने जा रहे हैं।

श्री वासुदेव सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, इस विभाग के बारे में लोगों में गहरी भ्रान्तियां हैं। विभाग शुल्क और निषेध का है। शुल्क और निषेध के अन्तर्गत कोई पेय से यह अलग चीज है, लेकिन इतना मोहक और मादक यह विषय है कि उसका असर पड़ जाता है और जब माननीय सदस्य के उंगली उठाकर हमारी तरफ संकेत है तो वे भूल जाते हैं कि उनकी तीन उंगलियां उन्हीं की ओर संकेत करती हैं। हमारी

तरफ तो एक उगंली उठती है, किन्तु उनकी तीन उगंलियां उनकी तरफ जाती हैं। जहां समाज के अन्दर तमाम बुराई हैं, उन्हीं में से एक यह समाज के अन्दर मद्य-पान की बुराई है, यह सामाजिक बुराई है। लेकिन यह समाज में है और शासन से समाज बड़ा होता है। हम तो समय के राजा के प्रतिनिधि या मंत्री हैं। जो बुराई या कठिनाई है वह समाज के अन्तर्गत है, अब उसको कैसे बदला जाए यहां उस दिन श्री चन्द्रभानु गुप्त जी की मूर्ति का अनावरण उत्सव था, मैं भी उसमें गया था। उस अवसर पर मोरार जी देसाई आए थे मैं मोरार जी भाई से बाद में मिला था। इस विषय पर मैंने उनसे कहा तो कहने लगे क्या करें लोग नहीं मानते हैं इस विषय पर उनसे बात हुई तो जब उन्होंने इस बारे में हमसे कहा तो अब मेरा कहना है क्या करें लोग नहीं मानते हैं। आप हमारी मजबूरी जानते हैं। आपका भी शासन था, यह श्री चरण सिंह जी भी नहीं कर सके थे। तो इसके लिये तीन साधन या रास्ते हो सकते हैं, प्रचार, कानून और उदाहारण रखना। जैसे हम कहें कि मांस खाना बुरा है तो एक पल्टन खड़ी होगी और कहेगी कि मांस खाना अच्छा है। तो इस पर न प्रचार चल सकता है न कानून चल सकता है तो फिर यह मन्तव्य कैसे पूरा हो। शराब के बारे में मान्यता है कि यह बुरी चीज है और पीनेवाले भी समझते हैं कि यह बुरी चीज है, लत पड़ गयी है तो ऐसे विषय में कानून का भी कोई सहारा, आदर्श प्रस्तुत करने का सहारा और प्रचार का भी हम सहारा ले सकते हैं। हम शासन की ओर से स्वीकार करते हैं कि यह प्रथा ऐसी व्याप्त है कि उस पर काबू पाना हमारे लिये और हमारे माननीय सदस्यों के लिये भी कठिन है। लेकिन समाज में उसके बारे में ऐसा जनमत जाग्रत करते हुए प्रबुद्ध करने की आवश्यकता है, जिससे हम समाज को इस बुराई से छुटकारा दिला सकें।

इस विभाग का जो कार्य है वह शुल्क का है, यह शराब विभाग नहीं है, यह निषेध विभाग है। शराब उपादान है, प्रश्न है उस पर कैसे काबू पाया जाए। तो यह जो प्रस्ताव है, शासन ने सोचा कि मान लिया जाये कि हम कलम से शराबबन्दी कर भी दें तो हमारी बात तो चलेगी नहीं, क्योंकि सारे समाज पर हमारा नियन्त्रण है नहीं और यह व्याप्त है। और अगर हम शुल्क भी न लें तो शासन का नुकसान है, राजस्व का नुकसान है और यह बुराई भी मिटती नहीं। तो मैं समझता हूं कि हमारे विरोध पक्ष के लोग और शासक दल के लोग, सब मिलकर कोई रास्ता बतायें, मार्गदर्शन दें ताकि यह बुराई समाप्त हो जाय। यह बुराई उन्मूलित तो नहीं हो सकती लेकिन समाप्त न भी हो तो कम हो जाय यह प्रथम कदम हमारा होना चाहिये। हम लोगों ने तीर्थ स्थान पर खत्म किया है लेकिन वहां भी लोग बोतल लेकर पहुंच जाते हैं और कठिनाई पैदा होती है। हमारी पीढ़ी में पीने वाले कम रहें, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि नयी पीढ़ी में यह लत अधिक है। मैं एक जगह गया था। एक स्कूल में एक छोटा सा छठवें दर्जे का बालक था वह पिये हुये था। हमने पूछा कि कैसे उसने शराब पायी तो पता चला कि स्कूल के बगल में एक दुकान है।

एक सदस्य—

ऐसे ही खोल रहे हैं।

श्री वासुदेव सिंह—

नहीं खोलना चाहिये, मंत्री जी ने आदेश दिया है, और शासन भी चाहता है कि स्कूल, मन्दिर, मस्जिद के पास से दूकानें हटें। इन शब्दों के साथ में जो बजट रखा गया है, चूंकि समय कम है, ज्याद समय लेना नहीं चाहता हूं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दे ही दिया।

श्री अधिष्ठाता—

आपको समय मिलना चाहिये।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं श्री किरनपाल सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इन्हें आबकारी मंत्री कहिये या शराब मंत्री कहिये, मेरा तो इनसे कभी परिचय रहा नहीं। न वह मुझे जानते हैं न मैं उन्हें जानता हूं। पीते हैं या नहीं पीते हैं इसका मुझे पता नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रि मंडल के कुछ सदस्य पीते हैं। इसका जरा ध्यान करना चाहिये प्रोफेसर साहब आपसे जरा ज्यादा कह रहा हूं। आपके मंत्री ज्यादा तो नहीं, कुछ-कुछ, थोड़ा-थोड़ा, कभी पी लेते हैं। जरा ध्यान रहे कभी सरकार के खिलाफ, आपके खिलाफ काम न करें। (हंसी) अभी हमारे नौजवान दोस्त, बेरली बोल रहे थे। जनता सरकार के टाइम की बात कर रहे थे। मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, मैं पांचों उंगली उठाकर आपकी तरफ कहना चाहता हूं कि उस वक्त ला-एंड-आर्डर कंट्रोल हुआ था शराब बंदी से। जो लोग पीकर धूमा करते थे अपने घरों में चले गये थे। लोगों की आदत छूट गई थी, वह लोग आज भी नहीं पीते हैं। हर चीज की काट करना हमारा धर्म नहीं है। यह अच्छी बात नहीं है। जब आप चाहते हैं कि हम सुझाव दें तो हम चाहते हैं कि आप भी सही कहा करें। यह आपने चालू करायी। सन् 80 में पार्लियामेंट के चुनाव हुये। उसके तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश में सबसे पहला काम शराब बंदी को खोलने का हुआ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, उन्होंने मुझे इंगित किया है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका नाम नहीं लिया। आप कृपया बैठें।

श्री राम सरन—

सन् 80 में शराब के बल पर चुनाव जीत गये थे। सन् 1985 में पार्लियामेन्ट के चुनाव हुये। सहारनपुर का अगर कोई सदस्य उधर बैठा होगा तो जानता होगा कि सहारनपुर के सबसे बड़े ठेकेदार के घर पर पार्लियामेन्ट के उम्मीदवार का दफ्तर था। इस बात का इनकार करें। हमारे इक्साइज कमिश्नर जो हैं वह जानते हैं कि उम्मीदवार कौन था और ठेकेदार कौन था? मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, इनके जो शराब के ठेकेदार हैं,

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम सरन दास जी, जब आप बोल रहे हैं, तब मैं आप ही को देख रहा हूं।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इनके जो शराब के ठेकेदार हैं, वे पूरे प्रदेश का ठेका ले लेते हैं। माननीय मंत्री जी ने ठेकेदारी सिस्टम को समाप्त करने की बात कही थी, यह ठेकेदारी सिस्टम खत्म होना चाहिए, उसका कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए। मान्यवर, इस शराब की ठेकेदारी के लिए 10-20 आदमियों का एक सेंडीकेट बना हुआ है, जो सभी ठेका ले लेता है, अगर बाप डिफाल्टर होगा, तो साले को ठेका दिला देगा और साला डिफाल्टर होगा, तो दामाद को ठेका दिला देगा और अगर दामाद डिफाल्टर होगा, तो बीबी को ठेका दिला देगा। इस प्रकार से मान्यवर, चन्द लोग ही सारे प्रदेश का

ठेका ले लेते हैं। इसको इक्साइज कमिश्नर भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। मान्यवर, अगर गांधी जी आज जिन्दा होते, तो यह जो लाठी इनके हाथ में है, आपकी कमर पर होती। मान्यवर, मुझे शर्म लगती है, जो सहारनपुर में कच्ची शराब चलती है, उसे गांधी आश्रम की शराब कह कर बेचते हैं। मान्यवर, कच्ची शराब को गांधी आश्रम की शराब कहते हैं। वे मान्यवर, अपने-आप को गांधी जी के अनुयायी कहते हैं, गांधी जी के अनुयायी आप बिल्कुल नहीं हैं। प्रोफेसर साहब आपको ऐसा मोहकमा दे देते हैं, जिससे आप भी फंसे रहें। आप सुधार करना चाहते थे, लेकिन आपसे यह मोहकमा ही ले लिया गया। आप शराब बन्दी कराना चाहते थे। मान्यवर, मैंने विधान परिषद् में कहा था कि शराब की ठेकेदारी खत्म करो और सरकारी दूकान से शराब बिकवाइये, तो ब्रह्म दत्त जी ने कहा कि कर्मचारी शराब पीना शुरू कर देंगे। श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के पास शराब के ठेके हैं, उन्हें उन स्थानों पर नहीं रहना चाहिए इसे बन्द करायें। मान्यवर, एक बहुत अच्छा सुझाव और देना चाहता हूं। हमारे यहां डोंडे का स्मगलिंग बहुत होता डोडा माने पोस्ते का छिलका। इसकी स्मगलिंग जमुना के उस पार हरियाणा में बहुत हो रही है जो सहारनपुर में दो-ढाई रुपये किलो बिकता है, वहां पर 20-22 रुपये किलो बिकता है। मान्यवर, जो उसकी स्मगलिंग करता है, वह 100-50 रुपये रोज कमा लेता है। उसके भी मैं खिलाफ हूं। मान्यवर, जो विदेशी शराब पर ड्यूटी कम करने आप जा रहे हैं, उसका भी मैं विरोध करता हूं। मान्यवर, डाक्टर कौशल बहुत हिमायत कर रहे थे, मैं उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, अगर गंदे तरीकों से रेवेन्यू कमाने हैं, तो डकैतियों के ठेके दे दो, थाने के ठेके दे दो, उससे रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। मान्यवर, ये गंदे काम बन्द होना चाहिये। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[समय 6 बजकर 12 मिनट]

श्री पूरन सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं माननीय अजीत प्रताप सिंह द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करता हूं और कटौती की निन्दा करता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने मद्य निषेध मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले लोगों के भवना को समझ कर जहां पर मद्य निषेध, उसके कुछ हिस्सों पर लागू किया गया है वहां पर इस तरह की सुरा और लिक्विड आदि का प्रचलन हो गया है, वह बहुत सस्ती तो है, परन्तु उससे नुक्सान बहुत ज्यादा है को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक समिति के गठन की बात कही और सदन को आश्वासन दिया है। मैं आपके माध्यम से उनको तथा पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं और गुजारिश करता हूं कि उस समिति की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगाकर जो सुरा और लिक्विड का प्रचलन है उसको बन्द करायें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो मद्य निषेध लागू हो, वह पूरे तौर पर हर जनपद में लागू किया जाय। अगर आंशिक रूप से किसी जनपद में लागू किया जायगा, आंशिक रूप से छूट दी जायेगी तो निश्चित ही उससे पर्यटन उद्योग प्रभावित होगा।

वहां पर ऐसे सुन्दर स्थल हैं, जहां लोग जाना चाहते हैं, लेकिन जहां मद्य निषेध लागू रहता है, सीमा पर इस प्रकार से चेकिंग करते हैं, अटैची, बिस्तरबन्द, कर सब चीज ऐसा चेक करते हैं कि टूरिस्ट उधर अपनी बेइज्जती कराने नहीं जाता है। इस तरह तमाम जनपदों में एक नीति के अनुसार मद्य

निषेध लागू किया जायेगा तो इस तरह की दिक्कत पर्यटकों को नहीं उठानी पड़ेगी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक पर्वतीय क्षेत्र में एक तरह की नीति से मद्य निषेध लागू नहीं किया जाता, समस्त 8 पर्वतीय जिलों में एक नीति मानकर मद्यनिषेध लागू करें या सभी को एक जैसी छूट दें। माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ऐसी दवाईयां सस्ती रहेंगी, उनकी कीमत नहीं बढ़ेगी जिस दवा में मद्य की मात्रा अधिक है और जो अधिक नुकसानदायक भी है तब तक इनका प्रचलन अधिक होगा। मैं तो कहता हूं कि ऐसी दवाओं पर अधिक से अधिक टैक्सेशन होना चाहिये। मैं तो यहां तक कहता हूं कि विदेशी शराब की कीमत कम कर दे, लेकिन इन दवाओं की कीमत अधिक कर दें, क्योंकि एक बार की विदेशी शराब उतना नुकसान नहीं करती है, जितना यह एलकोहल मिश्रित दवाईयां करती हैं। इनकी कीमत अधिक से अधिक की जानी चाहिये। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का अवसर दिया और बजट का समर्थन करता हूं। जय हिन्द, जय भारत

श्री अधिष्ठाता—

किसी विषय पर कम से कम बोलना बहुत अच्छी बात है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम समय में पांच-मिनट में अपने सुझाव प्रस्तुत करें।

*श्री राज किशोर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा विभाग दिया हमारे राजा साहब को। मेरा ख्याल है वह बखूबी लागू करेंगे, मद्य निषेध को। इस सम्बन्ध में जितनी ही मद्यनिषेध की बात की जा रही है, उतना ही प्रचार हो रहा है और उतने ही पिअक्कड़ होते चले जा रहे हैं। मैं नहीं जानता मंत्रियों में कितने पीते हैं, जो जमात यहां बैठी है, उसमें कितने पीते हैं। एक घटना मुझे याद आ रही है, महाराष्ट्र के एक उप मुख्य मंत्री थे,

एक सदस्य—

रामा राव अविक, कांग्रेस आई के थे

श्री राज किशोर सिंह—

मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था। वह यूरोप गये और शराब पी कर, पागल होकर वहां के सड़कों पर दौड़ रहे थे। हमारे देश की प्रतिष्ठा को उन्होंने डुबो दिया। आप जिस तरह से मद्य निषेध लागू करना चाहते हैं, उस तरीके से मद्य निषेध कार्यक्रम लागू हो ही नहीं सकता है एक तरफ ठेका दे कर रुपया इकट्ठा करेंगे और कहेंगे मेरी आमदनी बढ़ी है। तो यह एक तरफ तो ठेकेदारी प्रथा चला रहे हैं और उसमें आक्शन हो, वह लीजिए फिर उसे चाहे जितनी आमदनी हो या न हो। उसका अर्थ यह होगा कि वह गलत काम करेगा, ठेकादार। वह शराब की आड़ में नाना प्रकार के अवैध नशे, चाहे गांजा हो या हेरोइन, इस प्रकार का सामान वह बेचेगा और उसे आप रोक नहीं सकते। इसके अलावा यह भी कभी-कभी कहा जाता है कि शराब पीने से बुराई क्या है, हमारे ऋषि मुनि सोमरस पीते थे और अब हम दूसरे रूप से पीते हैं। इससे दिमाग भी खुल जाता है। हमारे उर्दू शायर तो थोड़ा-बहुत जाम लिये बिन, लिख ही नहीं सकते थे। उनका काम चलता ही नहीं था। फिराक गोरखपुरी कहते थे कि थोड़ी सी ले लो तो दिमाग खुल जाय, और आप इस पर रोक लगाने जा रहे हैं, आपको तो इसकी खुली शिक्षा देनी चाहिये। आप किसी डिस्टलरी को, चाहे कर्मचन्द थापर की हो या मोहन मीकिन की, आप कोई भी फैक्ट्री बन्द नहीं करा सके हैं और विदेशों से शराब आना बन्द नहीं कर पाए हैं। आप कहते हैं कि शराब मेल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पियो, तो यह कैसे सम्भव है। भट्ठियां चलती रहें, आप दरोगा को खुली छूट दे दीजिये, डिस्टलरी में जितना उत्पादन नहीं होगा, थानेदार जितना निकलवा करके गांव-गांव बिकवा रहा है और लोग शराब पी करके मर रहे हैं। शराब पीने वाले बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है, आपने इस पर विचार किया ? उनका रहन-सहन कैसा है, उनके लिये आपने कुछ किया ? आपने देखा कि उनके मकान और बस्तियां कैसी हैं ? आपने हर इस में लिख दिया है कि शराब पीना जहर से भी भयंकर है, लेकिन वह मात्र लिखना ही है। अगर वास्तव में आप इसको रोकना चाहते हैं तो आपको कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मेरा आपसे यही कहना है कि मेरा सुझाव मान लीजिये। अगर ठेकेदारी प्रथा चालू रही तो ये अवैध शराब की भट्ठियां बन्द नहीं होंगी।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने जिले की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। कुछ समय पूर्व पिछली बार उन्होंने आश्वासन दिया था कि तहसील पट्टी में शराबबंदी पूरी तरह से लागू हो जायगी, लेकिन नहीं हुई। कृपा पूर्वक उस आश्वासन को पूरा होना चाहिये और मुकम्मल रूप से शराब बन्दी लागू होनी चाहिये इसी प्रकार बाजार दीवानगंज, देवरा, कुंडा आदि स्थानों पर कुछ शक्तिशाली लोगों के कारण ठेका हुआ ही नहीं। वह इतने जबरदस्त हैं कि ठेका हुआ ही नहीं और उनकी अवैध शराब बिक रही है। कुछ ऐसे लोगों के कारण जिनका मुकाबला कोई न कर सके, नकली शराब बिके, यह बहुत बुरी बात है। जहां तक जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है श्री किरन पाल सिंह जी के द्वारा, सिद्धांत रूप से यह स्वीकार्य है। लेकिन प्रोहिबिशन मुकम्मल रूप में होना चाहिए। यह सही है कि अभाव की पूर्ति शराब से नहीं होना चाहिये। बहुत से नौजवान शराब पीकर मौत के घाट उतर गये। यह भी देखा गया है कि मुकम्मल रूप से शराबबन्दी कर दी जाय तो दूसरी तरह से शराब बिकती है। इस पर कुछ तो नियंत्रण होना चाहिये। सरकार को अपने हाथ में लेकर ऐसा कार्य करें जिससे वास्तव में शराबबन्दी हो। नशा अब बढ़ रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिर यह और बुरी बात है कि यह नौजवानों में अधिक बढ़ रही है। सरकार को चाहिए कि इसका प्रोहिबिशन थोड़ा-थोड़ा करके पूरे प्रदेश में कर दे। राजस्व की बात दूसरी है लेकिन स्वस्थ परिवार हो, अच्छे मकान हो, अच्छी शिक्षा हो और दूसरी अच्छी चीजें मिलें यह जरूरी है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस तरफ हम ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पट्टी में प्रोहिबिशन फौरन ही लागू कर दिया जाय।

*श्री फजलुल बारी --

मान्यवर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आबकारी विभाग के इस बजट पर बोलने का मौका दिया माननीय किरनपाल सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसमें उन्होंने शुरू में बात कही कि मद्य निषेध के लिए कटौती नहीं चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात कही।

मान्यवर, मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस सदन के अंदर हम लोग बैठकर आज मद्य के सिलसिले में बात कर रहे हैं, उसमें महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है। होना तो यह चाहिए था कि आज के दिन या तो इस तस्वीर को उतरवा दिया जाता या उस पर पर्दा लगा दिया गया होता। आज उस अजीम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शख्सियत के दिल को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, जिस के नाम की हम दुहाई दिया करते हैं ।

मान्यवर, सिपाही और चोर दोनों एक ही हो गये हैं, यह मंत्री मद्य निषेध भी हैं, मंत्री शराब को बढ़ावा देने वाले भी हैं । शराब जो तमाम बुराइयों की जड़ है । शराब इंसान को हैवान बनाने वाली चीज है । हमें उम्मीद थी कि आजाद हिन्दुस्तान ऐसा होगा कि उसमें शराब नहीं होगी, लेकिन हमें अफसोस है कि शराब को बराबर बढ़ावा मिल रहा है । शराब को बढाने के लिए नये तरीके निकाले जा रहे हैं । रियाज साहब का एक शेर है, मैं अर्ज करना चाहता हूं ।

शराब के मश्क के चारों तरफ तवाफ कर रहे हैं—

"काम आयेगी रियाज के मश्के
तवाफे गिरदेसुम,
काबा के गिर्द होंगे जो सूझी सबाब
की ।"

मान्यवर, यह लोकतन्त्र है, जरूर लोकतन्त्र लगता है, जो इलेक्शन मेनिफेस्टो देते हैं, उसमें क्या कहा जाता है ? जब इलेक्शन का टाइम होता है, तो रात चुपके से अंधेरे में ड्रम में शराब भेजते हैं गरीब लोगों में शराब बांटते हैं । गरीब लोगों को न सिर्फ गुमराह करते हैं बल्कि उनकी जमीर का सौदा भी कर लेते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो जरायम समझी जाती है, जो सोसाइटी को बरबाद करने वाली चीज समझी जाती है, उनके वास्ते सख्त कानून बन जाते हैं । आजादी के बाद लगातार कांग्रेस ने हुकूमत की सिर्फ चन्द महीने जनता पार्टी शासन में रही थी । पूरे तौर पर 1947 से आज तक कांग्रेस की हुकूमत रही । इन्होंने पूज्य बापू के नाम पर राज्य किया । लेकिन, शराब को रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया । आज भी इसकी बाबत जो कानून है, इसमें काफी ढीलापन है ।

इनकी नियत खुद साफ नहीं है, खुद लोगों को शराब पीना है । इसलिए कानून सख्त नहीं बनवाते । आज दारुल-सफा रहना मुश्किल है । वहां निहायत शरीफ लोग शराब के नशे में धुत नजर आयेंगे । इसलिए मैं आंकड़े की बात इस समय नहीं कहना चाहता हूं । जिस दिन माननीय मंत्री जी सुनने के लिए तैयार होंगे, उस दिन कहूंगा । आपका जो-जो इक्साइज कमिश्नर है बड़ा बेईमान है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ, कृपया आप बैठ जायं ।

*श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आबकारी बजट पर आपने जो मुझे विचार व्यक्त करने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका शुक्रगुजार हूं और माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । मैं सबसे पहले अपने बुजुर्ग नेता प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी को, जो खाद्य मंत्री हैं, जिन्होंने अपने विचार रखे हैं, उन्हीं विचारों से मैं अपने आपको भी जोड़ता हूं । मैं ज्यादा इस विषय पर न कह कर विभाग की ओर तथा विभाग की व्यवस्था की ओर कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

मान्यवर, इस विभाग की राजस्व की 300 करोड़ रुपये की प्राप्ति होती है परन्तु 8 प्रतिशत ही इस विभाग पर आमदनी का खर्च होता है, जिससे इस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह विभाग अपने पैरों पर खड़े नहीं है। इस विभाग को अपने अधिकारियों के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जहां-जहां अधिकारी नहीं हैं, वहां अधिकारी नियुक्त किये जायें। जीपों का प्राविधान होना चाहिए ताकि इन्सपेक्टर वक्त पर जा कर जांच कर सके और गलत तस्करी की शराब को पकड़ सके और अपने राजस्व को बचा सके।

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बड़े साहस और बहादुरी के साथ एक अर्से से चले आ रहे विदेशी मदिरा पर जो 55 परसेन्ट ड्यूटी लगती थी, उसे कम करके 40 परसेन्ट कर दिया है। अन्य राज्यों से जो तस्करी में शराब आती थी, वह भी इधर बहुत कम हुई है। इसी के साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गोपालदास यादव--

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वह बहुत ही नाटकीय ढंग से पेश किया है। जहां उन्होंने बताया कि तीन करोड़ रुपये की आय हुई है लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब बजट पेश किया था तो कहा था कि 22 करोड़ का घाटा हम करों द्वारा पूरा कर सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 800 लाख रुपया बकाया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसकी वसूली क्यों नहीं की गई। पिछले सेसन में यह अध्यादेश भी लाया गया था कि हम इस अध्यादेश के माध्यम से वसूली करेंगे। जिन अधिकारियों ने इसकी वसूली नहीं की उनके खिलाफ आपने आज तक क्या कार्यवाही की और क्यों कार्यवाही नहीं की। यदि इस धनराशि को वसूल लिया जाता ठेकेदारों से जिनके ऊपर यह बकाया था, तो बीसों करोड़ आपके विभाग में जमा हो जाता। आप इस घाटे को पूरा कर सकते थे अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से।

मान्यवर, शराब की बात कही गई। हम अल्कोहल का इस्तेमाल जानते हैं। आज सालवेन्सी फर्जी लोगों के नाम बनती है जिनके पास कोई पूंजी नहीं होती है। जब इन लोगों पर काफी बकाया होता है तो आप इनसे वसूल नहीं सकते हैं और मजबूर होकर अधिकारियों को अपलिखत (राइट आफ) करना पड़ता है।

मान्यवर, शराब की बात कही गयी है। हम अल्कोहल का इस्तेमाल जानते हैं। जिस प्रकार मीट सेलर की चाकू जान ले लेती है और डाक्टर की चाकू जान बचा लेती है। इस एल्कोहल को दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है चाहे इसका प्रयोग कर लें यानी उपयोग कर लें या दुरुपयोग कर लें। मैं कहना चाहूंगा कि आज इलाहाबाद के अन्दर प्रयागराज के अन्दर उत्तर प्रदेश का मुख्यालय बनाया गया है। वहां पर जो पदोन्नतियां होती हैं वह इन्सपेक्टर से डिप्टी आयुक्त हो सकता है, लेकिन जो लिपिक है, जो मेहनत करता है, उसका प्रोमोशन नहीं होता है। आज 99 प्रतिशत एक ही जाति के लोग आपके विभाग में तैनात हैं। आयुक्त से लेकर सब-इंसपेक्टर तक, केवल एक को छोड़कर जो कमिश्नर थे, इतनी बड़ी धांधली आज आपके यहां है, मैं पूछना चाहता हूं कि और जातियों के लोग क्या इस योग्य नहीं हैं कि आपके विभाग में तैनात किये जा सकें। आज जो दवायें बनायी जाती हैं मैन्डेक्स के नाम पर, एल्कोहल के नाम पर जो दुरुपयोग हो रहा है। आज पैथेड्रीन और माफीन नहीं मिलेगी, जो हृदय रोग में काम आती है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, जोकि बहुत ही योग्य और अनुभवी व्यक्ति हैं....

श्री अधिष्ठाता--

आप केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गोपाल दास यादव--

जो स्प्रिट होती है, जो नीली स्प्रिट है, जहर का काम करती है, रेक्टीफाइड

स्प्रिट अस्पतालों में मुहैय्या नहीं होती है। रैक्टीफाइड स्प्रिट की जगह जो स्प्रिट इस्तेमाल होती है, उससे जहर फैलता है। इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश सिंह बरार--

केवल एक ही बात कहकर समाप्त करूंगा। मैं काफी देर से आबकारी विभाग की मांगों पर माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था। सबसे बड़ा खेद इस बात का हुआ कि जहां आबकारी विभाग की मांगों की बात है, उसमें बार-बार राष्ट्रपिता गांधी जी का नाम लिया गया। उन्होंने जो जीवन के सिद्धान्त प्रतिपादित किये थे चाहे सच्चाई के सम्बन्ध में हों या अहिंसा के सम्बन्ध में हों, उनको तो हम नजर अन्दाज कर देते हैं, लेकिन दिनचर्या के बारे में उन्होंने जो कहा था, उसको बार-बार कहते: । इसके साथ ही, दो सुझाव देकर बात समाप्त करना चाहूंगा। शराबबन्दी के बारे में जो इच्छा व्यक्त की है, सराहनीय है, लेकिन शराबबन्दी के जो परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं, उनको हम देख चुके हैं कि शराबबन्दी के जमाने में आम जनता से लेकर प्रधान मन्त्री तक जो सेवन कर रहे थे, वह हमको मालूम है। मात्र शराबबन्दी से काम चलने वाला नहीं है। आम जीवन में जो शराब ऐसा काम करती है कि जीवन के मूल्यों को नष्ट करती है, उसके बारे में अवश्य ध्यान देना चाहिये। आज यह धारणा व्याप्त है कि फलां-फलां ने शराब पीकर फलां गलत काम कर दिया। शराब पीकर जो व्यक्ति गलत काम करता है और शराब की आड़ लेता है, उसके लिये ज्यादा सजा होनी चाहिये, यह मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी कम की, वह स्मगलिंग को रोकेगी।

दूसरे प्रदेशों में एक्साइज की कम दरें होने के कारण स्मगलिंग होती है, इसके लिये केन्द्र सरकार से विचार-विमर्श करना चाहिये। जहां तक टैक्स का सवाल है, वह केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं है बल्कि जिस प्रदेश में भी टैक्स लगता है, वह जनहित में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, दिल्ली हो, जो जो टैक्स हैं, चाहे राज्य सरकार को हो, चाहे केन्द्र का हो, उसका भार वहन करना पड़ता है और जनहित के कामों में जो पैसा खर्च होता है उसमें कमी होती है। कौशिक जी कह रहे थे, हमारे प्रदेश में अल्कोहल पर आधारित इन्डस्ट्रीज धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं। इससे होगा यह कि हमारे लोगों को महंगा मिलेगा और दूसरे लोगों को सस्ता। अन्त में शीरे के सम्बन्ध में सुझाव देना चाहता हूं। हमारे यहां शीरा बहुत मात्रा में पैदा होता है, माननीय मंत्री जी का सारा विभाग शीरा पर आधारित है। वह बहुत मात्रा में फैक्ट्रियों में बरबाद होता है, क्योंकि कन्ट्रोल प्राइज जहां कम है, शीरे को स्टोर करने का कोई इन्तजाम नहीं करते, कच्ची खुदी हुई जमीन के गड्ढो में भर दिया जाता है और वह बरबाद होता है। टैक्स बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आग्रह करूंगा कि जितना शीरा पैदा कर रहे हैं, आने वाले समय में सप्लाई करे तो उन को आबकारी टैक्स माफ कर देना चाहिए ताकि अधिक से अधिक स्टोर हो सके और फायदा हो सके।

श्री किरन पाल सिंह--

आबकारी और मद्य निषेध की कटौती के प्रस्ताव पर जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। शुरू से आखीर तक यह देखने को मिला कि सभी लोगों में शराब खोरी के विरोध की भावना है। यह हमारे समाज को नष्ट कर रहा है और इससे छुटकारा मिलना चाहिए, यह सभी ने भाव व्यक्त किये लेकिन अपने पद पर बने रहने की खातिर एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य समर्थन किया तो

सही लेकिन चापलूसी की जो उनकी आदत है, उसी आदत का यहां प्रदर्शन किया। सबसे प्रमुख बात आई कि यदि शराब बन्दी प्रदेश में लागू की जाय तो राजस्व की जो हानि होगी वह, इससे निर्माण कार्यों में जो पैसा लग रहा है, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। जब जनता पार्टी की सरकार ने शराब बन्दी की तो उसके परिणाम की बात सत्ता पक्ष के लोगों ने की कि परिणाम अच्छा नहीं था, लोगों का चोरी-छिपे शराब पीना, स्मगलिंग, तथा इस तरह की बातें बढ़ गई थीं। यह बात सत्य से परे है। उन दिनों 47 जिलों में मद्य निषेध लागू किया गया था तो प्रदेश में अमन-चैन और शान्ति की व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी हो चली थी। यह भी मान लिया जाय कि सत्ता पक्ष के लोग जो कहते हैं कि उन दिनों मद्य निषेध अवश्य था लेकिन उस के कारण तरह-तरह से स्मगलिंग बढ़ गयी थी। लोग चोरी-चोरी पीने लगे थे। लेकिन मान्यवर, इसके लिये क्या जस्टीफिकेशन है? सत्ता में आने के बाद ही इस सरकार ने सब से पहला काम यही किया कि इस विधेयक को विधान सभा में पास कराया, वही शराब बन्दी और मद्य निषेध का विधेयक जिससे कि शराब खत्म हो गयी थी, उसे खुलवाने के लिये इतने उसे सबसे पहले पास कराया। मान्यवर, जस्टीफिकेशन तो तब था जबकि सत्ता में आने के बाद आप एक-दो साल उसी तरह से काम करते और जब आपको सफलता न मिलती वो फिर इसे पास करा लेते। गांधी जी ने यहां तक कहा था कि यदि मुझको हिन्दुस्तान का डिक्टेटर बना दिया जाय तो सबसे पहले मैं शराब बन्दी करा दूंगा।

चीन में जब च्यांगकाई का शासन अफीम का चलन बढ़ा। लोग अफीमची महो गये तो माओ का शासन आया तो माओ ने देखा कि अरबों रुपया की अफीम जससे कि चीन की क्षति हो रही थी तो वहां के शासक माओ ने अरबों की अफीम में एक दिन में आग लगा दी थी। यह कोई तर्क नहीं है जो आप राजस्व की कह रहे हैं, इससे आपकी भावना का पता चलता है।

मुझे याद है कि माननीय यशपाल सिंह जी जब यहां आबकारी का बजट चार वर्ष पहले पेश कर रहे थे तो वे बहुत झेंप रहे थे और उन्होंने कहा था कि अब तो शराब खुल रही है लेकिन कोई न कोई रास्ता निकालेंगे कि अल्कोहल से कोई ऐसी चीज बनायें जिससे कि शराब बन्द हो जाय। पेट्रोलियम की कमी है, अल्कोहल को इस रूप में इस्तेमाल करने के लिये हमारी सरकार खोजबीन कर रही है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके बाद कई बार यहां आबकारी का बजट मंत्रियों द्वारा पेश किया गया है पर कोई मंत्री नहीं बता रही है कि उन्होंने जो कहा था उसके बारे में आपकी सरकार ने कोई काम किया है या नहीं किया है

मान्यवर, यहां शीरा के बारे में कहना उपयुक्त होगा हमारे देश में 102 चीनी मिलें हैं और 28 डिस्टीलरीज हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आप जरा संक्षेप में बोलिये।

यहां 80 लाख टन शीरा उत्पादित होता है। जो आप विभिन्न डिस्टिलरीज को शीरा देते हैं तो उसमें कोई परफार-मेन्स का आपने आधार नहीं रखा है। डिस्टिलरीज शराब बनाती हैं, उनको यह शीरा देते हैं उसके अनुपात में कितनी शराब बनी, इसका कोई हिसाब नहीं है। शराब बनाने वाली फैक्ट्री के लोग कहते हैं कि शीरा सब-स्टैण्डर्ड था, इसमें जितनी शराब निकलनी चाहिये थी, उतनी नहीं निकली। अपने आंकड़े वे सरकार को पेश कर देते हैं और सरकार उससे सन्तुष्ट हो जाती है। जब कि उनके यहां टेक्निकल सेल हैं उससे वे विश्लेषण करा सकते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। नतीजा यह होता है कि उस शराब को ब्लैक में, तस्करी में उसे बाजार में निकाल देते हैं। फैक्ट्री वाले यह भी कभी-कभी कहते हैं कि जैसे नन्दगांव में जो डिस्टलरी वाले तिवारी जी हैं, वे माननीय लोकपति जी के रिश्तेदार हैं वे

कह देते हैं कि सारा का सारा शीरा खराब निकल गया। लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि उन्होंने उस शीरा की शराब बनाकर उससे लाखों रुपये कमाये हैं। आपने डिस्टलरी वाले की बात सही मान ली।

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

मेरे कौन रिश्तेदार हैं ?

श्री किरनपाल सिंह--

तिवारी जी हैं, आपके रिश्तेदार हैं। मान्यवर, मैं यह कहने जा रहा था कि हमारे यहां शीरा जो है जो डिस्टिलरी को प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है लेकिन फिर भी यह रिपोर्ट मिलती है कि शीरे के रखरखाव की सुविधा न होने से वह बहा दिया जाता है। तो मैं मांग करता हूं कि शीरे के रख रखाव का जरूर सरकार बन्दोबस्त वह करायें जिससे इसका सदुपयोग हो सके। मान्यवर, एक और जानकारी देता हूं जहां तक मेरी जानकारी है कि एल्कोहल जो हमारे यहां पैदा होता है उसका 30 प्रतिशत हमारी शराब बनाने के काम आता है और बाकी दवाओं आदि के बनाने में चला जाता है। तो मेरा यह सुझाव है कि यह एल्कोहल उन्हीं इन्डस्ट्रीज को आवंटित कर दिया जाय जो दवाई बनाती हैं क्योंकि उनके एल्कोहल की मांग को आप पूरी नहीं कर पाते हैं तो इस 30 प्रतिशत से शराब बननी बन्द करके इन दवाई वगैरह की इन्डस्ट्रीज को दे दिया जाय तो इससे दवाएं भी बनेंगी और जो राजस्व की कमी होगी वह भी पूरी हो सकती है। हमारी जानकारी में यह है कि केन्द्र सरकार उन राज्यों को 50 प्रतिशत का अनुदान देगी जो मद्य-निषेध लागू करेंगे। तो 50 प्रतिशत आपको केन्द्र सरकार से और बाकी इधर से हो जायेगा। तो आप शराबन्दी को लागू करायें, मेरा यही सुझाव है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं, डिपार्टमेंट के बारे में, जैसी मेरी जानकारी है कि आपके डिपार्टमेंट में इन्स्पेक्टर से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक एडहाक एप्वाइन्मेन्ट है, रेगुलर एप्वाइन्टमेन्ट नहीं है, आप उनको कमीशन नहीं भेजते हैं। मेरी जानकारी में यह है कि हाईकोर्ट ने आपको निर्देशित किया है कि 4 महीने के अन्दर-अन्दर आप अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति करें। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी।

श्री मोहम्मद अबर र अहमद--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय सदस्य अपना भाषण दे चुके हैं और अब जवाबी भाषण दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह--

आप बैठ खड़े हो गये, ठीक है आपको दिलचस्पी नहीं है, हमारी दिलचस्पी है इसलिए विचार व्यक्त कर रहा हूं। आप मेरे इस विचार को सही नहीं मानेंगे लेकिन फिर भी इस देश की गरीब जनता का रोना हमारे विपक्ष के लोग ही महसूस कर सकते हैं। मान्यवर, आपको भी समय का ही ध्यान है, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को बल देता हूं।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, इधर से भी और उधर से भी। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि उनके ऊपर बहुत ही गम्भीरता से शासन विचार करेगा। बहुत सी बातें, ज्यादातर मद्यनिषेध के ऊपर इस चर्चा में जोर दिया गया। मैं यह जानता हूं कि अगर प्रदेश में मद्यनिषेध लागू कर दिया जाय तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन श्रीमन्, आप जानते हैं कि मद्यनिषेध जैसा कि मैं पहले अपने भाषण में कह चुका हूं यह लागू किया गया, कई जगहों पर लागू किया गया, कई तरीके से लागू किया गया लेकिन इसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई। किस तरीके से मद्यनिषेध कामयाब बनाया जाय। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य एक

छोटी सी कमेटी बना दें और हम लोग बैठकर यह निर्णय लें कि कैसे इसमें कामयाबी हासिल हो जिससे मद्यनिषेध हो सके। इसकी चर्चा काफी हो चुकी है। श्रीमन्, चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। इसको बैठकर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। जब तक गम्भीरता के साथ विचार नहीं होगा तब तक कोई हल नहीं निकल सकता है। बहुत सी बातें की गयी हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, विचार किया जायेगा और सुधार लाने का भी प्रयास किया जायेगा। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और मांग को स्वीकार करें।

श्री अधिष्ठाता--

श्री किरनपाल सिंह जी क्या आप अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल दे रहे हैं या उसे वापस ले रहे हैं ?

श्री किरनपाल सिंह--

वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मनोहर लाल--

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मद्य-निषेध से राजस्व की हानि होगी, तो मेरा निवेदन है कि जो उनका 20 सूत्री कार्यक्रम है, उसको 21 सूत्री कार्यक्रम कर दें। 10 प्रतिशत कमीशन चलता है, तो एक सूत्र और बढ़ा दें, तो राजस्व की हानि नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0 1, आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1--आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,74,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता--

नियम 51 के अन्तर्गत आज आठ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इनमें से किसी को भी श्री अध्यक्ष द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

जनपद उन्नाव के ग्राम सरवारा में हरिजन उत्पीड़न की घटना के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

*वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद उन्नाव के ग्राम सरवारा में कथित उत्पीड़न के सम्पूर्ण मामले की जांच परगना मजिस्ट्रेट, पुरवा द्वारा ग्रामवासियों के समक्ष की गयी। जांच से यह प्रकट हुआ कि ग्राम सरवारा के समस्त हरिजन शान्तिपूर्वक अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। आतंक के कारण उनके द्वारा गांव छोड़कर भागने की बात सही नहीं पायी गयी। ग्राम में व्यापक रूप से औरतों की अस्मत लूटने का प्रयास जांच से प्रमाणित नहीं हुआ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जांच के दौरान, ग्राम प्रधान के विरुद्ध श्रीमती जगरानी पत्नी सुखनन्दन तथा श्रीमती गंगादेई पत्नी चन्द्रपाल द्वारा दुर्व्यवहार की मौखिक शिकायत की गई जिसके सम्बन्ध में प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। ग्राम में सामान्यतः मजदूरों को उचित मजदूरी प्राप्त होती है तथा कम मजदूरी पर किसी को कार्य करने हेतु विवश करने की बात जांच से सही नहीं पायी गई। तथापि जांच के दौरान दो व्यक्तियों ने ग्राम प्रधान तथा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कम मजदूरी देने की शिकायत की है। इस सम्बन्ध में इन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

अतः यह कहना सही नहीं है कि इस घटना से ग्राम सरवारा के साथ ही प्रदेश भर के हरिजनों के मन में भय, आतंक एवं अविश्वास की भावना उत्पन्न हो गई है।]

श्री राम गोविन्द चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता जी, जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने दिया है, वह बिल्कुल तथ्यों से परे है। इसमें उन्होंने जो एस0 डी0 एम0 की जांच की बात कही है, वह एस0 डी0 एम0 महोदय वहां पर गये और हरिजन के पक्षधर जो थे, उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया। 2-4 लोगों पर आरोप लगाये और महिलाओं ने भी आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एस0 डी0 एम0 जांच के दौरान जब गये तो क्या उन्होंने हरिजनों के पक्ष के लोगों के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिये हैं।

श्री जफर अली नकवी--

ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री हरिश्चन्द्र 'हरीश' जी--

माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में गांव के लोग उपस्थित थे। श्रीमती जगरानी और श्रीमती गंगादेई दोनों ने उनके साथ ग्राम प्रधान द्वारा किये जाने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत की है। मैं जानना चाहता हूं कि वह दुर्व्यवहार की शिकायत क्या थी? किस रूप में उन्होंने इसको किया था।

श्री जफर अली नकवी--

कुछ अश्लील बातें कहीं और उस औरत का हाथ पकड़ा। इस सिलसिले में प्रधान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मेरी सूचना यह है कि ग्राम प्रधान के खिलाफ यह शिकायत है कि वह सत्तारूढ़ दल का है और इसीलिए उसके साथ प्रशासन पक्षपात कर रहा है। इस सूचना को सत्य मानकर क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे।

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।

श्री भगवती सिंह विशारद--

यह यहां पर जो प्रश्न उपस्थित किया गया है। मेरे ख्याल में मेरे साथियों को इसकी जानकारी नहीं है। सही बात यह है कि सचिवालय के दो कर्मचारी इसी गांव में रहते हैं और उनके परिवार के एक व्यक्ति ने प्रधानी का चुनाव लड़ा और एक ब्राह्मण उस व्यक्ति की मदद कर रहा है। प्रधान के खिलाफ 115 का मुकदमा कायम किया गया है इसलिए यह लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह सारे मामले की जांच

किसी सी0 आई0 डी0 द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी--

मान्यवर, मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

कानपुर में गन्दे पेयजलपूर्ति के सम्बन्ध में वक्तव्य

अधिष्ठाता--

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)--

[कानपुर नगर में पेयजल पूर्ति के मुख्य स्रोत गंगा नदी, कैनाल व नलकूप हैं, गंगा नदी व नहर से प्राप्त कच्चे पानी को कनेवेशनल विधियों एवं आधुनिक संयंत्रों से शोधन तथा क्लोरीनेशन से शुद्ध कर और नलकूप के पानी के डिसइन्फेक्ट कर नगर में विभिन्न जोनल पम्पिंग स्टेशनों के माध्यम से वितरित किया जाता है । कच्चे पानी की टर्बिडिटी तथा गंगा के पानी में पल्यूशन इन्डीकेशन के लिये क्लोराइड्स एलम डोजिंग करने के लिये जार टेस्टिंग व ट्रीटेड पानी की टर्बिडिटी का परीक्षण 8-8 घंटे की शिफ्ट में प्रतिदिन किया जाता है । शुद्ध जलाशयों के पानी में फ्री अवशेष क्लोरीन की मात्रा प्रति घन्टे देखी जाती है । प्रतिदिन कार्य दिवस पर गंगा के पानी व शुद्ध जलाशय से ट्रीटमेन्ट के दृष्टिकोण से आवश्यक केमिकल परीक्षण किये जाते हैं । विभिन्न स्तरों से नमूने लेकर जीवाणु परीक्षण प्रति सप्ताह किये जाते हैं तथा विभिन्न स्तरों से रुटीन केमिकल परीक्षण प्रतिमाह किये जाते हैं ।

पानी की गुणता की मानीटरिंग के लिये उपर्युक्त प्रयोगशाला परीक्षण के अतिरिक्त पूरे नगर में प्रति कार्य दिवस पर ओ0 टी0 टेस्ट भी किये जाते हैं जिनसे वितरित हो रहे जल की पोटेबिलिटी का पता चलता है ।

दिनांक 21-7--85 को मोहल्ला सुतरखाना के मकान नं0 71/186, 187 व 71/87 में दोपहर 12 बजे से 12 बजकर 15 मिनट तक काला दूषित जल जाने की मौखिक शिकायत कानपुर जल संस्थान के अधिकारियों को अपराह्न 2·30 बजे प्राप्त हुई । जल-संस्थान के सम्बन्धित अधिकारियों व उसी दिन सायंकाल 5 बजे जलापूर्ति प्रारम्भ होने पर उक्त स्थल का निरीक्षण किया और पाया कि जल काला दूषित नहीं था । दिनांक 22 व 23 जुलाई, 1985 को उक्त स्थलों व सम्बन्धित टंकियों का निरीक्षण कर ओ0 टी0 टेस्ट किये गये । सभी स्थलों पर पानी साफ तथा ओ0 टी0 टेस्ट पाजिटिव पाया गया । दिनांक 26-7-85 को प्रातःकाल प्रश्नगत स्थलों से पानी के नमूने लेकर जीवाणु परीक्षण किया गया और उनके परिणाम उत्तम पाये गये । श्री लक्ष्मी शंकर गुप्ता, महामंत्री लोकदल, कानपुर, जिन्होंने मामले में शिकायत की थी, दिनांक 25-7-85 को महाप्रबन्धक को लिखकर सूचित किया कि पानी साफ आ रहा है ।

ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के टैंकों व फिल्टरों में किसी बच्चे या कुत्ते की लाश पाये जाने की कोई घटना नहीं हुई । इन पर चौबीसों घंटे चौकसी रखी जाती है ।

माननीय सदस्य द्वारा दिये गये पानी को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा गया है । निदेशक, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने सूचित किया है कि जो पानी के नमूने की बोतल प्राप्त हुई है वह बैक्टीरियोलाजिकल परीक्षण हेतु नमूना एकत्र करने हेतु उपयुक्त नहीं प्रतीत होती क्योंकि बैक्टीरियोलाजिकल परीक्षण हेतु पेयजल का नमूना नियमानुसार एक स्टेराइज्ड बोतल में ही किया जाना चाहिये ।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री विजय सिंह राणा--

इस रिपोर्ट में आपने विभिन्न प्रकार की जो इन्क्वायरी की बात है तो क्या यह जल संस्थान के अधिकारियों ने जो अपने परीक्षण के माध्यम से भेजा है वह रिपोर्ट है या स्वास्थ्य विभाग के सी0 एम0 ओ0 से या किसी अन्य अधिकारी से कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)--

जी हां श्रीमन्, इसकी जांच स्वास्थ्य विभाग के जो सार्वजनिक चिकित्सा विभाग का जो अंग है उन्होंने कानपुर के जल का परीक्षण किया है और आज संभवतः मैंने वह रिपोर्ट, उसकी प्रतिलिपि माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी है क्योंकि मैंने कहा था कि मैं सदन को अवगत कराऊंगा ।

श्री विजय सिंह राणा--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, अगर स्वास्थ्य विभाग ने इसका परीक्षण किया है तो जो कानपुर का पानी है उसमें बायोकेमिकल आक्सीजन डिमान्ड, केमिकल आक्सीजन डिमान्ड, एम0 पी0 एन0 इंडेक्स क्या है ?

जो जल सदन में दिया गया था उसके अलावा कानपुर में से जो आपका विभाग पानी का परीक्षण करता है उसमें बायोकेमिकल आक्सीजन डिमान्ड, कैमिकल आक्सीजन डिमांड और एम0 पी0 एन0 इंडक्स क्या था ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, जो परीक्षण किया गया उनकी संख्या 61 है उसमें कानपुर की जल वितरण के 28 सैंपुल्स संतोषजनक पाये गये ।

श्री विजय सिंह राणा--

बायोकैमिकल आक्सीजन डिमांड कैमिकल आक्सीजन और एम0 पी0 एन0 डेंक्स क्या था ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य इत्तफाक से उस दिन मैं यहां पर बैठा था जिस समय आपने यह सवाल किया था और जो बोतल दी गई थी वह स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका विभाग को दे दी गई थी कि इसकी जांच कराकर वक्तव्य दिया जाय । वह रिपोर्ट उन्होंने बता दी है ।

श्री विजय सिंह राणा--

जो बोतले दी थीं उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने जो परीक्षण किया होगा उसकी मैं नहीं कह रहा हूं । मैं तो बायोकेमिकल डिमांड, केमिकल डिमांड और एम0 पी0 एन0 ईडेक्स के बारे में पूछ रहा हूं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

किस जल की बात कह रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राणा--

जो बोतल में मिला और जो पानी वहां सप्लाई कर रहे हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जो बोतल में पानी मिला था वह बोतल स्टरलाइज्ड नहीं थी और दूसरा जो पानी लिया जाता है वह ठंडे बाक्स में रख कर ले जाया जाता है तो उस बोतल में जो पानी था उसमें यह चीज नहीं की गई थी जो सैम्पुल लिया गया था वह वैज्ञानिक ढंग से नहीं आया था ।

श्री विजय सिंह राणा--

मेरे प्रश्न का जबाब नहीं आ रहा है । जो केमिकल परीक्षण पानी का होता है उसमें तीन बातें बायो केमिकल आक्सीजन डिमांड, केमिकल आक्सीजन डिमांड तथा एम0 पी0 एन0 इंडेक्स के सम्बन्ध में रिपोर्ट आती है ।

(व्यवधान)

वह क्या है ?

श्री अधिष्ठाता--

जो जवाब आना था वह जवाब आ गया है ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

हमारे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है । जो परीक्षण के बाद वायो कैमिकल रिपोर्ट है वह....

(व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री मनोहर लाल--

वहां के लोगों की जिन्दगी का सवाल है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, नगर पालिका द्वारा जो जल वितरण किया जाता है वह अथवा जिस टैंप से माननीय सदस्य जल लाये है बोतल में वह या किसका वह विश्लेषण वह चाहते हैं ।

श्री विजय सिंह राणा--

जो पानी आप सप्लाई करते हैं नलों में उनमें किसी नल का नमूना यहां लाये जो पानी जनता को सप्लाई किया जाता है केवल बोतल के पानी की बात नहीं है ।

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, कानपुर के लिए जो जल आपूर्ति कर रहे हैं उसमें जो रिपोर्ट है उसको बतायें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, 22-7-85 की रिपोर्ट के अनुसार एपिरिएन्स विधिवत् है । देखने में उनका रंग क्लियर नहीं है । मान्यवर, बोतल का जल अशुद्ध है, जैसा कि पहले बताया है । मगर वहां जो टैंप से जल लिया गया था उसमें चूंकि स्टैंड पोस्ट के पास नाली टूटी थी जिसको दूसरे दिन देखा गया तो नगर पालिका ने नाली को दुरुस्त कर दिया था ।

(व्यवधान)

मान्यवर, दिनांक 22, 23 और 24 की जो सूचना है उसमें रिपोर्ट है कि एपिरिएन्स उसका क्लियर है लेकिन 22-7-85 को कोई रंग नहीं है यानि सफेद है, 23 और 24 को भी सफेद है । मान्यवर, पी0 एच0 22 तारीख की साफ है, 23 तारीख को 6.9 है और 24 को रिजरवायर जो जल संस्थान का है उसका 7.2 है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, केमिकल रिपोर्ट के बारे में बतायें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जो केमिकल रिपोर्ट आयी है वह मैं बता रहा हूं कि एल्कलाइन है । सी0 ए0 सी0 ओ0 3, निल, निल, निल 22, 23, 24 तारीख को है ।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल--

अधिष्ठाता महोदय, आप भी कानपुर में रहते हैं और जल पीते हैं, मैं जो सवाल करने जा रहा हूं उससे आप भी वाकिफ हैं । मान्यवर, वक्तव्य में दिया गया है कि कानपुर में जल आपूर्ति के लिए मुख्य दो स्रोत हैं--गंगा जी और कैनाल में जो गन्दगी है वह सभी जानते हैं । गंगा जी में जहां पीने का पानी लिया जाता है वह स्थान है भैरवघाट जो शमसान घाट है जहां कानपुर के सारे मुर्दे जलाये जाते हैं । अब मैं तीन प्रश्न मंत्री जी से करना चाहता

हूं और पूछना चाहता हूं कि पहला प्रश्न है--क्या यह सही है कि भैरवघाट से जल सप्लाई का पानी लिया जाता है जो शमशान घाट है । दूसरा प्रश्न है कि एलम डोजिंग का क्या रेशियो है और महीने में कितनी सप्लाई जल संस्थान की होती है ।

(व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जहां तक एलम डोजिंग का सवाल है, जितना क्लोरीन से जल स्वच्छ होता है, उतना सप्लाई होता है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

वक्तव्य पर बहस नहीं होती है, आप स्पष्टीकरण केवल करिये । आप अपना सवाल करते हैं वह अपना जवाब देते हैं, आपकी सन्तुष्टि और असन्तुष्टि से कोई मतलब नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, नियम 56 में सवालों की कुछ संख्या भी होती है ? यह नहीं कि सवाल पर सवाल पूछते ही चले जाएं ।

श्री अधिष्ठाता--

कम से कम सवाल होते हैं, लेकिन उसकी कोई तादाद निश्चित नहीं है ।

श्री किरनपाल सिंह--

मंत्री जी से जो दो एक प्रश्न पूछ गये, उनका किसी को भी उन्होंने सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया है । सभी ने यह महसूस किया है कि जो मंत्री जी के पास जानकारी है, उसी से वह लीपापोती कर रहे हैं, जो जानकारी वह चाहते हैं वह वह उसे नहीं दे रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस जल की पी० एच० वैल्यु 7.2 है तो क्या यह परफेक्ट है पीने के लिए ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हां ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

कानपुर का जलकल और सीवर लाईन दोनों ही बहुत पुरानी हैं । फैजाबाद में इस तरह की शिकायत पर जांच हुई तो उससे स्पष्ट हो गया कि सीवर लाईनों का गन्दा पानी जलकल में जा रहा है, जिससे वह पीने का पानी बहुत दूषित हो गया है, तो मैं मन्त्री जी से जानना चाहता कि इस बात को जानते हुए कि वहां की सीवर लाइन और जलकल लाइन बहुत पुरानी हैं और इस तरह की शिकायतें भी हैं कि सीवर लाईन का जल जलकल में आ रहा है, तो क्या अब वह इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, जलकल से जो पानी आता है, उसमें कोई प्रदूषण नहीं है, यहां आमतौर से जो आता है, प्राइवेट जो नल जाते हैं, जो सीवर के ऊपर से या नालियों के ऊपर से जाते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, जिनके अन्दर छेद हो जाते हैं, उनमें से जो पानी आता है, वह मैला पानी आता है...

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आपका यह कहना कि मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए, आपका प्रश्न है और उनका उत्तर है, मैं इसके अन्दर नहीं हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया वह दिलवा दीजिए :

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक चन्द--

आपने कहा कि उनका प्रश्न है और इनका उत्तर है, किन्तु आप जिस आसन पर विराजमान हैं, उससे मैं अपेक्षा करता हूं कि जो प्रश्न किये गये हैं: किसी का भी उत्तर अभी मंत्री जी ने दिया ही नहीं है..

[समय 7 बजकर 20 मिनट]

श्री त्रिलोक चन्द--

इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जवाब जवाब है, सवाल सवाल है।

श्री अधिष्ठाता--

क्या आप मंत्री जी को किसी जवाब के लिए, जो आपके मनका हो, उस पर बंदिश कर सकते हैं।

श्री त्रिलोक चन्द--

मान्यवर, आप इसको चर्चा के लिए स्वीकार कर लें, आप चर्चा करा दें, किस्सा खत्म हो जायेगा।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, जब मैं पढ़ रहा था तो सम्मानित सदस्य किरनपाल सिंह और पांडेय जी बैठे बैठे बोल रहे थे। उन्होंने बायलोजिकल बायोकेमेस्ट्री की रिपोर्ट पूछी। मैं बायो केमेस्ट्री की रिपोर्ट दे रहा था तो उन्होंने एतराज कर दिया। मैं बैठ गया।

श्री अधिष्ठाता--

आप पहले माननीय हरिश्चन्द्र जी के प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश की हर महानगरियों में हर नगरियों में जहां पर पेय जल का वितरण होता है औरजहां पर सीवरेज लाइन है, वह दोनों समानान्तर चल रही हैं। यह भी सत्य है कि जब कभी सीवर लाइन टूट जाती है और वहां पर वाटर लाइन अगर पुरानी है और उसमें छोटे-छोटे सूराख हैं तो पानी का पोल्यूशन हो जाता है। यह भी सत्य है कि जैसे ही पता चलता है जल दूषित है उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। मान्यवर, अगर हम उत्तर प्रदेश की समस्त सीवर लाइन को बदल दें, अगर हम समस्त वाटर लाइन को बदल दें, तो इसकी पूरी तालिका तो मेरे पास नहीं है, मगर उत्तर प्रदेश में जितने नागरिकों के घरों में उनकी निजी पाइप लाइने हैं उसकी लम्बाई लगभग एक लाख किलोमीटर है। अगर उनकी निजी पाइप लाइन में कहीं पर कोई सूराख है तो वह पाइप लाइन उनको बदलनी पड़ेगी यह नगरपालिका का नियम है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिलवा दें।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, माननीय हरिश्चन्द्र जी बतायें कि कहां सीवर लाइन और पाइप लाइन जुड़ गयी हैं, उसको चेंज करवा दिया जायगा।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न है, तीन प्रश्नों का उत्तर दिलवा दें। बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड, केमिकल आक्सीजन डिमांड और एम० पी० एन० इग्रेडियंट्स की मात्रा कितनी है, इसको बता दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं। मैं इस रिपोर्ट को राणा जी को दे रहा हूं, स्वयं राणा जी पढ़ लें।

श्री अधिष्ठाता--

आप बता दें।

(व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, मोहल्ला सुतरखाना के मकान नं0 71/186, 187 व 71/87 में..

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य शान्त रहें। जो माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उसे सुनें।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैंने यह नहीं पुछा था, माननीय मंत्री जी मकान नं0 पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, बायो केमिकल के अंदर जो टेस्ट हैं..

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा करा दें, मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग शांत रहें। मैं माननीय मंत्री को उत्तर के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं। माननीय मंत्री जी जो उत्तर पढ़ रहे हैं, उसे आप सुनें।

(व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी--

बायो केमिकल टेस्ट के अन्दर आपका जो सैम्पुल हैं, उसमें बैक्टीरियल टेस्ट नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

टेस्ट नहीं हुआ तो इस पर चर्चा करा दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शान्त रहिये।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मान्यवर, केमिकल एनालिस..

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मैंने यह नहीं पूछा है, मान्यवर..

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य ने जब अपनी बात रखी थी तो उस वक्त यह कहा था कि यह दूषित पानी पिलाया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मैंने नियम 56 में जो बात कही है, उसमें अगर इन तीनों बातों का जिक्र न हो तो मैं अपना प्रश्न वापस लेने के लिए तैयार हूं। उस समय मैंने यह कहा था कि जब वक्तव्य दे दें तो इन तीनों रिपोर्टों की जानकारी हमें दें। तो मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि उस दिन जो नियम 56 में मैंने रिपोर्ट मांगी थी, वह रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए इस पर चर्चा कर दें।

श्री अधिष्ठाता--

अगर इन चीजों का टेस्ट करा दिया गया हो, तो उसकी रिपोर्ट माननीय सदस्य को भेज दी जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, रिपोर्ट में चाटूंगा, क्या करूंगा। यह तो जनता की समस्या है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता:--

वक्तव्य पर स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न किया जाता है ।

श्री विजय सिंह राणा--

मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री अधिष्ठाता---

तीनों टेस्टों का जिक्र आपने किया है, उसी के परिपेक्ष्य में मैंने कहा कि तीनों की रिपोर्ट आपको भेज दें ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

उनको क्या करेंगे ? मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मेरा आग्रह है, इस पर आधे घंटे की चर्चा करवा दें और मन्त्री जी पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

मैं पूरी तरह तैयार हूं । जो परीक्षण हुआ है, उसकी रिपोर्ट मेरे पास है । अगर माननीय सदस्य कोई और रिपोर्ट चाहते हैं तो उसका प्राविधान नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा--

हर जल संस्थान में इसका प्राविधान है इसका परीक्षण होता । जो रिपोर्ट मेरे पास भेजने के लिये कहा है मैं आपने उसको क्या करूंगा ? उसका महत्व तो इस सन्दर्भ में है इस पक्ष के और उस पक्ष के लोग उस पर बहस करें ।

श्री अधिष्ठाता--

मन्त्री जी ने कहा कि हमारे यहां टेस्ट करने का यही सिस्टम है और कोई अन्य सिस्टम नहीं है ।

(व्यवधान)

डाक्टर कृष्ण वीर कौशल--

मान्यवर, राणा जी ने जो केमिकल रिपोर्ट की बात कही । मैं समझ नहीं पाया मन्त्री जी रिपोर्ट पढ़ नहीं पाये । मेरा आग्रह है कि पूरी रिपोर्ट पढ़वा दें, प्रश्न का उत्तर आ जाता है तो ठीक है नहीं तो सूचना या चर्चा की बात की जाये । मन्त्री जी पूरी रिपोर्ट पढ़ दें तो उत्तर आ जायेगा ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

बैक्टीरियल रिपोर्ट 22, 23, 24 की पोजिटिव है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य शान्त रहें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

22, 23, 24 की रिपोर्ट मकान नम्बर और मुहल्लेवाइज है । केमिकल रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो आप लोग बीच में बोलने लगे । सिम्पलिंग का स्रोत, जहां से जल वितरण होता है, तारीख 22, 23 और 24 जुलाई, 1985, तक जल साफ कलर साफ कोई रंग नहीं । श्रीमन्, पी० एच० 22 को 7.0, 23 को 6.9 और 24 जुलाई को 7.2 रही । टर्बिडिटी, पी० पी० एम०, एज एस० आई० ओ०-2 22 को 1.9, 23 को 1.9 और 24 जुलाई को 1.1 रही । पी०-एल्केनिटी एज सी० ए० सी० ओ०-3 (ए० जी० 1) तीनों दिन निल रही । एम-एल्केनिटी एज सी० ए० सी० ओ०-3 (एम० जी० 1) 22 को 60, 23 को 64 और 24 जुलाई को 66 रही । टोटल हार्डनेस एज सी० ए० सी० ओ०-3 (एम० जी० 1) बाईस को 78, तेईस को 80 और चौबीस जुलाई को 80 रही । एल्कनाइन हार्डनेस एज सी० ए० सी० ओ०-3 (एम० जी० 1) 22 को 60, 23 को 64 और 24 जुलाई को 66 रही । नान अल्केनाइन हार्डनेस एज सी० ए०

सी0 ओ0-3 (एम0 जी0/1) 22 को 18, 23 को 16 और 24 जुलाई को 14 रही। क्लोराइड एज सी0 एल0 (एम0 जी0/1) 22 को 10.7, 23 को 10.0 और 24 जुलाई को 9.3 रही। नाइट्रेट एज एन0 (एम0 जी0/1) तीनों दिन निल रही। फ्री रेजीड्यल क्लोरीन (एम0 जी0/1) 22 को 1.8, 23 को 1.8 रही और 24 जुलाई को 1.5 और रिमार्क यह है कि तीनों दिन वाटर पोटेबिल है।

श्री विजय सिंह राणा--

यह नहीं होगा। मान्यवर, आप बताएं, आप इससे सन्तुष्ट हैं ?

अधिष्ठाता--

मन्त्री जी ने पूरी रिपोर्ट पढ़ दी है।

(व्यवधान)

(मद संख्या--17 पुकारे जाने पर)

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, जनपद फैजाबाद में...

(वक्तव्य पढ़े जाने के मध्य श्री विजय सिंह राणा और श्री मनोहर लाल सदन के फ्लोर पर आ कर बैठ गये)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी आप बैठें। इस तरह से कार्य नहीं हो सकता है। आपने स्पष्टीकरण कर लिया। जवाब आ गया। फिर मैंने यह भी कह दिया कि जो आप चाहते हैं, वह रिपोर्ट आपको बनाकर भेज दी जायगी।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, इस पर चर्चा करवा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य पहले कृपया अपने स्थान पर चले जायं फिर कोई बात कही जा सकती है, सुझाव दिये जा सकते हैं।

(श्री माता प्रसाद पान्डेय के आग्रह पर श्री विजय सिंह राणा व श्री मनोहर लाल वापस अपनी सीट पर चले गये।)

श्री त्रिलोक चन्द्र--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी बड़े सक्षम हैं विद्वान हैं। रिपोर्ट आज नहीं है, तो कल आ जायेगी। इसमें चर्चा स्वीकार कर लें आधे घंटे के लिये। इससे सदन की मर्यादा रह जायेगी। यह रहेगी कि सदन में जो कुछ पूछा जाता है, जवाब उसका सही मिलता है। आपका जो भी निर्णय होगा, शिरोधार्य है। लेकिन, मान्यवर, इसमें आपकी गरिमा निहित है।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें। माननीय राणा जी ने जो तीन बातें रखी थीं, मन्त्री जी ने सदन में सूचना दे दी। माननीय सदस्य की बात रखने के लिये मैंने यह कहा है कि जिस प्रकार की वह टेस्ट कराना चाहते हैं, जब वह व्यवस्था बन जाय, तो माननीय सदस्य को उसकी रिपोर्ट भेज दी जाय। जांच करके रिपोर्ट भिजवा दें।

श्री किरनपाल सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

किस प्रकार की रिपोर्ट माननीय सदस्य को चाहिये ?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

नियम 56 की नोटिस में उन्होंने इसका जिक्र किया है।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि माननीय रेवती रमण सिंह जी ने जो अनुरोध किया है कि इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर लें, कृपया उस अनुरोध को स्वीकार कर लें ताकि यह विवाद खत्म हो जाय।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

माननीय राणा जी ने जो सूचना दी है, उसे मैं पढ़े देता हूं। विधान सभा की दिनांक 26 जुलाई, 1985 की कार्यवाही की असंशोधित प्रति के पृष्ठ 65, 68 और 84 के उद्धरण। विजय सिंह राणा जी ने जो कहा है वह इस प्रकार है मान्यवर, कानपुर में आजकल नलों में जो पानी चल रहा है, उसके दो सैम्पुल एक 21 ता0 का और एक 23 ता0 का हमारे पास हैं। जो वहां के कार्यकर्ताओं ने भी बताया है कि 51 नलों का पानी इकट्ठा करके हमारे पास भेजा है। यह जो पानी हमारे पास है इसको आप देखें तो इसका रंग काला है इससे दुर्गंध आ रही है। इस पानी को आदमी तो दूर रहा जानवर भी नहीं पी सकता है। इस सम्बन्ध में वहां प्रदर्शन भी हुए, धरना भी लोगों ने दिया है। लोग जल संस्थान और जिलाधिकारियों से भी मिले हैं लेकिन आज तक जल निगम और प्रशासनिक अधिकारी कुंडली मारे बैठे हैं। इस पर कोई कार्यवाही उन्होंने नहीं की। मेरा निवेदन है कि हर जल संस्थान में एक रासायनिक परीक्षण विभाग होता है और उसकी हर महीने रिपोर्ट आती है और आवश्यकता हुई तो महीने में दो तीन बार रासायनिक रिपोर्ट शासन के पास आती है। मैं शासन में बैठे हुए लोगों से, यहां पर संसदीय कार्य मन्त्री बैठे हैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह रासायनिक रिपोर्ट क्या है? कानपुर के पानी के बारे में उसमें वायो केमिकल आक्सीजन डिमांड, केमिकल आक्सीजन डिमांड, केमिकल आक्सीजन डिमांड तथा एम0 पी0 एम0 इण्डेक्स क्या है।

मान्यवर, यह मैंने पढ़ दिया है।

जो अन्तर्राष्ट्रीय आयोग है उसकी रिपोर्ट इन तीनों के बारे में क्या है कि कितना होना चाहिये और कानपुर के पानी में उनकी मात्रा क्या है?

मान्यवर, यह मैंने पढ़ दिया है। क्लोरीन की मात्रा पढ़ दी है।

कानपुर के अन्दर भयंकर रूप से पीलिया और महामारी फैल रही है। बहुत से लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और उनका इलाज भी नहीं हो रहा है। तो आप ही बताइये कि जब यह स्थिति हो तो हम इस मामले को कहां उठायें। यह शासन जो जीवन की सबसे आवश्यक चीज पानी है, उसको भी सही नहीं दे पाता और अपने 3-3 लाख रुपये की चाय 8 दिन में पी जाते हैं। और जनता को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता। ये कहते हैं कि जनता के साथ हमारी बड़ी हमदर्दी है। पानी के बारे में हर जगह यह शिकायत है। गतवर्ष विधान सभा में यह प्रश्न उठाया था कि आगरा में नलों से गन्दा पानी सप्लाई हो रहा है जो दिल्ली की अपेक्षा 300 गुना गन्दा पानी है, इस पर शासन ने अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया।

पुनः श्री विजय सिंह राणा जी ने कहा है कि मान्यवर, आगरा, मथुरा में पानी की गंदगी में डा0 के0 डी0 शर्मा ने शोध कार्य किया और उसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजा लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, जब आपका जल संस्थान इस तरह का गंदा पानी दे रहा है, जिसको अभी कोई व्यक्ति भूल से पी गया तो किसी भी क्षण भोपाल कांड हो सकता है और शहर की आबादी मृत्यु की ओर जा सकती है। इसलिए यह गम्भीर विषय है और इसकी जल्द से जल्द केमिकल और रासायनिक परीक्षण करायें और काम रोक कर इस पर चर्चा करवायें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, माननीय मनोहर लाल जी भी पढ़ दूं ...

(हंसी/व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह--

जवाब तो है नहीं, पढ़ क्यों रहे हैं ...

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जो माननीय राणा जी ने प्रश्न उठाया था, हर बिन्दु का उत्तर दे दिया है। अतएव अब कोई अन्य चर्चा की बात नहीं है। मैं यही त्रिलोक चन्द जी से अनुरोध करूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

मैं मद संख्या 17 पर जा रहा हूं।

एक सदस्य—

पढ़ा हुआ मान लिया जाये, मान्यवर।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है..

(श्री विजय सिंह राणा सदन के फ्लोर पर आ गए और श्री अधिष्ठाता के कहने पर अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री राम सरन—

इसमें क्या आपत्ति है आपको। आधे घंटे की चर्चा आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय राणा जी ने तीन वायो केमिकल टेस्ट के बारे में पूंछा और आपने कहा कि मंत्री जी इसका टेस्ट कराने के बाद राणा जी के पास सूचना भेज देंगे और मंत्री जी ने यह कहा कि हमारे पास टेस्ट कराने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो व्यवस्था यह चाहता हूं कि आपने जो निर्देश दिए हैं तो उसका जवाब किस तरह से...

(व्यवधान)

श्री लोक पति त्रिपाठी—

अगर माननीय सदस्य रिपोर्ट चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से पहुंचा दूंगा।

(श्री लोक पति त्रिपाठी ने कुछ कागजात श्री अधिष्ठाता के लिए भेजे।)

श्री किरन पाल सिंह—

उन्होंने कहा कि टेस्ट की व्यवस्था नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने यह कहा कि अगर टेस्ट की जो बात कर रहे हैं, अगर व्यवस्था हो सकती है तो करवा दें, अगर कोई चीज रह गई है माननीय राणा जी के कहने में।

श्री राम सरन—

मान्यवर, एक कार्य स्थगन प्रस्ताव आपने स्वीकार किया, वक्तव्य अगर उससे हम लोग सैटिसफाइ नहीं होते हैं तो हम लोग चर्चा की मांग करते हैं, कोई नई बात है नहीं, वर्षों से यही रहा है, पूरे दिन की डिमान्ड नहीं है, मैं तो एक घंटे की चर्चा चाहता था लेकिन आधे घंटे की चर्चा ही करा दें तो इसमें कौन आफत आ जायगी, मंत्री जी की नाक नीची हो जायगी, उनकी इज्जत में कौन सा बट्टा लग जायगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

एक प्रश्न को ले कर सदन की कार्यवाही में इतना विलम्ब हो रहा है माननीय रेवती रमण सिंह जी ने प्रश्न उठाया कि चूंकि स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है अतः चर्चा के लिए स्वीकृत कर दें। माननीय मैनेजर सिंह जी ने भी कहा कि स्वीकार कर लीजिए। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि उन्हें इस पर एतराज नहीं है। इसके बाद भी आप प्रोलोंग कर रहे हैं, जितना प्रोलोंग करेंगे, बात बढ़ती जायगी।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

माननीय त्रिलोक चन्द्र जी ने कहा कि जो माननीय राणा जी ने मांग की है, वह रिपोर्ट नहीं आयी, इस पर मैंने माननीय राणा जी के भाषण का उद्धरण, जो विधान सभा से प्राप्त हुआ था, पढ़ दिया। जो माननीय राणा जी ने मांग की थी, हो गयी। अब अगर कोई

स्पेशल जांच चाहते हों तो बता दें, जांच कराकर रिपोर्ट आपके माध्यम से उनको भेज दूंगा ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या--17 पुनः पुकारे जाने पर ।)

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय राणा जी ने माहवारी जांच व्यवस्था किये जाने की मांग की थी, वह हुई या नहीं ? उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

हर हफ्ते जांच होती है माहवारी नहीं । आदेश हो चुके हैं कि जब तक वर्षा चल रही है हर मुहल्ले में रैंडम 3 व्यक्तियों के यहां जांच की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है । इसके बाद भी अगर कोई चीज चाहते हैं तो माननीय मन्त्री जी से कहें । अब मैं मद संख्या--17 लूंगा ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा पुनः मद संख्या--17 पुनः पुकारे जाने पर ।)

श्री विजय सिंह राणा--

हम इस तरह सदन को नहीं चलने देंगे ।

(श्री विजय सिंह राणा सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गए ।)

श्री राम सरन--

पूरे विरोध पक्ष की इच्छा को आप नहीं मान रहे हैं । यह हम सभी का सवाल है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बन्दिश नहीं कर सकते हैं कि जैसे आप चाहेंगे वैसे ही सदन चले ।

श्री राम सरन--

पूरा विरोध पक्ष आपसे निवेदन कर रहा है, आधे घंटे की चर्चा स्वीकार करने पर ।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर चर्चा नहीं हो सकती, मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

श्री मनोहर लाल--

मैंने जो सवाल किए थे, उसका जवाब ही नहीं आया ।

(श्री मनोहर लाल भी श्री विजय सिंह राणा के साथ आकर सदन के फ्लोर पर बैठ गए ।)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग अपने-अपने स्थानों पर वापस जायं ।

(श्री किरन पाल सिंह, श्री बालेश्वर, श्री महेन्द्र सिंह भाटी एवं श्री बलराम यादव भी सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गए ।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

वर्मा जी, व्यवस्था का प्रश्न तो उठ ही नहीं सकता है, जवाब तो आ ही गया है । राणा जी आप अपने स्थान पर जांय ।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक चन्द्र--

इस तरह से सदन नहीं चल सकता है ।

श्री राम सरन--

मान्यवर, यह कोई तरीका है आप केवल एक मिनिस्टर की बात को रखेंगे ? मैं भी यहां आज बैठूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मनोहर लाल जी, माननीय राणा जी, आप लोग अपने स्थान पर चल ।

श्री मनोहर लाल--

आप चर्चा करा दीजिये ।

श्री राम सरन--

अफसरों को दलाली में जवाब नहीं आ रहा है, यह कोई तरीका है ?

श्री बलराम यादव--

बिलकुल हठधर्मी हो रही है ।

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

जब माननीय सदस्य यहीं से अन्दर जायेंगे तभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है । मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 8 बजे सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया । 8 बज कर 15 मिनट पर मार्शल ने सदन को 15 मिनट और स्थगित किये जाने की सूचना सदन को दी । 8 बज कर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

कानपुर के गंदे पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा

जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री (श्री लोक पति त्रिपाठी)--

श्रीमन्, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाह रहा था कि 17 नम्बर पर जो चर्चा प्रारम्भ कर दी गयी थी, उसे स्थगित करा कर जो 16 नम्बर पर चर्चा है, उसको 15 मिनट और कर दें ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुये और सदन की भावनाओं को देखते हुये कम से कम 20 मिनट की चर्चा इसी समय करने की अनुमति देता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, मुझे दुख और खेद के साथ कहना पड़ता है कि जनता भाड़ में जाये चाहे जो कुछ कहा सुना जाये, कोई असर नहीं होता ऐसी परिपाटी चल पड़ी है । मान्यवर, जनता ने हमको यहां पर चुन कर भेजा है । तो केवल वेतन लेने के लिये नहीं भेजा है। अगर यही स्थिति है तो जो माननीय सदस्य हैं जो चुन कर आये हैं, उनको एक मिनट भी यहां पर बैठने का हक नहीं है । अगर हम जनता के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो हमें यहां पर बैठने का कोई हक नहीं है । आगरा के बारे में जब पूछा गया तो सही रिपोर्ट नहीं दी गयी है और यही स्थिति कानपुर की भी है । शीशियों और बोतलों में गन्दा पानी भर कर यहां लाया गया और दिखाया गया लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो कहा जाता है कि पानी गंगा जल की तरह से शुद्ध है, तो ऐसी स्थिति है और हम इस सदन में बैठ कर क्या करेंगे जब हम जनता के दिये हुये अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते हैं । मैंने पानी के बारे में तीन रिपोर्ट मांगी थी, वह नहीं आयी । नियम 56 में भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था , यह विषय स्वास्थ्य मन्त्री का था ही नहीं, उनके डिपार्टमेन्ट का सम्बन्ध ही नहीं है । यह बीच में खामखां आ गये । जनता की समस्या भाड़ में जाये, लेकिन अधिकारियों की रक्षा आपको करनी है। मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्ट अधिकारियों को जितना स्वास्थ्य मन्त्री संरक्षण देते हैं उतना और कोई मन्त्री नहीं देता है । अगर एक भी विधायक ने माननीय स्वास्थ्य मन्त्री से कोई काम बिना पैसे के करा लिया हो तो बता दें । मैं एम0 पी0 एन0 इन्डेक्स

और बायोकेमिकल के बारे में जानकारी चाहता हूं ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

माननीय सदस्य अभी जब अपने विचार प्रकट कर रहे थे तब विचार प्रकट करते-करते वह कुछ गुस्से म आ गये । उन्होंने माननीय स्वास्थ्य मन्त्री के सम्बन्ध में भी कुछ टिप्पणी कर दी । मेरा अनुरोध है कि आप उसको देखकर यदि वह अनुचित है तो उसको कार्यवाही से पृथक कर दें ।

श्री अधिष्ठाता--

उसको देख लेंगे ।

श्री मनोहर लाल--

मैं भगवान को हाजिर नाजिर मान कर यह बात कह रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग कहेंगे वह खुदा को हाजिर नाजिर मान कर सच बात ही कहेंगे--हर चीज इस देश में हो रही है विदेशी,

जनतंत्र में घोड़े हैं देशी
लेकिन लगाम होती है विदेशी ।

मान्यवर, मैंने इस बारे में सवाल भी किया था लेकिन मेरे सवालों का जवाब आया ही नहीं । मैं यही बार-बार कह रहा था कि एल० एम० डोजिंग का रेशियों क्या है, उसे किस मात्रा में मिलाते हैं और उसकी सप्लाई क्या है । मैं अपनी जानकारी से कहता हूं कि एल एम० डोजिंग की सप्लाई होती ही नहीं है । मैं भी 12 साल नगरमहापालिका का कारपोरेटर रह चुका हूं । कानपुर में जो भैसा घाट है श्मशान घाट है और यह मामला एक बार नहीं कई बार आ चुका है कि वहां पर सुअर के पैर, घोड़े के पैर, बच्चों की लशें सब पानी के साथ-साथ आ जाती हैं । मैं मन्त्री जी से फिर कह रहा हूं कि अगर वह आज चलकर अभी चलकर देख लें तो उनको पता चल जायेगा कि वहां पर कितनी गन्दगी है । वहां का जो जनरल मैनेजर है, जो डी० एम० है उसने बिल्कुल गलत बयान दिया है कि वहां पर युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है । वहां पर वहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है । लाखों-लाख लोग गन्दा पानी पीते हैं जिनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है मान्यवर, यह मामला बहुत अहम मामला है । इसके बारे में हम लोग जानकारी चाहते थे, वह मन्त्री जी दे दें । नगर महापालिका की जो रिपोर्ट है उनमें यह सब दिया हुआ है । मन्त्री जी उसको मंगवा कर देख लें । मन्त्री जी के अधीनस्थ वह भी विभाग है, वहां से इसको दिखवा लें । जहां से पानी आता है वहां पर इतनी गन्दगी है कि वहां का पानी पीने योग्य नहीं होता । अतः वहां से पानी न लेकर दूसरी जगह से लें । यह बात हम लोग चाहते थे लेकिन ऐसा माहौल यहां बन गया कि कोई जानकारी भी नहीं प्राप्त हुई और समय भी नष्ट हुआ । मैं चाहूंगा कि इस पर एक विस्तृत जांच करवायें और उन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करें । यह कानपुर जल संस्थान की ही बात नहीं है । आगरा, मथुरा, बनारस कहीं की भी बात ले लें ।

जिस तरह से फैजाबाद में माना है कि गन्दे पानी की सप्लाई हुई और एक टैंक में मैल मिला हुआ पानी आया है तो इसी तरह से कानपुर में भी बात हुई है । यह अहम मामला है हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो जाय और उसके बाद दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही हो जाय। हमें उम्मीद है कि माननीय मन्त्री जी इसकी विस्तृत जांच करवायेंगे और जो जल संस्थान के जनरल मैनेजर हैं चाहे वह प्रशासक हों जिन्होंने ऐसा पानी सप्लाई किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे यही हम चाहते हैं ।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कानपुर के गन्दे पानी की समस्या जो

माननीय राणा जी ने और माननीय मनोहर लाल जी ने सदन के संज्ञान में प्रस्तुत किया था उस पर आज वक्तव्य आया था। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति पैदा हुई माननीय सदस्यों को न चाहते हुए भी ऐसी बात कहनी पड़ी है। जब भी कोई वक्तव्य होता है तो उस डिपार्टमेन्ट के अधिकारी इस गैलरी में आकर बैठते हैं। लेकिन आज जो कानपुर के मामले में मुद्दा उठाया गया कि कानपुर में गन्दा पानी जो स्वास्थ के लिए हानिकारक है, वहां की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पूरी तरह से जांच रिपोर्ट नहीं आई है और मजबूरीवश हमें इसमें चर्चा के रूप में भाग लेना पड़ रहा है। जिन अधिकारियों ने पूरी जांच रिपोर्ट नहीं भेजी है उनके खिलाफ अगर पहले का जमाना होता पंडित गोविन्द बल्लभ पंत और चौधरी चरण सिंह के बारे में हम सुनते हैं कि अगर ऐसी रिपोर्ट आई होती तो उनकी कोई खैर नहीं होती। आज मन्त्री ऐसे हो गये हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देते हैं, चाहे माननीय सदस्यों का कोई मान सम्मान रहे या न रहे लेकिन वे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देंगे। तो क्या माननीय मन्त्री जी मे इस बात की हिम्मत है कि इस चर्चा के वक्त कोई बड़ा अधिकारी गैलरी में मौजूद नहीं है और जिन अधिकारियों ने अपूर्ण रिपोर्ट भेजी हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही वह करेंगे। अगर इन तमाम सेंटीमेन्ट्स को समझते हुए माननीय मन्त्री जी पहले ही इस बात को स्वीकार कर लेते कि रिपोर्ट अपूर्ण है और पानी का कैमिकल परीक्षण पूर्ण रूप के नहीं हुआ है तो यह बात नहीं होती। बड़े अफसोस की बात है आपको भी नीचे से निर्देश जा रहा था उसके बजाय यह निर्देश जाता कि चर्चा स्वीकार कर ली जाय तो अच्छी बात होती। पूरी जानकारी मन्त्री जी के पास नहीं है इसलिए हमको चर्चा में भाग लेना पड़ रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि कानपुर का पानी दूषित है जिसकी रिपोर्ट पूरी तरह से सदन में नहीं आई है। मन्त्री जी स्वयं कानपुर जाकर इन तमाम बातों को खुद देख लेती और जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी है उनके खिलाफ कार्यवाही हो जाती तो जो माननीय सदन में रोष की भावना पैदा हुई है वह न होती। माननीय सदस्यों को अधिकारियों के मुकाबले कम इज्जत दी जा रही है। कानपुर की जनता को प्रदूषित पानी दिया जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी--

मान्यवर, यह जो प्रश्न उपस्थित है कि कानपुर के नागरिकों को जो जल सप्लाई हो रहा है वह दूषित है। फैजाबाद में गन्दे पानी की सप्लाई को शासन ने स्वीकार है कि जो पानी की पाइप लाइन और सीवर की पाइप लाइन थी दोनों के टूटने से जल दूषित हुआ है।

आदेश हुआ है कि पाइप लाइन ठीक की जाय। मान्यवर, मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि जो बड़े-बड़े शहर हैं जैसे कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा जो पुराने शहर हैं जहां की सीवर लाईन और पाइप लाइन पुरानी हैं, और जैसा मन्त्री जी ने कहा कि, नालो में टूटन होगी तो टूटन से निश्चित रूप से गन्दा पानी नालियों के रास्ते जलकल लाईन में जायेगा, इसलिये पुरानी नगरमहापालिकाओं में निर्देश दिये जायं कि जलकल विभाग के ऊंचे अधिकारी यदि कहीं से सीवर लाइन या जलकल लाईन टूटने की सूचना आये तो उसकी जांच करा ली जाये, इससे इस समस्या का समाधान तत्काल निकल सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इस पर आदेश नगरमहापालिकाओं में दें जिससे दूषित जल ग्रहण करने की स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हो सके।

श्री भगवती सिंह विशारद--

अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा को उठाया, उन्होंने

यदि इस बात की आपत्ति की होती कि सदन में मन्त्री जी नहीं हैं, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन उनके अधिकारी नहीं हैं, यह मांग करने का कोई औचित्य नहीं है। सदन में अधिकारियों की कोई हैसियत नहीं है। मन्त्री जी की हैसियत है, वह यहां सदन में उत्तर देने के लिये बैठते हैं और सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिये जब मांग उठती है कि अधिकारी नहीं हैं तो इसका क्या मतलब है। यह काम मन्त्री जी का है, वह पूछें कि अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं कि नहीं। लेकिन यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि अधिकारीगण उपस्थित रहें तो मन्त्री जी की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस विवाद को इस बिन्दु पर न ले जाकर इस पर विचार करें कि बड़े-बड़े शहरों में पानी की अच्छी सप्लाई कैसे हो। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि कानपुर का जो विकृत स्वरूप यहां प्रस्तुत किया गया है, वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों या एक नागरिक की ओर से सवाल उठे कि जल दूषित है, अच्छा जल मिले तो यह मांग उचित है। मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि केवल कानपुर या उन्नाव में ही नहीं बल्कि जहां इस प्रकार की समस्या हो उसके समाधान के लिये तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कानपुर की पेयजल की समस्या को लेकर स्थिति पैदा हुयी उसका मुझे खेद है। मान्यवर, इस सदन की गरिमा को बनाये रखने का प्रयास दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों को करना चाहिए। मैं इसे अच्छा नहीं मानता कि रोज आये दिन आपस में इस प्रकार की कटुता पैदा हो और हमारे माननीय सदस्य वेल में पहुंच जायं। इस प्रकार की परिस्थिति न पैदा हो ऐसा प्रयास करना चाहता हूं। मान्यवर, मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जो उत्तर आपने दिया है यह सही नहीं है, आपके सामने परीक्षण रिपोर्ट है, अधिकारियों की सफाई है, लेकिन आप क्यों नहीं मानते कि अधिकारियों द्वारा प्रेषित सूचना गलत भी हो सकती है। माननीय सदस्य कहते हैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर उस पर भी आप कभी क्यों नहीं ध्यान देते। आपने फैजाबाद के मामले में स्वयं स्वीकार किया है कि 5 नमूनों में से दो नमूनों में पाया गया कि उसमें मल प्रदूषित पानी था। किन्तु बड़ी मासूमियत से कहा गया कि जो स्टैंड पोस्ट थी उसके थोड़ा दूर पर पाईप टूटी थी, इसलिये मल प्रदूषित पानी उसमें आ गया।

श्रीमन्, फैजाबाद के बारे में यह जानकारी है कि वहां पर जो पाखाना है, उसका टैंक फटा हुआ था, उसमें से मल आकर नल के पाइप में मिल रहा था। यह काम बहुत दिनों से हो रहा था। क्या शासन को स्वीकार नहीं करना चाहिए था कि जो मल प्रदूषित जल पाया गया है उसके लिए सम्बन्धित अधिकारी दोषी हैं। उसके सम्बन्ध में जिन अधिकारियों ने उसका नोटिस पहले से नहीं लिया वे दोषी हैं और उन्हें दंडित किया जायगा? यह कहना चाहिए था, लेकिन यह माननीय मन्त्री जी जो कि नहीं कहा, नहीं किया। इसलिए मैं समझता हूं कि आप अधिकारियों के वकील बने हुए हैं। जो मन्त्री बन जाता है वह यही कहता है। जनता शासन काल में भी कुछ इस प्रकार के मन्त्री थे। परन्तु उस समय की परिस्थिति में थोड़ा फर्क है, जनता शासन काल में ऐसे ईमानदार और तेज सदस्य थे, वह अपने मंत्रियों की गलत बात का विरोध शासन पक्ष में होते हुए भी जोरदार ढंग से करते थे। आज इस बात का सत्ता पक्ष में बिलकुल अभाव है। मैं माननीय कौशल जी और उन जैसे कुछ सदस्य के लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कुछ लोग जरूर सही बात कहते हैं अपनी अन्तरात्मा के वशीभूत होकर। लेकिन ज्यादातार ऐसे नहीं हैं। खासकर त्रिपाठी जी जैसे वरिष्ठ मन्त्री

को ऐसा उत्तर नहीं देना चाहिए था, अतः मन्त्री जी उस पर आश्वासन दें कि वह न्याय करेंगे और दोषी को दन्ड देंगे। इतना आश्वासन देते तो मामला आज न बिगड़ता।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

मान्यवर, प्रश्न आज हमारे सामने यह नहीं है कि पानी जो दूषित मिल रहा है वह जल संस्थान के द्वारा मिल रहा है या रास्ते में सीवर और पानी की लाईन लीक होने के कारण मिल रहा है। सवाल यह है कि नागरिक कैसा पानी प्रयोग में ला रहे हैं। श्रीमन्, इसमें दो राय नहीं हैं कि हो सकता है कि महामारी के शक्ल में इस खराबी से उत्पन्न बीमारियां न फैलें, लेकिन छुटपुट रूप से ऐसी बीमारियां तो तमाम हो रही हैं--जैसे पीलिया, जानडिश या गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस आदि।

मेरा यह भी अनुभव है, जैसा मन्त्री जी ने अभी फरमाया कि पानी का जो परीक्षण है वह साहवारी नहीं सप्ताह में एक बार होता है, लेकिन यह कार्य केवल औपचारिकता के रूप में और खानापूरी की शकल में होता है। अभी इसमें राणा जी ने जिन तीन बिन्दुओं का जिक्र किया, वह अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से सम्बन्ध रखते हैं और वह तीन हैं बी0 ओ0 डी0, सी0 ओ0 डी0 तथा एम0 पी0 एच0 अर्थात् बायो केमिकल आक्सीजन डिमान्ड, केमिकल आक्सीजन डिमान्ड यह टेकनिकल वर्ड्स हैं। प्रायः यह देखा गया है कि आमतौर से यह परीक्षण नहीं किये जाते हैं। जो पेयजल का परीक्षण किया जाता है रसायन विशेषज्ञों द्वारा, वह केवल रुटीन-वे में किया जाता है-क्लोरीन देख लिया, सोडियम देख लिया और रंग वगैरह देख लिया जाता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रक्रिया को आप इतना आवश्यक बना दें कि प्रत्येक मामले में जब भी परीक्षण हो, उसमें यह तीनों टेस्ट अवश्य होने चाहिए। सीवेज का जो वाटर होता है, उसमें हमारे रासायनिक विशेषज्ञ उपरोक्त परीक्षण ही करते हैं। आप यह करें कि जहां की शिकायत मिले या न मिले, परन्तु यह तीनों टेस्ट आवश्यक रूप से हर पेयजल के रसायन विशेषज्ञों द्वारा किये जाने चाहिए, यह अनिवार्य हो जाना चाहिए। ताकि यह मालूम हो सके कि पेयजल में यह कान्टेन्ट कितने हैं और वह जल स्वास्थ्य के लिए हानिकर है या नहीं। इसका सम्बन्ध हमारे प्रदेश के हजारों-लाखों नागरिकों से है और यदि कोई अधिकारी इसमें लापरवाही करता है और उस क्षेत्र के अधिकारी के पानी के नमूने में अगर कोई कमी पायी जाय तो उस अधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिये, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

मान्यवर, यहां पर जो यह चर्चा प्रारम्भ हुयी है उसके सन्दर्भ में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अभी पक्ष और विपक्ष के, दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने पेयजल साफ मिले इसके सन्दर्भ में अपनी बातें रखीं। चाहे नगर-पालिका, कानपुर हो या लखनऊ हो या गोरखपुर हो, सम्पूर्ण प्रदेश के लोगों को यह मौलिक अधिकार हो जाता है, प्राकृतिक अधिकार हो जाता है कि उनको साफ जल पीने को मिले। साफ जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी यदि गांव है, तो स्वतः वहां के लोग कर लेते हैं, वैसे कल्याणकारी राज्य होने के नाते यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को साफ पानी पीने के लिये उपलब्ध करायें। अभी मन्त्री जी ने कहा कि शासन के स्तर पर कोई गड़-बड़ी नहीं है, जो प्राइवेट लाइनें हैं वह खराब हो जाती हैं और उसको ठीक कराने की हमारी जिम्मेदारी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो जाती है। अभी उन्होंने बताया कि प्रदेश में निजी लाइनों की लम्बाई 1 लाख कि0 मी0 है। मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो जल संस्थान के कर्मचारी हैं वह घरों की लाइनों की बार-बार चेकिंग करें कि पानी

साफ जा रहा है या नहीं। पाइप लाइन को 3 फीट की गहराई पर डालना चाहिये लेकिन बहुधा पाइप लाइन ऊंचाई पर डाल दी जाती है और दबाव के कारण वह फट जाती है। तो पाइप लाइन की जांच करानी चाहिए। अगर आपको पता चलता है कि किसी की पाइप लाइन खराब है और वह आदमी ठीक नहीं करता है तो कानून में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि शासन अपने स्तर पर उसको ठीक करायें और उसकी वसूली राजस्व की वसूली की तरह कर ले तब तो आप साफ पानी दे सकते हैं नहीं तो आप टैंक को चाहे जितना साफ करें साफ पानी नागरिकों को नहीं मिल सकता। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे जो खराब पाइप लाइनें हैं उनको बदलवायें नहीं तो आप अपने स्तर से उसके बदलने की व्यवस्था कर दें।

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्रीमन्, माननीय राणा जी ने मेरे बोलने में आक्षेप किया है तो मैं अनुरोध करूंगा माननीय नगर विकास मन्त्री जी से, दो मुद्दे उठे हैं उनका जवाब मैं देना चाहता हूं। प्रथम यह है कि आदेश हो चुका है कि हर मुहल्ले में, घरों में जो टोटी जाती है, हर हफ्तेवार 3-4 मकानों की जांच की जाय ताकि यह पता लगे कि उस क्षेत्र में जल वितरण कैसा है। दूसरे जैसा कि डा० कौशल ने जो तीन बातों का सुझाव दिया, बी० डी० ओ०, सी० ओ० डी० और एम०पी० एच०, तो मैं हेल्थ इंस्टीट्यूट, लखनऊ, उनको आदेशित कर दूंगा कि जल का जो परीक्षण होता है उसके अलावा भी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर तीन परीक्षण हैं उनको करें।

फैजाबाद में मल-प्रदूषित पेयजलापूर्ति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता--

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय। माननीय तिवारी जी आप प्रश्न करें।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

*नगर विकास समितियां (श्रीमती पद्मा सेठ)--

[जनपद फैजाबाद में जलकल की स्थापना वर्ष 1925 में की गई थी। उस समय जो पाइप लाइनें लगाई गई थी उनकी समय-समय पर जांच की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बदला भी जाता है। पानी को ब्लीच करने और पानी की टंकियों की सफाई की ओर समुचित ध्यान दिया जाता है। पानी को ब्लीच करने का कार्य नियमित रूप से किया जाता है। पानी की टंकियों की सफाई भी पन्द्रह दिन पर की जाती है।

दिनांक 27 जून, 1985 को संचारी रोग शाखा के स्वास्थ्य निरीक्षक श्री एन० एन० अग्रवाल ने पानी के नमूने के लिये थे और उनकी जांच लखनऊ में की गई। नमूना संख्या 469, 470, 471, 472 एवं 473 की जांच करने पर नमूना संख्या 469 व 470 में मल प्रदूषित जल पाया गया था। अन्य तीन नमूनों की जांच करने पर पानी सही पाया गया। जिन दो नमूनों में पानी प्रदूषित पाया गया उनकी जांच करने पर पता चला कि स्टैंड पोस्ट से थोड़ी दूर पर पाइप लाइन टूट गई थी और वहां लीकेज हो गया था जिसके कारण जल प्रदूषित हो गया था। जैसे ही इसकी जानकारी मिली खराब पाइप लाइन को ठीक करा दिया गया है और अब इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

पानी के नमूनों की जांच बराबर करवाई जा रही है और पानी को ब्लीच करने के कार्य पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। नगर में शुद्ध पेय-जलापूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।]

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य के सन्दर्भ में मैं कुछ ज्यादा नहीं पूछना चाहता हूं, क्योंकि यह समस्या जो कि मानव जीवन से जुड़ी हुयी है, जनमानस को स्वास्थ्य से इसका सीधा रिश्ता है। मैं केवल तीन सूचनायें माननीय मन्त्री जी को देना चाहता हूं क्योंकि मैं फैजाबाद गया था तो जलकल विभाग वालों ने मुझे बताया कि मल प्रदूषित जलापूर्ति का प्रमुख कारण यह है कि नगर के मध्य स्थित पानी टंकी के पास कर्मचारियों के उपयोग हेतु फ्लेश लेट्रिन बनी है उसका सेप्टिक टैंक, मेन सुलिस वाल्व चैम्बर की दीवार से संलग्न है और सेप्टिक टैंक का जल सीपेज से सुलिस वाल चैम्बर में जाता रहा है और सुलिस वाल्व के ग्लैंड के रास्ते से जिसमें लीकेज थी पानी की पाइप लाइन में गया। तो जो सूचना उन्होंने दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि कर्मचारियों ने उनको गुमराह किया है इसको वह फिर से दिखवा लें। दूसरा, माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि पानी ब्लीच किया जाता है। ब्लीच करने का एक सिस्टम है, घोल बनाया जाता है, उसमें पाउडर मिलाया जाता है, उसको घोलने के लिए ग्लोब्स दिये जाते हैं क्योंकि बिना ग्लोब्स के कोई अगर हाथ डाल कर बनायेगा, तो उसका हाथ कट जायगा। जो कंजुअल लेबर है, उसकी पीठ पर बोरियां लादकर सीढ़ियों से पाउडर टंकी में गिराया जाता है। इस तरह से न तो घोल बनाया जाता है और न उसको छाना जाता है। नतीजा यह होता है कि वह आंत में जख्म पैदा करता है नगरपालिका, फैजाबाद में इस विषम स्थिति को साल्व करने के लिए 4 करोड़ रुपये का एक प्लान बना कर उन्होंने शासन को स्वीकृति के लिए भेजा है। यह जो सेप्टिक टैंक के लीकेज की बात है और जो बिना घोल बनाये ब्लीच करने की बात है, मेरी इन सूचनाओं को सही मानकर क्या माननीय मन्त्री जी दुबारा नये सिरे से सारे तथ्यों की जांच करायेंगे और जो दोषी पाये जायेंगे उनको दन्डित करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, इसकी जांच करायी जायगी और अगर कोई दोषी पाया जायगा, तो जरूर दन्डित किया जायगा।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, जो पाइप लाइन टूटी हुई थी, उसमे मल-प्रदूषण हुआ। जो लट्रिन थी, उसी पानी में आ रही थी। पाइप टूटी हुई जब आप मानती हैं, तो बात स्पष्ट है कि आपके अधिकारियों की लापरवाही है। तो जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह मलप्रदूषण हुआ है, उनको आप दन्डित करेंगी कि नहीं ? आपने यह स्वीकार किया है कि पाइप लाइन में टट्टी थी, उसकी वजह से गंदा पानी पाखाने का पानी आ रहा था, तो यह तो साबित हो गया कि आपके अधिकारियों की लापरवाही थी, माननीय मन्त्री जी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, पाइप लाइन 24 जुलाई, 1985 को रिपेयर करा दी गई थी। उसके बाद हेल्थ आफिसर की रिपोर्ट जो 29 तारीख की है, मेरे पास आई, जिसमें पाइप रिपेयर करने की बात कही गई है। तो मान्यवर, पाइप रिपेयर की जा चुकी है।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, मेरा तो स्पष्ट सवाल है, माननीय मन्त्री जी से कि यह क्या बांच रही हैं ? मान्यवर, मैंने पूछा कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण मल-प्रदूषण हुआ है, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

उसको दिखवा लूंगी, मान्यवर।

श्री मैनेजर सिंह--

दिखवा क्या लेंगी, क्या कोई सिनेमा है ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण पाइप लाइन से मल-प्रदूषण हुआ है, उन अधिकारियों को आप दन्डित करेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ--

मान्यवर, यह तो मैंने पहले ही कह दिया है कि जो दोषी हैं, उन्हें दन्डित करेंगी ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, यह हमारे जनपद, फैजाबाद का मामला है। मान्यवर, फैजाबाद में जो पाइप लाइन लगी है, वह 30 साल से अधिक पुरानी हो गई है और वह बहुत ही जर्जर स्थिति में है। मान्यवर, नियम यह है कि जब पाइप लाइन 30 साल पुरानी हो जाय, तो उन्हें बदलवा लेना चाहिए। तो मैं मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपद फैजाबाद की पूरे नगर की पाइप लाइन बदलवाकर नई पाइप लाइन लगवाने की कृपा करेंगी ?

श्री मुईद अहमद--

मान्यवर, इस समय जो सदन चल रहा है, क्या कोरम पूरा है ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, यह सदन की परम्परा है, आप जानते हैं कि लास्ट आवर्स आफ दि सेशन में कोरम का सवाल नहीं उठाया जाता। जरा आपके बगल में संसदीय कार्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं, कम से कम उनसे पूछ लेते कि हाउस की परम्परा क्या है।

श्री मुईद अहमद--

कोरम तो हमेशा पूरा होना चाहिये, मान्यवर। कोरम हमेशा पूरा होना चाहिए। अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था देंगे।

(कोरम के लिए घंटी बजाई तथा कोरम पूरा होने पर इनकी कार्यवाही आरम्भ हुई।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

फैजाबाद जनपद की नगरपालिका ने जो प्लान भेजा है। क्या माननीय मंत्री जी वहां की विशेष स्थिति को देखते हुए, विशेष अनुदान देंगी।

श्रीमती पद्मा सेठ--

प्रयास करेंगे जो दे पायेंगे, देंगे।

जनपद फैजाबाद में टान्डा तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण के विषय पर दिनांक 26 जुलाई, 1985 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अधिष्ठाता--

सब माननीय सदस्यों की राय हो जो आधे घंटे की चर्चा है, उसको किसी और रोज के लिए स्थगित कर दें।

ऊर्जा मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, जो टान्डा की चर्चा है उसमें माननीय सदस्य ने जो स्पष्टीकरण पूछा है, वह 5 मिनट का है।

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री गौरी शंकर)--

सूखे के बारे में भी 5 मिनट लगेगा।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदन की राय को देखते हुए, चर्चा शुरू कर दी जाय।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैंने जो आधे घंटे की चर्चा की मांग की थी, उसका कारण यह था कि मन्त्री जी ने अपने जवाब में इस बात का कोई हवाला नहीं दिया कि जब परियोजना की स्वीकृति योजना आयोग ने 1979 में दी, तो 4 वर्ष में योजना पूरी होनी थी।

श्री अधिष्ठाता--

आपकी आवाज ठीक नहीं आ आ रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

वह परियोजना अब तक पूरी न हो पाने का क्या कारण है? लापरवाही, धनभाव, परियोजना की कौन इकाई कब से कार्य करना शुरू कर देगी? परियोजना का व्यय इतना अधिक क्यों बढ़ गया? किस इकाई का कितना प्रतिशत कार्य समाप्त हुआ है और उस पर कितना अनुमानित व्यय था? कितना वास्तविक व्यय हुआ है? जितना व्यय हुआ, उसमें कितना प्रतिशत काम पूरा होना चाहिए था और कितना वास्तव में हुआ है, क्या कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके कारण यह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। मेरी जानकारी है कि टनों लोहा, सीमेन्ट कानपुर से वहां के लिए चला, लेकिन वह परियोजना के अन्दर तक पहुंचा नहीं, बेच लिया गया। क्रिमिनल और अन वान्टेड पालीटिशियन्स उसे परियोजना से बाहर ले गए हैं। इसमें क्या पैसा दिया जा रहा है, सन् 88 तक परियोजना पूरी हो जायगी कि नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं। क्योंकि यह हमारे जिले की परियोजना है। इससे हमारे जिले का हित जुड़ा है। इससे पूरे पूर्वांचल का हित जुड़ा है। मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि सारी स्थिति को स्पष्ट कर दें।

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्रीमती सुखदा मिश्र)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से इस सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा सन् 88 में इस परियोजना को पूरा करने के लिए, हम इसमें स्वयं गतिशील हैं। हम जानते हैं कि धन के अभाव के कारण यह काम इतनी तेजी से नहीं चल पाया और इसे समय से समाप्त नहीं कर सके। दूसरी बात यह सही है कि इससे पहले 185.55 करोड़ रु0 का खर्च हो चुका है और इसको पूरा करने के लिए 189.68 रुपया और खर्च करना है। हम इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इसको हर हालत में सन् 88 में खत्म कर लिया जायगा। माननीय सदस्य ने एक बात और कही कि भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो लोहे की चोरी और सीमेन्ट की चोरी की बात कही तो आज लोहे के दाम, स्टील के दाम में 150 प्रतिशत और सीमेन्ट में 130 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो गई है। इसकी वजह से टोटल लागत बढ़ गई है। चोरी का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है। अगर आएगा तो उसको हम देख लेंगे। आपने जो प्रतिशत की बात कही तो हमने 52 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है। इस काम को हम 88 तक पूरा कर लेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं कि यह जो टांडा परियोजना बन रही है, इसमें 110 मेगावाट की चार इकाइयां लगनी हैं। तो यह सारी इकाइयां एक साथ काम शुरू कर देंगी या अलग-अलग समय पर।

श्रीमती सुखदा मिश्र--

मान्यवर, पहली 12/86 तक, दूसरी 6/87 तक, तीसरी 12/87 तक और चौथी 6/88 तक पूरी कर लेंगे।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि परियोजना में धन का जो प्रावधान किया गया है, तो समय बढ़ जाने के कारण कितना व्यय और बढ़ गया है?

श्री अधिष्ठाता--

इसका जवाब आ चुका है ।

प्रदेश के जिलों को आंशिक व पूर्ण रूप से सूखा-ग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में पृष्ठ चार पर लिखा है कि "प्रदेश में दैवी आपदाओं का जो क्रम 1979-80 से आरम्भ हुआ वह वर्ष 1984-85 में भी जारी रहा । नवम्बर, 1984 से मार्च, 1985 की अवधि में अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के कारण प्रदेश के 26 जनपदों में 17867 ग्रामों की 80.77 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई । रबी की फसल में विभिन्न क्षेत्रों में 10 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक हानि होने से लगभग 426.05 करोड़ की क्षति हुई । 4424 ग्राम पेयजल के संकट से प्रभावित हुए । इसमें आगे कहा गया है तत्काल राहत पहुंचाने के लिये कार्यवाही की गयी । भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य स्पष्ट करता है कि सूखे का प्रभाव प्रदेश में रहा है ।

श्रीमन्, 26-7-85 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न जो था, उसमें जानने का प्रयास किया गया था कि कुल कितने जनपदों में सूखे का प्रभाव रहा और राहत के नाम पर कौन-कौन सी व्यवस्था की गयी । श्रीमन्, जो कुछ भी कहा गया, स्पष्ट नहीं था । मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को बतायें कि वे 26 जनपद कौन-कौन से हैं, जिनको सूखाग्रस्त होने पर कार्यवाही की गयी और उसका क्या आधार रहा ? मान्यवर, 20 सूत्री की मीटिंग बलिया में हो रही थी । बलिया में मंडलीय मंत्री माननीय संकठा प्रसाद शास्त्री जी ने उसकी अध्यक्षता की थी । उनसे कहा गया कि बलिया सूखाग्रस्त हो गया है 77 प्रतिशत फसल सूख गयी है । उन्होंने आश्वासन दिया था कि शासन से बलिया को सूखा-ग्रस्त घोषित करायेंगे । लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । सूखा एक अहम मामला है, सूखे से पूरा जनपद प्रभावित है । 26 जनपदों के नाम बताने का कष्ट करें । पहाड़ के सूखाग्रस्त घोषित जनपद कौन-कौन से हैं और वहां राहत की क्या व्यवस्था की गयी ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरीशंकर)--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न के माध्यम से चर्चा की मांग थी और उस चर्चा के अनुरूप यहां पर आपने यह समय दिया है । मान्यवर, सूखा होता क्या है । जब सर्दी के दिनों में हमारे पहाड़ों पर यदि बर्फ नहीं जम पाती तो फिर गर्मी में प्रचुर मात्रा में वह बर्फ पिघलकर पानी के रूप में मैदान में नहीं आ पाती । यह स्थिति 1984 में हुई । नवम्बर से मार्च में मान्यवर, कम वर्षा हुई है इन 5 महीनों में साधारण वर्षा का जो औसत होना चाहिये था 66.6 मिली-मीटर होना चाहिए था जबकि मान्यवर, इन 5 महीनों में 15.5 मिलीमीटर वर्षा हुई । इसका आशय यह है कि जो साधारण वर्षा होनी चाहिये थी, उसके मुकाबले औसतन 23.4 लगभग 1/4 वर्षा भी नहीं हुई ।

उसके बाद जो स्थिति बनी वह अप्रैल, मई, जून, जुलाई उसमें मान्यवर, यह स्थिति हुई कि जून और जुलाई में जो साधारण वर्षा थी जून में 97.1 मिलीमीटर और जुलाई में 294.7 मिली-मीटर । इस प्रकार इन दो महीनों में साधारण वर्षा, 391.8 मी0 मी0 के विरुद्ध 64.1 तथा 326.01 मि0 मी0 अर्थात् 390.1 मी0 मी0 ।

हमारे जो 24 जिले थे उसमें सामान्य से अधिक वर्षा हो गयी । 28 जिलों में सामान्य वर्षा हुई । जुलाई का जो महीना रहा संतोषजनक रहा । सारे के सारे आंकड़े जनपदवार आपके समक्ष हैं ।

माननीय सदस्य ने जानना चाहा उनका खासतौर से विषय था सूखा राहत पेयजल संकट ग्रसित गांव। इन 23 जनपदों में जो रबी की फसल की क्षति हुई है वह 18.04 लाख हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई थी। उसमे 929.96 करोड़ रुपए की अनुमानित क्षति हुई। 33 जनपदों में राहत कार्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत 26.71 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए पर्वतीय जनपदों को 2.70 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गयी। डीजल का अभाव नहीं होने दिया गया। मनुष्यों की चिकित्सा एवं टीकाकरण की व्यवस्था की गई। 14,722 ग्रामों में 84,123 कुओं का विसंक्रमण किया गया, पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा एवं चारे व भूसे की व्यवस्था की गई तालाबों/पोखरों को नहरों और नलकूपों से भरवाने की व्यवस्था की गई। 8 जनपदों में, देहरादून, चमोली, टिहरी, गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, उत्तर-काशी सहारनपुर तथा ललितपुर जनपदों में भू-राजस्व की वसूली 31-8-1985 तक स्थगित की गयी।

मान्यवर, स्थायी आदेश है कि दैवी आपदाओं से प्रभावित मामलों में जिला-धिकारी को वसूली स्थगित करने का 3 महीने का अधिकार है। यदि उन्हें उससे ऊपर का समय लेना होता है तो वह मामला शासन को जिलाधिकारी भेजते हैं और शासन उस पर व्यवस्था करता है।

मान्यवर, दूसरा प्रश्न पेयजल का उठाया गया है। 110 टैंकरों का प्रयोग 374 ग्रामों में किया गया, 987 इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प 728 ग्रामों में लगाये गये, खच्चरों द्वारा 77 ग्रामों में पानी पहुंचाया गया। यह पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचाया गया। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी भयावह थी। शहरी क्षेत्रों में, 18 नगरों में टैंकर की व्यवस्था की गई, 28 नगरों में 295 नये हैण्ड पम्प लगाये गये।

बलिया तथा आगरा का प्रश्न भी यहां पर उठाया गया है। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि बलिया में सूखा राहत कार्यों के अन्तर्गत जिला-धिकारी से 33 ग्रामों की सूची प्राप्त हुई थी जिनमें से 8 ग्राम पूर्व से लाभा-न्वित थे शेष 25 ग्रामों में 28 हैण्ड पम्प लगाकर उन्हें लाभान्वित किया गया। जनपद आगरा में जिलाधिकारी से सूखाग्रस्त ग्रामों की कोई सूची प्राप्त नहीं हुई। नागर क्षेत्र के अन्तर्गत नगर आगरा में सौ हैण्ड पम्प लगाये गये। जैसा कि अभी कहा गया कि पहाड़ी क्षेत्रों को वरीयता दी गई है, ऐसी बात नहीं है। आवश्यकतानुसार ही व्यवस्था की गई है।

प्रश्न यह उठाया गया कि प्रदेश के कुल कितने जनपदों में सूखा पड़ा है उनके नाम बता दिये जांय। उनके नाम इस प्रकार हैं। कुल 33 जनपद हैं। सहारनपुर, मुज्जफर नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बिजनौर, कानपुर देहात बांदा, वाराणसी, मिर्जापुर, बलिया, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, हमीरपुर, इलाहाबाद, ललितपुर, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, फतेहपुर, झांसी, जालौन, जौनपुर, गाजीपुर तथा कानपुर नगर। मान्यवर, जिन-जिन बिन्दुओं पर माननीय सदस्यों द्वारा सूचना मांगी गयी थी, वह उपलब्ध करा दी गई है। और जिसे मैंने यहां पढ़ भी दिया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इतनी तेज पढ़ गये कि उन्हें स्वयं यह मालूम नहीं है कि वह क्या पढ़ गये। मंत्री जी ने कहा कि बलिया में सूखे की रिपोर्ट जिलाधिकारी की नहीं आई और उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी स्वयं सक्षम हैं भू-राजस्व की वसूली को 3 महीने तक स्थगित रखने के लिए। आगरे के बारे में कहा कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट नहीं आई,

फिर भी 100 हैण्ड पम्प आगरा शहर में लगा दिये । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आगरा में फतेहपुर सीकरी में कतई पानी नहीं था और न उनके पास कोई जानकारी थी । माननीय लोकपति त्रिपाठी जी अभी 20 सूत्रीय की बैठक में वहां पर आये थे । क्या उनके सामने खैरागढ़ तहसील, एत्मादपुर तहसील, फिरोजाबाद, बाह, फतोहाबाद तहसील और किरावली तहसील के गांवों की पेयजल संकट भी सूची प्रस्तुत की गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल के संकट को दूर करने के लिए आदेश चले गये थे और 6 अप्रैल को जो बैठक जिला अधिकारी आगरा में हुई थी, उसमें यह तय किया गया था कि जिन गांवों में पेयजल नहीं है, उनको पेयजल उपलब्ध करा दिया जाय । फिरोजाबाद में पोखर भरवायें, तालाब भरवायें, नलकूप चलवायें और अगर न हो तो प्राइवेट के लिए डीजल की व्यवस्था की जाय । नादखी-फिरोजाबाद ब्लाकों में इतना कड़ुआ पानी है जिसको पशु भी नहीं पी सकते । वहां एक इंच पानी की व्यवस्था नहीं की । मैं चुनौती दे सकता हूं इसके लिए । अगर परगनाधिकारी फिरोजाबाद ने रिपोर्ट दी है तो वह गलत है..

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, संक्षेप में, समय का ध्यान रखें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

तो मान्यवर, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप के पास रिपोर्ट आयी है वह सत्य से परे है, आप उसकी जांच करा लें और परगनाधिकारी फिरोजाबाद के खिलाफ कार्यवाही करें और जो राहत की बात है, वह नहीं की गयी है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं आपके माध्यम से सूखे की चर्चा पर दो तीन बिन्दुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। मन्त्री जी जैसे के आदत है इधर थे तब भी उधर हैं तब भी, जैसे ट्रेन छूटी जा रही हो, सारी बात कहते हैं दो मिनट में। बलिया जनपद बिलकुल सूखा पीड़ित था और इतना पीड़ित था कि मवेशियों के लिए चरागाह तक कहीं उपलब्ध नहीं थे और पीने के पानी की बड़ी किल्लत हो गई थी और कहे कि 28 गांवों में इसकी योजना थी, पिछली विधान सभा में भी मैंने नियम 56 के अन्तर्गत बलिया जिले में पेय जल के संकट के बारे में उठाया था और इस बार भी कहा था, रसड़ा तहसील के 70 प्रतिशत गांवों में पानी का स्तर बिल्कुल नीचे चला गया, ट्यूबवेल से पानी नहीं आ रहा, हैण्ड पम्प से पानी नहीं, मेरा क्षेत्र रसड़ा क्षेत्र में पड़ता है, वहां किसी भी गांव में पानी के लिए हैण्ड पम्प नहीं गाड़े गये । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर सूखा ग्रस्त घोषित करते हैं और कई ऐसे जिलाधिकारी हैं जो अपनी वाह-वाही में, ज्यादा राजस्व वसूली के लिए 50 प्रतिशत से कम की सूखा ग्रस्त घोषित करते हैं ।

ऐसा ही दोषी जिलाधिकारी है बलिया में, 70-80 प्रतिशत सूखा होकर भी रिपोर्ट नहीं दी तो आप उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और अगर कार्यवाही नहीं करेंगे तो बलिया जिले को पुनः सूखा-ग्रस्त घोषित करेंगे और लाभान्वित करेंगे या नहीं ?

श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

बलिया जिले को सूखा ग्रस्त घोषित नहीं किया गया । जिला मेरठ पूरा सूखा ग्रस्त घोषित किया गया, बुलन्दशहर सूखा ग्रस्त घोषित किया गया । मेरा जनपद है, जो इन जनपदों की दो तहसीलों से बना है, गाजियाबाद, उसको सूखा घोषित नहीं किया है । एक जुलाई को 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग थी, उसमें सारे विधायकों ने और जिला कलेक्टर ने भी इसका प्रस्ताव किया था कि सूखाग्रस्त घोषित किया जाय तो उसे सूखाग्रस्त घोषित क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

आपके माध्यम से 3 सुझाव रखना चाहूंगा । मैं आशा करूंगा कि मन्त्री जी ध्यान देंगे । प्रदेश भर में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पेय जल की कोई व्यवस्था नहीं है । ऐसा भी गांव है जहां सड़क नहीं है वहां सूखे की स्थिति पानी से लदी मोटर पहुंच नहीं पाती है, मैं चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में जो इस तरह के गांव हैं, उनकी सूची बना लेंगे जहां न तो पेय जल की व्यवस्था है और न सड़कें पहुंच पायी हैं इन गांवों में स्वतन्त्र रूप से पेय जल की व्यवस्था शासन के स्तर से हो जानी चाहिये । माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी बैठे हैं । इनके जिले मिर्जापुर–वाराणसी में तो सैकड़ों ऐसे गांव होंगे, जहां न सड़कें पहुंची हैं न पेयजल की व्यवस्था है । अतः मेरा पहला सुझाव यह है कि ऐसे गांवों की सूची बनायी जाय जहां सड़कें नहीं पहुंची हैं और पेयजल की व्यवस्था नहीं है ।

दूसरा, क्षति के आंकड़े निकाले गये कि 90 प्रतिशत, 80 प्रतिशत या 10 प्रतिशत क्षति हुई है । क्षति जो होती है उसमें किसी गांव का पूरा औसत निकाला जाता है । गांव में समर्थ और बड़े लोग भी होते हैं, जो ट्यूबवेल से सींचकर फसल बचा लेते हैं, जबकि गरीबों की फसल सूख जाती है । औसत निकलता है कि 40 प्रतिशत क्षति हुई, गरीब मारा जाता है । क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि प्रतिशत जो निकाला जाता है, वह निजी व्यक्ति के जाने की क्षति के हिसाब से निकाल जाय ? क्योंकि हरिजन, गरीब और अलामकर जोत वाले भी उसमें आ जायेंगे और उनकी रक्षा की जा सकेगी ।

तीसरी बात जो सूखा, सहायता और राहत के नियम हैं, उन पर केन्द्र सरकार परिवर्तन करने पर विचार कर रही है । सूखा सहायता और राहत के जो नियम हैं, उसमें किसी को कुछ मिल नहीं पाता है । इसमें भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करें, जिससे वास्तविक लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके ।

श्री देव कुमार यादव—

मन्त्री जी ने जो अपने वक्तव्य में सूचनायें दी हैं, उससे ऐसा लगा कि शासन को जिला प्रशासन द्वारा कुछ गलत सूचनायें दी जा रही हैं और जितना बजट मा0 मन्त्री जी ने कहा कि खर्च किया गया और जिला प्रशासन द्वारा खर्च दिखाया गया है, मैं मा0 मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि उन खर्चों की जांच अवश्य करा लें क्योंकि हमारा जनपद बांदा सूखे की लिस्ट में था और इतना गम्भीर जल संकट था कि 1200 में से 900 गांवों में पीने का पानी नहीं था, कुएं सूख गये थे ।

श्री अधिष्ठाता—

आप सुझाव दें ।

श्री देव कुमार यादव—

खटुआ गांव के अतिरिक्त किसी भी गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गयी है । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां तक सूखाग्रस्त घोषित करने की बात है, हमारे यहां कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है । इसमें जो स्थिति है जबरिया वसूली करने के लिये लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और बैंकों की वसूली में लोगों की जायदादें नीलाम की जा रही हैं । मैं आग्रह करूंगा कि वित्त विभाग को लिखें । बांदा जनपद में और पूरे रुहेलखण्ड में वसूली को स्थगित कराय चाहे किसी भी बैंक की हो ।

श्री मैनेजर सिंह—

मा0 मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में पहले वर्षा की रिपोर्ट दी । बलिया जनपद में जो पिछले वर्षा हुई, वह आप देखें कि औसत से अधिक हुई या कम हुई ?

श्री शैलेन्द्र कुमार--

मान्यवर, सदन को स्थगित कर दीजिये क्योंकि सदन में कोरम नहीं है ।

(कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी)

श्री मैनेजर सिंह--

बलिया में शुरू में ही कुछ दिन बारिश हुई, और खरीफ की बुआई के बाद एक महीने तक अवर्षण हुआ, उसका असर रबी की बुआई पर पड़ा और हजारों एकड़ भूमि बोई नहीं गयी, फसल मारी गयी ।

श्री मैनेजर सिंह--

यह भंयकर स्थिति थी । यही नहीं गंगा के किनारे कभी पेय जल का संकट नहीं उत्पन्न होता था, पानी नहीं सूखता था । पहली बार इस वर्ष मैंने देखा कि कुंए सूख गये ।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

मान्यवर, समय हो गया है, कोरम पूरा नहीं है आप सदन को स्थगित कर दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मैनेजर सिंह जी, आप जरा रुक जांय ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी ।)

श्री अफसर यू अहमद--

यह बेचारे कर्मचारी मर रहे हैं, इनके जीवन का भी तो देखिये ?

श्री शैलेन्द्र कुमार--

मान्यवर, समय पूरा हो गया है लेकिन कोरम पूरा नहीं है, आप सदन स्थगित कर दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने घंटी बजवायी है । माननीय राजस्व मन्त्री ने कहा है चर्चा पूरी हो गयी है, आखिर समय है, बस दो मिनट और लगेंगे ।

श्री शैलेन्द्र सिंह--

मान्यवर, आप समय बढ़ाते चले जा रहे हैं और कोरम पूरा नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह--

हमारे मन्त्री जी ने कहा है कि हैण्ड पम्प लगे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी घंटी बज रही है, अभी आप रुक जांय ।

(माननीय स्वास्थ्य मन्त्री के सदन छोड़ कर चले जाने पर)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

सदन में कोरम बनाये रखने की मन्त्री लोगों की जिम्मेदारी है । यहां मन्त्रीगण ही सदन से उठ-उठ कर चले जा रहे हैं, यह सदन की बदनामी है ।

(कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मैनेजर सिंह, आप अपनी बात को कह चुके हैं ?

श्री मैनेजर सिंह--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो हैण्ड पम्प लगवाये गये हैं यह जो रिपोर्ट आपको दी गयी है, यह सही नहीं है । पिछले साल की रिपोर्ट है । आप फिर से इस वर्ष के आंकड़ों को देखिये । आपके माननीय राज्य मंत्री संकटा प्रसाद शास्त्री ने बीस सूत्री की बैठक में स्पष्ट कहा था कि बलिया को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जायेगा । तो क्या बलिया सूखाग्रस्त घोषित होगा ? सर्व सम्मत निर्णय बीस सूत्री की बैठक में किया गया था । बलिया को सूखा क्षेत्र घोषित किया जाय किन्तु खेद है कि बलिया सूखा क्षेत्र घोषित नहीं हुआ ।

श्री मैनेजर सिंह--

बलिया सूखा का इलाका है उसे आप सूखा घोषित करेंगे और सहायता देंगे ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, होता यह है कि जहां सूखा पड़ जाता है वहां लगान आप माफ करने की घोषणा कर देते हैं और वहां पर एक परम्परा यह है कि जिलाधिकारी सीधे नहीं माफ करता है बल्कि वह एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज देता है और शासन की उस पर कार्यवाही नहीं होती है तो फिर वसूली हो जाती है । इस संदर्भ में माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ।

श्री बलराम यादव--

मान्यवर, हमारे यहां भी सूखे की स्थिति है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिये ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय--

माननीय मंत्री जी ने जो सूखे की रिपोर्ट दी । उसे उन्होंने उसको बड़ी तेजी के साथ उठाया जो प्रश्न किया गया था उनका उत्तर स्पष्ट नहीं है । आपने जो कुछ बताया वह और अस्पष्ट हो गया है । नवम्बर से लेकर मार्च तक रबी का मौसम होता है। पूरी रबी की फसल नष्ट हो गई है । ऐसी परिस्थिति में क्या आप पुनः इन सारे जनपदों का सर्वे करायेंगे और सूखा घोषित करेंगे ।

श्री गौरी शंकर--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि माननीय सदस्यगण ने इस चर्चा में भाग लिया और इसके पहले कि मैं अपने किन्हीं प्रश्नों का जवाब दूं, एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, उनको मैंने नोट कर लिया है और उसके हिसाब से जो भी आपकी समस्या है, उनको सुनिश्चित करने के लिए हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि के 9 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
6 अगस्त, 1985

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थियाँ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी

[देखिए अता0 प्र0 सं0 104 का

राजकीय बहुधंधी उद्यान प्रक्षेत्र भटना में बिक्री किए गए

वर्ष	सेब	आड़ू	खूबानी	प्लम	नाशपाती
1979–80	622·000	10·000	10·000	..	65·000
1980–81	8002·750	80·000	65·000	60·000	10·000
1981–82	14398·750	220·000	72·000	35·000	30·000
1982–83	1590·450	58·000	71·000	20·000	100·000
1983–84	712·000	30·00	93·000	..	..

वर्षवार बिक्री दर

1979–80	1·50 से 3 रु0 तक	75 पैसा	75 पैसा	75 पैसा	50 पैसा
1980–81	1·50 से 3 रु0	75 पैसा	75 पैसा	75 पैसा	50 पैसा
1981–82	1·50 से 3 रु0	75 पैसा	75 पैसा	75 पैसा	50 पैसा
1982–83	1·50 से 3 रु0	75 पैसा	75 पसा	75 पैसा	50 पैसा
1983–84	1·50 से 3 रु0	75 पैसा	75 पैसा	75 पैसा	50 पैसा

वर्ष 1985–86 के लिए

संस्था का नाम
1—कुमायूं मण्डल विकास निगम
2—गढ़वाल मण्डल विकास निगम
3—सहकारी संघ
4—यू0 पी0 हार्टिको

"क"

उत्तर पीछे पृष्ठ 450 पर]

फलों का विवरण वर्ष 1979-80 से 1983-84 तक

(बिक्री किलोग्राम में)

अखरोट	पीचर	अन्य	योग	अभ्युक्ति
4·000	132·000	..	843·000	वर्ष 1979-80 एवं
..	70·000	..	8287·750	1980-81 में स्थानीय
10·000	76·000	..	14841·750	बिक्री की गई तथा
..	..	..	1839·450	ढुलान पर व्यय नहीं हुआ एवं वर्ष 1981-82 व 1982-83 में क्रमशः रु0 3543 एवं 820 रु0 का व्यय विभागीय बजट से किया गया वर्ष 1983-84 में भी ढुलाई पर कोई व्यय नही किया गया है।
..	..	..	835·000	फलावरिंग के समय पाले से नुकसान के कारण उत्पादन कम हुआ।
(रुपयों में)				
..	2·50 से 3 रु0 तक	..	..	..
..	2·50 से 3 रु0 तक	..	..	..
..	2·50 से 3 रु0 तक	..	..	..
..	..	..	..	..
..	..	..	..	..

फल विपणन के लक्ष्य

निर्धारित लक्ष्य (टन)
1500
2000
800
800

नत्थी "ख"

[देखिये अता0 प्र0 सं0 154 व 155 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर]

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री सूर्यप्रताप शाही द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 154 व 155 के उत्तर में उल्लिखित परिशिष्ट "क"

श्री ऊबला, सदस्य, विधान सभा के पत्र में उठाये गये बिन्दु	राजकीय निर्माण नियम की आख्या
1	2
(1) 14 दिन से अधिक की अवधि में स्थानापन्न कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को विभिन्न राजाज्ञाओं के अन्तर्गत स्थानापन्न वेतन दिये जाने की शासकीय नीति है फिर भी निर्माण निगम में कई वर्षों से लेखाकार के उच्च उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने वाले अनेक लेखा सहायकों को वित्तीय लाभ नहीं दिया जा रहा है ।	(1) निर्माण निगम में 1-4-84 से लागू मैनुअल के पैरा 248 (बी) के (सी) तथा (डी) प्रस्तरों में स्पष्ट उल्लेख है कि लेखा सहायक से लेखाकार के कर्तव्यों को करने के लिए कहा जा सकता है किन्तु तद्हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ, जब तक प्रबन्ध निदेशक द्वारा उसके विपरीत निश्चय न किया गया हो, देय नहीं है ।
(2) 31 मार्च, 1984 से पूर्व के सभी मामलों में वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड 2, भाग 2 के मूल नियम 30 के अनुसार स्थानापन्न कार्य के बदले में उच्च वेतनमान दिया जाना चाहिये क्योंकि निर्माण निगम का मैनुअल 1-4-84 से लागू हुआ है तथा उससे पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के मूल नियमों को लागू करने के लिये निगम अनिवार्य रूप से बाध्य है ।	(2) निर्माण निगम एक स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण सभी वित्तीय मामलों में निर्णय लेने के लिये स्वतन्त्र है । सभी निर्णय निदेशक मण्डल या प्रबन्ध के सक्षम अधिकारी द्वारा लिये जाते हैं, निगम ने हाल में बनाये गये मैनुअल में अनेक वित्तीय प्राविधान किये हैं क्योंकि वित्तीय हस्तपुस्तिका प्रतिष्ठान पर स्वतः अनिवार्य रूप से लागू नहीं होती है ।
(3) निगम के वित्तीय सलाहकार श्री मुखर्जी के अवकाश पर जाने पर लेखा नियन्त्रक श्री दलाल को उच्च वेतन का भुगतान किया गया ।	(3) वर्ष 1984-85 में श्री मुखर्जी के अवकाश पर जाने पर श्री दलाल को कार्यवहन भत्ता दिया गया । यह मामला प्रश्नगत मामलों से बिलकुल भिन्न है ।

नत्थी 'ग'

[देखिए अतां0 प्र0 सं0 158 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर]

श्रीमान् जी,

आदेशानुसार संलग्न पत्र संख्या 418/18-12-82 कार्यालय प्रभारी अधिकारी महोदय नगर पालिका सम्भल में केवल श्री फरीदउद्दीन खां पुत्र वहीदउद्दीन खां की सम्पत्ति की पैमाइश श्रीमान् परगनाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मौके पर फरीदउद्दीन खां तथा लेखपाल की उपस्थिति में स्थित ग्राम घुघावली अन्दर चुंगी में जरीब द्वारा की गई जिसकी चौहद्दी व सीमाएं श्री फरीदउद्दीन खां से मालूम की गईं नजरी नक्शा पैमायश निम्न प्रकार दिया जाता है। जिसके अनुसार मौके पर कुल सम्पत्ति का क्षेत्रफल टुकड़ा (1)=2-42 एकड़, टुकड़ा (2)=1·18 एकड़ कुल=3·60 एकड़ होता है। हुदूद अर्बे के अनुसार इसके अलावा सम्पत्ति नहीं नापी जा सकती है। लेखपाल व मालिक श्री फरीदउद्दीन खां के हस्ताक्षर प्राप्त किए।

नक्शा नजरी पैमायश

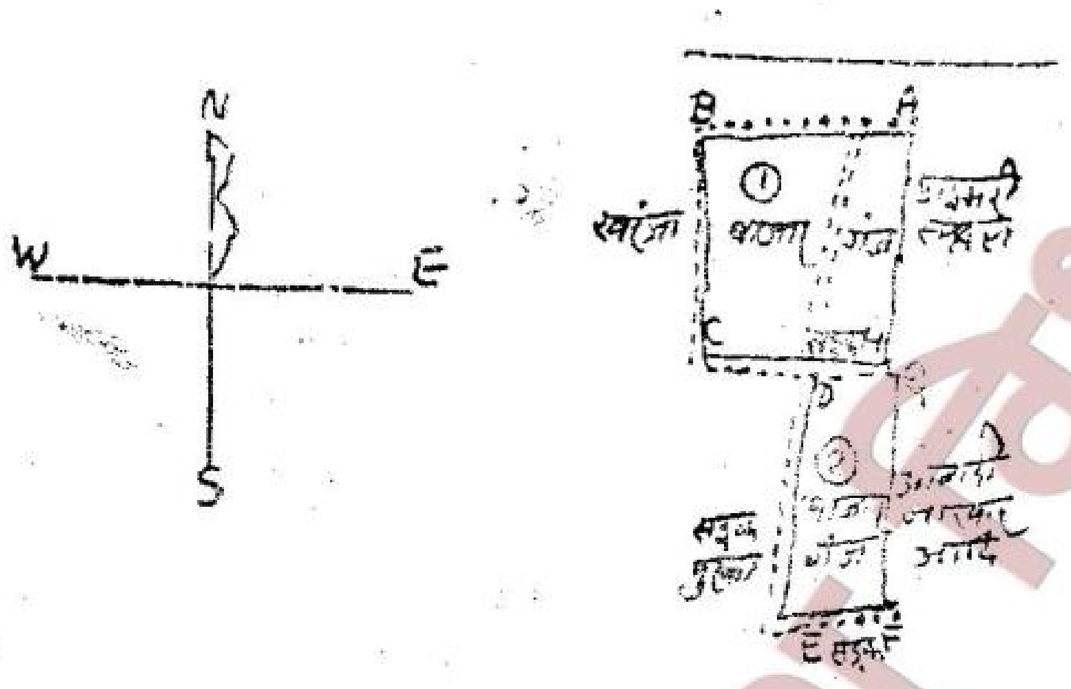

AB=426 कड़ी
AH=630 ,,
HC=320 ,,
BC=665 ,,
DG=215 ,,
GF=552 ,,
EF=215 ,,
DE=552 ,,

रकबा (1) =2·42
(2) =1·18

कुल योग .. 3·60

रिपोर्ट सेवा में प्रस्तुत है।

ह0 श्री फरीदउद्दीन खां
5-1-83

ह0 अपठनीय
5-1-83

ह0 अपठनीय
5-1-83

नत्थी 'घ'

[देखिए अता0 प्र0 सं0 160 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60 पर]

क्रम-संख्या	सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित विभिन्न मदें	आवंटित धनराशि	व्ययगत धनराशि	व्ययगत होने का कारण
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	
1	1981 की जनगणना कर्मचारियों के अवशेष वेतन एवं भत्ते के भुगतान हेतु	94,000	82,700	संबंधित जिलों द्वारा आवंटित धनराशि, व्यय न कर सकने के कारण एवं जनगणना कर्मचारियों के देयकों पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश की आपत्ति के फलस्वरूप धनराशि आहरित न की जा सकी।
2	बर्नले पशुओं को नष्ट करने हेतु पारितोषिक	11,000	..	..
3	प्रादेशिक सेना दिवस सहायता समारोह	2,000	..	..
4	प्रादेशिक सेना कर्मचारियों को पारितोषिक	9,000	..	..
5	प्रादेशिक सेना डेकोरेशन तथा मेडल प्राप्त व्यक्तियों को नकद पुरस्कार	2,33,500	2,33,500	प्रादेशिक सेना मुख्यालय मध्य कमान, लखनऊ ने यह सूचित किया है कि कमान्डर प्रादेशिक सेना मुख्यालय, जो उनके आहरण एवं वितरण अधिकारी हैं, के स्टेशन पर उपलब्ध न होने के कारण स्वीकृत धनराशि आहरित नहीं की जा सकी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6	विलीन रियासतों एवं क्षेत्रों के एकीकरण के फलस्वरूप देय भत्ते	9,000	..	..
7	विलीन रियासतों के भूतपूर्व शासकों के सम्बन्धियों एवं सेवकों को भत्ते	90,000	..	..
8	अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एकमुश्त धनराशि	20,000	..	..
9	क्वेटा भूकम्प पीड़ितों को एन्विटी (भारित)	60	..	..
10	कुली उतार का अंत	10,000	..	..
11	रेजीडेंट आफिस कलकत्ता के तीन कोयला इन्सपेक्टरों की व्यवस्था	46,000	..	..
12	रामपुर में बहुत अर्से से दिये जाने वाले धर्मार्थ दान–सहायक अनुदान	50,000	..	..
13	रामलीला के व्यय तथा मंदिरों एवं अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रबंध के लिए आल इंडिया काशी राज ट्रस्ट, वाराणसी को सहायक अनुदान	1,15,000	..	..
14	प्रान्तीय हज समिति को सहायक अनुदान	10,000	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

[देखिए अता0 प्र0 सं0 168 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर]

संलग्नक साड परिचर वाले केन्द्र

क्रम-संख्या	केन्द्र का नाम	गाय सांड	भैंसा सांड	बकरा सांड	मेढ़ा
1	2	3	4	5	6
1	मुनस्यारी	1	1		
2	मद कोट	1	1		
3	क्वीटी	1	1		
4	सेंणराथी	1	1		
5	नाचनी	1	1		
6	बांसबगढ़	1	1		
7	उछेती	1	1		
8	पशु0 चि0, धारचूला	1	1		
9	बलुवाकोट	1	1		
10	बतौर	1	1		
11	तोली	1	1		
12	चामी	1	1		
13	रांथी	1	1		
14	तेजम	1	1		
15	सिध्दांग	1	1		
16	देवलथल	1	..		
17	भवानी	1	1		
18	पशु0 चि0, असकोट	1	1		
19	पशु0 चि0, डीडीहाट	..	1		
20	खेतोंर	1	1		
21	जौरासी	1	1		
22	पशु0 चि0 थल	..	1		
23	बेरीनाल	1	1		
24	चामाचौड	1	1		
25	पुराना थल	1	1		
26	शंकुन	1	1		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
27	बड़ावे	..	1		
28	मरसोली	1	1		
29	पशु0 चि0 चम्पावत	1	1		
30	तामैली	1	1		
31	कुमैया चौड़	1	1		
32	सिपतोली	1	1		
33	जाखपरान	1	1		
34	शेरीकुन्डार	..	1		
35	पशु0 चि0 गंगोली हाट	1	1		
36	राम मन्दिर	1	1		
37	बनकोट	1	1		
38	चहज	1	1		
39	पोखरी	1	..		
40	पशु0 चि0 गनाई गंगोली	1	..		
	योग ..	36	37		
	मान देय वाले केन्द्र				
1	विर्थी	1	1		
2	जम्कू	1	1		
3	सदगेड	1	1		
4	चौंसाल	..	1		
5	भैसड	1	1		
6	पांखू	1	1		
7	सिगेरानी	..	..		
8	धमागोडा	..	1		
9	टोटानौली	1	1		
10	मछियार	1	..		
11	बलतंण्डी	1	..		
12	जौलाड़ी	1	..		
13	विल्दे	1	1		
14	मंडलक	..	1		
15	रौसाल	1	..		
16	रैगांव	..	1		
17	चौमेल	1	1		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
18	नेंकना	1	1		
19	खर्क दुगलानी	1	1		
20	चिगताली	1	1		
21	बज्यूड़ा	..	1		
22	शिरमोली	1	1		
	योग	16	17		

मेढ़ा केन्द्रों की सूची एवं मेढ़ों की संख्या

क्रम-संख्या	केन्द्र का नाम	मेढ़ों संख्या
1	मेढ़ा केन्द्र समकोट	21
2	,, ,, कैंठी	13
3	,, ,, होकरा	32
4	,, ,, गांधीनगर	49
5	,, ,, बईकाती	45
6	,, ,, बोना	23
7	,, ,, जिप्ती	27
8	,, ,, पांग	15
9	,, ,, कुरीला	42
10	,, ,, सेवा	39
11	,, ,, दर तीजम	27
12	,, ,, राथी	39
13	,, ,, उछेती	19
14	,, ,, जारा जिबली	28
15	,, ,, मुनस्यारी	28
16	,, ,, जीमियां	43
	योग ..	490

विधान सभा

नत्थी 'च'

[देखिए अतां0 प्र0 सं0 174 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर]

जनपद पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा के उन इण्टर कालेजों जिनमें काष्ठ शिल्प, वाणिज्य, कताई, बुनाई, गृह विज्ञान, सैन्य विज्ञान व कृषि विषय की शिक्षा दी जाती है, की सूची :

क्रमांक	विद्यालय का नाम	हाई स्कूल स्तर पर अध्ययन	इण्टरमीडिएट स्तर पर अध्ययन
1	2	3	4
	(बालक) अल्मोड़ा		
1	राजकीय इण्टर कालेज, अल्मोड़ा	काष्ठ शिल्प	..
2	रामजे इण्टर कालेज, अल्मोड़ा	वाणिज्य	वाणिज्य
3	अल्मोड़ा इ0 का0, अल्मोड़ा	वाणिज्य	..
4	सर्वोदय इ0 का0, जयन्ती, अल्मोड़ा	कताईबुनाई	..
5	रानीखेत इ0 का0, रानीखेत, अल्मोड़ा	गृह विज्ञान	..
6	द्वाराहाट इ0 का0, द्वाराहाट, अल्मोड़ा	गृह विज्ञान	..
	(बालिका)		
1	राजा आनन्दसिंह इ0 का0, अल्मोड़ा	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान
2	एडेम्स महिला इ0 का0, अल्मोड़ा	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान
3	राजकीय महिला इ0 का0, रानीखेत, अल्मोड़ा	..	गृह विज्ञान
4	अर्थ कन्या इ0 का0, अल्मोड़ा	गृह विज्ञान	..
	(बालक) पिथौरागढ़		
1	बापू राजकीय इ0 का0, पिथौरागढ़	(1) वाणिज्य (2) कृषि	सैन्य विज्ञान
2	राजकीय इ0 का0, पिथौरागढ़	वाणिज्य	वाणिज्य
3	इ0 का0सातशिलिंग, पिथौरागढ़	वाणिज्य	..
4	राजकीय वी0 एन0 पी0 इ0 का0, पिथौरागढ़	वाणिज्य	..
	(बालिका)		
1	राजकीय कन्या इ0 का0, पिथौरागढ़	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान

नत्थी 'छ'

[देखिए अतां० प्र० सं० 183 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर]

तालिका

ठेकेदारों की सूची जिन्हें जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा नाप भूमि से किल्मोड़ा की जड़ों को निकालने की अनुमति विगत वित्तीय वर्ष में दी गई :

क्रम-संख्या	ठेकेदार का नाम व पता जिसके नाम जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी की गई	मात्रा कुन्तल में	निकासी की अवधि	नाप भूमि का नाम जहां से किल्मोड़ा की जड़ें निकाली गयीं
1	2	3	4	5
1	श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री प्रेम बल्लभ, ग्राम लुहेड़ा, अल्मोड़ा	2000	दो माह	ग्राम कलझौण उड़ोती
		2000	दो माह	नौगांव, कफलटाना, बंगल
2	श्री चन्द्र दत्त पुत्र श्री लक्ष्मी दत्त, ग्राम भतरौजखान, बिल्लेख, अल्मोड़ा	1481	दो माह गत वर्ष का शेष	बिल्लेख
3	श्री रूपसिंह पुत्र श्री उमेद सिंह, ग्राम बड़ेत, ग्राम सभा पूसाकोट पट्टी, नया अल्मोड़ा	2000	दो माह	ग्राम सभा गोगन्याड़ कलझोपा, कनारीखात।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
4	श्री उमेद सिंह पुत्र श्री दान सिंह, ग्राम सनड़ामैड़ो, अल्मोड़ा	1000	दो माह गत वर्ष का शेष	ग्राम सभा चम्पाड़ी चिन्ताली, सुरभाली, सेलीपातलां, बरगत, उडोली।
5	श्री किशन सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह, ग्राम कुमालेश्वर, मल्ला चौकोट, अल्मोड़ा	1800	दो माह	ग्राम टिकरी, रिठाल, सुरमोली, जेनौली, उपराड़ं।
6	श्री रघुबर दत्त पुत्र श्री नरोत्तम, ग्राम दुगोली, क्षेत्र नौगांव	1200	दो माह	ग्राम जाला
7	श्री कुन्दन सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, ग्राम नेल, तल्ली चौकोट	1000	15 दिन	ग्राम सभा बैत
8	श्री दीवान सिंह पुत्र श्री हयात सिंह, ग्राम सभा सिमलगैर, बागेश्वर	..	कार्य नहीं किया	सिमल गांव
	योग ..	12,481		

पी0 एस0 यू0 पी0—34 एल0 ए0—9-9-85—813—(पी0 डी0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा